राजभाषा भारती

राजभाषा विभाग
गृह मंत्रालय, भारत सरकार
नई दिल्ली

राजभाषा भारती

राजभाषा विभाग की त्रैमासिकी

जुलाई--सितम्बर, 1985 वर्ष 8, अंक 30

विषय सूची

		पृष्ठ
कुछ अपनी--कुछ आपकी		
1. राजभाषा हिन्दी--कुछ विचार बिन्दु	पी. आर. विश्वम्भरन	4
2. देवनागरी टाइपराइटर : निर्माण और उपलब्धियां	हरिबाबू कंसल	6
3. एकमात्र मार्ग--अंग्रेजी माध्यम के विकल्प की समाप्ति	डा. मोतीबाबू	8
4. हिन्दी साहित्य बनाम हिन्दी भाषा	सुनील सरवाही	10
5. स्नातकोत्तर पाठयक्रमों को भी हिन्दी में पढ़ाया जाए	जगन्नाथ	12
6. राजभाषा हिन्दी के व्यवहार में कठिनाइयां और उनका समाधान	अखिलेश "चमन"	13
7. भारतीय परिप्रेक्ष्य में प्रत्यक्ष अवकरण प्रौद्योगिकी	डा. सुधांशु रंजन प्रमाणिक	15
8. गुजरात और राजभाषा हिन्दी	गिरिराज किशोर	22
9. बालक, बालभवन और राजभाषा	डा. उषा गोपाल	24
10. हिन्दी चली समंदर पार : ब्रिटेन में हिन्दी दिवस	श्रीमती सरोज श्रीवास्तव	26
11. पुरानी यादें नए परिप्रेक्ष्य में : प्रेमचन्द और राष्ट्रीय भाषा का प्रश्न	कुंवरपाल सिंह	29
12. केन्द्रीय हिन्दी समिति की 19वीं बैठक		32
13. अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन		34
14. समिति समाचार--		44
(क) मंत्रालयों की हिन्दी सलाहकार समितियों की बैठकें :--		
(1) गृह मंत्रालय (2) वाणिज्य मंत्रालय		
(3) विधि और न्याय मंत्रालय (4) श्रम मंत्रालय		
(5) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय		
(6) नौवहन और परिवहन मंत्रालय		
(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें :--		57
(1) तिरूवनंतपुरम (2) विशाखापट्टनम (3) नागपुर		
(4) हैदराबाद (5) अहमदाबाद (6) भटिंडा		
(7) अजमेर (8) आगरा (9) इलाहाबाद		
(ग) कार्यान्वयन समितियों की बैठकें :-		
(1) नई दिल्ली (गृह मंत्रालय) (2) नई दिल्ली (प्रधान डाकघर)		
15. सम्मेलन--		
(1) त्रिवेन्द्रम (2) रांची (3) बम्बई		115

संपादक

राजेन्द्र कुशवाहा

उप संपादक

जयपाल सिंह

पत्र व्यवहार का पता :—

संपादक, राजभाषा भारती,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
लोकनायक भवन (प्रथम तल),
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003

फोन : 617657

पत्रिका में प्रकाशित लेखों की अभियुक्ति से राजभाषा विभाग का सहमत होना अनिवार्य नहीं है।

(नि:शुल्क वितरण के लिए)

16. राजभाषा हिन्दी के बढ़ते चरण--- 71
(1) नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन, हैदराबाद
(2) केनरा बैंक में राजभाषा की प्रगति : एक परिचय
(3) लघु उद्योग सेवा संस्थान, जयपुर में हिन्दी की प्रगति

17. हिन्दी कार्यशालाएं--- 79
(1) ई. सी. आई. एल. हैदराबाद
(2) मौसम विज्ञान के अपर महानिदेशक का कार्यालय, पुणे
(3) पुणे टेलीफोन, पुणे
(4) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स, पुणे
(5) इस्को, बर्नपुर
(6) राजपुरा दरीबा माइन्स/हिन्दुस्तान जिंक लि.
(7) हिन्दुस्तान जिंक लि., उदयपुर
(8) महालेखाकार कार्यालय, राजस्थान, जयपुर
(9) केनरा बक का मंडल कार्यालय, आगरा
(10) आयकर आयुक्त कार्यालय, आगरा
(11) आयकर आयुक्त कार्यालय, मेरठ
(12) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, नई दिल्ली
(13) सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, नई दिल्ली
(14) पुनर्वास प्रभाग (गृह मंत्रालय), नई दिल्ली

18. हिन्दी दिवस/हिन्दी सप्ताह समारोहों का आयोजन--- 87
(1) भारत डायनामिक्स लि., हैदराबाद
(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालय, हैदराबाद
(3) महाप्रबन्धक टेलीफोन्स, हैदराबाद
(4) प्रागा टूल्स लि०, हैदराबाद
(5) पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय, करल परिमंडल, तिरूवनंतपुरम
(6) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स, पुणे
(7) मौसम विज्ञान के अपर महानिदशक (अनुसंधान), पुणे
(8) पुणे टेलीफोन्स, पुणे
(9) आकाशवानी, पुणे
(10) सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, पुणे
(11) महानगर वम्बई
(12) पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय, बम्बई

(13) बैंक आफ इण्डिया प्रशिक्षण महाविद्यालय, बम्बई

(14) दि काटन कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि., बम्बई

(15) बैंक आफ बड़ौदा, बम्बई

(16) आकाशवाणी, पोर्ट ब्लेयर

(17) पंजाब नेशनल बैंक, अहमदाबाद

(18) आयकर आयुक्त का कार्यालय, नागपुर

(19) भारतीय जीवन बीमा निगम, नागपुर मंडल

(20) यूनियन बैंक आफ इण्डिया, बंगलौर

(21) कोयला खान श्रमिक कल्याण संस्था, धनबाद

(22) हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन, कलकत्ता

(23) सिंडीकेट बैंक, कलकत्ता

(24) लोहा और इस्पात नियंत्रण, कलकत्ता

(25) मुरगांव पत्तन न्यास

(26) संघ शासित प्रदेश, दादरा एवं नागर हवेली, सिल्वासा

(27) दि काटन कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि., भटिंडा

(28) आयकर आयुक्त का कार्यालय, लुधियाना

(29) दूरदर्शन केन्द्र, जालंधर

(30) केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय, फरीदाबाद

(31) केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद, डाकतार शाखा, अलीगढ़

(32) कार्यालय अधीक्षक अभियन्ता, उच्चशक्ति प्रेषित्र, आकाशवाणी, अलीगढ़

(33) आकाशवाणी, इलाहाबाद

(34) हिन्दुस्तान वेजिटेबल आयल्स कार्पोरेशन लि., कानपुर

(35) महालेखाकार कार्यालय, जयपुर

(36) खेतड़ी कॉपर कम्प्लेक्स, खेतड़ी

(37) बिहार डाक सर्किल, पटना

(38) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रमंडल, लहेरियासराय

(39) राजभाषा विभाग, बिहार सरकार, पटना

(40) महानिदेशक नागर विमानन, नई दिल्ली

(41) सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया, नई दिल्ली

(42) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रशिक्षण निदेशालय, नई दिल्ली

(43) वनस्पति, वनस्पति तेल तथा वसा निदेशालय, नई दिल्ली

(44) आकाशवाणी, नई दिल्ली

(45) दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि., नई दिल्ली

(46) नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन लि., नई दिल्ली

(47) सिंडीकेट बैंक आंचलिक कार्यालय, नई दिल्ली

(48) भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली

(49) इलाहाबाद बैंक, नई दिल्ली

19. विविधा-- 116

(1) नागरिक पूर्ति विभाग से संबंधित विषयों पर हिन्दी में मौलिक पुस्तकें लिखने पर पुरस्कार देने की योजना

(2) बैंक आफ महाराष्ट्र की स्वर्ण-जयन्ती

(3) कांस्टीट्यूशनल क्लब, नई दिल्ली में देवनागरी लिपि के कम्प्यूटरों के संबंध में गोष्ठी

(4) भारतीय सर्वेक्षण विभाग, उत्तरी सर्किल, देहरादून में वार्षिक हिन्दी समारोह

(5) आयकर आयुक्त कार्यालय, कानपुर में पुरस्कार वितरण समारोह

कुछ अपनी

हिन्दी विभिन्न बोलियों और उप-भाषाओं का एक समग्र रूप है। इसके मानक रूप को हमें राजभाषा के रूप में प्रतिस्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। अतः सभी को कुछ-न-कुछ प्रयत्न करके हिन्दी सीखनी पड़ती है। यह बात दूसरी है कि हिन्दी भाषा-भाषी को इसलिए कम प्रयत्न करना पड़ता है, क्योंकि उसकी बोली मानक हिन्दी के बहुत निकट है, इसकी तुलना में अहिन्दी भाषा-भाषी को कुछ अधिक प्रयत्न करना पड़ता है। इस अंक में अहिन्दी भाषा-भाषी श्री पी. आर. विश्वम्भरन अपने लेख "राजभाषा हिन्दी कुछ विचार बिन्दु" में बड़ी सटीक टिप्पणी करते हैं, "अगर आप अंग्रेजी पढ़कर उसे अपनी सम्पर्क भाषा बनाना चाहते हैं तो क्यों नहीं हिन्दी पढ़ते ? यह कोई विदेशी भाषा तो नहीं है। आप अंग्रेजों से आजाद होना चाहते थे पर अंग्रेजी के गुलाम रहना चाहते हैं क्या ?"

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ-साथ यह आवश्यक हो गया है कि राजभाषा हिन्दी को आधुनिकतम यांत्रिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। राजभाषा विभाग के प्रयासों से इस दिशा में सफलता भी मिली है। अब इलेक्ट्रिक टाइपराइटर, इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर, कंप्यूटर, वर्डप्रोसेसर आदि-आदि द्विभाषी रूप में उपलब्ध हैं और भारत सरकार की यह नीति भी है कि सभी मंत्रालय/विभाग/उपक्रम आदि केन्द्रीय सरकारी कार्यालय द्विभाषिक इलेक्ट्रानिक उपकरण ही खरीदें। पर यह सब एक दिन में नहीं हो गया। इसके पीछे एक लम्बा इतिहास रहा है और उसी की एक झांकी दिखलाई है राजभाषा भारती के इस अंक में श्री हरिबाबू कंसल ने अपने लेख "देवनागरी टाइपराइटर : निर्माण और उपलब्धियां" में डा. मोती बाबू राजभाषा के क्षेत्र में सुपरिचित हैं। उन्होंने राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। वे अपने मौलिक चिन्तन और राजभाषा के प्रति निष्ठा के लिए चर्चित रहे हैं। इस अंक में हम उनका लेख "एकमात्र मार्ग–अंग्रेजी माध्यम के विकल्प की समाप्ति" राष्ट्रभाषा संदेश से उद्धृत कर रहे हैं। इस लेख में डा. मोती बाबू ने अपने निजी प्रयत्नों को बड़े स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया है।

भाषा और साहित्य दो अलग-अलग विषय हैं। आज यह एक ज्वलन्त प्रश्न है कि क्या "हिन्दी साहित्य की अभिवृद्धि" और "राजभाषा के रूप में हिन्दी का प्रचार और प्रसार" एक-दूसरे के विरोधी हैं अथवा पूरक ? इस मुद्दे पर श्री सुनील सरवाही अपने लेख "हिन्दी साहित्य बनाम हिन्दी भाषा" में एक विस्तृत विवेचना प्रस्तुत कर रहे हैं।

श्री जगन्नाथ का लेख "स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को भी हिन्दी में पढ़ाया जाए" यद्यपि बहुत छोटा है और इस विषय पर काफी लिखा जा चुका है फिर भी जगन्नाथ ने अपने इस लेख में जो विचार बिन्दु प्रस्तुत किए हैं वे विचारणीय हैं। अखिलेश चमन अपने लेख "राजभाषा हिन्दी के व्यवहार में कठिनाइयां और उनका समाधान" में हिन्दी के राजभाषा के रूप में व्यवहार के दौरान आने वाली कठिनाइयों का परिचयात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। यहां यह उल्लेख करना अनुपयुक्त नहीं होगा की राजभाषा हिन्दी के सामने अब पारिभाषिक शब्दावली, टंकण संबंधी समस्या और अनुवाद की समस्या उस रूप में नहीं रही है जिस रूप में प्रायः समझी जाती रही है। फिर भी श्री अखिलेश चमन ने अपने लेख में कुछ ऐसे ठोस सुझाव दिए हैं जिन पर हमें विचार करने की जरूरत है।

राजभाषा भारती के इस अंक में हम डा. सुधांशु रंजन प्रामाणिक का एक शोध पत्र "भारतीय परिप्रेक्ष्य में प्रत्यक्ष अवकरण प्रौद्योगिकी" प्रस्तुत कर रहे हैं। यद्यपि इस लेख का राजभाषा से सीधा संबंध नहीं है फिर भी हम इस लेख को यहां इसलिए प्रकाशित कर रहे हैं ताकि यह समझा जा सके कि तकनीकी और प्रौद्योगिकी विषयों पर हिन्दी में भी लेख प्रस्तुत किए जा सकते हैं और किए जा रहे हैं।

अपने लेख "गुजरात और राजभाषा हिन्दी" में श्री गिरिराज किशोर गुजरात में राजभाषा हिन्दी के इतिहास और स्थिति पर विवेचनात्मक प्रकाश डालते हैं जो कि ज्ञानवर्धक होने के साथ ही साथ बड़ा आशाजनक भी है। "बालक, बालभवन और राजभाषा हिन्दी" में डा० उषा गोपाल दिल्ली स्थित बालभवन में राजभाषा की स्थिति का परिचय दे रही हैं।

"हिन्दी चली समंदर पार" के स्थाई स्तंभ के अन्तर्गत इस बार हम ब्रिटेन में हिन्दी दिवस की एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं जिसे लंदन स्थित भारतीय हाईकमीशन की हिन्दी अताशे, श्रीमती सरोज श्रीवास्तव ने भेजा है। अब प्रेमचन्द और हिन्दी एक पर्याय बन चुके हैं। यह वर्ष प्रेमचन्द जी की स्मृति दिवस का रहा है। इस अवसर पर राजभाषा के प्रश्न पर प्रेमचन्द जी के दृष्टिकोण को राजभाषा भारती के स्थाई स्तंभ "पुरानी यादें नए परिप्रेक्ष्य में" के अन्तर्गत प्रस्तुत कर रहे हैं। इस लेख के लेखक है श्री कुंवरपाल सिंह। श्री सिंह ने प्रेमचन्द के साहित्य और तत्कालीन परिवेश के परिप्रेक्ष्य में राजभाषा के संबंध में प्रेमचन्द जी के दृष्टिकोण को बड़े विद्वतापूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया है। मूल रूप में यह आकाशवाणी की एक वार्ता है जिसे हम आकाशवाणी से साभार प्रस्तुत कर रहे हैं।

सितम्बर, 1985 का महीना राजभाषा हिन्दी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मास के रूप में याद किया जाता रहेगा। 18 सितम्बर, 1985 को भारत के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की अध्यक्षता में केन्द्रीय हिन्दी समिति की 19वीं बैठक सम्पन्न हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में यह पहली बैठक थी। इसका पूर्ण विवरण हम इस अंक में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी के साथ ही ठीक दूसरे दिन 19 सितम्बर, 1985 को भारत के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी

जी की अध्यक्षता में दिल्ली के विज्ञान भवन में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री जी ने बड़ा प्रेरणादायक भाषण दिया और उसके साथ ही उन्होंने अपने करकमलों से राजभाषा हिन्दी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को पुरस्कार से सम्मानित किया। इसका पूरा विवरण भी हम इस अंक में दे रहे हैं।

समिति समाचार, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें, हिन्दी कार्यशालाएं–हिन्दी दिवस/सप्ताह समारोह आयोजन के अन्तर्गत हमने यह भरसक प्रयत्न किया है कि जो भी सामग्री हमें भेजी गई है उसे इस अंक में स्थान दिया जा सके। फिर भी संभव है कि कुछ सामग्री हम न दे सके हों। हमें आशा है कि हमारी सीमाओं को देखते हुए इसे प्रस्तता अन्यथा नहीं समझेंगे। इस अंक में हम विविधा के अन्तर्गत महत्वपूर्ण समाचार और विवरण दे रहे हैं।

लेखकों से अनुरोध है कि जब भी वे हिन्दी के संबंध में कोई लेख भेजें तो कृपया उसकी दो टाइप की हुई प्रतियां भेजें।

राजभाषा भारती के अंक आप लोगों को देर से पहुंच रहे हैं इसका हमें खेद है किन्तु हम भी विवश हैं।

पाठकों के विचारों और सुझावों तथा राजभाषा से संबंधित लेखों का स्वागत है। □□□

"भारत जैसे संयुक्त परिवार का अच्छा उदाहरण मिलना कठिन है। हमारी प्रत्येक मातृभाषा इस परिवार की पुत्री के समान है। ये सभी भाषाएं भारत की सांस्कृतिक संपत्ति के समान उत्तराधिकारी हैं। ये भारत की राष्ट्रभाषा हैं और इनमें से हिन्दी भारत की राष्ट्रीय सम्पर्क भाषा है क्योंकि इस भाषा का परिवार सबसे बड़ा है।"

––श्रीमती इन्दिरा गांधी

कुछ आपकी

"राजभाषा भारती के अक्टूबर–दिसम्बर, 1984 अंक की एक प्रति प्राप्त हुई। श्री भैरवनाथ सिंह का लेख "प्रयोजनमूलक हिन्दी और उसमें अन्तर्निहित अनुवाद की प्रक्रिया" अत्यन्त उपयोगी है।"

––गंगा प्रसाद राजौरा, राजभाषा अधिकारी,
इण्डियन ओवरसीज बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली

"आपके द्वारा प्रकाशित राजभाषा भारती के 27वें अंक की एक प्रति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशालय (नई दिल्ली) द्वारा इस कार्यालय को भेजी गई। यह जानकर अति हर्ष हुआ कि उक्त पत्रिका में अत्यन्त सारगर्भित लेखों एवं केन्द्रीय सरकार के विभिन्न कार्यालयों द्वारा हिन्दी की प्रगति व प्रसार के संबंध में किए गए रचनात्मक कार्यों का उल्लेख किया गया है जो कि कार्यालय के लिपिकों को समुचित मार्गदर्शन एवं प्रेरणा प्रदान करते हैं।"

––अपर पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र
के रि पु ब (गौ) गौहाटी-23 (आसाम)

"राजभाषा भारती के इस अंक में राजभाषा हिन्दी के सरलीकरण पर छपी सामग्री निस्संदेह सामयिक है। इसमें पाठकों को विचारणीय मुद्दे के लिए पर्याप्त सामग्री मिल जाएगी। राजभाषा कार्यान्वयन में हिन्दी अधिकारियों को आने वाली कठिनाइयों के बारे में उनके सुझाव मांगे जा सकते हैं तथा उनके निराकरण के उपाय अगले अंक में प्रकाशित करवाए जा सकते हैं। हिन्दी के लिए उपयुक्त मंच की कमी आज तक आवश्यकता बनी हुई है। हिन्दी कार्य से संबंधित अधिकारियों पर कर्मचारियों की समस्याएं उनसे पता चलाकर उनके निराकरण के तरीके पत्रिका माध्यक से बताए जा सकते हैं। हिन्दी सप्ताह एवं कार्य-शिविरों के आयोजन के विवरण अंक में देकर आयोजकों का मनोबल बढ़ाया गया है।

इस पत्रिका में राजभाषा सम्बन्धी उपयोगी जानकारी देने के लिए संपादक मंडल बधाई का पात्र है।"

––शिवसिंह भदौरिया, हिन्दी अधिकारी
कार्यालय जिला प्रबन्धक टेलीफोन, जयपुर-10

"राजभाषा भारती में दी गई सामग्री बहुत ही सुन्दर ढंग से संपादित की गई है। यह सामग्री हमें बहुत ही अच्छी लगी और हमें अपनी कंपनी में हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए बहुत काम आएगी।

इस पत्रिका में हिन्दी दिवस/हिन्दी सप्ताह तथा हिन्दी कार्यशालाओं के बारे में जो सूचना प्रकाशित की गई है वह बहुत ही प्रेरणादायी है। आशा है इससे भारत सरकार के शेष कार्यालयों को हिन्दी को बढ़ाने के लिए अधिक प्रेरणा मिलेगी।"

––सुदेश कपूर, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी,
हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक लि०, पिम्परी, पुणे-411018

"राजभाषा भारती के अक्टूबर–दिसम्बर, 1984 क 27वें अंक की एक प्रति प्राप्त हुई। प्रसन्नता की बात है कि राजभाषा विभाग "राजभाषा भारती" प्रकाशित करके हिन्दी के प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। इसका प्रत्येक अंक संग्रहणीय होता है। इस अंक में डा. कैलाश चन्द्र भाटिया के लेख "सरल हिन्दी" डा. शंकर दयाल सिंह के लेख "भाषा वही जो भावों को सही अर्थ में प्रकट करें" में बहुत सारगर्भित तथा उपयोगी सामग्री दी गई है। स्थायी स्तम्भ के कालम–"पुरानी यादें नये परिप्रेक्ष्य में" महा पंडित राहुल सांकृत्यायन के विचार महत्वपूण लगे। इसके अलावा विधि कालमों में सूचना परक सामग्री जुटाई गई है। पत्रिका की निरंतर सफलता के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं स्वीकार करें।"

––सी० लाल, प्रबन्धक (प्रशासन)
हिन्दुस्तान वेजिटेबल आयल्स कार्पोरेशन लि०, सब्जी मंडी
नई दिल्ली

"राजभाषा भारती में प्रकाशित सभी लेख विचारोत्पादक एवं संस्मरणात्मक हैं तथा राजभाषा के प्रचार-प्रसार में अत्यन्त सहायक हैं। वस्तुतः आपकी गृह पत्रिका प्रेरणादायक है। आशा है कि भविष्य में भी इसका हिन्दी को प्रसारित करने में इसी प्रकार का महत्वपूर्ण योगदान बना रहेगा।

––डा० ओम प्रकाश शर्मा, हिन्दी अधिकारी,
हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि० 75-सी, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता

राजभाषा हिंदी—कुछ विचार बिंदु

—पी० आर० विश्वम्भरन

सेन्ट्रल वेअर हाउसिंग कारपोरेशन के प्रबन्धक (तकनीकी) अहिन्दी भाषी श्री पी० आर० विश्वम्भरन ने अपने इस लेख "अगर आप अंग्रेजी पढ़कर उसे अपनी संपर्क भाषा बनाना चाहते हैं तो क्यों हिन्दी नहीं पढ़ सकते ? यह कोई विदेशी भाषा तो नहीं है। आप अंग्रेजों से आजाद होना चाहते थे, पर अंग्रेजी के गुलाम रहना चाहते हैं क्या ?" बड़ा विचारणीय मुद्दा है यह। श्री विश्वम्भरन ने प्रस्तुत लेख में अपने व्यक्तिगत अनुभव और राजभाषा हिन्दी से जुड़े रहने के अनुभव के आधार पर बड़ी सरलता और सहजता से अनेक ऐसे मुद्दे उठाए हैं जो विचारणीय हैं।

भारत जैसे देश में, जहां पन्द्रह से भी अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, एक भाषा का राजभाषा बन जाना कोई सरल बात नहीं है, क्योंकि प्रत्येक भाषा के आराधक अपनी भाषा को ही महान समझते हैं, अतुल्य समझते हैं, समृद्ध समझते हैं। उदाहरण के तौर पर तमिल भाषियों को देखिए, वे हिन्दी के चलचित्रों को देखते हैं, हिन्दी फिल्म के गाने बहुत सुनते हैं, शौक से, खुशी से। परन्तु हिन्दी को राजभाषा बनाने का अनुरोध कीजिए तो कहेंगे "क्यों, हमारी तमिल भाषा अच्छी नहीं है क्या, उसका इतिहास नहीं है क्या, क्यों हम हिन्दी को दिमाग चाटने देंगे ?" वगैरह।

चलिए लखनऊ चलें। वहां मेरा एक अच्छा दोस्त है, अहमद अली खां। बहुत शौकीन आदमी है, मेरे साथी हैं। जब मैंने हिन्दी को राजभाषा बनाने की बात छेड़ी तब उनका गुस्सा देखने लायक था। वैसे तो जनाब ने कालीदास की रचनाएं जैसे अभिज्ञान शाकुन्तलम्, कुमार सम्भवम् वगैरह संस्कृत में पढ़ी है। कालीदास की कृतियों की तारीफ की है। उनके कुछ श्लोक, विशेषकर वे जो कुमार संभवम् में पार्वती की तपस्या का वर्णन करते हैं, खां साहब ने अपनी मीठी उर्दू में अनुवाद किये हैं। मैं उन्हें पढ़ कर आनन्द लिया करता था। उर्दू भी कितनी खूबसूरत भाषा है, उसमें कितनी मर्यादा है, नज़ाकत है। हां जनाब, मैं यह कह रहा था कि खां साहब जिनको संस्कृत में भी रुचि थी, नाराज होकर मुझसे कहा, "हिन्दी को इन लोगों ने हिन्दुओं की भाषा बना रखा है। अपने देवी-देवताओं व ऋषि-मुनियों की भाषा समझा है। यह मनोभाव हमें अच्छा नहीं लगता।"

अब हम चलें केरल की तरफ। वहां के लोग अच्छी तरह हिन्दी जानते हैं। मेरा अनुभव है कि उन्हें हिन्दी में बात करना अच्छा लगता है। किसी आटोरिक्शा वाले से भी आप हिन्दी में बात कीजिए तो टूटी-फूटी हिन्दी में वह जवाब देगा। केरल की पाठशालाओं में हिन्दी पढ़ाई जाती है। यदि आप केरल के किसी गांव में जाकर देख लें तो सन्ध्या के समय बच्चों की हिन्दी के पाठ जोर से पढ़ने की आवाज आपके कानों में अमृत की वर्षा करती मिलेगी। हां उच्चारण में कुछ अन्तर हो सकता है, परन्तु बचपन से ही हिन्दी में उनकी रुचि पैदा हो जाती है। लता मंगेशकर के मधुर गाने, बम्बई वाली फिल्में एवं हिन्दी की पत्रिकाएं उन्हें अच्छी लगती हैं। उन्हें सुनते हैं, देखते हैं और पढ़ते हैं। परन्तु जब राजभाषा की बात आती है तो वे चिढ़ जाते हैं। "यह कैसे होगा ? हमारे पुस्तक-ज्ञान के बावजूद, हम कैसे हिन्दी-भाषियों से प्रतियोगिता कर सकते हैं ?. जहां उन्हें 75 प्रतिशत अंक मिलते हैं हमें 35 प्रतिशत तक भी अंक नहीं मिल सकते हैं। हम किसी भी बात में उनसे कम नहीं हैं, कमजोर नहीं हैं, परन्तु हमारे नाम हमेशा नीचे ही आयेंगे, क्योंकि हमारा जो हिन्दी ज्ञान है वह जन्म सिद्ध नहीं है, हमें वह ज्ञान मेहनत करके अर्जित करना है, जबकि वे लोग बचपन से ही हिन्दी में बात करते हैं, काम करते हैं, व्यवहार करते हैं। हिन्दी भाषा में कैसे हम उनके स्तर तक पहुंच सकते हैं ? और इस हालत में हम अपने को क्यों उनसे छोटा बनने देंगे ?" इत्यादि, इत्यादि . . .।

सही बात है। इन तीनों बातों का थोड़ा सा विश्लेषण कीजिए। पहली बात यह है कि जब अपनी मातृभाषा समृद्ध है, परिपूर्ण है तो क्यों अन्य किसी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार करें ? मातृ-भाषा अपनी माता समान है। जो मातृभाषा भूल जाता है, वह अपनी मां को भी भूल जाता है। जो अपनी जननी को भूल जाता है, वह इंसान नहीं जानवर है। अतः जो अपनी मातृभाषा को भूल जाता है वह जानवर ही समझा जाता है और उसका जानवर की तरह बहिष्कार होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि हमें अपनी-अपनी मातृभाषा की पूजा करनी चाहिए। जिस तरह हम अपनी मां को मानते हैं। परन्तु अपनी मां के रहने के बावजूद हम जयमाता की नहीं करते हैं क्या ? जय भारत की नहीं करते हैं क्या ? वह कौन सी माता है? आप खुदा का नाम लें या अपने देश का। उन्हें भी आप पूजते हैं, उनकी भी इज्जत करते हैं। उसी तरह एक भारतीय भाषा का, जो पूरे देश की एक संपर्क (लिंक) भाषा होगी, अपनाना होगा। उस भाषा से उतना ही प्रेम होना चाहिए जितना अपनी मातृभाषा से है। तभी तो यह देश तरक्की करेगा। एक मजबूत वृक्ष बनेगा, जिसकी छाया में हम सब हिन्दुस्तानी एकता एवं अखण्डता के केवल नारे ही नहीं लगायेंगे, बल्कि उनको अटल बनाने का प्रयास भी करेंगे। हां, सभी भाषाओं का विकास अनिवार्य है, क्योंकि प्रत्येक भाषा में हमारी संस्कृति एवं सभ्यता की झलक है। आखिर आप क्यों अंग्रेजी को अपनाना चाहते ह, जब आपके ही देश में एक भाषा है। जो संपर्क भाषा बन सकती है ? मेरा एक सवाल है अहिन्दी भाषियों से : अगर आप अंग्रेजी पढ़कर उसे अपनी संपर्क भाषा बनाना चाहते हैं तो क्यों हिन्दी नहीं पढ़ सकते हैं ? यह कोई विदेशी भाषा तो नहीं है। आप अंग्रेजों से आजाद होना चाहते थे, पर अंग्रेजी के गुलाम रहना चाहते हैं क्या ?

इस सन्दर्भ में मैं एक अपना अनुभव आपको बताना चाहता हूं। एक साल पहले मैं जर्मनी एवं स्विट्जरलैंड गया था। मैंने सोचा था कि जो अंग्रेजी मैंने पढ़ी थी उससे मैं दूनियां भर में अपना कार्य संभालूंगा। यह एक अंहकार था। जब मैं फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर उतरा, मैंने देखा कि कोई अंग्रेजी नहीं बोल रहा है। सब जर्मन में बात कर रहे है। एक

टैक्सी में मैंने अपने होटल का नाम बताया तो ड्राइवर साहिबा (हां, वह लेडी ड्राइवर थी) अपनी जर्मन भाषा में कुछ बोलने लगीं। एक शब्द भी मेरी समझ में नहीं आया। मैंने अंग्रेजी में बात की तो उसने नफरत से मेरी ओर देखा कुछ बातें की जो मेरे लिये ग्रीक थी। यही अनुभव स्विट्जरलैंड में भी हुआ, जहां लोग फ्रेंच, स्पैनिश एवं जर्मन के सिवाय कुछ भी नहीं जानते थे। अंग्रेजी जानकार भी नहीं बोलते थे। मैं अपने आपको अपमानित महसूस कर रहा था कि हम लोग हिन्दी जानते हुए भी अंग्रेजी में बात करते हैं, लिखते हैं। यह एक फैशन हो गया है।

लीजिए एक और सत्यकथा। कुछ दिन पहले मैं अपनी पत्नी के साथ शॉपिंग करने गया था। फैशनेबुल शॉपिंग सैन्टर था। हम हिन्दी में कुछ पूछ रहे थे, पीछे से दो तीन फैशनेबुल लड़कियां आती हैं और दुकानदार से पूछती है, "यू हैव दिस थिंग, व्हाट यू काल चूड़ियां..... येस येस बेंगल्स ?" हमें हंसी आई। दिल्ली की लड़कियां हिन्दी नहीं जानती ? सीधे पूछ सकती थी कि आपके पास चूड़ियां हैं ? नहीं तब यह फैशन कैसे होगा और अचरज की बात यह है कि दुकानदार हमारी बात सुनने के बजाय उन तितलियों की बात सुनने के शौकीन थे, क्योंकि वे फैशनबुल थी। अंग्रेजी बोलती थीं, या इसलिए तो नहीं कि वे जवान लड़कियाँ थी और हम लोग साधारण हिन्दुस्तानी मध्यवयस्क थे ? मुझे मालुम नहीं।

मेरे इतना कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी बातचीत की बुनियाद अंग्रेजी है। हमारी आदत अंग्रेज है, हमारे मौलिक विचार ही अंग्रेज हैं, जबकि अन्य देशों में जैसे जर्मनी, फ्रांस, स्पैन, इटली, रूस, चीन वगैरह हैं, अपनी ही भाषा बोली जाती है। जहां एक से अधिक भाषाएं बोली जाती है, वहां पर एक सम्पर्क भाषा जरूर है जो सभी भाषियों को कुछ न कुछ समझ में आती है। हमें यह जंजीर तोड़नी है और हिन्दी को ही अपनी राजभाषा बनाना चाहिए। क्योंकि यह भाषा अधिकतर राज्यों में बोली जाती है और अन्य राज्यों में समझी जाती है। जहां-जहां इस भाषा का ज्ञान है कमजोर है, वहां पर हिन्दी में विशेष प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए। प्रशिक्षणार्थियों को एवं हिन्दी में काम करने वालों के लिए अधिक से अधिक प्रोत्साहन पुरस्कार घोषित किये जाने चाहिए। इससे धीरे-धीरे हम हिन्दी को न केवल राजभाषा के रूप में अपितु राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने में सफलता प्राप्त कर सकेंगे।

दूसरी बात मजहब एवं भाषा के संबंध की है। कुछ लोगों का विचार है कि हिन्दी हिन्दुओं की भाषा है, उर्दू मुसलमानों की, पंजाबी सिखों की एवं अंग्रेजी ईसाइयों की। मिसाल के तौर से अभी-अभी टी० वी० में दर्शाये गए नाटक "नटखट नारद" के संवाद सुनिये—नारद मुनि वही हिन्दी जानते है जो संस्कृत के शब्दों से भरपूर है। जब अन्य भूमिकाएं निभाने वाले कलाकार उर्दू के शब्द बोलते हैं तो नारद जी की समझ में नहीं आता। उनकी समझ में भला कैसे आयेगा, वे संस्कृत हिन्दी बोलने आते हैं। मैंने यह भी देखा है कि कुछ हिन्दी के लेखक जब भी इस भाषा के बारे में लिखते हैं, कहते हैं कि ऋषि-मुनियों की बातें हिन्दी में थी, हमारी पूरी हिंदू-संस्कृति हिन्दी पर आधारित है, वगैरह, वगैरह। यह बिल्कुल गलत बात है और इन विचारों का नखशिखान्त विरोध करना चाहिए। हिन्दी हिन्दुओं की भाषा नहीं है, हिन्दुस्तानियों की भाषा है। इसमें उर्दू, पंजाबी और अंग्रेजी के ही नहीं तमिल, गुजराती, उड़िया और अन्य भारतीय भाषाओं के शब्द भी सम्मिलित हैं। और अधिक शब्द इसमें सम्मिलित होने चाहिएं। क्या आप नहीं जानते है कि "वणक्कम" क्या होता है ? तो हल यह है कि इस भाषा को हम हिन्दुस्तानी ही कहेंगे ताकि हिन्दुस्तान की प्रत्येक भाषा के मुख्य शब्द इस भाषा में अवशोषित (एबजारब) कर दिये जायें और यह भाषा एक कठिन संस्कृत भाषा बनने के बजाय एक सरल हिन्दुस्तानी भाषा बन कर जनता में लोकप्रियता हासिल करे।

तीसरी बात है अहिन्दी-भाषियों के हिन्दी-ज्ञान के स्तर की। हां यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि यू. पी. एस. सी. सभी परीक्षाएं हिन्दी में करायें और उसमें देश के विभिन्न राज्यों के प्रार्थी बैठें तो यह कैसा न्याय होगा ? अवश्य उत्तरप्रदेश एवं मध्यप्रदेश के प्रार्थी तमिलनाडु, असम या कश्मीर के प्रार्थियों से अधिक अंक प्राप्त करेंगे। इसका हल बहुत आसान है। राज्यों का तीन श्रेणियों में वर्गीकरण किया गया है :

1. वे राज्य जहां हिन्दी मातृभाषा है।
2. वे राज्य जहां हिन्दी कुछ हद तक बोली या समझी जाती है।
3. वे राज्य जहां हिन्दी में ज्ञान अभी पर्याप्त नहीं है।

इन श्रेणियों के अनुसार प्रश्न पत्र तीन तरह के बनने चाहिए। इसके अलावा, तीन अलग समितियां जिसमें संबंधित भाषाज्ञानी भी शामिल हों, गठित की जानी चाहिए। जो इन तीन श्रेणियों के उत्तर पत्र जांच करके अंक प्रदान करें। दूसरी एवं तीसरी श्रेणियों के प्रार्थियों को यह छूट देनी चाहिए कि जहां उन्हें हिन्दी शब्द नहीं मिलते हो वहां अंग्रेजी या अपनी मातृभाषा के शब्द का प्रयोग करें। इसके अलावा, कुल अंक में द्वितीय एवं तृतीय श्रेणियों के प्रार्थियों को क्रमशः 15 और 25 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी प्रदान करनी चाहिए। इसमें कुछ बाधाएं एवं परेशानियां अवश्य होंगी, परन्तु कुछ समय के लिए। उसके बाद जैसे आजकल अंग्रेजी सर्वप्रिय है वैसे ही हिन्दी सर्वप्रिय हो जाएगी।

मुझे अब लांगफेलो की एक कविता याद आ रही है। उन्होंने गाया था :—

"अच्छा तो हम जागे और कार्य करें
नतीजा कुछ भी हो धीरज से काम करें।
और सफलता पायें और आगे बढ़ें आगे
प्रयास करना सीखें, प्रतीक्षा करना सीखें।"

जी हां जागना जरूरी है, कार्य करना भी आवश्यक है, चाहे नतीजा कुछ भी हो। सफलता हमें जरूर मिलेगी, अगर हम प्रयास करें और एक नये भारत का निर्माण करें जहां मजहब, जात, भाषा और राज्य का भेद न हो, लेकिन हमारी सम्पर्क-भाषा अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषा न हो बल्कि भारतीय हो.....हिन्दुस्तानी हो। □

देवनागरी टाइपराइटर : निर्माण और उपलब्धियां

—हरिबाबू कंसल

(राजभाषा विभाग के भूतपूर्व उप सचिव और राजभाषा भारती के सुपरिचित लेखक श्री हरिबाबू कंसल देवनागरी टाइपराइटर के संबंध में अत्यन्त उपयोगी सामग्री इस लेख में प्रस्तुत कर रहे हैं।)

एक समय था जब लिखाई का कार्य हाथ से होता था। सभ्यता का विकास हुआ। नई-नई मशीनें बनी। उनके उपयोग से जीवन में अनेक परिवर्तन होते गए। आधुनिक युग यंत्रों का युग है। अब निजी पत्रों को छोड़कर अन्य पत्र हाथ से लिख कर नहीं टाइप करके भेजे जाते हैं। कोई उद्योगपति अथवा व्यापारी अपने पत्र हाथ से लिखकर भेजने की बात सोचेगा ही नहीं। सकारी कार्यालयों तथा संस्थाओं के पत्र भी टाइप किए हुए जाते हैं। अनेक व्यक्ति अपने निजी पत्र भी आशुलिपिक द्वारा टाइप करवा कर भेजना सुविधाजनक समझते हैं। पूर्वकाल में लेखक अपनी साहित्यिक रचनाओं को हाथ से लिखा करते थे। अब विदेशों के अधिकांश लेखक हाथ से लिखने की अपेक्षा टाइपराइटर का उपयोग करना पसन्द करते हैं। भारत के भी कई लेखक टाइपराइटरों का उपयोग करने लगे हैं। जिनकी लिखावट साफ नहीं है उनके लिए टाइपराइटर वरदान हैं। जो व्यक्ति तेज गति से टाइप कर सकते हैं वे हाथ से लिखने की अपेक्षा टाइपराइटर से अपना काम करके काफी समय बचा लेते हैं। पत्रकारिता के क्षत्र में जहां समाचार प्रेषण में समय का बड़ा महत्व है, टाइपराइटर संवाददाताओं का अभिन्न साथी बन गया है। जब एक ही पत्र, परिपत्र, समाचार, लेख की अनेक प्रतियां एक साथ भेजनी हों तो स्टेसिल कटवा कर साइक्लोस्टाईलिंग कराने के लिए टाइपराइटर का सहारा लेना ही पड़ता है। मुद्रण यंत्रों की अपेक्षा टाइपराइटर का मूल्य काफी कम होता है। उसके कारण साधारण स्थिति वाले व्यक्ति अथवा संस्थाएं भी टाइपराइटर खरीद पाती हैं।

टाइपराइटर का सर्वप्रथम पेटेन्ट अमेरिका में विस्कासन के० सी० एल० शोलेख, सी० ग्लिडेन तथा एस. डब्लू. सॉले ने सन् 1868 में लिया था। उस वर्ष 15 मशीनें तैयार की गई और 1871 में 25 मशीनें बनी। पर इनकी खपत अधिक नहीं हुई। अमरीका के सरकारी कार्यालयों में टाइपराइटर का प्रवेश पहली बार 1878-81 में हुआ। ब्रिटेन के प्रशासन में टाइपराइटर का प्रचलन देर से हुआ। कार्बन पेपर के अविष्कार के बाद जब टाइपराइटर पर एक साथ कई प्रतिलिपियां तैयार होने लगी टाइपराइटर की मांग तेजी से बढ़ी। अब संसार का कोई ऐसा देश नहीं जहाँ टाइपराइटर का प्रयोग न होता हों। प्रारम्भ में टाइपराइटर रोमन लिपि के बने। अब संसार की सभी प्रमुख भाषाओं के टाइपराइटर उपलब्ध है। देवनागरी लिपि के टाइपराइटरों के अलावा भारत की अन्य प्रमुख लिपियों के भी टाइपराइटर बनते हैं।

देवनागरी लिपि हिन्दी की ही नहीं मराठी, संस्कृत तथा नेपाली भाषाओं की भी लिपि है। अत: जिन-जिन क्षेत्रों में इन-इन भाषाओं का प्रयोग होता है, वहां-वहां देवनागरी लिपि के टाइपराइटरों का प्रयोग होना आरम्भ हुआ। स्वाधीनता से पूर्व देवनागरी टाइपराइटरों का प्रयोग अधिक नहीं था। देश के स्वाधीन होने के पश्चात अनेक राज्यों की राजभाषा हिन्दी घोषित हो जाने से उन राज्यों के विभिन्न विभागों, न्यायालयों, विधान मंडलों आदि में तथा सार्वजनिक जीवन में हिन्दी का प्रयोग बढ़ा और तदनुसार उन राज्यों में तथा महाराष्ट्र में देवनागरी लिपि के टाइपराइटरों की आवश्यकता तेजी से बढ़ी। उस गति से टाइपराइटर बनाने वाली कम्पनियां देवनागरी लिपि के टाइपराइटरों का उत्पादन नहीं बढ़ा पाई। फिर भी ये मशीनें पहले की अपेक्षा काफी बड़ी मात्रा में बनने लगीं। अब प्रतिवष कई हजार देवनागरी टाइपराइटर बनते हैं। रेमिंग्टन कम्पनी ने 1975-76 में 2124, 1976-77 में 3186, 1977-78 में 3996 तथा वर्ष 1979 में 6569 देवनागरी टाइपराइटर बनाए थे। 1979 में गोदरेज ने 3930 रायला कारपोरेशन ने 899 तथा फसिट एशिया ने 2282 देवनागरी टाइपराइटर बनाए। 1978-1979 तथा 1980 में विभिन्न भारतीय भाषाओं/लिपियों के टाइपराइटर निम्नलिखित संख्या में बन :—

	1978	1979	1980
हिन्दी	11,573	13,680	12,754
मराठी	588	1174	1,183
असमी	4	22	245
गुजराती	334	803	1,574
गुरूमुखी	159	544	613
बंगला	67	596	249
मलयालम	263	415	70
तमिल	595	963	1,183
तेलगु	102	93	191
कन्नड़	283	1074	1,050
उड़िया	3	—	6

अब से कुछ वर्ष पूर्व जब कोई कार्यालय या व्यक्ति देवनागरी टाइपराइटर खरीदना चाहता था तो उसे कई-कई महीने अथवा कई कई साल प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। सन् 1974-75 में पांच-पांच, छः-छः वर्षों के क्रय आदश बकाया पड़ रहते थे। जब टाइपराइटर बनाने वाली कम्पनियों को इसके विषय में कहा जाता तो वे कहते कि उत्पादन बढ़ाने से पूर्व उन्हें निश्चित रूप से बताया जाए कि प्रत्येक वर्ष कितनी संख्या में देवनागरी टाइपराइटरों की आवश्यकता पड़ेगी। देवनागरी टाइपराइटरों का उत्पादन बढ़ाने के संबंध में अनेक बैठकें विभिन्न स्तरों पर आयोजित की गई। उनका उचित फल भी निकला। अब देवनागरी लिपि के टाइपराइटर प्राप्त करने में विशेष कठिनाई नहीं होती है।

एक समय था जब सरकारी कार्यालयों में देवनागरी लिपि के टाइपराइटर मंत्रालयों अथवा विभागों में अथवा बहुत बड़े-बड़े कार्यालयों में ही मिलते थे। भारत सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार सभी कार्यालयों में कम से कम एक देवनागरी टाइपराइटर मंगाया जाना आवश्यक है। टाइपराइटर की नई खरीद के संबंध में वर्षों पूर्व यह निर्णय लिया गया था कि हिन्दी-भाषी स्थित क्षेत्रों में कार्यालयों में जितने टाइपराइटर खरीदे जाएं, उनमें से 50 प्रतिशत टाइपराइटर देवनागरी लिपि के मंगवाएं जाने चाहिए। "ख" तथा "ग" क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों के लिए यह प्रतिशतता 25 तथा 10 रखी गयी है। इस निश्चय का पूर्ण रूप से अनुपालन तो नहीं होता किन्तु फिर भी इसके फलस्वरूप देवनागरी लिपि के टाइपराइटर की मांग निरन्तर बढ़ती जा रही है। बैंकों में भी पहले कहीं देवनागरी लिपि के टाइपराइटरों के दर्शन नहीं होते थे और न उसकी आवश्यकता अनुभव की जाती थी। विभिन्न दिशाओं से लगातार प्रयत्न होने के बाद अब स्थिति में काफी परिवर्तन हुआ है तथा अब बैंकों के प्रधान कार्यालयों अथवा आंचलिक या प्रादेशिक कार्यालयों में ही नहीं मंडलीय कार्यालयों में तथा बड़ी-बड़ी शाखाओं में भी देवनागरी लिपि के टाइपराइटर मंगवा लिए गए हैं।

देश में प्रतिदिन लाखों चेक जारी होते हैं। कुछ कार्यालयों ने अपने चेक देवनागरी लिपि में जारी करने प्रारम्भ किए। जब उनका उदाहरण दूसरे कार्यालयों के समक्ष उपस्थित कर उनसे अनुरोध किया गया कि वे भी अपने चेक देवनागरी लिपि में जारी करें तो उन्होंने इस आधार पर अपनी असमर्थता प्रकट की कि वे अपने चेक पिन-प्वाइंट टाइपराइटर द्वारा तैयार करते हैं तथा देवनागरी लिपि में पिन-प्वाइंट टाइपराइटर उपलब्ध नहीं हैं। जब टाइपराइटर बनाने वाली कम्पनियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि वे इस प्रकार के टाइपराइटर नहीं दे सकते। अधिक पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि ऐसे टाइपराइटरों के निर्माण मे कोई विशेष बाधा नहीं है कुछ विशेष प्रकार का संमंजन करने से रोमन लिपि की भांति देवनागरी लिपि में भी पिन-प्वाइंट टाइपराइटर बनाए जा सकते हैं। उसकी व्यवस्था कराने में कुछ वर्ष लगेंगे किन्तु अब पिन-प्वाइंट टाइपराइटर बनने लगे हैं। उनका उपयोग भी अब अनेक बैंक तथा अन्य सरकारी कार्यालय करने लगे हैं।

रेलवे स्टेशनों पर रिजर्वेशन के चार्ट कहीं हाथ से लिखकर और कहीं टाइप करके लगाए जाते हैं। इसके लिए बड़े-बड़े स्टेशनों पर बुलेटिन टाइपराइटर का प्रयोग किया जाता है जिनमें अक्षर बड़े-बड़े होते हैं। जब रेलवे रिजर्वेशन चार्ट देवनागरी लिपि में लिखने की बात स्वीकार की गई तो बड़े स्टेशनों पर बुलेटिन टाइपराइटरों की आवश्यकता अनुभव की गई। इस दिशा में ध्यान दिए जाने से अब देवनागरी लिपि के भी बुलेटिन टाइपराइटर बनने लगे हैं और उनका उपयोग अनेक कार्यालय कर रहे हैं।

बिजली चालित रोमन लिपि के टाइपराइटरों का उपयोग विदेशों में वर्षों से होता रहा है तथा भारत में भी अनेक कार्यालय ऐसे टाइपराइटरों का उपयोग करते थे। ये टाइपराइटर विदेश से आयात किए जाते थे। विदेशी कम्पनियों ने देवनागरी लिपि के भी बिजली चालित टाइपराइटर बनाए थे और ऐसे अनेक टाइपराइटरों का उपयोग भारत सरकार के मुद्रणालयों में तथा अन्यत्र भी होता रहा था। इन टाइपराइटरों पर गहरे अक्षर टाइप होने से उन्हें आफसेट द्वारा आसानी से मुद्रित कराया जा सकता था। जब इन टाइपराइटरों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया और हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर लि. मद्रास ने उन्हें भारत में ही बनाने की योजना हाथ में ली, तब यह आशा दिलाई गई थी कि शीघ्र ही बिजली-चालित टाइपराइटर भारत में बनने लगेंगे और इस प्रकार के टाइपराइटर रोमन लिपि में बनने के एक-डेढ़ वर्ष के भीतर देवनागरी लिपि के टाइपराइटरों का भी उत्पादन होने लगेगा। किन्तु लगभग 15 वर्ष बीत जाने पर भी अभी उस कम्पनी ने देवनागरी लिपि के बिजली-चालित टाइपराइटर बनाना आरम्भ नहीं किया है।

इसी बीच विज्ञान ने और उन्नति की है तथा विदेशों में इलैक्ट्रोनिक टाइपराइटरों का अधिक इस्तेमाल होने लगा है। भारत में भी हजारों की संख्या में अंग्रेजी के इलैक्ट्रोनिक टाइपराइटर बिक रहे हैं। अभी तक केवल एक ऐसी कम्पनी है जो हिन्दी-अंग्रेजी के इलैक्ट्रोनिक टाइपराइटर बनाती है। इस एक ही मशीन पर डिस्क बदलकर, इच्छानुसार रोमन लिपि अथवा देवनागरी लिपि टाइप की जा सकती है।

रोमन लिपि के शब्द संसाधकों (वर्ड प्रोसेसरों) का भी प्रयोग विदेशों में होता रहा है। अब देवनागरी लिपि के वर्ड प्रोसेसर भी बनने लगे हैं। इस प्रकार के शब्द संसाधक एक दो-कम्पनियों ने नहीं, कई कम्पनियों ने बनाए हैं किन्तु अभी वे उनकी बिक्री करने में संतोषजनक सफलता प्राप्त नहीं कर सके हैं।

हिन्दी की प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि देवनागरी लिपि में उस प्रकार के सभी यंत्र पर्याप्त संख्या में उपलब्ध रहें जैसे कि रोमन लिपि में हैं। इन यंत्रों में टाइपराइटरों का सदा महत्व रहा है और नई नई प्रकार की अनेक मशीनें बनाने के बाद भी साधारण कामकाज के लिए टाइपराइटर का महत्व अभी भी बना हुआ है। यदि विभिन्न प्रकार की आवश्यकता के अनुसार देवनागरी लिपि के टाइपराइटर संतोषजनक रूप में मिलते रहेंगे तो उससे हिन्दी की प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता रहेगा। अतः इस ओर बराबर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

ई-9/23, वसंत विहार,
नई दिल्ली-110057

एक मात्र मार्ग—अंग्रेजी माध्यम के विकल्प की समाप्ति

—डा० मोती बाबू

(राजभाषा के रूप में विशेषतः विधि के क्षेत्र में हिन्दी के प्रचार और प्रसार के लिए डा० मोती बाबू का नाम जाना पहचाना है। डा० मोती बाबू का यह लेख हम 15 सितम्बर, 1985 के राष्ट्रभाषा सन्देश से उद्धृत कर रहे हैं। इस लेख में डा० मोती बाबू ने जो मुद्दे उठाए हैं वह उनका अपना व्यक्तिगत दृष्टिकोण है फिर भी विचारणीय है।)

स्वतंत्रता-प्राप्ति के तुरन्त बाद राष्ट्र-भाषा हिन्दी को राजकाज में उसका उचित स्थान देने का प्रयास प्रारम्भ हो गया। संविधान ने उसे संघ की राजभाषा घोषित किया। अनेक राज्यों ने अपने-अपने अधिनियम पारित करके उसे राजभाषा के रूप में अंगीकार किया। विभिन्न उच्च न्यायालयों में हिन्दी के प्रयोग को अनुमति दी गई। हिन्दी के पक्ष में अनेकानेक आदेश पारित किए गए और स्थान-स्थान पर तथा समय-समय पर गोष्ठियां एवं अन्य आयोजन किए गए। किन्तु हिन्दी को उचित स्थान लगभग चार दशकों के प्रयास के बावजूद नहीं मिल पाया है और आज भी स्थिति यह है कि हिन्दी भाषी राज्यों तक में राजकाज की प्रमुख भाषा अंग्रेजी है। निस्संदेह हिन्दी ने यत्र-तत्र प्रगति की है; किन्तु अंग्रेजी की प्रगति कहीं अधिक है। उसका यह कारण तो है ही कि अंग्रेजी शासन से स्वतंत्र होकर भी हम दासता की मनोवृत्ति से मुक्त नहीं हो पाए हैं और अंग्रेजी की उच्चता अब भी हमारे मन मे घर किए हुए है : किन्तु उससे भी बड़ा कारण है हिन्दी-विषय नीति की एक मूलभूत त्रुटि।

आदर्शवादिता का अपना महत्व है; किन्तु संसार का कार्य प्रायः उपयोगितावाद के अनुसार होता है। अंग्रेजी का भारत में प्रचार-प्रसार उसकी उपयोगिता के कारण ही हुआ। सामान्य तौर पर अंग्रेजों ने अंग्रेजी का प्रयोग अनिवार्य नहीं किया; किन्तु उसकी उपयोगिता को बढ़ाया जिससे भारतीय स्वेच्छा से उधर आकर्षित हो गए। शासकों की भाषा होने के नाते विशिष्टता उससे जुड़ी हुई थी। परिणामस्वरूप अंग्रेजी शासन द्वारा दिया गया भारतीय भाषाओं के प्रयोग का विकल्प व्यर्थ हो गया और अंग्रेजी फैलती गई। इसके विपरीत जब भारतीय भाषाओं को राजकाज में उचित स्थान देने का निर्णय किया गया तो इस बात का प्रयत्न नहीं किया गया कि भारतीय भाषाओं की व्यावहारिक उपयोगिता अंग्रेजी से अधिक की जाए। आज भी स्थिति यह है कि हिन्दी-भाषी राज्यों तक में हिन्दी की अपेक्षा अंग्रेजी अधिक उपयोगी है। अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा की व्यापक व्यवस्था सारे भारत में हैं। यदि माध्यम के रूप में अंग्रेजी को अपनाया जाता है तो सारे भारत म केन्द्र या राज्य की किसी भी प्रतियोगितात्मक परीक्षा में व्यक्ति बैठ सकता है। बहुत बड़ी संख्या ऐसी परीक्षाओं की है जिनमें हिन्दी या किसी भारतीय भाषा के माध्यम के रूप में प्रयोग का विकल्प नहीं है। अंग्रेजी में आवश्यक साहित्य कहीं अधिक उपलब्ध होता है। हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं की स्थिति ठीक इसके विपरीत है।

किसी भी हिन्दी-भाषी राज्य का उदाहरण ले लीजिए, वहाँ की सभी प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं में अंग्रेजी में प्रयोग का विकल्प है। कुछ परीक्षाओं में हिन्दी का विकल्प या तो है नही; या है तो नाममात्र का। कहने को तो कानून हिन्दी में बनते हैं, किन्तु वस्तुतः प्रारूपण (ड्राफ्टिंग) अंग्रेजी में होता है, जिसके कारण अंग्रेजी में पारंगत विधिज्ञ हिन्दी-भाषी राज्यों तक के विधि विभागों के लिए आवश्यक है और उच्च स्थानों पर वही रहते हैं जबकि हिन्दी का काम करने वालों का स्तर अपेक्षाकृत नीचा रहता है। उच्च न्यायालयों तक में हिन्दी के प्रयोग की अनुमति है किन्तु यह प्रयोग होता केवल अपवाद के रूप में है। सारे कानून अंग्रेजी में उपलब्ध है। किसी हिन्दी-भाषी राज्यों के सारे अधिनियम कहीं भी प्रयत्न करने पर भी हिन्दी में उपलब्ध नहीं हैं। किसी भी हिन्दी भाषी राज्य में कोई सम्पूर्ण हिन्दी विधि पत्रिका नहीं निकलती है, यद्यपि अंग्रेजी निर्णय पत्रिका सभी निकालते हैं। निजी क्षेत्र में हिन्दी में मानक प्रकाशन नगण्य हैं क्योंकि उनका उपयोग न होने के कारण उनकी मांग नहीं है। विभिन्न सरकारें हिन्दी के प्रकाशनों की जो योजनाएं बनाती हैं वे या तो कार्यान्वित नहीं होतीं, या यदि कार्यान्वित होती हैं तो इतनी मंथर गति से कि उनकी उपयोगिता और प्रभावकारिता दोनों ही समाप्त हो जाती हैं।

यदि हम वास्तव में हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं को राज काज में उनका उचित स्थान देना चाहते हैं तो यह कार्य तब तक नहीं हो सकता जब तक अंग्रेजी का विकल्प समाप्त नहीं किया जाता, भले ही वह क्रमशः समाप्त किया जाए। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के लिए ली जाने वाली प्रतियोगितात्मक परीक्षा को ही लीजिए। उसमें अंग्रेजी हिन्दी दोनो माध्यमों का विकल्प प्राप्त है। अंग्रेजी वाले को पढ़ने की सुविधाएं अधिक हैं और वह हिन्दी की पुस्तकों का आश्रय लिए बिना भी प्रतियोगी सफल हो सकता है। किन्तु केवल हिन्दी की पुस्तकों का आश्रय लेकर कोई इस प्रतियोगिता में सफल होने की आशा इस तरह नहीं कर सकता है। जब प्रतियोगिता में सफल होकर नियुक्त होने वाले मुंसिफ या मजिस्ट्रेट को हिन्दी में कार्य करना अनिवार्य है तो अंग्रेजी माध्यम से प्रतियोगिता में बैठने की छूट किस लिए? यदि हिन्दी भाषी राज्यों की विभिन्न सेवाओं के लिए ली जाने वाली प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं में अंग्रेजी माध्यम का विकल्प समाप्त कर दिया जाए तो यह स्वाभाविक है कि इन सेवाओं में आने के इच्छुक व्यक्ति हिन्दी का अपेक्षित ज्ञान प्राप्त करेंगे तथा उसके अभ्यस्त होंगे और नियुक्ति हो जाने के बाद हिंदी में कार्य करना उनके लिए अधिक सरल और स्वाभाविक होगा। अंग्रेजी माध्यम से आने वाले व्यक्तियों की स्थिति एवं मनोवृत्ति इसके ठीक विपरीत होती हैं। जब भी वे हिन्दी का प्रयोग करते हैं तो विवश होकर ही करते हैं।

वैसे भी यह पुराना सिद्धान्त है कि बड़े पेड़ की छाया में छोटा पेड़ नहीं पनप सकता। इसी प्रकार अंग्रेजी का विकल्प रहते हुए भारतीय

भाषाएं यथेष्ट प्रगति नहीं कर सकतीं। अंग्रेजी का विकल्प समाप्त करना होगा, भले ही धीरे-धीरे किया जाए । तभी भारतीय भाषाओं की उपयोगिता बढ़ेगी और लोग उनकी ओर स्वत: आकृष्ट होंगे ।

अंग्रेजी का विकल्प समाप्त करने के विरुद्ध पहला तर्क यह हो सकता है कि फिर अपेक्षित स्तर के व्यक्ति नही मिलेंगे । यह तर्क भ्रान्तिपूर्ण है । यदि अंग्रेजी का विकल्प नहीं रह जाएगा तो मेधावी व्यक्ति स्वत: भारतीय भाषाओं की ओर आकर्षित होंगे । प्राय: ये वे व्यक्ति होंगे जिन्होंने विदेशी भाषा के अर्जन में अनावश्यक समय व्यय करने की अपेक्षा वास्तविक ज्ञान अर्जित करने में अधिक समय दिया होगा । अत: वे और भी अधिक योग्य साबित होंगे । फिर, क्या यह मानकर चलना उचित है कि अंग्रेजी के माध्यम के बिना उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिलेंगे? तब हिन्दी प्रचार का ढोंग किस लिए ?

दूसरा तर्क यह दिया जा सकता है कि विभिन्न राज्यों को अपनी-अपनी भाषाओं के माध्यम से प्रतियोगिताएं करने पर प्रतियोगिताएं सभी भारतीयों के लिए खुली नहीं रहेंगी । किसी भी प्रतियोगिता में उपयुक्त व्यक्ति ही चुने जाने का दावा कर सकता है । यदि नियुक्ति के बाद भारतीय भाषा में कार्य करने की आवश्यकता है तो कोई कारण नहीं है कि वह नियुक्ति के पूर्व उस भाषा का ज्ञान अर्जित करके उसके माध्यम से कार्य करने की दक्षता का परिचय न दें । जब एक विदेशी भाषा में पारंगतता प्राप्त की जा सकती है तब अपने देश की भाषा में क्यों नहीं? यही नहीं, विभिन्न भाषाओं के वास्तविक प्रयोग में आने पर एक ओर तो इन भाषाओं का ज्ञान और फलगा तथा दूसरी ओर ये भाषाएं परस्पर आदान-प्रदान करके एक दूसर के अधिक निकट आएंगी, जिससे भारत की भावात्मक एकता को बल मिलेगा ।

तीसरी आपत्ति भारतीय भाषाओं में अपेक्षित साहित्य की कमी की हो सकती है । आवश्यकता सृजन की जननी है । अभी साहित्य की कमी इस कारण है कि उसकी मांग कम है । यदि मांग बढ़ेगी तो सृजन स्वत: हो जाएगा । स्वयं अंग्रेजी भाषा का इतिहास इस स्थिति को स्पष्ट करता है ।

अत: आवश्यकता इस बात की है कि अंग्रेजी का मोह छोड़कर हम उसके विकल्प को समाप्त करके हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं को ही माध्यम के रूप में रखें । हिन्दी भाषी राज्यों में भर्ती केवल हिन्दी माध्यम से हो, कन्द्र में हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के माध्यम से और अन्य राज्यों में उनकी अपनी-अपनी राजभाषा तथा हिन्दी के माध्यम से हो । अंग्रेजी का हमारा बनाया हुआ महत्व घट जाने पर देश में भाषाई स्थिति स्वाभाविक रूप में आ जाएगी ।

परिवर्तन में कठिनाई स्वाभाविक है, किन्तु उस कठिनाई से डर कर कोई परिवतन नहीं किया जा सकता ।

सी–60 ई पार्क
लखनऊ

बहुत पहले ही मुझे इस बात का विश्वास हो गया, और मेरा विश्वास तब से अनुभव द्वारा पुष्ट हुआ है–कि यदि कोई भारतीय भाषा कभी भारत की राष्ट्रभाषा बन सकती है, और यदि भारत को एक राष्ट्र बनाना है तो किसी-न-किसी भाषा को राष्ट्रभाषा बनना ही चाहिए––वह भाषा केवल हिन्दी है, और मैं हमशा इस उदेश्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहा हूं ।

––महात्मा गांधी

हिन्दी साहित्य बनाम हिन्दी भाषा

—सुनील सरवाही

("हिन्दी साहित्य की अभिवृद्धि" और "राजभाषा के रूप में हिन्दी का प्रचार और प्रसार" क्या एक दूसरे के विरोधी हैं अथवा पूरक ? आज यह एक ज्वलन्त प्रश्न है। इस प्रश्न पर अपने विचार अभिव्यक्त कर रहे हैं लघु उद्योग सेवा संस्थान, भारत सरकार कानपुर के राजभाषा अधिकारी श्री सुनील सरवाही।)

हिन्दी भारत के 40 करोड़ से भी अधिक देशवासियों की मातृभाषा तथा व्यवहार की भाषा है। 1950 में स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत के अधिकांश जनसमुदाय की सम्पक भाषा होने के कारण ही इसे महात्मा गांधी सहित अन्य अहिन्दीभाषी देशभक्तों ने राजभाषा के रूप में मान्यता देने की वकालत की तथा संवैधानिक रूप से भी राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित कराया। 35 वर्षों के बाद भी, यद्यपि साहित्यिक कृतित्व की दृष्टि से हिन्दी की पर्याप्त अभिवृद्धि हुई है, किन्तु विकासशील भारत में रोजी-रोटी व जीविका के प्रश्न तथा भौतिक व व्यावसायिकता प्रधान बदलते जीवन मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में हिन्दी के व्यावहारिक प्रयोग की दिशा में कोई आशातीत प्रगति नहीं हुई। विपरीत इसके आज हिन्दी के प्रयोग तथा व्यवहार का प्रश्न सम-सामयिक परिस्थितियों में कथित आलोचनाओं, सर्वग्राह्यता, मान्यता तथा उपयोगिता के प्रश्नों में उलझता जा रहा है। हिन्दी से या इस विषय से जुड़े लोग स्वयं समय-समय पर "हिन्दी से जुड़ी हीनता से मुक्त होने की बात" जब कहते हैं तो ऐसा लगता है कि जो हिन्दी भाषा देश को एकता के सूत्र में बांधकर परतन्त्र भारत को मुक्ति दिला सकने में सफल रही शायद ही अब वह बदलते भारत की आवश्यकताओं को पूरा करने में कोई भूमिका निभा सकती है ?

1985 का वर्ष एक नये आवाहन तथा दिशा के साथ प्रारम्भ हुआ है। भाषा के प्रश्न पर यद्यपि नई सरकार का दृष्टिकोण अधिक स्पष्ट नहीं हुआ है किन्तु फिर भी गृह मंत्रालय में एक मुख्य अंग के रूप में राजभाषा विभाग को स्थान देना, सचिव स्तर की नियन्त्रण व्यवस्था, राजभाषा के उत्तरोत्तर प्रयोग की दिशा में निर्धारित कार्यक्रम तथा इस कायक्रम पर स्वयं प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी का पुरोवाक, हिन्दी के क्रमिक विकास के लिये आर्थिक तथा उदार वित्तीय प्रोत्साहन, आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था, न्यूनतम हिन्दी पदों का सृजन तथा अन्य रिक्त पदों पर समय-समय पर लगने वाले प्रतिबन्धों के बावजूद भी हिन्दी के रिक्त पदों का भरा जाना, अनुवाद, टंकण आदि सुविधाओं का विस्तार तथा राजभाषा विभाग सहित अन्य मंत्रालयों द्वारा संवर्द्धनात्मक गतिविधियों का विस्तार प्रत्येक मंत्रालय में गठित हिन्दी सलाहकार समितियों की नियमित बैठकें तथा प्रगति की समीक्षा आदि इस बात का स्पष्ट संकेत देता है कि युवा प्रधानमंत्री ने स्वयं स्वर्गीया प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की भांति इस प्रश्न को नकारा नहीं है, अपितु स्थिति को टकराव से हटाकर प्रभावी बनाने की दिशा में ही प्रयास जारी रखा है।

इसके विपरीत कोई भी ठोस व संवर्द्धनात्मक प्रयास करने के बजाय हिन्दी के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करने वाले कथित भाषा व साहित्य सेवियों के द्वारा सार्वजनिक रूप से आयोजनों व अनेक अवसरों पर केवल इस बात की चर्चा की जाती है कि "सरकार भाषा के प्रश्न को हल नहीं करना चाहती" अथवा "भाषा के प्रश्न पर अपेक्षित महत्व नहीं दिया जा रहा है।" इन प्रश्नों पर यदि गहनता से हम विचार करें तो उत्तर स्पष्ट है कि आज हिन्दी की गिरती साख तथा उसके साथ जुड़ती हुई आलोचनायें केवल व्यक्तिगत मानसिकता के कारण ही बढ़ती जा रही हैं। सरकार का हिन्दी की दिशा में दृष्टिकोण उदार है या नहीं यह बात केवल इस बात के पक्ष पर विचार करने से स्वतः स्पष्ट हो जाती है कि जब 1950 में राजभाषा के रूप में हिन्दी को मान्यता दिलाये जाने के समय किये जाने वाले राजनीतिक व अन्य विरोध इसको राजभाषा के रूप में मान्यता दिलाने से नहीं रोक सके तब आज की परिस्थितियों में क्या ऐसे मंच इसे जन-जन की भाषा बनने से रोक सकते हैं। वैसे भी किसी कार्य को सरकार मूल रूप में स्वीकार कर मान्यता दे सकती है तथा इस दिशा में प्रयास कर सकती है परन्तु इसके व्यवहार में प्रयोग का प्रश्न तो केवल सम्बद्ध व्यक्तियों से ही जुड़ा है तथा उनके आचरण पर निर्भर है।

राष्ट्रीय स्तर पर जबकि मूलतः अभी करोड़ों देशवासियों के लिए रोटी, कपड़ा और मकान का प्रश्न ही हल करना शेष है साक्षरता, स्वास्थ्य, कुपोषण, अनुशासन व धर्म आदि अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न अभी भी विद्यमान हैं, यह सभी ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें सरकार हल करना चाहते हुए भी पूरी तरह से हल करने में सफल नहीं हो सकी है। इन परिस्थितियों में भाषा का प्रश्न जो कि बहुत सरल है तथा जो कि व्यक्ति की मानसिकता से जुड़ा हुआ है, को हल करने में किस प्रकार सरकार को दोषी ठहराया जा सकता है। इतिहास साक्षी है कि अतीत में बुद्धिजीवी वर्ग या साहित्यकारों के द्वारा जनचेतना जाग्रत करने जसे प्रयास कवि कर्म का दायित्व समझकर ही किये गये।

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, जयशंकर प्रसाद, तथा बाद में महात्मा गांधी व राजर्षि टण्डन ने ऐसे प्रयास स्वधर्म मानकर किये तथा जो किसी प्रकार से सरकार के अंग नहीं थे, किन्तु वे अभीष्ट को प्राप्त करने में सफल हुए। आज उसी श्रेणी के बुद्धिजीवियों के द्वारा ऐसे प्रश्नों को मात्र समीक्षा करने के उद्देश्य से उठाना, तथा यह आशा करना कि शासकीय प्रयासों से जनसामान्य में संस्कारों का समावेश किया जा सकता है, उन्हें सुसंस्कृत बनाया जा सकता है तथा निष्ठा व आचरण जैसे मूल्यों का बोध कराया जा सकता है केवल एक सार्थक साहित्यिक किन्तु निर्बल मान्यता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है।

यदि भाषा के प्रति "गौरव बोध" जाग्रत करने का दायित्व सरकार का ही था तो परतन्त्र भारत में स्वयं राजर्षि टण्डन आदि व्यक्ति अपने स्तर पर प्रयास न किये होते। स्वतंत्रता संग्राम में हिन्दी का योगदान एकता की कड़ी के रूप में इसलिए बढ़ गया था क्योंकि वह

विचारों की संवाहिका थी । तत्कालीन परिस्थितियों में मूल उद्देश्य देश को एकता के सूत्र में बांधकर स्वतन्त्रता के लिए प्रयास करना था और यही कारण था कि देश को राजभाषा के सूत्र में पिरोकर स्वतन्त्रता के लिए प्रयास करने वाले राजर्षि टण्डन ने "हिन्दी का तिरस्कार करने वाले व्यक्ति को देशद्रोही" तक कह डाला । लक्ष्य के प्रति सजग तथा सतत प्रयत्नशील इन महापुरुषों ने अपना समय केवल ब्रिटिश साम्राज्यवाद की साहित्यिक आलोचना, समीक्षा या समालोचना में नहीं गंवाया वरन् उस दिशा में प्रयास किये और जनसामान्य से जुड़कर सफलता प्राप्त की । इस दिशा में रिक्तता तथा अभाव का कारण यही है कि आज के अधिकांश साहित्यकार निहित उद्देश्यों की पूर्ति तथा सस्ती लोकप्रियता की प्राप्ति की ओर अधिक ध्यान दे रहे हैं ।

देश की वर्तमान पीढ़ी हिन्दी के साथ जुड़ने में संकोच का अनुभव कर रही है । हिन्दी को सरकारी आश्रय नहीं मिल रहा है ऐसे आलोचना मात्र कर देना ही प्रयासों की इतिश्री नहीं है । समय-समय पर राजर्षि टण्डन तथा बापू के विचारों का स्मरण कर नगदीकरण कर लेना ही इस महत्वपूर्ण प्रश्न के समाधान में योगदान नहीं है । साहित्यिक आयोजन आज मात्र सस्ते सम्मान देने और प्राप्त करने के माध्यम बनते जा रहे हैं जिनका उद्देश्य किसी भी प्रकार भाषा के विकास के लिए नहीं है । यह सही है कि राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न होने के बावजूद सरकार ने भाषा के प्रयोग को बलात रूप से लादने का प्रयास नहीं किया, किन्तु इस बात से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि सरकार ने हिन्दी के साहित्यिक विकास के लिए आश्रय नहीं दिया । विभिन्न प्रदेशों में स्थापित हिन्दी के संस्थान, शोध संस्थान व साहित्यिक केन्द्र और अन्य शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, शासकीय सहायता में राष्ट्रीय स्तर पर विश्व हिन्दी सम्मेलन का आयोजन, सरकारी नौकरियों में हिन्दी के पदों का अनिवार्य सृजन आदि आदि अनेक ऐसे प्रयास हैं जो किये जा रहे हैं । यही नहीं केवल टकराव की नीति को छोड़कर हिन्दी के विकास के लिए सरकार सचेष्ट है । आज विडम्बना इस बात की है कि इस देश में स्व० मदन मोहन मालवीय अथवा राजर्षि टण्डन जैसे हिन्दी के निर्भीक योद्धाओं की कमी होती जा रही है । टण्डन ने हिन्दी की वकालत पहले इस उद्देश्य से की कि जहां-जहां वाणी की आवश्यकता है हिन्दी अपना दायित्व निभा सकती है । वह एकता के आराधक थे पृथकता के नहीं । उनके लिए हिन्दी का मसला स्वराज्य का मसला था और उनकी हिन्दी के प्रति पक्षधरता मूलतः इसी परिप्रेक्ष्य में आंकी जानी चाहिए । खेद का विषय है कि बदलते जीवन मूल्यों के साथ जहां नैतिकता, आचरण और निष्ठा की भावनायें बदलती जा रही हैं वहीं समाज का हितरक्षक सर्जक साहित्यकार भी अपने दायित्व के प्रश्न पर मौन रखकर केवल समीक्षा, टीकायें, आलोचनायें लिखने में अपने दायित्व की इतिश्री समझ रहा है, जबकि इस प्रकार के साहित्य का जनसामान्य से कोई भी सम्बन्ध नहीं है। आज आवश्यकता इस बात की है कि जनप्रतिनिधियों के रूप में जब संसद और विधान सभाओं में ऐसे प्रश्न उठायें जाये तो अग्रणी पंक्ति के कथित साहित्यकार जन माध्यमों से उन स्वरों को अपना उन्मुक्त समर्थन दें ।

साहित्य के क्षेत्र में लब्ध प्रतिष्ठित विद्वानों तथा भाषा सेवियों के कृतित्व से निःसंदेह हिन्दी साहित्य में केवल गुणात्मक अभिवृद्धि ही नहीं हुई है वरन् आज हिन्दी साहित्य विश्व की अन्य भाषाओं में लिखे गये साहित्य की कृतियों की संख्या, गुण, कोटि, स्तर तथा समाहित विचारों व जीवन के बदलते मूल्यों की अभिव्यक्ति म कहीं आगे है । उसकी लोकप्रियता निरन्तर बढ़ती जा रही है लेकिन साथ ही इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता कि स्वयं भाषा के रूप में हिन्दी का सीमित प्रयोग तथा साहित्यसेवियों की प्रयासविहीन आलोचनायें एव अनुकरण के बिना किये जाने वाले प्रयास ही रुकावट के उत्तरदायी हैं ।

हिन्दी के प्रचार-प्रसार की बात है तो केवल यही संतोष का विषय नहीं है कि प्रकाशित होने वाली पत्रिकाओं की संख्या अधिक है । आवश्यकता इस बात की है कि जनसाधारण को यह सस्ते मूल्य पर सुलभ हो । क्या इन पुस्तकों के मूल्य इतने कम हैं जिनका लाभ जनसामान्य को मिल सकता है ? कितने व्यक्तियों को भाषाई गौरव बोध की जानकारी है तथा क्या जनचेतना या सामाजिक चेतना जाग्रत करने का कार्य अब केवल सरकारी तन्त्र से ही जुड़ गया है ?

आज के समसामयिक प्रसंगों में सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता इस बात की है कि यदि हमें वास्तविक रूप में हिन्दी से प्रेम है तथा वास्तविक रूप में हम हिन्दी के विकास कार्य में अपने को जोड़ना चाहते हैं तो हमें साहित्य सृजन के लिए विलासयुक्त प्रसादों को त्यागना होगा और सस्ती ख्याति प्राप्ति अथवा प्रतिष्ठादायक क्षेत्र से जुड़ने का लोभ संवरण करना होगा । अच्छा यह हो कि हम उत्कृष्ठ साहित्य के सृजन में ही अपने को सीमित रखें परन्तु यदि हम दायित्वद्वय को निभाना चाहते हैं तो हमें स्वयं निराला जैसी भूमिका निभानी होगी । आज हम यह भूल जाते हैं कि सामाजिक जनचेतना जागृत करने में अधिक प्रयासों की आवश्यकता है तथा भाषाई द्वन्द के चक्र में केवल मूल्यांकन की दृष्टि से की जाने वाली यह द्वेष रहित आलोचनायें स्वयं हिन्दी के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं । प्रश्न यह है कि क्या प्रत्येक अंग्रेजी समझने, बोलने, पढ़ने व लिखने वाला व्यक्ति का सम्बन्ध अंग्रेजी साहित्य से है ? शिक्षित, अशिक्षित, साक्षर सभी भाषा का प्रयोग करते हैं किन्तु प्रत्येक का सम्बन्ध न तो साहित्यिक अभिवृद्धि से होता है और न साहित्य सृजन से । भाषा जनसामान्य से जुड़ी है, साहित्य की भांति प्रतिभा व व्यक्ति विशेष से नही ।

आज अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की नकल करने वाले कथित मान्टेसरी स्कूलों की संख्या बृद्धि की आलोचना करना एक आवश्यक अंग बन गया है लेकिन शायद ही कभी किसी भाषासेवी व्यक्ति या संस्था ने इस दिशा में यह सोचा अथवा प्रयास किया हो कि देश में अच्छे स्तर के हिन्दी स्कूलों की स्थापना हो तथा भावी पीढ़ी के बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ ही भारतीयता की भावना व हिन्दी के महत्व से परिचय कराया जावे ।

सारतः हिन्दी के साहित्य की दिशा में हो रही प्रगति तथा इससे जुड़े विद्वानों, मनीषियों के कृतित्व तथा देश-विदेश में बढ़ती हुई साख को जहां नकारा नहीं जा सकता वहीं इस तथ्य से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि भाषा के जन-जन से जुड़े होने के रूप में प्रयोग व "गौरव बोध" जाग्रत करने की दिशा में हमारे आधुनिक रचनाकार सर्जक व अध्येता केवल इन प्रश्नों को मौलिक रूप में ही स्वीकार कर चिन्तन का विषय मानते हैं–समाधान की दिशा में प्रयास क्या हैं इसका उत्तर अभी अपेक्षित है ।

राजभाषा अधिकारी
लघु उद्योग सेवा, भारत सरकार, कानपुर

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को हिन्दी में भी पढ़ाया जाए

—जगन्नाथ

(प्रस्तुत लेख में केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् के नियोजकराजभाषा कार्य, श्री जगन्नाथ इस भ्रम का, कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम को हिन्दी में पढ़ाना संभव नहीं है, का निराकरण करने का प्रयास कर रहे हैं।)

स्वतंत्रता के 38 वर्ष पश्चात् भी अनेक विश्वविद्यालयों में अनेक विषयों के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की हिन्दी माध्यम से वैकल्पिक रूप से भी पढ़ाए जाने की व्यवस्था नहीं है। कुछ वर्ष पूर्व स्नातकोतर कक्षाओं में हिन्दी का विकल्प इसलिए नहीं दिया जा रहा था कि भारत सरकार की कुछ उच्च प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं का एकमात्र माध्यम अंग्रेजी था। किन्तु विगत कुछ वर्षों में अब भारत सरकार ने आई. ए. एस. आदि की लगभग 30 उच्च स्तर की प्रतियोगिताओं में हिन्दी के वैकल्पिक प्रयोग की सुविधा दे दी है। इस वर्ष भारत सरकार के कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मण्डल द्वारा जो उच्च स्तर की कृषि वैज्ञानिक अनुसंधान सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा ली जाती है और जिसमें बैठने की न्यूनतम योग्यता एम.एस.सी. है, उसमें सामान्य ज्ञान और निबन्ध के प्रश्न-पत्रों के साथ-साथ सभी व्यावसायिक प्रश्न-पत्रों में भी हिन्दी के प्रयोग की सूविधा दे दी गई है। हाल ही में साधारण बीमा निगम में भी सहायक प्रशासनिक अधिकारियों के वर्ग में नियुक्ति हेतु ली जाने वाली परीक्षा में हिन्दी के वैकल्पिक प्रयोग की सुविधा दे दी गई है। इसके अतिरिक्त आगे पढ़ाई जारी रखने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जो फैलोशिप के लिए प्रतियोगिता ली जाती है उसमें भी हिन्दी के वैकल्पिक प्रयोग की सुविधा दे दी गई है। आगे पढ़ाई जारी रखने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा फैलोशिप दिए जाने के लिए जो प्रतियोगितात्मक परीक्षा ली जाती है, हिन्दी उसका वैकल्पिक माध्यम हो गई है। ऐसी अवस्था में विश्वविद्यालयों द्वारा स्नाताकोत्तर कक्षाओं में भी हिन्दी माध्यम से पढ़ाई की व्यवस्था तुरन्त करने की आवश्यकता है क्योंकि हिन्दी माध्यम से पढ़ने से छात्रों को विषयों का अधिक अच्छा ज्ञान होगा।

2. अनेक विश्वविद्यालयों द्वारा हिन्दी में स्नातकोत्तर कक्षाओं में हिन्दी माध्यम से शिक्षा न दिए जाने का एक कारण यह बताया जाता है कि हिन्दी में तकनीकी पुस्तकों का अभाव है। कई वर्ष पूर्व इस बात में कुछ सच्चाई भी थी, किन्तु पिछले अनेक वर्षों से भारत सरकार के सभी मंत्रालयों ने अपने-अपने विषयों से संबंधित हिन्दी में मूल पुस्तकें लिखे जाने के लिए नगद पुरस्कार योजनाएं चालू की हैं। फलस्वरूप, अब हिन्दी में तकनीकी विषयों पर भी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। भारत सरकार के केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, हिन्दी-भाषी राज्यों की सरकारों और विश्वविद्यालयों द्वारा भी प्राय: सभी विषयों पर अनेक पुस्तकें हिन्दी में प्रकाशित की जा चुकी हैं। यदि कुछ उप-विषयों में हिन्दी में तकनीकी पुस्तकों का अभाव भी होगा तो भी शिक्षा का हिन्दी माध्यम हो जाने पर, हिन्दी में पुस्तकों की मांग होने लगेगी और प्रकाशक स्वयं हिन्दी में पुस्तकें तैयार करवाने के लिए आगे आएंगे।

3. विश्वविद्यालयों का यह भी कहना है कि अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों के तथा विदेशी विद्यार्थी भी विश्वविद्यालयों में पढ़ने आते हैं। इसका उपाय यह हो सकता है कि विद्यार्थियों को दो बैंचों में पढ़ाया जाए एक हिन्दी माध्यम से और दूसरे को अंग्रेजी माध्यम से। जिन प्राध्यापकों को हिन्दी का कम ज्ञान है, वे शुरुआत में मिली-जुली भाषा का प्रयोग करके पढ़ाई करा सकते हैं। आगे से प्राध्यापकों के रिक्त स्थान ऐसे व्यक्तियों से भरे जाएं जो दोनों भाषाओं में पढ़ाने में समर्थ हों।

4. इस प्रसंग में हमें यह भी कहना है कि माननीय राष्ट्रपति जी अनेक अवसरों पर हिन्दी को उचित स्थान न दिए जाने के लिए अपनी वेदना प्रकट कर चुके हैं। 1 मार्च, 1985 को पंजाब विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में अपना भाषण देते हुए उन्होंने हिन्दी को अपनाने तथा देश भर में राष्ट्रभाषा हिन्दी को सम्मान दिलाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सभी कार्यालयों और शिक्षण संस्थाओं में हिन्दी के प्रसार पर जोर दिया जाए और हिन्दी को उसी प्रकार सम्मान दिया जाए जिस प्रकार जर्मन, चीनी और रूसी अपनी-अपनी भाषाओं को दे रहे हैं। उन्होंने आजादी के इतने वर्षों बाद भी अंग्रेजी का बोलबाला होने पर अपना असंतोष व्यक्त किया है।

5. देश की सभी हिन्दी प्रेमी संस्थाओं और सज्जनों से निवेदन है कि वे अपने-अपने क्षेत्र के विश्वविद्यालयों में हिन्दी माध्यम से पढ़ाई कराए जाने के लिए संगठित एवं व्यापक रूप से जोर डालें और इस विषय में वे जो प्रयत्न करें, उसकी सूचना नियोजक, राजभाषा कार्य, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद, एक्स वाई-68, सरोजिनी नगर नई दिल्ली-110023 को भी दे द ताकि सम्मिलित रूप से इस विषय में आगामी कार्रवाई की जा सके।

—नियोजक, राजभाषा कार्य
केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद
एक्स वाई-68, सरोजिनी नगर
नई दिल्ली-23

राजभाषा हिन्दी के व्यवहार में कठिनाइयां और उनका समाधान

—अखिलेश 'चमन'

(प्रस्तुत लेख श्री अखिलेश "चमन" द्वारा किये जा रहे शोध कार्य "हिन्दी साहित्य में भाषा विज्ञान" का एक अंश है। इसमें लेखक के अपने व्यक्तिगत विचार अभिव्यक्त किए गए हैं। जहां तक पारिभाषिक शब्दावली की विभिन्नता का प्रश्न है, वास्तव में यह एक संस्था है। प्रशासनिक शब्दावली में एकरूपता लाने की दिशा में राजभाषा विभाग द्वारा प्रयास किया गया है। विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रशासनिक शब्दावली को एकरूपता प्रदान की जा चुकी है और उसे राजभाषा विभाग के केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा प्रकाशित भी किया जा चुका है।

बिजली से चालित तथा इलैक्ट्रोनिक हिन्दी टाइपराइटर बाजार में उपलब्ध हैं। इस संबंध में एक राष्ट्रीय नीति भी घोषित की जा चुकी है जिसके द्वारा केवल द्विभाषी इलैक्ट्रोनिक उपकरणों को ही केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों द्वारा खरीदा जा सकेगा। इसी प्रकार टंकण का मानकीकरण भी किया जा चुका है। केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय ने इस संबंध में एक पुस्तिका भी प्रकाशित की है।)

स्वाधीनता प्राप्ति के बाद जब संविधान सभा में राजभाषा के प्रश्न पर विचार होने लगा तो संविधान निर्माताओं ने हिन्दी की व्यापकता को देखते हुए उसे राजभाषा के रूप में चुना। संविधान लागू होने से पहले सारा सरकारी कार्य अंग्रेजी में हो रहा था। अंग्रेजी के स्थान पर एकदम हिन्दी को लाने की व्यावहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए खण्ड 2 में यह व्यवस्था की गई कि संविधान लागू होने के 15 वर्षों की कालावधि अर्थात् 26 जनवरी 1965 तक अंग्रेजी उन सभी प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होती रहेगी जिनके लिए संविधान लागू होने से ठीक पहले की जाती रही थी। परन्तु अनुच्छेद 343 खण्ड 2 में यह भी व्यवस्था है कि राष्ट्रपति 15 वर्षों की उक्त कालावधि में आदेश द्वारा संघ के राजकीय प्रयोगों के लिए अंग्रेजी के साथ साथ हिन्दी का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। उक्त धारा के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने मई 1952 और दिसम्बर 1955 में दो अध्यादेश जारी करके सरकारी कार्यों में प्रयोग के लिए हिन्दी को प्राधिकृत किया।

आज देश की स्वतंत्रता के अड़तीस वर्षों बाद भी सरकारी कार्यों में हिन्दी का प्रयोग नाम मात्र को ही हो रहा है। समय समय पर हिन्दी को बढ़ावा देने सम्बन्धी सरकारी आदेश जारी होते रहे हैं लेकिन अंग्रेजी में कार्य करने के अभ्यस्त कर्मचारियों द्वारा उनकी बराबर अवहेलना होती रही है। यद्यपि हिन्दी के प्रयोग में प्रमुख अवरोध हमारी अंग्रेजी के प्रति आकर्षण की मानसिकता है लेकिन इसके अतिरिक्त भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हिन्दी के व्यवहार में कठिनाइयां पैदा करती हैं। इन्हें एक-एक कर के हम इस प्रकार देख सकते हैं।

1. पारिभाषिक शब्दावली की समस्या

हिन्दी के प्रयोग में सबसे बड़ी कठिनाई पारिभाषिक शब्दों का अभाव और उनकी अनेक रूपता है। हिन्दी में वैज्ञानिक, तकनीकी और कानून आदि से सम्बन्धित शब्दों के लिए किसी प्राधिकृत शब्दावली का सर्वथा अभाव है। कहीं कहीं तो किसी शब्द विशेष के लिए उपयुक्त पर्याय ही नहीं मिलते और कहीं कहीं एक ही शब्द के कई-कई समानार्थी शब्द मिल जाते हैं। समस्या तब उत्पन्न होती है जब एटम को कोई 'अणु' कहे, कोई 'परमाणु' कहे और कोई 'नाभिक' कहे। इसी प्रकार प्रशासन के क्षेत्र में इन्सपेक्टर को कोई अधीक्षक कहे, कोई निरीक्षक कहे और कोई पर्यवेक्षक। इस प्रकार पारिभाषिक शब्दों में एकरूपता न होने से अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और अर्थ का अनर्थ हो जाता है।

दरअसल हिन्दी में पारिभाषिक शब्दावली तैयार करने का कार्य किसी केन्द्रीय अभिकरण द्वारा न हो कर अलग-अलग राज्यों और भाषाओं में होता रहा है। यही कारण है कि इस प्रकार निर्मित शब्दों में परस्पर समन्वय और एकरूपता का अभाव है। उदाहरणार्थ बंगला में प्लैनिंग के लिए परिकल्पना शब्द चलता है पर हिन्दी में आयोजना या योजना। इस प्रकार न तो परिकल्पना का प्रयोग करने वाला आयोजना समझ पाता है न आयोजना का प्रयोग करने वाला परिकल्पना।

यद्यपि पिछले कुछ वर्षों में काफी बड़े पैमाने पर हिन्दी में पारिभाषिक शब्द तैयार किए गए हैं फिर भी आवश्यकता इस बात की है कि हिन्दी में पारिभाषिक शब्दों का एक प्रामाणिक शब्दकोश तैयार किया जाए। ऐसी जगहों पर जहां एक ही बात को व्यक्त करने के लिए कई शब्द हों वहां उनमें से किसी एक सर्वग्राह्य शब्द को प्रयोग के लिए आधिकृत कर दिया जाना चाहिए और सम्पूर्ण देश में उसी एक शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। पुनः जिन विषयों के लिए हिन्दी में अभी भी पारिभाषिक शब्दों का अभाव है उनके लिए सरलतम पारिभाषिक शब्द तैयार किए जाने चाहिए। पारिभाषिक शब्दावली का कोष जितना बृहद होगा हिन्दी का व्यवहार उतनी ही तेजी से होगा।

2. टंकण सम्बन्धी समस्या

पिछले कुछ वर्षों में कार्यालयीन कार्यों में टाइपराइटर का प्रयोग बहुत तेजी से बढ़ा है और आज स्थिति यह है कि टाइपिस्ट के बिना किसी भी सरकारी या गैर-सरकारी कार्यालय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जहां तक टंकण का प्रश्न है हिन्दी की अपेक्षा अंग्रेजी का टंकण अधिक सुगम और सफल सिद्ध हुआ है। अंग्रेजी के वर्ण सीधे हैं लेकिन हिन्दी की देवनागरी के वर्ण उलझाव भरे व टेढ़े-मेढ़े हैं। पुनः अंग्रेजी में न मात्रायें लगती है न संयुक्ताक्षर होते हैं इसके विपरीत हिन्दी में संयुक्ताक्षर भी होते हैं और प्रत्येक वर्ण पर ऊपर नीचे व दाएं, बाएं चारों तरफ से मात्राएं लगानी पड़ती हैं। फलस्वरूप अंग्रेजी टंकण में मात्र 52 टाइपों से काम चल जाता है लेकिन हिन्दी में लगभग 450 टाइप काम में लाने पड़ते हैं। इस प्रकार हिन्दी टाइप में अंग्रेजी की अपेक्षा समय भी अधिक लगता है और कागज भी।

पुनः हिन्दी के टाइपराइटरों का कुंजी पटल शुरू से अब तक एक जैसा नहीं रहा है। उसमें कई बार परिवर्तन हुए हैं। कुंजी पटल के परिवर्तन से टाइपिस्टों को बहुत परेशानी होती है। जिस व्यक्ति ने एक प्रकार के कुंजीपटल पर प्रशिक्षण प्राप्त किया है उसे यदि दूसरे प्रकार के कुंजी पटल पर काय करना पड़े तो वह कर नहीं सकता। भारत में इस समय हिन्दी टाइपराइटर बनाने की चार प्रमुख कम्पनियां

हैं और इन चारों द्वारा निर्मित्त टाइपराइटरों के आकार प्रकार व कुंजी पटल अलग अलग तरीके के हैं। इसके अतिरिक्त भारत में अंग्रेजी के बिजली चालित टाइपराइटर तो खूब प्रयोग किए जा रहे हैं लेकिन अभी तक हिन्दी के बिजली चालित टाइप राइटर प्रचलन में नहीं हैं। जब कि भारत से लगभग बारह हजार मील दूर फीजी जैसे छोटे से देश में हिन्दी के बिजली चालित टाइपराइटर बहुतायत से प्रयोग में लाए जा रहे हैं। यह हमारे यांत्रिकों का हिन्दी के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैये का द्योतक है।

आवश्यकता इस बात की है कि हिन्दी के वर्णों में वैज्ञानिक ढंग से परिवर्तन कर के उनके उलझाव भरे स्वरूप को सरल और सीधा लगाया जाये। इसी प्रकार हिन्दी के संयुक्ताक्षरों और मात्राओं के प्रयोग में परिवर्तन करके उन्हें सहज स्वरूप दिया जाना चाहिए। पुनः टाइप राइटरों की कुंजी पटल का एक मानकस्वरूप निश्चित कर दिया जाना चाहिए और टाइपराइटर बनाने वाली सभी कम्पनियों को एक ही तरह के टाइपराइटर बनाने का निर्देश दिया जाना चाहिए। इस प्रकार हिन्दी टंकण का स्वरूप अगर सरल बना दिया जाये तो हिन्दी व्यवहार में आश्चर्यजनक वृद्धि हो सकती है।

3. अनुवाद

स्वतंत्रता के बाद तक सारे सरकारी काय अंग्रेजी में हो रहे थे। जब हिन्दी में काम करने की बात आयी तो मौलिक रूप से हिन्दी में काम करने के बजाय अंग्रेजी से अनुवाद कर लेने की एक प्रथा सी चल पड़ी। मनुष्यों के समान भाषाओं की भी आकृति, प्रकृति, संस्कार एवं परम्परा आदि में भेद हुआ करता है। यही कारण है कि एक भाषा में किसी बात को जिस तरह कहते हैं दूसरी भाषा में उस बात को हू-ब-हू उसी तरह नहीं कह सकते। उदाहरण के लिए हिन्दी में 'मैं भूखा हूं' और 'मुझे भूख लगी है' में अर्थ का पर्याप्त अन्तर है किन्तु अंग्रेजी में इसे 'I am hungry' के द्वारा ही व्यक्त करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि अनुवाद करने से वाक्य में स्वाभाविकता नहीं रह जाती और कभी-कभी अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। इस अनुवाद की प्रथा के चलते भी हिन्दी के व्यवहार में काफी अवरोध आता है।

कठिनाई का प्रमुख कारण यह है कि हम अंग्रेजी में पहले सोचते हैं फिर बाद में हिन्दी में उसका अनुवाद करते हैं। यदि हम हिन्दी में ही सोचें और उसे सरल भाषा में छोटे-छोटे वाक्यों में लिखें तो कार्यालय का कार्य कठिन नहीं लगेगा और हिन्दी का व्यवहार तेजी से होगा।

4. समानार्थक शब्दों की समस्या

किसी भी एक भाषा के शब्द का दूसरी भाषा में ठीक-ठीक पर्याय ढूंढ निकालना असम्भव है। उदाहरण के लिए हिन्दी के यज्ञ, तपस्या, श्रद्धा, भक्ति आदि शब्दों के उचित पर्यायवाची शब्द अंग्रेजी में नहीं मिलते इसी प्रकार अंग्रेजी के कोट, ओवरकोट, टाई, फ्राक, वाउचर आदि शब्दों के लिए हिन्दी में कोई समानार्थी शब्द नहीं है। एक भाषा में आए पत्र का उत्तर दूसरी भाषा में देते समय या किसी अधिनियम आदि का एक से दूसरी भाषा में अनुवाद करते समय समानार्थक शब्दों का अभाव भी अक्सर कठिनाई का कारण बन जाता है।

इस समस्या के समाधान के लिए आवश्यकता इस बात की है कि अंग्रेजी या अन्य भाषाओं के शब्दों को जिनके समानार्थी शब्द हिन्दी में नहीं मिलते, उन्हीं के रूप में देवनागरी लिपि में अपना लिया जाय उदाहरण स्वरूप Coat को 'कोट' और Voucher को 'वाउचर' के रूप में अपनाया जा सकता है। इससे न सिर्फ कार्य करने में आसानी होगी वरन् हिन्दी के शब्द भण्डार में वृद्धि भी होगी।

5. वर्तनी की समस्या

हिन्दी के प्रयोग में एक प्रमुख कठिनाई है इसकी वर्तनी और कतिपय शब्दों में एकरूपता का अभाव। वर्तनी में एकरूपता न होने से यह संशय सदा बना रहता है कि कौन सा रूप ग्राह्य है और कौन सा अग्राह्य। उदाहरण के लिए निम्नांकित वर्णों के दो रूप प्रचलन में हैं। (अ, अ) (झ, झ) (ण, ण), (द्य, ध) (भ, भ) आदि वर्तनी की ही भांति कुछ शब्द भी एक से अधिक तरह से लिखे जाते हैं जैसे–(चाहिए, चाहिये), (गयी, गई) (संबन्ध, सम्बन्ध), (चिन्ह, चिहन्) आदि अनेक ऐसे शब्द है जिनके दो स्वरूप हैं।

वर्तनी में यह अनेकरूपता विशेष रूप से नए हिन्दी सीखने वालों को काफी कठिनाइयां पैदा करती है। इसकी बजह से मुद्रण के कार्य में भी कठिनाइयां आती है। इसके समाधान के लिए आवश्यक है कि भाषाविदों की एक समिति बनायी जाय जो सुगमता के आधार पर इन दो या दो से अधिक प्रचलित रूपों में से किसी एक को प्रचलन के लिए अधिकृत कर दे और शेष रूपों को प्रयोग से बाहर कर दे। इस प्रकार अगर वर्तनी में एकरूपता स्थापित हो गयी हो तो विशेष रूप से अहिन्दी भाषी लोगों को काफी सुविधा होगी।

6. तत्सम रूप के प्रति आग्रह

कुछ लोगों का,जो संस्कृत को हिन्दी की जननी मान कर चलते हैं, यह आग्रह रहा है कि हिन्दी में उसके शुद्ध तत्सम रूप को ही प्रयोग में लाया जाये। लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि इस प्रकार हिन्दी और भी अधिक जटिल, अटपटी और अग्राह्य बन जायेगी। उदाहरण के लिए 'कृपया इस पत्र को देख कर जल्द भेजें।' इसी बात को 'कृपया अवलोकन के पश्चात उक्त पत्र शीघ्र प्रेषित करें।' के रूप में भी लिखा जा सकता है लेकिन पढ़ने से ही स्पष्ट है कि पहला वाक्य दूसरे की अपेक्षा अधिक सरल और ग्राह्य है। सच्चाई यह है कि इस प्रकार के कट्टरवादियों ने ही हिन्दी को सर्वाधिक क्षति पहुंचायी है। ये लोग समय समय पर हिन्दी से चुन-चुन कर अरबी, फारसी, अंग्रेजी व उर्दू आदि भाषाओं के शब्दों को निकालने की मांग करते रहे हैं। और इस प्रकार हिन्दी साम्प्रदायिकता, क्षेत्रीयता व राजनीति की शिकार होती रही है।

अगर हिन्दी को काम काज की भाषा बनाना है तो सरल हिन्दी का ही प्रयोग होना चाहिए। इसका आसान तरीका यही है कि उसे बोझिल और अटपटे शब्दों से बचाया जाये। भारत सरकार के राजभाषा विभाग ने दिनांक 17 मार्च 1976 को सरकारी काम काज में हिन्दी के प्रयोग के विषय में एक ज्ञापन जारी किया था जिसमें कहा गया था— "———— सरकारी काम काज में इस्तेमाल की जाने वाली हिन्दी सरल और सुबोध होनी चाहिए, जटिल और बोझिल नहीं।" अतः हमें नोट या पत्र लिखते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि केवल यही आवश्यक नहीं कि लिखने वाला क्या कहना चाहता है बल्कि यह भी जरूरी है कि पढ़ने वाला यह समझ सके कि लिखने वाले का आशय क्या है। नः हम यह याद रखना चाहिए कि हमें हिन्दी को पूरे भारत की सम्पर्क भाषा बनाना है न कि किसी क्षेत्र, जाति या सम्प्रदाय विशेष की भाषा।

67/12 डी० एल० रोड़,
देहरादून

भारतीय परिप्रेक्ष्य में प्रत्यक्ष अवकरण प्रौद्योगिकी

—डा० सुधांशु रंजन प्रामाणिक

(प्राय: यह कहा जाता है कि तकनीकी और प्रौद्योगिकी विषयों पर हिन्दी में लेख प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। प्रस्तुत लेख शोध पत्र जो पूर्णत: प्रौद्योगिकी से संबंधित है इस धारणा का खंडन करता है। कठिन से कठिन तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी के विषयों पर भी हिन्दी में पूर्ण अधिकारपूर्वक लिखा जा सकता है। डा० सुधांशु रंजन प्रामाणिक जो "मनक" में प्रौद्योगिकी के निदेशक जैसे महत्वपूर्ण पद पर कार्यरत हैं हिन्दी में प्रौद्योगिगी जैसे जटिल विषय पर प्रस्तत लेख प्रस्तुत कर रहे हैं।)

परिचय

आज किसी देश के विकास का मापदंड उसके प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत को माना जाता है। भारत में यह खपत लगभग 15 किलोग्राम प्रति व्यक्ति है। विश्व की औसत खपत जहां लगभग 170 किलोग्राम प्रति व्यक्ति है, वहीं विकसित देशों में यह खपत 600–700 किलोग्राम प्रति व्यक्ति है। अक्तूबर, 1980 में "वर्किंग ग्रुप ऑन आयरन एण्ड स्टील" द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 1990–91 तक इस्पात की मांग 25 मि. टि. प्रतिवर्ष तथा 1995–96 तक 34 मि.ट. प्रतिबर्ष तक बढ़ जाने की संभावना है। तदनुसार इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत भी लगभग 30–40 किलोग्राम तक बढ़ जाएगी।

इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत में इस अल्पवृद्धि को पूरा करने के लिए भी काफी संख्या में नये संयंत्रों की स्थापना की जरूरत होगी। इस समय भारत में संघटित इस्पात संयंत्रों की कुल उत्पादन क्षमता मात्र 11.4 मि.. ट. तथा लघु इस्पात संयंत्रों की उत्पादन क्षमता लगभग 3.3 मि. ट. है। बोकारो और भिलाई इस्पात संयंत्रों के विस्तार तथा विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना के प्रथम चरण के पूरा हो जाने पर 1986 तक संघटित इस्पात संयंत्रों की उत्पादन क्षमता बढ़कर 16.1 मि. ट. हो जाने की संभावना है।

आज विश्व के इस्पात उत्पादन का अधिकांश भाग पारंपरिक धमन भट्ठी–क्षरीय ऑक्सीजन भट्ठी (बी.एफ.–बी.ओ. एफ.) पद्धति द्वारा तैयार किया जाता है। किन्तु, हाल में इस्पात उत्पादन क्षमता को बढ़ान क लिए बहुत सी डायरक्ट रिडक्शन (डी०आर०) टेक्नोलॉजियों का विकास हुआ है। भारत की वर्तमान स्थिति में खास तौर से उर्जा की खपत और कम खर्च के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त डी० आर० टक्नोलॉजी/टेकनोलॉजियों का चुनाव करने और इन्हें उपयोग म लाने क बार म विचार करना आवश्यक है।

भारत के संबंध में

जहां तक भारत का संबंध है, भावी मांग के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इस्पात का उत्पादन बढ़ाना अनिवार्य है और इसके लिए धन और उर्जा–संसाधनों को ध्यान में रखते हुए बी. एफ.–वी.ओ.एफ. की आरंभिक पारंपरिक पद्धति से भिन्न इस्पात निर्माण की किसी अन्य वैकल्पिक पद्धति पर विचार करना होगा निःसंदेह आधुनिक धमन भट्ठी एक अत्यंत ही सफल अवकारक संयंत्र (रिड्युसिंग प्लांट) है और इस शताब्दी के अंत तक इसके मुकाबबल का कोई दूसरा संयंत्र आ पायेगा, इसकी कोई संभावना भी नहीं है। भिर भी, इस्पात–उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्षारीय ऑक्सीजन भट्ठी (बी. ओ.एफ.) या विद्युत आर्क भट्ठी (इ. ए. एफ.) के मल से डी आर.–इ. इ.ए.ए.। पद्धति तथा इनरेड, एलरेड, के–आर आदि जैसी लौह निर्माण की नई प्रक्रियाओं का अपना एक अलग महत्व है। अवकारकों की प्रकृति आर उनकी उपलब्धता के अनुसार डी. आर.–इ.ए.एफ. पद्धति के अंतर्गत ठोस अवकारक प्रत्यक्ष अवकारण पद्धति और अथवा गैस अवकारक प्रत्यक्ष अवकरण पद्धति पर विचार किया जा सकता है।

किसी विशेष प्रोजेक्ट के लिए कौन सी प्रक्रिया सर्वोत्तम होगी इसके निर्धारण के लिए उर्जा और आर्थिक पहलुओं के अलावे उसके कार्य-क्षेत्र का आकार, कच्चे माल को उपयुक्तता एवं उपलब्धता, तैयार माल की गुणवत्ता आदि जैस कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलू भी हैं, जिनका गहन अध्ययन आवश्यक है। उपयुक्त संदर्भों म निम्नलिखित पद्धतियों की समीक्षा समीचीन होगी :–

1. धमन भट्टी–क्षारीय ऑक्सीजन भट्ठी (बी. ओ. एफ.) पद्धति
2. स्क्रैपर आधारत विद्युत आर्क भट्ठी (इ.ए.एफ.) पद्धति
3. कोयले पर आधारित प्रत्यक्ष अवकरण–विद्युत आर्क भट्ठी (डी. आर.–इ.ए.एफ.) पद्धति
4. गैस पर आधारित प्रत्यक्ष अवकरण–विद्युत आर्क भट्ठी
5. कोयला गस पर आधारित प्रत्यक्ष अवकरण–विद्युत आर्क भट्ठी (डी. आर. –इ.ए.एफ. पद्धति)
6. अवकरण प्रगलन–क्षारीय ऑक्सीजन भट्ठी रिडक्शन स्मेल्टिंग–(बी. ओ. एफ.) पद्धति

विद्युत पिग लौह भट्ठी क्षारीय ऑक्सीजन भट्ठी पद्धति का इसमें समावेश नहीं किया गया है, क्योंकि इस पद्धति में बिजली की खपत बहुत ज्यादा होती है इसलिए आर्थिक दृष्टि से यह भारत लिए उपयुक्त विकल्प नहीं हो सकती।

(क) कार्यक्षेत्र का आकार

पारंपरिक धमन भट्ठी–क्षारीय ऑक्सीजन भट्ठी (बी. एफ.–बी ओ. एफ.) पद्धति पर आधारित इस्पात संयंत्र वृहद संघटित इस्पात उत्पादन कार्यों के लिए बहुत सफल और उपयुक्त हैं। किन्तु इधर तकनीकी क्षेत्र में अनेकों अवेषणों के फलस्वरूप कार्य कारी इकाइयों

का आकार निरंतर बढ़ता जा रहा है और आजकल प्रारंभ से ही प्रतिबर्ष 3 मि, टन या इससे अधिक उत्पादन क्षमता वाले संयंत्रों का लगाया जाना आम बात हो गई है। इस तरह के वृहद संयंत्रों क लिए भी वी. एफ.–बी. ओ. एफ. पद्धति बहुत उपयोगी है।

अपेक्षाकृत छोटे पैमान पर उत्पादन के लिए भी निरंतर क्षमता विस्तार की संभावनाओं के साथ प्रत्यक्ष अवकरण–विद्युत आर्क भट्ठी (डी. आर.–इ.ए.एफ.) पद्धति का प्रयोग प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। जहां इस्पात के बाजार छोटे हैं और या निवश के संसाधन सीमित हैं, वहां यह पद्धति उपर्युक्त पारंपरिक पद्धति का स्थान ले सकती है। लगभग एक मि. ट. प्रतिबर्ष उत्पादन क्षमता वाले संयंत्रों के लिए डी. आर.–इ.ए.एफ. पद्धति प्रतियोगी सिद्ध हो सकती है।

जहां तक डी. आर. संयत्रों के कार्य क्षेत्र के आकार का संबंध है, 1.0 मि. ट. से अधिक क्षमता के 2 या 2 से अधिक मॉड्यूलों वाले गैस पर आधारित डी. आर. संयंत्र कार्य कर रहे हैं। किन्तु, कोयले पर आधारित डी. आर. संयंत्रों से यह उत्पादन क्षमता अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है और संयंत्रों के इकाई–आकार 1,50,000 से 2,50,000 टन वर्ष प्रत्यक्ष–अवकृत लौह (डी. आर. आई.) उत्पादन क्षमता वाले ही है, जिसका अर्थ यह है कि उच्च उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के लिए अधिक इकाइयां लगानी होंगी।

कोयला गैस पर आधारित डी. आर. संयंत्रों से वही उत्पादन क्षमता प्राप्त की जा सकी है जो प्राकृतिक गैस ए. पी. जी. पर आधारित डी. आर. संयंत्र की है। किन्तु, अभी तक दुनियाँ म एक भी डी. आर. संयंत्र नहीं है जो कोयला गैसीकरण संयंत्र के साथ जुड़कर कार्य कर रहा हो।

हाल में गलित कच्चे लोहे क उत्पादन के लिए इनरेड, एलरेड, के. आर. प्लाज्मा स्मलेट आदि अनेक अवकरण प्रगलन प्रक्रियाएं विकसित होने के क्रम में हैं। वर्तमान में इन प्रक्रियाओं पर आधारित कवल छोटे पैमाने वाल (200,000 टन वर्ष से 400,000 टन बर्ष) संयंत्रों की ही कल्पना की जा सकती है और उत्पादित गलित कच्चे लौहे का क्षारीय (बसिक) ऑक्सीजन भट्ठी या विद्युत आर्क भट्ठी में इस्पात उत्पादन के लिए शोधन किया जा सकता है। यद्यपि उपर्युक्त कुछ प्रक्रियाओं पर आधारित प्रायोगिक (पाइलट) संयंत्र कार्य कर रहे हैं, लेकिन वाणिज्यिक संयंत्र अभी तक नहीं लगाये जा सके हैं

जहां तक स्क्रप पर आधारित इ. ए.एफ. पद्धति वाले इस्पात निर्माण संयंत्रों की स्थापना की बात है, विभिन्न क्षमताओं वाले (5000 टन से करीब 1,00,000 टन) लघु इस्पात संयंत्र भारत वर्ष में हैं। इस पद्धति पर आधारित बृहत्तर क्षमताओं वाले संयंत्रों की स्थापना मुख्यतः उत्तम गुणवत्ता वाले स्क्रैप गार उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में बिजली की उपलब्धि पर निर्भर करती है। स्क्रैप बाजार के मौज पर काबू पाने के लिए इन संयंत्रों को आंशिक रूप से व्यापरिक मर्चेन्ट (डी. आर. आई.) पर निर्भ र होना होगा। इस पद्धति पर आधारित मध्यम मार्केट इस्पात संयंत्रों की योजना स्थानीय बाजार और स्थानीय स्थितियों को देख कर नियोजित की जा सकी है।

(ख) कच्चे माल

इस्पात निर्माण की किसी भी पद्धति के लिए कच्चे माल के रूप में लौह अयस्क और ईंधन की जरूरत होती है। यह ईंधन कोकिंग कोयला, नॉन–कोकिंग कोयला या गैस के रूप में हो सकता है, जिसका चुनाव इस्पात निर्माण के लिए की जाने वाली प्रक्रिया पर निर्भर करता है। हमारे देश में वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार कौन सी प्रक्रिया विशेष उपयुक्त होगी यह कच्चे माल विशेष की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

धमन भट्ठियां भिन्न–भिन्न प्रकार की गुणवत्ता वाले लौह अयस्कों को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। इनमें पिंड, सिंटर या गुटिका (पैलेट) के रूप में प्राप्त लौह अयस्कों का प्रयोग किया जा सकता है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि खनन या क्रशिंग के समय जो बारीक चूर्ण निकलता है उसे आकार क अनुसार सिन्टर या पैलट में बदला जा सकता है। जहां तक अयस्क के लौहांश (Fe content) का सवाल है, इस पद्धति से लौह उत्पादन में कोई बंधन नहीं है, सिवा इसके कि अवस्क में लोहांश जितना अधिक होगा, धमन भट्ठी में प्रगलन उतना ही कम खर्चीला होगा। धमन भट्ठी पद्धति का दूसरा फायदा यह है कि यह अयस्क में अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में विद्यमान अवांछनीय तत्व असार (gangue) को भी वर्दाशत कर सकती है।

देश में कोकिंग कोल का भण्डार समाप्त होता जा रहा है। इस्पात निर्माण के लिए बी. एम.–बी.गो.एफ. पद्धति वाले संयंत्रों की स्थापना के लिए यह चिंता की बात है। आयातित कोयला भी आर्थिक दृष्टि से लाभकर होगा, इसकी संभावना कम ही है। इसके अलावा कोकिंग कोयले में अधिक राख के मात्रा का होना भी इस पद्धति से उत्पादन-क्षमता को बढ़ाने में बहुत बड़ी वाधा साबित हो रही है।

डी. आर.–इ. ए. एफ. पद्धति में कच्चे मालों की जरूरत मुख्यतः डी. आर. आई. उत्पादन के लिए ही होती है। चूंकि यह अवकरण ठोस अवस्था में किया जाता है और इस्पात निर्माण के लिए विद्युत आर्क भट्ठी इ. एफ. में डी. आर. आई. का सीधा उपयोग होता है, इसलिए कच्चे मालों की गुणवत्ता का कड़ाई से अनुपालन करना जरूरी होता है। लौह अयस्क उच्च स्तरीय गुणवता वाला होना चाहिए, जिसमें असार (gangu) की मात्रा सीमित हो। श्रेणीकृत पिंड अयस्क (calibrated lump ore) या गुटिका (पैलेट) इसकी सामान्य निविष्ट (इनपुट) सामग्री है। यद्यपि हमारे देश में उच्च स्तरीय अयस्क का वृहद् भंडार है तथापि डी. आर. संयंत्रों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए केवल सेलेक्टिव खनन की जरूरत पड़ेगी यों तो गुटिकाएँ भी डी. आर. आई. उत्पादन के लिए बेहत्तर निवेश सामग्री मानी जाती हैं, किन्तु हो सकता है आर्थिक दृष्टिकोण से यह अनुकूल न हो।

ठोस अवकारक प्रत्यक्ष अवकरण प्रक्रिया में आम तौर से नॉन–कोकिंग कोयले का ही अवकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। हमारे देश में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में नान–कुकिंग कोयले का वृहद् भंडार है। किन्तु, इसमें पायी

जाने वाली राख एवं गंधक की अधिकता, राख मृदुकरण बिन्दु आदि कोयले की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालकर इसकी उपयोगिता को सीमित करते हैं। डी. आर. आई. प्रक्रिया में अवकारक के रूप में प्रयुक्त होने केलिए आवश्यक गुणों से परिपूर्ण कोयला भारत के विभिन्न खदानों में उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में कोयले पर आधारित डी. आर. संयंत्रों की स्थापना उचित मानी जा सकती है। विभिन्न खयनों से एकत्र कोयले के नमूना की जांच की जा चुकी है और विभिन्न प्रक्रिया आपूर्त्तिकर्त्ताओं द्वारा उन्हें इसके लिए उपयुक्त बताया गया है।

हमारे पास प्राकृतिक गैस एसोसिएटेड पेट्रोलियम गैस के कुछ सीमित भंडार ही हैं जो मुख्यतः बम्बई हाई, असम और गुजरात में स्थित हैं। इसमें से अधिकांश गैस उर्वरकों, पेट्रोल रसायनों आदि उद्योगों के लिए सुरक्षित कर दीं गयी है : गैस पर आधारित डी. आर. प्रक्रियाएं काफी सफल साबित हुई है, इसलिए लोग इस क्रिया पर आधारित डी. आर. संयंत्रों की स्थापन की संभावना पर उत्सुकता पूर्वक विचार करने लगे हैं। किन्तु, प्रत्यक्ष अवकृत लौह (डीं. आर. आई.) बाजार में सस्ते दाम में तभी उपलब्ध होगा जबकि इसके उत्पादन के लिए गैस अपेक्षाकृत कम मूल्य पर उपलब्ध करायी जाए। निश्चित रूप से इसका मूल्य समयोचित मूल्य (अपर्चुनिटी मूल्य) से कम होना चाहिए।

प्राकृतिक गैस ए. वी. पी. जी. के सीमित मात्रा में उपलब्ध होने के कारण गैस पर आधारित प्रक्रियाओं के प्रवर्तक डी. आर. आई. के उत्पादन के लिए कोयला गैस की संभावनाओं पर सक्रियता के साथ विचार कर रहे हैं। भारत में नॉन–कोकिंग कोयला पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में इसके उपयोग पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। ऐसे कोयला गैसीकरण संयंत्रों में, जो व्यापारिक रूप से लाभदायी सिद्ध हो चुके है, नॉन्–कोकिंग कोयले का उपयोग, कोयला गैस के उत्पादन के लिए उपयोगी है और इस गैस का उपयोग शैफट भट्ठियों में डी. आर. आई. के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। इस पद्धति को विकसित करने के लिए काफी कुछ किया जा रहा है, किन्तु इसका आर्थिक पक्ष अभी भी संदिग्ध है।

अवकरण प्रगलन पद्धति में इनरेड, एलरेड प्रक्रियाओं के लिए कच्चे माल के रूप में लोहे और कोयले के बारीक चूर्ण का उपयोग किया जाता है और इसमें किसी प्रकार के संपिंडन की आवश्यकता नहीं होती। इस तरह खनन के दौरान प्राप्त चूर्ण का इनरेड और एलरेड प्रक्रियाओं में लाभकारी रूप से प्रयोग किया जा सकता है। किन्तु, बाद में इस प्रक्रिया में कच्चे माल की अतिरिक्त और नियंत्रित पिसाई और सुखाई की आवश्यकता पड़ सकती है। रासायनिक रूप से अयस्क में लोहांश की मात्रा 65 प्रतिशत से अधिक होनी चाहिए और इसमें गंधक और फासफोरस का अंश भी कम होना चाहिए। अवकारक के रूप में वाष्पीय कोयले का प्रयोग किया जा सकता है। एलरेड प्रक्रिया में जहां अपेक्षाकृत बारीक चूर्ण की आवश्यकता होती है, कोलले की पिसाई की जरूरत हो सकती है। कोयले में राख का अंश अधिमानत कम होना चाहिए। क० आर० प्रक्रिया में नॉन्–कोकिंग कोयले के साथ श्रेणीकृत पिंड अयस्क या गुटिकाएं प्रयोग में लायी जाती हैं। किन्तु दोनों ही प्रक्रियाओं से से प्राप्त कच्चे लोहे में गंधक का अंश अधिक पाया जाता है। फलतः इसके बहिः विगंधकीकरण की आवश्यकता होती है।

(ग) ऊर्जा

लौह एवं इस्पात उद्योग में बहुत अधिक उर्जा की खपत होती है। उद्योग–धंधों में लगने वाली कुल ऊर्जा का 10–12% तथा भारत की कुल ऊर्जा–खपत का करीब 5 प्रतिशत इस उद्योग में लग जाता है। अतएव, लौह और इस्पात उद्योग में ऊर्जा–संरक्षण की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और इसके लिए इस्पात निर्माण की कतिपय विभिन्न पद्धतियों की जांच भी आवश्यक है।

इस्पात निर्माण की बी. एफ.–बी. ओ. एफ. पद्धति में (अविरत ढलाई द्वारा पिलेटों के उत्पादन तक) ऊर्जा के अधिकतम अंश (59 से 63 प्रतिशत) का उपयोग धमन भट्ठी द्वारा कर लिया जाता है। किन्तु, सिंटरिंग और कोक निर्माण प्रक्रिया लौह निर्माण प्रक्रिया का अंश है, अतः लौह निर्माण में लगने वाली कुल उर्जा के करीब 92 से 98 प्रतिशत तक की खपत इसी क्षेत्र में हो जाती है। इस पद्धति में उर्जा का मुख्य स्रोत कोकिंग कोयला होता है।

डी. आर.–इ.ए.एफ. पद्धति में उर्जा की सर्वाधिक खपत डी. आर. आई. के उत्पादन में होती है और उसके बाद इ.ए.एफ. इस्पात निर्माण में (डी. आर. आई.) निर्माण के लिए ऊर्जा प्रक्रिया पद्धति के अनुसार या तो नॉन्–कोकिंग कोयले के रूप में होती है या गैस के रूप में।

डी. आर आई. उत्पादन के लिए शैफ्ट भट्ठी से जुड़े हुए कोयला गसीकरण संयंत्र में उर्जा का अधिक भाग नॉन्–कोकिंग कोयले से प्राप्त किया जाता है।

आर्क भट्ठी से स्टीस निर्माण की प्रक्रिया में उर्जा के लिए बिजली का उपयोग किया जाता है।

अवकरण प्रगलन–क्षारीय अ ॅक्सीजन भट्ठी (रिडक्शन स्मेल्टिंग–बी. ओ. एफ. पद्धति) में लौह निर्माण के स्तर तक ऊर्जा मुख्यतः नॉन्–कोकिंग कोयले से प्राप्त की जाती है। इस पद्धति में प्रगलन इकाई से निकलने वाली वैस्ट गैसों में विद्यमान ऊर्जा का उपयोग वाष्प, बिजली आदि के उत्पादन के लिए किए जाने की संभावनाओं पर विचार किया जा सकता है।

स्क्रैप पर आधारित इ. ए. एफ. पद्धति में इस्पात निर्माण के लिए ऊर्जा का स्रोत बिजली है।

सारणी सं. 1 में विभिन्न प्रक्रिया पद्धतियों, यथा–बी. एफ.–बी. ओ. एफ. स्क्रैप पर आधारित इ. ए. ए. फ. और अवकरण प्रगलन बी. ओ. एफ. पद्धतियों द्वारा प्रति टन ढलुवां बिलेट के निर्माण में लगने वाली ऊर्जा का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। अवकरण–प्रगलन–बी.ओ.एफ. पद्धति में लौह निर्माण के लिए इनरेड पद्धति पर विचार किया गया है।

उर्जा की खपत को ध्यान में रख कर किसी पद्धति का चुनाव करते समय उर्जा के स्रोत और उसकी उपलब्धता पर विचार किया जाता है। ऐसी स्थिति में किसी पद्धति विशेष का चुनाव केवल उसमें ऊर्जा की खपत की मात्रा पर ही विचार कर नहीं किया जा सकता।

सारणी–I

इस्पात निर्माण की विभिन्न पद्धतियों के अन्तर्गत प्रति टन ढलवां बिलेट के उत्पादन में ऊर्जा की खपत ।

इकाई—गीगा कैलोरी

क्रम सं०	इकाई	बी. एफ. बी. ओ. एफ.- सी. सी. पी.	स्क्रैप पर आधारित इ. ए. ए फ.– सी. सी. पी.	कोयले पर आधारित डी. आर.– इ.ए.एफ. सी. सी. पी.	गैस पर आधारित डी. आर.– इ.ए.एफ.– सी. सी. पी.	कोयला–गैस पर आधारित डी. आर.– इ. ए. एफ. सी. सी. पी.	अवकरण प्रगलन (रिडक्शन स्मेल्टिंग) बी. ओ. एफ.– सी. सी. पी.
1	लौह निर्माण	6.8	–	5.1	3.5*	4.7*	4.1
2	इस्पात निर्माण	0.1	2.1	2.2	2.2	2.2	0.1
3	अविरत ढलाई (कन्टिन्युअस कास्टिंग)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	कुल :	7.0	2.2	7.4	5.8	7.0	4.3

*कोक भट्ठियों और सिंटरिंग संयंत्र में लगने वाली ऊर्जा भी इसमें शामिल हैं।

**पैलेट संयंत्र में लगने वाली ऊर्जा भी इसमें शामिल हैं।

टिप्पणी :– उपर्युक्त आंकड़े प्रतीकात्मक हैं। उपलब्ध आंकड़े और प्रकाशित साहित्य के आधार पर इन्हें तैयार किया गया है। प्रत्येक पद्धति में ऊर्जा की संभावित पुनर्प्राप्ति का प्रावधान किया गया है।

(घ) तैयार माल की गुणवत्ता

विशिष्ट गुणवत्ता वाले इस्पात के उत्पादन के लिए किसी भी पद्धति के जरिए उत्पादित लौह ग्राह्य नहीं हो सकता। इसके लिए कुछ उपचार की आवश्यकता होती है।

धमन भट्ठी और अवकरण प्रगलन प्रक्रिया से उत्पादित तप्त कच्चे लोहे के मामले में लौह को इस्पात में परिवर्तित करने से पहले विगंधीकरण इकाई लगानी होगी और इसमें अतिरिक्त लागत आएगी।

चूंकि डी. आर. आई. के मामले में इस प्रकार का उपचार संभव नहीं है, अतः इस्पात निर्माण के लिए इसे सीधे इ.ए.ए.फ. में उपयोग करना होगा। ऐसी स्थिति में इसके लिए उचित कच्चे माल के चुनाव का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। एक बार यदि उच्च स्तर के, अर्थात् कम अवांछनीय तत्व (लो गैंग) (5 प्रतिशत) वाले, डी. आर. आई. का निर्माण किया जा सका तो इसका विशिष्ट इस्पातों के निर्माण के लिए उपयोग किया जा सकेगा। डी. आर. आई. निर्माण के दौरान ही कोयले में विद्यमान गंधक को दूर करने के लिए चूना पत्थर डोलोमाइट जैसे विगंधीकारक (डिसल्फराइजर) को मिलाना होगा।

स्क्रैप पर आधारित इ.ए.एफ. पद्धति अपनाते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि स्क्रैप में कहीं ऐसे अनावश्यक तत्व तो नहीं हैं जो विशिष्ट इस्पात के उत्पादन में बाधा उत्पन्न करते हैं। हालांकि भारतीय स्क्रैप के लिए यह विषय अभी बहुत अधिक विचारणीय नहीं है।

(ङ) आर्थिक पक्ष

पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में विविध पद्धतियों के तकनीकी पक्ष पर विचार करने के बाद यह आवश्यक हो जाता है कि इन पद्धतियों के आर्थिक पहलुओं का भी विश्लेषण किया जाए।

अविरत (कन्टीन्युअस) ढलुवाँ बिलेट के उत्पादन तक पहुँचने के लिए प्रत्येक पद्धति के अन्तर्गत स्वीकार्य संयंत्र के आकारों पर विचार किया जा चुका है। प्रत्येक पद्धति पर आधारित संयंत्रों के स्थल–चयन की कल्पना करते समय कच्चे माल और ईंधन स्रोतों की उपलब्धता और समीपता को भी ध्यान में रखा गया है। किन्तु, ऐसा करते समय सयंत्र–परिधि के बाहर की अवस्थापनाओं (इन्फ्रास्ट्रक्चर) एवं आवासीय (टाउनशिप) सुविधाओं पर होने वाले खर्चे पर विचार नहीं किया गया है।

ढलुवाँ बिलेट के प्रतिटन उपादन के लिए विशिष्ट पूँजी निवेश, उत्पादन–लागत एवं संयंत्र के कार्यकाल के दौरान सम्पूर्ण व्यय के वर्तमान मूल्य का तुलनात्मक मान क्रमशः सारणी II से IV तक दर्शाया गया है।

ढलुवाँ बिलेट के उत्पादन लागत को जानने के लिए विभिन्न स्थानों में स्थापित विभिन्न वैकल्पिक पद्धतियों के लिए कच्चे माल की कल्पित कीमत सारणी सं. V में दी गई है।

सारणी–II

तुलनात्मक निवेशित लागत

क्रम सं.	पद्धति	ढलुवाँ बिलेट की स्थापित क्षमता दस लाख टन में	ढलुवाँ बिलट की विशिष्ट निवेशित लागत रु. टन	तुलनात्मक श्रेणी
1	बी. एफ.–बी. ओ. एफ.–सी.सी. पी.	1.258	8,200	4
2	स्क्रैप पर आधारित इ. ए.एफ.–सी सी. पी.	0.475	2,950	1
3	कोयले पर आधारित डी. आर.–इ ए एफ.–सी.सी. पी.	0.475	5,800	3
4	गस पर आधारित डी. आर.–इ.ए.एफ – ी.सी. पी.	0.665	5,650	2
5	कोयला गैस पर आधारित डी. आर.–इ. ए. एफ.–सी.सी.पी.	0.665	8,800	6
6	अवकरण प्रगलन बीं. ओ. एफ.–सी. सी. पी.	0.365	8,775	5
	(अवकरण प्रगलन बीं. ओ. एफ.–सी. सी. पी.)	(0.730)	(7,550)	

1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े इनरेड मॉड्यूल की 2 इकाइयों के लिए हैं।

टिप्पणी—उपर्युक्त आँकड़े प्रतीकात्मक हैं और संयंत्र क्षमता में परिवर्तन होने के साथ–साथ इनकी तुलनात्मक श्रेणी में भी परिवर्तन हो सकता है।

सारणी–III

तुलनात्मक उत्पादन लागत

क्रम सं.	पद्धति	ढलुवाँ छड़ों की स्थापित क्षमता दस लाख टन में	ढलुवाँ छड़ों की उत्पादन लागत रु. टन में		तुलनात्मक श्रेणी
			बिना मूल्यह्रास और सूद के	मूल्यह्रास और सूद के साथ	
1	बी. एफ.–बी. ओ. एफ.–सीं.सी. पी.	1.258	1,765	3,155	2
2	स्क्रैप पर आधारित इ.ए.एफ.–सी. सी. पी.	0.475	2,695	3,290	4
3	कोयले पर आधारित डी. आर.–इ. ए.एफ.–सी.सी. पी.	0.475	2,035	3,055	1
4	गैस पर आधारित डी. आर. इ.ए.एफ.–सी.सी.पी.	0.665	2,680	3,700	5
5	कोयला गैस पर आधारित डी. आर.–इ.ए.एफ. सी. सी. पी.	0.665	2,900	4,440	6
6	अवकरण प्रगलन–बी. ओ. एफ.–सी.सी.पी.	0.365	1,700	3,180	3
	(अवकरण प्रगलन–बी. ओ. एफ.–सी. सी. पी.)	(0.730)	(1,700)	(2,985)	

1. कोष्ठकों में दिये गये आँकड़े इनरेड मोड्यूल की 2 इकाइयों के लिए हैं।

टिप्पणी—कोयले पर आधारित डी. आर. प्रक्रिया के मामले में रोटरी किल्न से वेस्ट गैस के द्वारा ले जाई जाने वाली ऊष्मा के लिए कोई क्रेडिट नहीं दिया गया है।

सारणी--IV

जीवन चक्र लागत के वर्तमान मूल्य का तुलनात्मक मान

क्रम सं.	पद्धति	प्रतिटन बिलेट के जीवन चक्र लागत के वर्तमान मूल्य का तुलनात्मक मान	तुलनात्मक श्रेणी
1	बी. एफ.–बीं.ओ. एफ –सी.सी.पी.	100	2
2	स्क्रैप पर आधारित इ. ए.एफ.–सी. सी. पी.	104	4
3	कोयले पर आधारित डी. आर. –इ. ए. एफ–सी. सी. पी.	97	1
4	गैस पर आधारित डी. आर.–इ. ए. एफ.–सी. सी. पी.	117	5
5	कोयला गैस पर आधारित डी. आर. इ. ए.एफ.–सी. सी. पी.	141	6
6	अवकरण प्रगलन–बी. ओ. एफ. –सी. सी. पी. (अवकरण प्रगलन–बी. ओ. एफ.–सी. सी. पी)	101 (95)	3

1. कोष्ठकों में दिए गए आँकड़े इनरेड मॉड्यूल की 2 इकाइयों के लिए हैं।

सारणी--V

कच्चे मालों का मूल्य (कार्य–स्थल पर)

क्रम सं.	मद	इकाई	वी. एफ. बी. ओ. एफ. सी. सी. पी.	स्क्रप पर आधारित इ. ए. एफ– सी. सी. पी.	कोयले पर आधारित एडी .आर– इ. ए.एफ. सी. सी. पी..	गैस पर आधारित डी. आर. -इ.ए. एफ.सी. सी.पी. –	कोयला गस पर आधारित डी. आर.– इ.ए.एफ. सी. सी. पी.	अवकरण प्रगलन बी. ओ. एफ. सी. सी. पी.
1	कोकिंग कोयला	रु. टन	428	–	–	–	–	–
2	नॉन–कोकिंग कोयला	टन	–	–	434*	–	465* (चूर्ण)	430*
3	एसोसियेटेड पेट्रोलियम गैस	रु. 1 घन-मीटर	–	–	–	200	–	– –
4	लौह अयस्क पिंड	रू. टन	125	–	82 (साइज किया हुआ)	260	285 (साइज किया हुआ)	
5	लौह अयस्क चूण	रू. टन	125	–	–	–	–	210 (संकेंद्रित)
6	गुटिकाएं	रू. टन	–	–	–	420	300	–
	हैवी मल्टिंग स्क्रैप श्रेणी –। (बॉर्ड से)	रू. टन	1650	1650	1650	1650	1650	1650

*इन मामलों में अत्यधिक परिवहन लागत के कारण वी. एफ.–बी.ओ. एफ. पद्धति के अन्तर्गत खर्च कोकिंग कोयले से अधिक दिखलाया गया है।

पिछले 20 वर्ष से अधिक समय से संयंत्र प्रचालन की अवधि में उसके आरंभिक पूँजी–निवेश और राजस्व खर्च को ध्यान में रखकर लागत के वर्तमान मूल्य पर भारिता का प्रावधान किया गया है ताकि विभिन्न पद्धतियों की निवेश लागतों और उत्पादन लागतों की विषमता को दूर किया जा सके।

जीवन चक्र लागत का विश्लेषण करने पर हम यह देखेंगे कि कोयले पर आधारित डी. आर.–इ.ए.एफ. पद्धति सर्वाधिक मितव्ययिता-पूर्ण है। इस दृष्टिकोण से बी. एफ.–बी.ओ.एफ. पद्धति नम्बर पर और अवरकण प्रगलन–बी.ओ.एफ. पद्धति तीसरे नम्बर पर आती है। स्क्रैप पर आधारित इ.ए.एफ.रूट साथ कठिनाई यह है कि वह स्क्रप मूल्य पर आश्रित रहती है। गैस पर आधारित डी. आर.–इ.ए.एफ. पद्धति, यदि वह गैस स्रोतों के नजदीक हो तो भी, गैस के मूल्य और उत्पादन लागत की अधिकता के कारण आर्थिक दृष्टि से लाभकारी नहीं होती। गैस का वर्तमान सूचनात्मक मूल्य करीब 2500 रू. 10^3 घनमीटर (एन. एम.^{3}) है। यदि गैस के मूल्य को क्रमशः 1300 रू. और 1000 रू. 10^3 एन. एम. लाया जा सके तो ढलुवाँ बिलेट के उत्पादन लागत को 3700 रु. से घटा कर क्रमशः 3375 रू. और 3290 रू. तक किया जा सकता है। अत्यधिक लागत और अत्यधिक उत्पादन लागत के कारण कोयला पर आधारित डी. आर.–इ.ए.एफ. पद्धति को अधिक नकसान उठाना पड़ता है।

सारांश

उत्पादन क्षमता, कच्चे माल की उपलब्धता, उर्जा कौखपत, उत्पादन की गुणवत्ता एवं प्रक्रिया पद्धतियों के आर्थिक पक्ष पर विचार करने के बाद अब यह बतला देना आवश्यक है कि उत्पादन लागत कच्चे मालों के संयोजित मूल्य पर पूर्णतः निर्भर करता है ऐसी स्थिति में कार्यस्थल में परिवतन होने पर उत्पादन मूल्य में भी परिवर्तन होना स्वाभाविक है। इस पहलू का इस लेख में विस्तार से विश्लेषण किया गया है।

भारत में नॉन्–कोकिंग कोयले की बहुलता और कोयले पर आधारित डी. आर.–इ.ए. एफ. पद्धति के माध्यम से इस्पात निर्माण के आर्थिक पक्ष की अनुकूलता के कारण हमें डी. आर. आई. उत्पादन के लिए कोयला और अयस्क के स्रोतों का पता लगाना होगा और उपयुक्त अयस्क कोयला समन्वय (कंबिनेशन) स्थापित करना होगा। इस दिशा में एच. ई. सी. में आर एण्ड डी. आइ. एस. (सेल) का प्रायोगिक संयंत्र (पाइलट प्लांट), जमशेदपुर में टी.डी.आर. प्रायोगिक संयंत्र और कोत्तागुडैम के स्पंज आयरन इण्डिया लिमिटड काफी हद तक सहायक सिद्ध हो सकते हैं। भारतीय परिवेश में अवकरण प्रगलन ओ. एफ. पद्धति का भी भविष्य उज्वल प्रतीत होता है।

–निदेशक (प्रोद्यौगिकी)
पोकेज

"हमारे लिए यह परम सौभाग्य और गर्व की बात है कि भारत में अनेक महान भाषाएं हैं और वेएक दूसरे से संबंधित हैं। हमें इन सभी भाषाओं को समृद्ध बनाना चाहिए तथा अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त अन्य भाषाओं के प्रति विरोध की भावना नहीं रखनी चाहिए। सभी भाषाएं युगों-युगों से विकसित होकर भारत की मिट्टी में ही पनपीं और बढ़ी हैं। इनमें से किसी एक भाषा की क्षति सारे भारत की क्षति है।"

—जवाहर लाल नेहरू

गुजरात और राजभाषा हिन्दी

—गिरिराज किशोर

राजभाषा हिन्दी की भूमिका

गुजरात की भूमि में हिन्दी कवियों की देन बहुत पुराने समय से होती रही है। पंद्रहवीं शताब्दी से लेकर आजतक गुजराती भाषी हिन्दी में काव्य रचना कर रहे ह, और हिन्दी में लेख आदि भी लिख रहे हैं।

बहुत संक्षेप में पंद्रहवी शताब्दी से लेकर आधुनिक युग तक के गुजरात में हिन्दी की गतिविधियों के बारे में बता रहा हूं। पंद्रहवीं शताब्दी में श्री हेमचन्द्राचार्य ने हिन्दी में रचना दी। सोलहवीं सदी में गुजरात के मशहूर कवि श्री नरसिंह महेता, अखा ने हिन्दी में रचनायें की। सत्रहवीं शताब्दी में जैन कवियों में हिन्दी रचना करने वाले कवि भी हैं। उनमें आनंदघन बड़े मशहूर हैं, उनकी कविता ऐसे लगती है कि जसे आजकल की ही हो। अठारहवीं सदी में गुजरात के बड़े मशहूर कवि दयाराम ने ब्रज और खड़ी बोली में अनेक कवितायें की हैं। उन्नीसवीं सदी में देश के महान विद्ववान और आर्य सामज के प्रवर्तक स्वामी दयानन्द ने गुजरात से हिन्दी में अपनी विचारधारा का प्रचार करना शुरू किया, और आजकल तो अनेक लोग हिन्दी में काव्य रचना कर रहेहैं, और लेख लिख रहेहैं।

हिन्दी में ही नहीं चौदहवीं सदी से उर्दू के सूफी कवियों की परम्परा शुरू हुई जो आज तक चल रही है।

देश में जब काव्य रचना सिखाने की कहीं व्यवस्था नहीं थी, तब अठारहवीं सदी में कच्छ के महाराव ने ब्रज भाषा में काव्य रचना सिखाने की व्यवस्था की और सारे देश से लोग वहाँ पहुचा करते थे।

प्रो. अम्बाशंकर नागर ने अपने ग्रन्थ "गुजरात के हिन्दी गौरव ग्रन्थ" में इस विषय की तफ़सील से चर्चा की है। उन्होंने अपने पी. एच डी. के लिए "गुजरात की हिन्दी सेवा" पर निबन्ध प्रस्तुत किया है। यह है गुजरात की हिन्दी की भूमिका।

महात्माजी का देशव्यापी असहयोग आन्दोलन और गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद की स्थापना

रोलेट एक्ट के 1919 में पास हो जाने पर महात्माजी ने इसके विरोध में देशव्यापी असहयोग आन्दोलन शुरू किया। गुजरात की शिक्षा की ज़रूरत पूरी करने के लिए उन्होंने 18-10-1920 को "गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद" की स्थापना की इसके अभ्यास क्रम में पांचवीं कक्षा से राष्ट्रभाषा हिन्दी का विषय आवश्यक था, और कालिज कक्षा में तो राष्ट्रभाषा का अभ्यास देवनागरी और उर्दू दोनों लिपियों में रखा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि लगभग तीन साल तक हज़ारों विद्यार्थियों ने हिन्दी की परीक्षायें दीं।

इसके बाद महात्माजी के साथियों ने जो आश्रम शुरू किये उनकी शालाओं में भी राष्ट्रभाषा हिन्दी का विषय लाज़मी रखा गया।

महात्माजी का राष्ट्रभाषा हिन्दी प्रचार आन्दोलन और 1937 से बम्बई प्रांत में राष्ट्रभाषा हिन्दी की पढ़ाई

महात्माजी ने 1935 के हिन्दी साहित्य सम्मेलन के बाद राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा की स्थापना 1936 में की और 1937 से राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ने अपनी परीक्षायें शुरू कर दीं। देश ने महात्माजी के राष्ट्रभाषा प्रचार कार्य को बड़ी दिलचस्पी से अपनाया। गुजरात और महाराष्ट्र में तो इन परीक्षाओं में साल में दो बार हज़ारों की संख्या में छोटे-बड़े बैठते थे।

इसके साथ साथ 1937 के चुनाव में कई बड़े प्रान्तों में कांग्रेस सरकार बहूमत में आ गई। इनमें बम्बई प्रान्त भी एक था। वहाँ सरकार ने 5, 6, 7, कक्षा में राष्ट्रभाषा हिन्दी सिखाने की व्यवस्था कर दी। इसको देवनांगरी या उर्दू लिपि में सिखाया जाता था। जो शिक्षक हिन्दी जानते थे उनको उर्दू के अभ्यासक्रम की परीक्षा देनी होती थी, और जो उर्दू जानते थे उन्हें हिन्दी के अभ्यासक्रम की।

स्वैच्छिक राष्ट्रभाषा प्रचार संस्थाओं के कार्य में गति

1939 में दूसरा महायुद्ध शुरू हो गया। सरकार ने प्रान्तों की सरकारों से पूछे बिना देश को महायुद्ध में शामिल कर लिया। इसलिए कांग्रेस ने प्रान्तों में पद छोड़ दिये। बम्बई सरकार के नगर स्कूलों में हिन्दी पढ़ाने की जो व्यवस्था थी, उसे जासी रखा गया, मगर उस पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया।

सरकार के स्कूलों में तो राष्ट्रभाषा की पढ़ाई ढीली पड़ गई थी, मगर जैसे-जैसे देश की आजादी का आन्दोलन ज़ोर पकड़ता था वैसे-वैसे ऐच्छिक राष्ट्रभाषा प्रचार की संस्थाओं के कार्य में बड़ा वेग आता था। सरकार भी इस कार्य को सांस्कृतिक होने के कारण नहीं दबा सकी इसलिए जब देश 1947 में आज़ाद हुआ तब ऐच्छिक संस्थाओं का कार्य ज़ोर पर था।

आज़ादी मिल जाने के बाद फिर से स्कूलों में 5, 6, 7, कक्षाओं में हिन्दी की पढ़ाई ठीक तौर से शुरू हो गई। इन कक्षाओं में हिन्दी सिखाने का कार्य राष्ट्रभाषा प्रचार की ऐच्छिक संस्थाओं की परीक्षा पास हुए ही करते थे।

हिन्दी शिक्षक सनद

शिक्षकों को हिन्दी सिखाने की तालीम देने के लिए सरकार ने हिन्दी शिक्षक सनद परीक्षा का आयोजन किया। इसका अभ्यासक्रम चार मास का था, और प्रवेश राष्ट्रभाषा प्रचार की ऐच्छिक हिन्दी संस्थाओं की चौथी परीक्षा पास को दिया जाता था।

जब 5,6,7, श्रेणियों में पढ़ाई स्थिर हो गई तो ऊँची परीक्षाओं में राष्ट्रभाषा की धीरे-धीरे सिखाना शुरू किया। इसके लिए शिक्षकों को तैयार करने के लिए सरकार-ने "सीनियर हिन्दी शिक्षक सनद" परीक्षा का आयोजन किया। इसका अभ्यासक्रम 8 मास का था, और प्रवेश ऐच्छिक संस्थाओं की पांचवीं परीक्षा पास को दिया जाता था। पांचवीं परीक्षा हिन्दी विषय के ज्ञान में बी. ए. के समकक्ष समझी जाती थी।

राजभाषा संबंधी विधानसभा का प्रस्ताव

14 सितम्बर 1949 की राजभाषा सम्बन्धी प्रस्ताव पास हो गया राजभाषा का नाम हिन्दी रखा गया, इसकी लिपि देवनागरी रही और आंकड़े भारत के आंकड़ों का अंतराष्ट्रीय रूप रहा। 26 जनवरी 1950 से विधान शुरू हो गया।

राष्ट्रभाषा प्रचार की ऐच्छिक संस्थाओं के काय ने हिन्दी को राजभाषा स्वीकार कराने में वहुत मदद की। 351वीं धारा द्वारा राजभाषा हिन्दी की व्याख्या वड़ी विशाल की गई है। इसे अपना विकास देश की 14 प्रमुख भाषाओं और हिन्दुस्तानी के प्रयोगों, शैलियों और पद्धतियों को ले कर करने की सुविधा दी गई है।

एस. एस. सी. बोर्ड–गजरात राजभाषा हिन्दी

जब एस. एस. सी. कक्षा तक राजभाषा हिन्दी की पढ़ाई विलकुल स्थिर हो गई तब एस. एस. सी बोर्ड ने 1955 में राजभाषा हिन्दी को अभ्यासक्रम में शामिल कर दिया, और गुजराती और हिन्दी को एक विषय समझा गया। 200 अंक में से 70 अंक पाने पर और किसी एक विषय में कम से कम 25 अंक आने पर दोनों विषय में विद्यार्थी को पास समझा गया। जब धीरे-धीरे यह पद्धति स्थिर हो गयी तो 1964 में दोनों विषयों में अलग-अलग पास होना लाज़मी कर दिया गया। राजभाषा हिन्दी के अभ्यासक्रम में काफ़ी उतार चढ़ाव आये हैं। अब यह 9 वीं कक्षा तक आवश्यक थी, मगर 1986 की परीक्षा के समय से राजभाषा हिन्दी एस. एस. सी. में आवश्यक विषय हो गया है।

राज्य में कुछ स्कूल हिन्दी माध्यम के भी हैं। राज्य के सभी स्कूलों में पांचवीं कक्षा से राजभाषा हिन्दी सिखाई जाती है। चाहे वे अंग्रेजी माध्यम के ही स्कूल हों।

उच्च शिक्षण में हिन्दी

धीरे-धीरे राज्य की सब यूनिवर्सिटियों में हिन्दी शुरू हो गई है। कुछ यूनि. में तो शुरू के सालों में यह आवश्यक विषय है। मगर अधिक में यह ऐच्छिक है। राज्य में राजभाषा हिन्दी की पांचवी कक्षा से पी. एच. डी. कक्षा तक के अभ्यासक्रम की व्यवस्था है। राज्य के सब अध्यापन मंदिरों में हिन्दी विषय है।

सरकारी कर्मचारी

राज्य के सभी कर्मचारियों को हिन्दी की सरकारी परीक्षा देना जरूरी है। जिनके पास एस. एस. सी. में हिन्दी थी उनको इसमें छूट दी गई है। राज्य की बड़ी-बड़ी म्युनिसिपल कमेटियों के कर्मचारियों के लिए भी हिन्दी का ज्ञान ज़रूरी है। कुछ बैंक भी अपने कर्मचारियों को हिन्दी सीखने के लिए प्रोत्साहन देते हैं, निर्धारित परीक्षा स्वैच्छिक संस्थाओं से पास करने पर वे अपने कर्मचारियों को पुरस्कार देते हैं।

आकाशवाणी

आकाशवाणी भी राजभाषा हिन्दी के प्रचार में मदद कर रही है। हिन्दी काव्यों के पठन, हिन्दी में संवाद और चुने हुए विषयों पर हिन्दी में वार्तालाप द्वारा सहायता कर रही है।

हिन्दी प्रतिभा शोध

गुजरात के संत "मोटा" के गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद को 50,000 का दान दिया गया है। इस योजना में ज़िला स्तर, और राज्य स्तर पर इनाम दिये जाते हैं। राज्य स्तर पर तीन इनाम हैं –500, 300, 200 रुपए के। ज़िले स्तर के इनाम है –115, 95, 80 रुपए।

राज्य की प्रमुख स्वैच्छिक संस्थायें

राज्य में दो वड़ी राजभाषा हिन्दी प्रचार की संस्थायें हैं। गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद, और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की गुजरात प्रान्तीय शाखा। इन दोनों संस्थाओं में बहुत बड़ी तादाद में परीक्षार्थी इनकी परीक्षाओं में शामिल होते हैं। इन दोनों संस्थाओं ने राजभाषा हिन्दी प्रचार कार्य में बड़े महत्व का कार्य किया है और अब भी कर रही हैं।

गुजरात राज्य की पत्रव्यवहार की भाषा

गुजरात राज्य ने तय किया था, कि केन्द्र के साथ पत्र व्यवहार की भाषा, और अंतर्राज्य पत्रव्यवहार की भाषा हिन्दी रहेगी, मगर राज्य इस पर अमल नहीं कर सका।

आम लोगों में राजभाषा हिन्दी

आमतौर से गुजरांत में राज्य भाषा हिन्दी के लिए बहुत अनुकूल परिवेश है। जनता में इसका विरोध नहीं है। फल, सब्जी वेचने वाले भी राजभाषा हिन्दी समझ लेते हैं और अपना काम चलाने के लिए वोल भी लेते हैं। आमतौर से लोग राजभाषा हिन्दी समझते हैं और थोड़ी वहुत बात भी कर लेते हैं,। यह उनकी स्थित है जिन्होंने कहीं हिन्दी का अभ्यास नहीं किया है।

राजभाषा हिन्दी में लेखन

समझने और बोलने से आगे चल कर जब लिखने का सवाल आता है तो मुख्य तौर से तीन कारणों से लिखने में मुश्किल महसूस होती है—हिन्दी गुजराती से बहुत मिलती जुलती है इसलिए लोग आम तौर से इसकी तरफ़ से लापरवाह हैं। यह आम वात मशहूर है कि "हे" लगाने से हिन्दी हो जाती है। दूसरी बात यह है कि सैकड़ों शब्द गुजराती हिन्दी में एक से हैं, मिसाल के तौर पर गुजराती बाबर" हिन्दी "वाहर" गुजराती "पहेलवान हिन्दी पहलवान" जो लोग बहुत अच्छी तरह से हिन्दी नहीं जानते वे हिन्दी लिखते समय शब्द का गुजराती रूप लिख देते हैं तीसरी बात है "ने" प्रत्यय की। यह हिन्दी और गुजरात दोनों म है। हिन्दी में यह कर्ता का चिह्न है और गुजराती में कमी का। "मैंने उसने कहा," " उसने देखा "यह गुजराती में तेने जोयो का हिन्दी अनुवाद है। गुजराती में "बीजु पाणी जोइये" इसको गुजराती बहुत आसानी से हिन्दी में कह देगा "दूसरा पानी चाहिये" यहां बीज और के अर्थ में है।

जो लोग ठीक तरह से अभ्यास करते हैं, वे इस प्रकार की भूलें नहीं करते। गुजराती में कुछ भूल सुधार की पुस्तकों की जरूरत है कि जिससे गुजराती भाषा इस प्रकार की भूलों से बच सकें। □

बालक, बाल भवन और राजभाषा

—डा० उषा गोपाल

मानव का सर्जनहारा पालनकर्ता और अंत माटी ही है। बचपन से बच्चे को मिट्टी के प्रति प्राकृतिक प्रेम होता है। माटी के इस पुतले का भाषा से उतना ही संबंध है जितना अन्य जन्तुओं का। यहां न बंधन है, न सीमा केवल है तो सिर्फ एक उन्मुक्त स्वछंद प्रकृति की गोद जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में हर सुविधा सुलभ है जो नन्हीं कलियों को अन्यत्र कहीं नही मिल पाती।

बच्चों की संस्था की विभिन्न गतिविधियां व कार्यकलाप समयान्तराल के साथ-साथ दूर देशविदेश में अपनी गंध विकीर्ण कर रहे हैं।

संस्था में आंरम्भ से ही राजभाषा हिन्दी ने अपनी जड़ें पकड़ीं। यहां आने वाले बच्चों में निम्न, मध्य, उच्च सभी घरानों के बच्चे आते है। इनमें उन बच्चों की संख्या भी कम नहीं है जो अंग्रेजी माध्यम से पब्लिक स्कूलों में पढ़ें हैं।

संस्था के बढ़ते विस्तार ने इसके प्रचार प्रसार में दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति की है। न केवल बच्चे बल्कि स्टाफ भी यहां प्रायः हिन्दी का ही प्रयोग करता है। लिखने-पढ़ने, बच्चों को सिखाने, आपसी कार्यकलापों में भी प्रायः हिन्दी का ही प्रयोग किया जाता है।

बाल भवन जैसी संस्था में राजभाषा के इस बढ़ते महत्व की कुछ वर्ष पूर्व कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित, आदेशों, नियमों आदि का यहां पालन किया जाता है। राजभाषा अधिनियम 1963 के पैरा 3(3) में दी गई शर्तों का यहां पूर्ण रूप से अनुपालन होता है। "क" क्षेत्र में होने के कारण यहां प्रायः राजभाषा हिन्दी में ही कार्य होता है।

कार्यालय में हिन्दी में आए पत्रों के उत्तर हिन्दी में ही दिए जाते हैं। परिपत्र, ज्ञापन, आलेखन टिप्पणी, नामपट्ट सभी में हिन्दी की अधिकता है। राजभाषा के बढ़ते महत्व के परिणामस्वरूप हिन्दी यहां के कार्यों में दिनों दिन छा रही है जिसका विस्तार दो रूपों में मिलता है :

1. वे कार्य जिनमें हिन्दी अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाता है—जैसे वार्षिक प्रतिवेदन (रिपोर्ट), सूचना ज्ञापन (बाल संसार), सूचना-पुस्तिका (इनफौरमेशन फोल्डर), नियम-उपनियम, परिपत्र, ज्ञापन, नामपट्ट, विज्ञापन, कार्यक्रमों की रिपोर्ट, प्रार्थना पत्र, पंजीकरण फार्म, पत्र के उत्तर।

हिन्दी में आने वाले पत्रों के उत्तर साहित्यिक सभाए, बाल गोष्ठियां स्थलगत बाल साहित्य सृजन, लेखकों, कवियों, साहित्यकारों से भेंट चर्चाएं, प्रसिद्ध बाल पत्रिकाओं के सहयोग से साहित्यिक कार्यक्रम, पुस्तकालय में साहित्यिक गतिविधियों की निरन्तर क्रमबद्धता, हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं, संदर्भ व सहायक पुस्तकों के विस्तार में हिन्दी का अधिक प्रयोग होता है।

प्रत्येक वर्ष कार्य की वृद्धि व राजभाषा के बढ़ते महत्व को देखते हुए बहुत शीघ्र ही यहां हिन्दी के स्टाफ को बढ़ाने की आवश्यकता की बहुत संभावना है और निकट भविष्य में हिन्दी अधिकारी के पद की पूरी आशा है। हिन्दी के बढ़ते महत्व को देखते हुए बाल भवन "हिन्दी एकक" की स्थापना अवश्यभावी होगी। जिसकी घोषणा बाल भवन राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पहली बैठक में की गई थी। इसके विस्तार में राजभाषा की उन्नत संभावनाएं दृष्टिगत होती हैं।

आंरभ में यहां देवनागरी का केवल एक ही टाइपराइटर था परन्तु अब कार्यविस्तार व उन्नत संभावनाओं को देखते हुए जहां तक हिन्दी सामग्री, प्रयोग प्रशिक्षण व स्टाफ का प्रश्न है इनकी संख्या कम होते हुए भी राजभाषा का प्रयोग बढ़ता ही जा रहा है। कुछ वर्ष पूर्व केवल हिन्दी टाइपिस्ट ही कार्यरत था। परन्तु राजभाषा के बढ़ते प्रयोग व आदेशों जिसमें केन्द्रीय सरकार की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन/अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राजभाषा विभाग के 27 अप्रैल, 1981 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 13035/3/80 रा० भा० (ग) में (जिसमें न्यूनतम हिन्दी पदों की संख्या निर्धारित कर दी गई थी और यह निर्देश दिए गए थे कि जहां न्यूनतम पद उपलब्ध न हों, वहां तत्काल उनके सृजन के लिए कारवाई की जाए) के अनुसार तीन वर्षों से यहां हिन्दी अनुवादक भी कार्यरत है।

गृह मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की 28 सितम्बर, 1975 को हुई 18 वीं बैठक में अनुवाद से संबंधित कर्मचारियों/अनुवादकों के लिए अनुवाद प्रशिक्षण की अनिवार्य व्यवस्था के प्रश्न पर गहराई से विचार किया गया और यह तय हुआ कि केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरों का अनुवाद प्रशिक्षण केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों–विभागों के अनुवाद कार्य से संबधित सभी कर्मचारियों के लिए आनिवार्य कर दिया जाये। अतः अभी हाल ही में गृह मंत्रालय के 5 मई, 1976 के कार्यालय ज्ञापन संख्या II 13017/12/75-रा. भा. (ग) तथा परिपत्र सं. 12/76 के संदर्भ में ही संस्था के अनुवाद कार्य में लगे स्टाफ को इस सुविधा का लाभ मिलने से यहां राजभाषा अपनी जड़ें गहरी जमा रही है।

27 से 29 अक्तूबर, 1983 को होने वाले तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन में भी यहां की निदेशिका व स्टाफ के लोगों ने भाग लेकर अपने हिन्दी प्रेम का परिचय दिया। हिन्दी को आगे बढ़ाने व राजभाषा के प्रचार प्रसार में बाल भवन का स्टाफ पूर्ण सहयोग दे रहा है और इसका यहां अधिक से अधिक प्रयोग हो रहा है।

पिछले दो वर्षों में यहां होने वाले साहित्यिक कार्यक्रम/गतिविधियां इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि बाल भवन में हिन्दी, हिन्दी साहित्य व राजभाषा हिन्दी का भविष्य उज्वल है।

साहित्यकार की भवना, दृष्टि व कलम के संगम की शब्दबद्ध अभिव्यक्ति का नाम ही साहित्य है जो समाज का चिरन्तन सत्य है। गत वर्षों में यहां की साहित्यक गतिविधियां बहुत उत्साहवर्धक व प्रेरणामयी हैं। यह साहित्यिक वातावरण इतना ओजस्वी व लाभप्रद है कि इसकी संख्या व अनिवार्यता बढ़ती गई। बच्चों में हिन्दी साहित्य (मातृभाषाएं राजभाषा) के ज्ञान की वृद्धि व सर्जन की भावना पैदा करने के लिए बाल भवन के प्रांगण में 24 से 26 सितम्बर, 1982 को बाल साहित्य

सभा का आयोजन किया गया जिससे बच्चों की साहित्यिक प्रतिभाओं की अभिव्यक्ति का अवसर मिले। इस सभा में दिल्ली व इसके आस पास स्कूलों के 150 बच्चों ने भाग लिया। इस सभा में कुछ महत्वपूर्ण पहलू सामने आए :—

*बच्चों ने अपने जी की कचोट व बुद्धि की उलझन कविता के माध्यम से व्यक्त की।

*साहित्य व संस्कृति का संबंध, संस्कृति और सभ्यता में अन्तर बाल साहित्य और उसकी संभावनाएं आदि पक्षों पर, गहनतापूर्वक विचार हुआ।

*मनुष्य, साहित्य और समाज का अटूट संबंध, कला और साहित्य के अन्तर का स्पष्टीकरण किया गया।

*बच्चों को उनके शिविर के अनुभव लिखने के लिए कहा गया ताकि उन्हें डायरी लिखने का अभ्यास हो।

*हिन्दी व्याकरण के ज्ञान के लिए बच्चों को अभ्यास भी कराए गए।

इन कार्यक्रमों का विस्तार केवल संस्था की सीमाओं तक नहीं रहा बल्कि बाल पत्रिकाओं के साथ मिलकर भी साहित्यिक कार्यक्रमों के आयोजन का क्रमिक दौर चला। 14 नवम्बर, 1983 को अन्तर्राष्ट्रीय बाल दिवस के अवसर पर बच्चों की जानी मानी प्यारी पत्रिका "बाल भारती" के सहयोग से बाल लेखक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। क्योंकि यह दिन बाल भवन में वार्षिक दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस संस्था का शिलान्यास बच्चों के प्यारे चाचा नेहरू ने 1955 में तुर्कमान गेट पर किया था। इसी याद को ताजा करने के लिए इस वर्ष "बाल रचना प्रतियोगिता पुरस्कार वितरण" समारोह का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन सूचना और प्रसारण मंत्रालय के उपमंत्री श्री मल्लिकार्जुन ने किया।

पुरस्कृत बच्चों को मालाएं पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर आठ बच्चों को उनकी श्रेष्ठ रचनाओं पर पुरस्कार दिया गया। इन बच्चों को दो वर्गों में बांटा गया। इसमें वय विभाजन का आधार था। प्रथम वर्ग 5 से 10 वर्ष के बच्चों का था और किशोर कवियों की आयु 11 से 16 वर्ष रही। इस कार्यक्रम में पूरे भारतवर्ष से बच्चों ने भाग लिया। यह कार्यक्रम इस बात का प्रतीक है कि बाल भवन में हिन्दी-राजभाषा-राष्ट्रभाषा व जनसमुदाय की भाषा के प्रोत्साहन हेतु न केवल संस्था में प्रत्यन किए जा रहे हैं बल्कि अन्य स्रोतों के सहयोग से भी इसकी वृद्धि की जा रही है।

कार्यक्रमों की इसी श्रृखंला में 29 मई से 1 जून, 1984 को बाल भवन में प्रसिद्ध बाल पत्रिका "पराग" के सौजन्य से "कहानी लेखन" प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम पूर्व कार्यक्रम से कई क्षेत्रों में भिन्न था

1. इसमें कविताएं नहीं कहानी लिखनी थी।
2. यह स्थलगत लेखन था जिसमें लगभग 500 बच्चों ने भाग लिया।
3. "बाल भारती" के कार्यक्रम में सम्पूर्ण देश के बच्चों ने कविता लिखकर भेजीं थीं जबकि "पराग" कहानी प्रतियोगिता में बच्चों ने वहीं बठ कर कहानी लिखी।

29 मई को नन्हों का कार्यक्रम था और 30 मई, 1984 को किशोरों ने कहानी लेखन में भाग लिया। उम्मीद से अधिक बच्चों ने इस कार्यक्रम में भाग लेकर अपनी साहित्यिक उमंग व हिन्दी का परिचय दिया। आरंभ में संपादक डा. हरिकृष्ण देवसरे, जो बच्चों के जाने माने लेखक व रेडियो के प्रसिद्ध कार्यकर्ता रहे हैं, आपने बच्चों को कहानी लेखन की विधि समझाई कि किसी भी विषय पर कहानी लिखी जा सकती है चाहे वह पड़ोसी हो या जानवर अथवा रसोईघर के वर्तन अथवा पांव का जुता। केवल आपको नकल नहीं करनी अपने ही तरीके से उसे अभिव्यक्त करना है जो कोई भी घटना हो सकती है।

दूसरे दिन भी बच्चों के जोश व उत्साह देखने योग्य थे। अनेक बच्चों के माता पिता ने तो स्वंय बच्चों को यहां लाकर कहानी लेखन में भाग दिलाया। समापन समारोह की वेला पर इन सभी बच्चों को बाल साहित्य पत्रिकाएं, मिनी पराग, कामिक्स, बच्चों का स्कूल टाइम-टेबिल आदि सामग्री उपहार के रूप में दी गई। टाइम्स आफ इंडिया के अनेक लोग भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त यहां कवि गोष्ठियां विचार-विमर्श, वार्ताएं व बाल सभाएं भी समय-समय पर होती है इसी क्रम में 25 से 30 अप्रैल, 1985 को आयोजित युवा सभा" में भी साहित्यक कार्यक्रम वा 29 अप्रैल को युवा कवि सम्मेलन हुआ इन सभी बाल साहित्यिक कार्यक्रमों का मूलोद्देश्य बच्चों में साहित्यिक अभिरुचि पैदा करना, उनमें निहित कलाकार व साहित्यकार के बीजों को फुटने व पल्लवित होने का अवसर प्रदान कर उनके हौसले बढ़ाना, लेखन की आदतों को बढ़ावा देकर बच्चों में सृजन प्रेम की रुचि पैदा करना है ताकि बाल पवन के खुले, स्वच्छद वातावरण में इन भावी राजभाषा प्रयोक्ताओं में अभी से हिन्दी-प्रेम पैदा हो।

बाल भवन में हिन्दी के प्रति बढ़ती इस सहजता, सुलभता का ही प्रमाण है कि यहां वर्ष 1985 से बाल भवन राजभाषा कार्यन्वयन समिति का भी गठन हुआ जिसमें राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, केन्द्रीय हिन्दी परिषद् शिक्षा मंत्रालय के अधिकारीगण भी सदस्य हैं। समिति की पहली बठक 8 माच 1985 को हुई और दूसरी वठक निकट भविष्य में होने जा रहीं है। बैठकों में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई वे बहुत ही लाभकारी हैं जसे हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने व सरलता से उन शब्दों से अभ्यस्त कराने के लिए स्टाफ में इस सामग्री की प्रतियां वांटना, चार्ट, कार्यशालाएं, हिन्दी दिवस आदि के द्वारा यह कार्य सुगमता से किया जा सकता है। हिन्दी स्टाफ बढ़ाना और संस्था में हिन्दी अनुभाग की स्थापना आदि।

राजभाषा हिन्दी को बाल भवन की ये देन हिन्दी के उज्ज्वल भविष्य का संकेत देती है। यद्यपि यहां बहुत काम हिन्दी में ही होता है अथवा दोनों भाषाओं में इन भावी चमकीली किरणों का धरातल और भी मजबूत वनाने की ओर कदम बढ़ाने में शिक्षा व गृह मंत्रालय से अधिक प्रेरणा व सहयोग की आवश्यकता है। यदि ये प्रयास अधिक और मजबूत होते गए तो वह दिन दूर नहीं जब बाल भवन हिन्दी की तन-मन-धन से पूर्ण सेवा करेगा और इसके तरूण अरूण इस धरा को अपनी किरणों से और अधिक दीप्ति प्रदान करेंगे।

डा. उषा गोपाल
सेक्टर 12/166
रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली

हिन्दी चली समंदर पार

"ब्रिटेन में हिन्दी दिवस"

इस बार हम लंदन स्थित भारत के हाई कमीशन से हिन्दी अताशे श्रीमती सरोज श्रीवास्तव द्वारा भेजी गयी रिपोर्ट को प्रकाशित कर रहें हैं। इसमें यह जाहिर होगा कि भारत से सुदूर पराई धरती पर हिन्दी दिवस कितने अपनत्व के साथ मनाये गये हैं। यूनाईटिड किंग्डम में हिन्दी की स्थिति से भी पाठकों को परिचय मिलेगा।

भारत भवन में "हिन्दी दिवस" दिनांक 13 सितंबर 1985 को "हिन्दी दिवस समारोह" के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर लगभग 55–60 व्यक्ति उपस्थित थे तथा इसकी अध्यक्षता उप-उच्चायुक्त महोदय ने की। इसमें वार्ता गोष्ठी, काव्यपाठ आदि कार्यक्रम रखे गए। प्रमुख पत्रकार बी. बी. सी. (हिन्दी सवा) के अध्यक्ष, तथा अन्य विशिष्ट अधिकारी, लंदन विश्वविद्यालय के प्रवक्ता मिशन के वरिष्ठ अधिकारी, लंदन की प्रमुख कवित्रियां, भारतीय विद्याभवन के सचिव और प्रमुख प्रहसन निदेशक, स्थानीय प्राध्यापक व विदेशी विद्वान डा. मोहन गौतम (हालैंड) उपस्थित थे। कुछ, प्रमुख नाम इस प्रकार हैं :—

डा. रूपर्ट स्नेल, लंदन विश्वविद्यालय ; श्री कैलाश बुधवार, बी. बी. सी., श्री धर्मेन्द्र गौतम, अध्यक्ष, हिन्दी परिषद्, श्री मुथूर कृष्णमूर्त्ति, सचिव, भा. विद्याभवन, श्रीमति लीला घोष, प्रसिद्ध गायिका (मंगलाचरण), श्री अश्विन पटल, प्रहसन निदेशक व विख्यात रंगमंच अभिनेता, डा. मोहन गौतम, हालैंड, श्री जगदीश कौशल, यार्क विश्वविद्यालय, डा. मंजु अग्रवाल, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की विदुषी व दक्षिणेशियाई भाषा की समन्वयकर्ता।

उपहार स्वरूप धन्यवाद पत्र व एक-एक पुस्तक भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भेट की गई।

भारतीय विद्याभवन लंदन में हिन्दी दिवस :— श्री जगदीश कौशल, अध्यक्ष यू. के. हिन्दी सम्मलन तथा सम्पादक साप्ताहिक अमरदीप की अध्यक्षता में 14 सितंबर 1985 को हिन्दी दिवस भारतीय विद्याभवन में मनाया गया। प्रमुख अतिथि के रूप में उप-उच्चायुक्त और संसद (ब्रिटिश) के अध्यक्ष उपस्थित थे। लगभग 70–80 व्यक्ति समारोह के विभिन्न चरणों में उपस्थित थे, समारोह में विभिन्न हिन्दी सामग्री की प्रदर्शिनी, भाषा और कविता पाठ तथा प्रीतिभोज का आयोजन था। हिन्दी अधिकारी द्वारा इस अवसर पर भाषण दिया गया।

राष्ट्रीय भाषा परिषद् लंदन में हिन्दी दिवस :— 5 अक्तूबर 1985 को राष्ट्रीय भाषा परिषद् द्वारा प्रमुख समा ोह क रूप में हिन्दी दिवस मनाया गया। हिन्दी अनुभाग, भारतीय उच्चायोग की ओर से इस अवसर पर 150 पुस्तकें, राष्ट्रीय भाषा परिषद् व हैरिंगे लाइब्रेरी को भेंट की गई। प्रथम पुरुस्कार के रूप में एक ट्राफी भेंट की जो हर वर्ष प्रथम पुरुस्कार विजेता को दी जाएगी। इस समारोह में बच्चों/विद्यार्थियों द्वारा "भारत की शिक्षा व संस्कृति" विषय पर आयोजित निबन्ध लेखन/चित्र प्रतियोगिता में भाग लिया गया, सभी प्रविष्टियों की प्रदर्शनी लगाई गई, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर लगभग 200 व्यक्ति उपस्थित थे जिनमें विशिष्ट प्राध्यापक पुस्तकालयों के अध्यक्ष, काउंसलर, पत्रकार, हिन्दू संस्कृति केन्द्र के अध्यक्ष, शिक्षाविद् सम्मिलित हैं। संस्था को ट्राफी खरीदने व प्रमाण-पत्र के लिए भारतीय उच्चायोग ने 70 पौंड की धनराशि दी तथा हिन्दी अनुभाग की ओर से नवोदित संस्था को यथासंभव सहायता व परामर्श दिया गया।

लिवरपूल में हिन्दी दिवस : लिवरपूल स्थित हिन्दू संस्कृति केन्द्र ने हिन्दी सप्ताह मनाया वह इस अवसर पर काव्य पाठ, निबन्ध प्रतियोगिता व सांस्कृतिक समारोह आयोजित किए। सहायक उच्चा-युक्त, लिवरपूल द्वारा पुरुस्कृत प्रतियोगियों को प्रमाणपत्र दिए गए। हिन्दी अनुभाग द्वारा भेंट करने के लिए पुस्तकें भेजी गई।

ग्लास्गो में हिन्दी समारोह :— ग्लास्गो स्थित सहायक उच्चायोग द्वारा हिन्दी दिवस के उपलक्ष्या में कुछ सांस्कृतिक संगठनों व शैक्षिक संस्थाओं को पुस्तकें प्रदान की गई जो इस अवसर के लिए हिन्दी अनुभाग द्वारा भेजी गई थीं।

लंदन में हिन्दी की एक रपट

मिशन के बाहर हिन्दी भाषा का प्रचार-प्रसार : भारतीय संविधान की आठवीं अनुसची के अंतर्गत उल्लिखित सभी भाषाओं तथा संघ की राजभाषा हिन्दी का प्रचार-प्रसार सीमित साधनों के होते हुए भी इस देश की जनता में किया जा रहा है। भाषा की दृष्टि से यहां की जनता का स्पष्ट विभाजन नहीं किया जा सका है तो भी इस संबंध में हिन्दी को लकर जो स्थिति है, उसका अनुमान सर्वेक्षण से लगाया जा रहा है जिसमें कहा गया है कि "भारत की राजभाषा हिन्दी है, इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। मातृभाषा के रूप में हिन्दी अनेक सामुदायिक केन्द्रों में पढ़ाई जा रही है जैसे ब्रैण्ट, बुलयर्ध, भारतीय विद्याभवन आदि।" भिन्न-भिन्न स्वयं सभी संस्थाओं और आधिकारिक स्तर पर शिक्षा अधिकारियों से मिलकर निम्नलिखित उपलब्धियाँ हुई हैं :—

(क) लन्दन के न्यूहैमबरो में हिन्दी को पूर्ण कालिक रूप से स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ाने की व्यवस्था की गई है जो एसी एकमात्र व्यवस्था है। इसकी पढ़ाई तीन वर्षों में पूरी की जाएगी सितम्बर, 1984 के सत्र से यह कक्षाएं आरंभ हुई हैं। अन्य स्कूलों में भी हिन्दी को स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ाने की व्यवस्था करने पर जोर दिया जा रहा है। 180 विद्यार्थी उक्त क्षेत्र से 'O' स्तर (अपने यहां हाई स्कूल) की परीक्षा हिन्दी विषय लेकर करेंगे यह अभूतपूर्व उपलब्धि है।

(ख) **हिन्दी सोसाइटी, लन्दन :–** हिन्दी प्रमियों, लखखों, साहत्यिकारों को प्रेरित करके इस संस्था की स्थापना की गई। भारतीय संस्कृति और साहित्य को प्रसारित करना इसका मुख्य ध्येय है। लन्दन विश्वविद्यालय (हिन्दी विभाग) के प्रवक्ता डा. रुपर्ट स्नेल इसके अध्यक्ष हैं। इसकी बैठक हर माह होती है, डा. वम श्रीमती मन्नू-भंडारी इसमें मुख्य अतिथि के रूप निमंत्रित हो चुके हैं।

(ग) **हिन्दी सम्मेलन :** गत वर्ष जुलाई के अंतिम सप्ताह में ब्रिटेन के एक मात्र हिंन्दी साप्ताहिक की ओर से इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारतीय उच्चायोग ने हर प्रकार की सहायता की और हिन्दी के पत्र–पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, शिक्षण सामग्री आदि की प्रदर्शिनी आयोजित की। कवि सम्मेलन व सांस्कृतिक समारोह भी आयोजित किया गया। हिन्दी अधिकारी ने इस अवसर पर "विश्व में हिन्दी" विषय पर व्याख्यान भी दिया।

(घ) **लिवरपूल में उद्यान समारोह :** शिक्षा एवं संस्कृति स्कन्ध की ओर से हिन्दी अधिकारी की "भारत सप्ताह" क अवसर पर सांस्कृतिक समारोह आयोजित करने व हिन्दी में इस समारोह की विशेष रपट तैयार करने के लिए विशेष रूप से भेजा गया।

(ङ) **ब्रिटिश विश्वविद्यालयों में हिन्दी :** यहां तीन विश्व-विद्यालयों (लन्दन, कम्ब्रिज व यार्क) में हिन्दी की पढ़ाई स्नातक स्तर पर होती है, शोध सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। यार्क विश्वविद्यालय में भाषा के रूप में तथा अन्य दोनों विश्वविद्यालयों में साहित्य के स्तर पर पढ़ाई होती है। इंग्लैंड में इसके सम्यक् प्रसार के लिए तीनों विश्वविद्यालयों के प्रवक्ताओं से मिलकर एक (Steering Commited) संचालन समिति बनाई गई है जिसके अध्यक्ष डा. स्टुअर्ट मैक्ग्रेगर (कम्ब्रिज वि.) हैं। इस सम्बन्ध में उनका प्रस्ताव विदेश–मंत्रालय (हिन्दी विभाग) को भेजा जा चुका है।

(च) गत वर्ष अक्तूबर में, लन्दन के क्रायडनबरो में "एशिया सप्ताह" मनाया गया जिसमें स्कूल के बच्चों को हिन्दी की पुस्तकें पारितोषिक के रूप में प्रदान की गईं।

इसके अतिरिक्त अनेक अन्य संस्थानों को जो इस क्षेत्र में अग्रणी हैं, जैसे हिन्दू केन्द्र, विश्व हिन्दू केन्द्र आदि, समय–समय पर उपहार के रूप में हिन्दी की पुस्तकें दी गई।

(छ) **नाटिंघम काउंटी काउंसिल में हिन्दी का कार्य** नाटिंघम शायर काउंटी काउंसिल के शैक्षिणक–अधि-कारियों के साथ विचार–विमर्श करके इस बात पर बल दिया गया कि, चूंकि यहां हिन्दी के अध्यापन की मानक सामग्री का अभाव हैं, सबसे पहले उसी कमी को पूरा किया जाए तदनुसार एक परियोजना के अन्तर्गत 8 अध्यापकों की एक टीम तैयार की गई और श्री बी. एन. शर्मा की अध्यक्षता में इस टीम ने जून, 85 तक हिन्दी शिक्षण की 31 पुस्तक तयार की हैं।

(ज) **भारतीय राजदूतावास, मैड्रिड को हिन्दी कक्षाएं चलाने में सहायता :** मैड्रिड विश्वविद्यालय में हिन्दी अध्यापन का विशेष कोर्स चलाया गया। प्रो. डे (जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली) की अध्यक्षता में चलाए गए इस तिमाही कोर्स के लिए हिन्दी की पुस्तकों की मांग मैड्रिड स्थित भारतीय राजदूतावास द्वारा हिंन्दी–अनुभाग (लन्दन) को भेजी गई, पुस्तक तथा अन्य प्रकार का मार्ग निदेशन व सहायता यहां से भेजकर कोर्स सुचारू रूप से चलाया था। इस सम्बन्ध में विदेश मंत्रालय के विशेषाधिकारी (हिन्दी) का आदेश लिया गया। मैड्रिड विश्वविद्यालय में अब हिन्दी को स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा, इसके लिए अधिकारियों नें मार्ग निर्देशन मुझे हिन्दी अधिकारी को आने का आग्रह किया है। वहीं से एक स्पेनिश–हिन्दी का शब्दकोष भी लिखा जा रहा है जिसके प्रकाशन में हिन्दी अधिकारी का सहयोग लिया जा रहा है।

(झ) **साहित्यकारों के सम्मान में समारोह, गोष्टियां आदि:–** सुरक्षा कारणों से उच्चायोग में इन आयोजनों की व्यवस्था न हो सकने के कारण, विभिन्न संस्थाओं को प्रेरित करके डा. रामकुमार वर्मा (बी० बी. सी. द्वारा) श्रीमती मन्नु भंडारी (दक्षिण एशियाई साहित्यिक संस्था Sals द्वारा व हिन्दी सोसाइटी लन्दन), कथाकार रामलाल (उर्दू मरकज द्वारा), स्व. श्री फ़ैज–अहमद "फ़ैज" (फ़ैज अकादमी द्वारा), बकल–उत्साही (इंडियन वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा) व अन्य स्थानीय साहित्य-कारों का सहयोग लेकर सम्मान समारोह किए गए और हिन्दी अधिकारी ने पूरा सहयोग देते हुए उच्चायोग के प्रतिनिधि के रूप म सम्मिलित होकर उनका उत्साह बढ़ाया। इन म से कुछ समारोहों की व्यवस्था हिन्दी अनुभाग की ओर से की गई।

(ञ) **साहित्यकार के रूप में पहचान :** अनेक अवसरों पर आयोजित कवि–सम्मेलनों की हिन्दी अधिकारी ने अध्यक्षता की है और बी. बी. सी. दूरदर्शन द्वारा प्रसारित एक कवि– सम्मेलन में अपनी कविताएं पढ़ी हैं, फलस्वरूप यहां साहित्यिक गतिविधियां बढ़ी हैं।

(ट) **ब्रिटिश दूरदर्शन/अन्य संगठनों को अनुवाद सम्बन्धी सहायता :** रायल सोसाइटी आफ आर्टस्, ITN–ब्रिटिश दूरदर्शन तथा कतिपय शक्षणिक सामाजिक संस्थाओं को हिन्दी अंग्रेज़ी अनुवाद की सहायता दी गई।

(ठ) CILT--**भाषा ज्ञान संबंधी सूचना केन्द्र के माध्यम से हिन्दी का प्रसार :** –CILT द्वारा इस दिशा में अनेक भाषाओं के अध्ययन/अध्यापन संबंधी सूचना एकत्रित करके पुस्तकें रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। हिन्दी अधिकारी के सतत् प्रयत्नों से उच्चस्तरीय वार्ता पर "हिन्दी" को भी सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया। फलस्वरूप, हिन्दी अधिकारी की पूरी–पूरी सहायता से इस कार्य को आरंभ करके इस वर्ष सितंबर में हिन्दी से सम्बन्धित सारी जानकारी पुस्तक रूप में प्रकाशित हो जाएगी, जो यहां बसे भारतीयों व हिन्दी प्रेमियों के लिए एक बहुत बड़ी सहायता होगी।

(ड) **हिन्दी पुस्तकों की नई दूकान और पुस्तक मेला :**– लन्दन में "एशियन बुक्स" नाम से सभी भारतीय भाषाओं की पुस्तकों की एक नई दुकान खोली गई है जिसके प्रोप्राईटर स्टार पब्लिकशंस के श्री अमरनाथ हैं, हिन्दी की पुस्तकों की एक प्रदर्शिनी भी इसी की दुकान पर लगाई गई कुछ अन्य प्रदर्शिनयां भी ब्राडफोर्ड तथा लन्दन के अन्य स्थानों व इंग्लैंड के अन्य शहरों में आयोजित की गईं जिनमें उच्चायोग के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित होने मात्र से हिन्दी प्रेमियों में विशेष जागरूकता और उत्साह आया है।

मिशन के अन्दर हिन्दी प्रसार का कार्य : उपर्युक्त कार्यों के साथ–साथ मिशन में हिन्दी–प्रसार का जो–कुछ भी कार्य (बिना किसी सहायक आदि के) हो सका, इस प्रकार है। –

(क) **मिशन में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन :** मिशन में हिन्दी के प्रचार कार्य की सम्भावनाओं पर विचार करने, कार्यक्रम आदि आयोजित करने और राजभाषा सम्बन्धी राष्ट्रीय अनुदेशों/निदेशों का पालन करने के लिए इस समिति का गठन किया गया है। अनौपचारिक चर्चाओं के अतिरिक्त समिति की तीन बठकें हो चुकी हैं और निम्नलिखित कार्य समिति से परामर्श करके किए गए हैं :–

(i) हिन्दी की पत्र–पत्रिकाओं को कंसूलर अनुभाग, को उपलब्ध कराना

(ii) हिन्दी के साइन बोर्ड, रबर स्टैम्प व नाम–पट्टिकाओं की व्यवस्था–यह कार्य आरंभ हो चुका है।

(iii) **हिन्दी शिक्षण की व्यवस्था :** यहां के वातावरण और आवागमन की असुविधाओं के कारण मिशन के सदस्यों म हिन्दी सीखने का उत्साह वहुत कम है, दूसरी समस्या सुरक्षा–कारणों से थी किन्तु अब इस ओर प्रयत्न किए जाएंगे।

(iv) **भारत-समाचार :** टाइपिस्ट न होने के कारण हिन्दी में भारत समाचार नहीं निकल पा रहा है, प्रशासन से हिन्दी–टाइपिस्ट की व्यवस्था होते ही भारत–समाचार निकाला जा सकेगा। प्रयत्न किया जा रहा है।

(ख) **अनुवाद संबंधी सहायता :** सरकारी (टेलेक्सों लिप्यन्तरण) तथा कंसेलर स्कन्ध आदि विभिन्न विभागों, स्कंधों की ओर से प्राप्त होने वाल पत्रों/प्रमाणपत्रों डिग्रियों आदि के हिन्दी अंग्रेज़ी अनुवाद का कार्य किया जा रहा है।

(ग) **शिक्षा एवं संस्कृति स्कन्ध के विभिन्न कार्यों में सहायता :** स्कन्ध से जुड़े होने के कारण अधिकांश सांस्कृतिक समारोहों म उपस्थित होना, मुख्य स्कन्ध की सरकारी रिपोर्ट तैयार करना, लन्दन पुस्तक मेल में व्यवस्था–भार संभालना और (ICCR) आई सी सी आर की ओर से लन्दन आने वाले भारतीय अतिथियों को लाने छोड़ने की व्यवस्था, आवास व इंटरव्यू आदि की व्यवस्था म सहायता दना, प्रमुख अवसरों पर दिए गए भाषणों में सहायता दना आदि अन्य काय भी साथ–साथ किए गए हैं :

प्रस्तोता–सरोज श्रीवास्तव

अताशे (हिन्दी)
भारत का हाई कमीशन, लंदन

"भारत की मुख्य साहित्यिक और जन-सम्पर्क की भाषा 'हिन्दी' विश्व की प्रमुख भाषाओं में है। हिन्दी को वास्तविक गौरवपूर्ण स्थान दिलाने के लिए भारतीय जनमानस को भी व्यापक रूप से जागरुक होना पडेगा।"

—प्रो. ये. पी चेलिशेव

पुरानी यादें नए परिप्रेक्ष्य में

प्रेमचन्द और राष्ट्रीय भाषा का प्रश्न

—कुंवर पाल सिंह

हिन्दी जानने वालों में शायद ही कोई ऐसा हो जो प्रेमचन्द के नाम से परिचित न हो। महान उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में प्रेमचन्द हिन्दी के साहित्य में अमर है पर देश की समकालीन समस्याओं के एक गंभीर चिंतक के रूप में कम ही लोग उनके कृतित्व से परिचित हैं। हिन्दी सुविख्यात लेखक कुंवर पाल सिंह की आकाशवाणी की एक वार्ता "प्रेमचंद और राष्ट्रीय भाषा का प्रश्न" हम यहां साभार उद्धत कर रहें हैं। राष्ट्रीय भाषा के प्रश्न पर प्रेमचंद जी के विचारों का कुंवर पाल सिंह ने सटीक विवेचन किया है। प्रेमचंद जी के विचार आज भी कितने ज्वलन्त है यह प्रस्तुत लेख में स्पष्ट हो जाएगा।

प्रेमचंद भारत की भाषा समस्या को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। अपने लेखों और संपादकीय स्तंभों के माध्यम से वे निरंतर देश के बुद्धिजीवियों और साधारण जन का ध्यान इस गंभीर समस्या की ओर आकर्षित करते रहे। उन्होंने बहुत पहले (1919 में) देशवासियों को चेतावनी देते हुए कहा था कि यदि समय रहते भारत की भाषा समस्या का सही समाधान नहीं किया गया तो स्वराज्य का कोई अर्थ नहीं होगा। राष्ट्रीय मुक्ति में कौमी भाषा की भूमिका को भी प्रेमचंद कम महत्वपूर्ण नहीं मानते थे। भाषा का संबंध संस्कृति से है, धर्म से नहीं। उन्होंने भाषा को धर्म से जोड़ने वाले राजनीतिज्ञों का विरोध किया। वह हिन्दी-उर्दू एकता के कट्टर पक्षधर थे। बहुत दिनों तक उन्होंने हिंदुस्तानी आंदोलन का भी सक्रिय समर्थन किया। भाषा के सवाल पर वह गांधी जी के समर्थक थे।

देश की एक राष्ट्रीय भाषा के प्रश्न के साथ ही साथ रचनात्मक लेखन की भाषा का प्रश्न भी प्रेमचंद के लिए उतना ही महत्वपूर्ण था जितना आज सही सोच के लेखकों के लिए होना चाहिए। पिछले दिनों दक्षिण के कुछ अहिंदी भाषी प्रदेशों की कट्टर हिंदी-विरोधी राजनीति या हिंदी प्रदेशों में समय-समय पर तेज होते उर्दू विरोधी आंदोलन या अभी हाल में असम में गैर असमी विरोध जैसे अनेक आंदोलनों की पृष्ठभूमि में यह प्रश्न आज और भी विचारणीय हो जाता है। भाषा भावात्मक एकता का सशक्त माध्यम होती है। इसलिए भाषा के प्रश्न को उसके ऐतिहासिक संदर्भ में देखने और परखने की आवश्यकता है। प्रेमचंद हमारे लिए किसी भी लेखक से अधिक आज भी सहायक सिद्ध हो सकते हैं।

आधुनिक हिंदी की खड़ी बोली का रूप उस राष्ट्रीय चेतना के फलस्वरूप विकसित हुआ जिसका फैलाव 19 वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से हुआ। मुगल काल में फारसी राजशाही से जुड़े अभिजात्य वर्ग की भाषा थी, उसे स्थानीय भाषाओं के साथ मिलाना पड़ा था ताकि राजतंत्र से जुड़े लोगों के बीच संपर्क हो सके। यह मिली-जुली भाषा (हिंदी-उर्दू) संपर्क भाषा के रूप में विकसित हुई और फैली। शाहजहां के समय से इस अशुद्ध भाषा के शुद्धिकरण के प्रयास किये गए जो औरंगजेब के बाद के पतनशील मुगल साम्राज्य के कमजोर बादशाहों के समय में ज्यादा तेज हो गए। फलस्वरूप एक ओर जहां यह मिली-जुली भाषा (हिंदी-उर्दू जिसमें संस्कृत शब्दों का समावेश आवश्यकतानुसार हो रहा था) विकसित हो रही थी, वहीं दूसरी ओर एक अन्य वर्ग में यह फारसी और अरबी के शब्दों से बोझिल हो रही थी और इस रूप में मुस्लिम-बहुत एक विशिष्ट आभिजात्य वर्ग की भाषा बन रही थी। इन दोनों समानांतर धाराओं का मूल आधार वही फारसी था, वही एक व्याकरण तंत्र था। पहली धारा (भाखा) ही आज की विकसित इस खड़ी बोली का उद्गम स्थल बनी, जबकि दूसरी धारा उर्दू के रूप में प्रचलित हुई।

अंग्रेजी शासन के दौरान फारसी को भी उसी प्रकार प्रश्रय प्राप्त हुआ जैसा मुगल काल में था। अंग्रेजों द्वारा भारत के औद्योगीकरण के फलस्वरूप एक अंग्रेजी पढ़ा-लिखा वर्ग उभर कर आया जो पाश्चात्य विचारों की आधुनिकता से लैस था। 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन के फलस्वरूप 19वीं सदी के उत्तरार्ध से ही अनेक सामाजिक आंदोलन शुरू हुए—ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज जैसे इन सभी आंदोलनों के प्रवर्तक राजा राममोहन राय, महादेव रानाडे स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद आदि आधुनिक मूल्यों के हिमायती और समाज सुधारक थे। स्पष्ट या अस्पष्ट रूप में, कमोबेश यह सभी आंदोलन धार्मिक मूल्यों पर ही आधारित थे। इसीलिए एक समय बाद यही आंदोलन जड़ और प्रक्रियावादी हो गए। उदीयमान पूंजीवाद के उदारवादी दर्शन के फलस्वरूप इन सामाजिक, धर्म सुधार आंदोलनों ने धर्म क्षेत्र में उदारवादी दृष्टिकोण का समावेश कराया और जनता के प्रथम राष्ट्रीय जागरण के परिणामस्वरूप ये आंदोलन उभर कर आए।

मध्यवर्गीय पढ़े-लिखे लोगों के बीच अपेक्षाकृत अधिक लोकप्रिय आर्य-समाज का आधुनिक दर्शन प्राचीन वेदों पर आधारित था उस समय की हिंदी की प्रचलित पहली धारा (हिंदी-उर्दू) को संस्कृत निष्ठ बनाने का काफी हद तक श्रेय आर्य समाज को भी जाता है।

राष्ट्रीय चेतना के उदय के साथ ही अतीत के गौरव और धार्मिक पुनरूत्थानवादी चेतना का भी प्रभाव बढ़ा। कांग्रेस इस समय भारतीय जनमानस की मुक्ति आकांक्षा की प्रतिनिधि के रूप में जाने-अनजाने काम कर रही थी। कांग्रेस के लड़ाकू राष्ट्रवादियों के प्रयासों से सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त महान, राणाप्रताप, शिवाजी आदि राष्ट्रीय नायकों के रूप में प्रतिष्ठित किए जाने लगे। तिलक के नेतृत्व में गणपति पूजोत्सव (1893) और शिवाजी उत्सव (1895) आरंभ किए गए। हिंदी धर्म और हिंदी इतिहास की परंपराओं की स्वराज आंदोलन का आधार बनाने के लिए नए राष्ट्रवाद के प्रणेताओं की बाद में कड़ी आलोचना हुई। परंतु नरम दलियों के समझौतावादी रुख और उसके बावजूद अंग्रेजों की व्यापक दमन नीति के कारण तिलक के नेतृत्व में लड़ाकू स्वराजवादी अधिक लोक प्रिय हो गए।

मुगल साम्राज्य के पतन के कारण के रूप में स्वयं सत्ता हथियाने वाले अंग्रेजों को मुस्लिम समुदाय ने कभी माफ नहीं किया। अंग्रेजी के शिक्षा प्रचार व प्रसार के प्रभाव से इसलिए वह बहुत समय तक अछूते रहे और राष्ट्रीय धारा में बहुत देर से आए। कांग्रेस पर गरम दलीय नेताओं के कब्जे और उनकी हिंदी धर्म की पुनरूत्थानवा दी प्रवृत्तियों के कारण ज्यादातर मुसलमान (जो आबादी का एक तिहाई थे) राष्ट्रीय आंदोलन से विमुख हो गए।

विकसित होते हिंदी गद्य के कथ्य और भाषा इस पर पृष्ठभूमि का प्रभाव स्पष्ट दीखता है। उस समय तक न केवल पढ़ा-लिखा मुस्लिम समुदाय लेकिन आभिजात्य हिंदी वर्ग का भी एक बड़ा हिस्सा फारसी बहुल हिंदी को फ़ैशन की चीज समझता था। इसके बावजूद राष्ट्रीय चेतना के प्रभाव में एक दूसरा वर्ग इस हिंदी को संस्कृत की रेती से शुद्ध कर रहा था। गद्य साहित्य के विषय भी हिंदी धर्म और संस्कृति की श्रेष्ठता को स्थापित कर रहे थे और साथ ही मुसलमानों को आक्रामक, और घृणित रूपों में प्रस्तुत कर रहे थे. किशोरी लाल गोस्वामी कृत 'हृदय हारिणी वा आदर्श रमणी', 'लवंगलता वा आदर्श बाला', दुर्गादास खत्री का 'अनंगपाल', महता लज्जा राम शर्मा का 'आदर्श हिंदू', 'हिन्दू गृहस्थ', मिश्रबंधु का 'वीरमणि' ऐसी ही कृतियां हैं। इसके साथ ही एक ओर हिंदी (या हिंदवी) में निरंतर संस्कृत का प्रयोग बढ़ रहा था तो दूसरी ओर अंग्रेजों की अलगाववादी राजनीति तथा मुस्लिम लीग के प्रभाव के फलस्वरूप मुसलमानों में उर्दू के प्रति आग्रह बढ़ रहा था और वे फिर एक बार उसे फारसी और अरबी से बोझिल कर रहे थे। भाषा का यह संघर्ष इस युग में चल रहे दो प्रमुख भारतीय संप्रदायों का संघर्ष था जो वास्तव में उस समय ब्रिटिश सामाज्यवाद की देन था। आज भी इस पतनशील पूंजीवादी व्यवस्था में यह हिंदू-मुस्लिम साम्प्रदायिक संघर्ष अन्य अनेक रूपों के साथ-साथ हिंदी-उर्दू के विवाद के जरिए फिर सर उठा रहा है।

प्रेमचंद ने इस उभरते हुए-राष्ट्रीय संघर्ष को पहचाना था। स्वयं प्रेमचंद उर्दू से हिंदी में आए थे। उन्होंने महसूस किया कि धीरे-धीरे भारत में जो भाषा आम लोगों में आगे बढ़ेगी और रहेगी, उसकी लिपि हिंदी की देव नागरी ही हो सकती है, न कि फारसी सम्मत हिंदी। अधिकाधिक लोगों तक पहुंचने का आग्रह उन्हें उर्दू से हिंदी में लाया। राष्ट्रीय आंदोलन में उभर रही सांम्प्रदायिक धारायें उन्होंने पहचाना और भविष्य के उस संकट को स्वयं महसूस किया, इसीलिए भारतीय जनता के लिए एक संपर्क भाषा, एक राष्ट्रीय भाषा की आवश्यकता को उन्होंने पहचाना था।

अपनी इस इच्छा को उन्होंने जब भी मौका मिला, प्रचारित किया। इस मामले में उन्होंने कबीर जैसा रुख अपनाया और कट्टर, संस्कृतनिष्ठ हिंदी और कट्टर, फारसी युक्त उर्दू दोनों का ही विरोध किया और कहा, जब भारत शुद्ध हिंदू होता तो उसकी भाषा शुद्ध हिंदी होती। इसी जगह उन्होंने यह भी कहा कि मैं अपने अनुभव से इतना अवश्य कह सकता हूं कि उर्दू को राष्ट्रभाषा के स्टैंटर्ड पर लाने में हमारे मुसलमान भाई हिन्दुओं से कम इच्छुक नहीं हैं। उर्दू को भी वह सरल और ग्राह्य बनाने के पक्ष में थे और उन्होंने उर्दू वालो से कहा कि क्या आप समझते हैं कि ऐसी जटिल उर्दू भाषा मुस्लिम जनता में भी लोकप्रिय हो सकती है?

यह वह समय था जब अधिकांश मध्य वर्गीय और सामंती मुस्लिम समाज मुस्लिम लीग के साथ जुड़ चुका था और मुस्लिम राजनीति व्यापक राष्ट्रीय धारा से कट कर एक अलग धारा के रूप में चल रही थी। मुस्लिम लीग (1906) के बाद कट्टरपंथी हिंदू महासभा (1924) भी बन चुकी थी और दोनों तरफ से अपनी-अपनी अलग भाषा और संस्कृति की पहचान और स्थापना का जोर चल रहा था। प्रेमचंद महसूस कर रहे थे कि राष्ट्रीय नेता राष्ट्रभाषा के प्रश्न पर उदासीन हैं और वे इसे छोटा और महत्वहीन मसला समझते हैं। वास्तव में भाषा का प्रश्न जहां एक ओर व्यापक रूप से जन जीवन के साथ अपने को जोड़ने का साधन है वहीं एक राष्ट्रभाषा का सवाल अलगाववादी राजनीति का भी विरोध करता है। इस एक राष्ट्रभाषा का स्वरूप क्या हो, यह बहस का विषय हो सकता है परंतु एक भाषा के विचार का विरोध कहीं पर भी प्रगतिशील या जनवादी नहीं कहा जा सकता। भाषाशास्त्र में मार्क्सवाद' नामक अपने लेख में स्टालिन ने भी इस बात 'पर जोर दिया है कि एक राष्ट्र की एक भाषा के सवाल पर किसी समाजवादी देश में दो राय हो ही नहीं सकती। यह बात भी सही नहीं है कि हर समाज की अपनी एक अलग भाषा होती है और सामाजिक परिवर्तन के साथ भाषा भी बदल जाती है। भाषा किसी समाज की अधिरचना के रूप में नहीं है बल्कि वह तो उस एक यंत्र के समान है जो हर सामाजिक व्यवस्था में लोगों की सेवा करती है। दूसरी क्षेत्रीय और उप भाषाएं उस एक राष्ट्रीय भाषा की सहायक होती हैं, कारण वे व्यापक रूप से जन संपर्क का साधन नहीं बन सकतीं।

प्रेमचंद की राष्ट्रभाषा के प्रति बुद्धिजीवियों की उदासीनता का कारण अंग्रेजी भाषा का बढ़ता हुआ प्रचार और आत्मसम्मान की कमी मानते हैं। बंबई के राष्ट्रभाषा सम्मेलन (27 नवंबर 1934) में स्वागताध्यक्ष की हैसियत से दिये गए भाषण में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि "राष्टभाषा केवल रईसों की भाषा नहीं हो सकती। उसे किसानों और मजदूरों की भी बनाना पड़ेगा। जैसे अमीरों और रईसों से राष्ट्र नहीं बनता, उसी तरह उनकी गोद में पली हुई भाषा राष्ट्र की भाषा नहीं बन सकती।"

राष्ट्रीय भाषा का स्वरूप क्या हो, इस पर भी प्रेमचंद बहुत स्पष्ट थे। उनका समन्वित विचार बहुत उपयोगी और व्यावहारिक था। शुद्ध हिंदी, शुद्ध उर्दू जैसी दो संप्रदायवादी मांगों के बीच उन्होंने कहा कि न हिंदी, न उर्दू बल्कि राष्ट्र भाषा सिर्फ हिंदुस्तानी हो सकती है। यह भी सच है कि भाषा का शब्द भंडार परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होने के नाते लगभग सतत् परिवर्तन की स्थिति में रहता है। भाषा की संरचना, उसका मूल शब्द भंडार कई समय खंडों या युगों की उपज होते हैं। अतः हिंदी का आज का रूप जो न केवल उर्दू मिश्रित है, पर समयगत परिस्थितियों के अनुसार, जिसने अंग्रेजी भाषा के अनगिनत शब्दों को भी अपने में मिला लिया है, वह आम हिंदुस्तानी ही हिंदुस्तान की कौमी भाषा का स्थान ले सकती है। प्रेमचंद ने इस हिंदुस्तानी कौमी भाषा की जरूरत को एक मिशन के तौर पर लिया और उसका प्रचार किया। उन्होंने इस पर भी क्षोभ प्रकट किया कि हिंदी वाले इस पर तुले हैं कि हम हिंदी से भिन्न भाषाओं के शब्दों को हिंदी में किसी तरह घुलने ही न देंगे। उन्हें (हिंदी वालों को) मनुष्य से प्रेम है पर आदमी से घृणा, त्यागपत्र ठीक है पर इस्तीफा गलत, इसी तरह उर्दू वाले खुदा को मानते हैं पर ईश्वर को नहीं, कसूर ठीक है पर अपराध

गलत। खिदमत सही है पर सेवा गलत। इस तरह हमने हिंदी और उर्दू के दो अलग-अलग कैंप बना लिए हैं।

आर्य समाज के अंतर्गत आर्य भाषा सम्मेलन के वार्षिक अवसर पर लाहौर में भी उन्होंने कट्टर हिंदीवादी दृष्टिकोण का विरोध किया और अमीर खुसरो की कुछ कविताएं उद्धृत की जो उर्दू के साथ हिंदी के खूबसूरत मिलन का नमूना थीं। इसी तरह उनकी सलाह थी कि उर्दू के अनेक शब्द जिनके लिए हिंदी में शब्द नहीं हैं, लिए जा सकते हैं। मसलन 'सेक्स' के लिए हिंदी में कोई शब्द नहीं है जब कि उर्दू स्त्री-पुरुष संबंधों के लिए जिंस का प्रयोग होता है और जिससे जिंसी और जिंसियत शब्द बने हैं। सबसे सुविधाजनक बात तो यही है कि हिंदी उर्दू का व्याकरण तंत्र एक जैसा है। इसी तरह उपस्थित के लिए मौजूद, संकल्प के लिए इरादा या कृत्रिम के लिए बनावटी अधिक उपयुक्त हैं।

उनकी यह सही मान्यता थी कि भाषा और साहित्य का भेद भारतीय जनता को भिन्न-भिन्न प्रांतीय जत्थों में बांटे हुए हैं। भाषा के आधार पर प्रांतीयता के जज्बात पैदा होते हैं और सूबा सूबे वालों के लिए, जिला/जिले के लिए और फिर हिंदू हिंदू के लिए, मुस्लिम-मुस्लिम के लिए, ब्राह्मण-ब्राह्मण के लिए, कायस्थ-कायस्थ के लिए जैसी सदाएं उठने लगती हैं। इतनी दीवारों और कोठरियों के अंदर कौमियत कैसे सांस ले सकेगी।

प्रेमचंद एक भविष्य दृष्टा के रूप में विकसित हो रहे पूंजीवादी समाज के खतरों को समझ रहे थे। आज विभिन्न क्षेत्रों से घोर प्रांतीयता की लपटें उठ रही हैं। हिंदी उर्दू विवाद सांप्रदायिक दंगों की शक्लें ले रहे हैं। इस दृष्टि से आज से लगभग पचास साल पहले प्रेमचंद के; आम हिंदुस्तानी भाषा को एक राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के अथक प्रयास सराहनीय हैं तथा ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भी हैं। उन्होंने 'हंस' पत्रिका का प्रकाशन इसी मकसद से शुरू किया था जिसमें हर भाषा के नए और पुराने साहित्य की अच्छी से अच्छी चीज देने की और हिंदुस्तानी को एक संपर्क भाषा के रूप में स्थापित करने की उन्होंने कोशिश की। क्षेत्रीय भाषा के साहित्य को क्षेत्रीयता के दायरे से निकाल कर व्यापक बनाना भी उनका उद्देश्य था। इस संदर्भ में बंगला साहित्य अब केवल प्रांतीय नहीं रह गया है, बड़े-बड़े लेखक किसी एक ही प्रांत या देश के नहीं होते। जब हम लोग एक राष्ट्र के रूप में हैं तब हमें बंकिम का भी उतना ही अभिमान होना चाहिए, जितना इकबाल या जोश का।

["आकाशवाणी" से साभार]

"देश की एकता के लिए एक भाषा का होना जितना आवश्यक है उसस अधिक आवश्यक है दश के लोगों में दश के प्रति विशुद्ध प्रेम तथा अपनापन होना। अगर आज हिन्दी राष्ट्रभाषा मान ली गई है तो इसलिए नहीं कि वह किसी प्रान्त विशेष की भाषा है बल्कि इसलिए कि वह अपनी सरलता, व्यपकता तथा क्षमता के कारण सारे देश की भाषा हो सकती है।"

--सुभाष चन्द्र बोस

केन्द्रीय हिन्दी समिति की 19वीं बैठक

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के लिये भाषा संबंधी नीति निर्धारित करने के लिये प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में 5 सितम्बर 1967 को जारी किये गए संकल्प के अंतर्गत केन्द्रीय हिन्दी समिति का गठन किया गया। केन्द्रीय हिन्दी समिति की कार्य अवधि तीन वर्ष की होती है। पिछली केन्द्रीय हिन्दी समिति का कार्यकाल समाप्त हो जाने के उपरांत भारत सरकार ने प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में केन्द्रीय हिन्दी समिति का पुनर्गठन किया गया है। आज के परिवेश में प्रधान मंत्री जी ने अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाल कर 18 सितम्बर, 1985 को पार्लियामेंट एनेक्सी में आयोजित केन्द्रीय हिन्दी समिति की बैठक की अध्यक्षता करना स्वीकार किया। केन्द्रीय हिन्दी समिति के पुनर्गठन के बाद इतने शीघ्र बैठक का आयोजन हिन्दी को राजभाषा के रूप में प्रतिस्थापित करने की दिशा में बड़ा आशाजनक है। 18 सितम्बर 1985 को ठीक 4.00 बजे प्रधान मंत्री जी पार्लियामेंट एनेक्सी में केन्द्रीय हिन्दी समिति की 19वीं बैठक की अध्यक्षता करने के लिए पधारे। गृह मंत्री श्री शंकरराव चव्हाण ने उनका स्वागत करते हुए कहा :—

"आदरणीय प्रधान मंत्री जी और केन्द्रीय हिन्दी समिति के सदस्यगण, प्रधान मंत्री जी अपने व्यस्ततम समय में से कुछ समय निकाल कर बैठक में पधारे हैं इसके लिये उनका मैं अत्यन्त आभारी हूं और उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। राजभाषा नीति को लागू करने और सुझाव देने के लिये केन्द्रीय हिन्दी समिति सर्वोच्च समिति है। नवगठित समिति की इस पहली बैठक में मैं सभी सदस्यों का स्वागत करता हूं। हमारे संविधान ने हिन्दी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया है और हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि उस पर अमल करें। संसद द्वारा पारित की गई सरकार की भाषा नीति संबंधी संकल्प के अनुसार केन्द्रीय सरकार पर यह जिम्मेदारी डाली गई है कि राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रयोग के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार करे और उसको लागू किया जाए। इसको ध्यान में रखते हुए राजभाषा विभाग प्रति वर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम बनाता है और निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मंत्रालयों/विभागों उनके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों तथा सरकारी उपक्रमों, निगमों, को प्रचारित करता है। राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिये इन बातों के साथ-साथ राजभाषा विभाग की ओर से कुछ प्रोत्साहन योजनायें भी तैयार की गई हैं। राजभाषा विभाग की हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत 5 लाख से अधिक केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी का और 58,123 कर्मचारियों को हिन्दी टाइपिंग और स्टेनोग्राफी का प्रशिक्षण दिया जा चुका है तथा विभिन्न सरकारी मैनुअलों, कोडों के 4,36,680 मानक पृष्ठों का अनुवाद किया जा चुका है। राजभाषा विभाग के अधिकारी विभिन्न सरकारी उपक्रमों/निगमों आदि में हिंदी में किये जा रहे कार्य की प्रगति का निरीक्षण भी करते हैं तथा आने वाली कठिनाइयों को दूर करने में सहायता देते हैं। विभिन्न प्रकाशनों के जरिए राजभाषा नियम, अधिनियम आदि की जानकारी देने की कोशिश भी की जा रही है। विभिन्न मंत्रालयों में बनाई गई हिन्दी-सलाहकार समितियां भी हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उपाय खोजने में सहायता करती हैं। बड़े-बड़े नगरों में बनाई गई नगर राजभाषा इम्प्लीमेंटेशन कमेटियां भी काफी उपयोगी सिद्ध हुई हैं। सरकार के कर्मचारियों की झिझक मिटाने के लिये हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। द्विभाषी इलैक्ट्रानिकी उपकरणों को कार्यालयों में उपयोग करने का निर्णय किया गया है। इतना ही नहीं, इसी कारण प्रधानमंत्री जी ने 1985-86 के वार्षिक कार्यक्रम को पूरा करने पर बल दिया है। अब मैं प्रधान मंत्री जी से, जो इस समिति के अध्यक्ष हैं बैठक की कार्रवाई शुरु करने का अनुरोध करता हूं।"

गृह मंत्री जी के स्वागत भाषण के बाद प्रधान मंत्री जी ने केन्द्रीय हिन्दी समिति के सदस्यों को सम्बोधित करते हुए कहा :—

"इस मीटिंग में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। हिन्दी को हमने राष्ट्रभाषा माना है और कार्यवाही चल रही है, हिन्दी को आगे बढ़ाने में तथा काम को हिन्दी में करने में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तरफ अगर देश में एक भाषा होगी तो देश की एकता बढ़ेगी, देश ज्यादा मजबूत होगा। लेकिन अगर बहुत तेजी से हम बढ़ने की कोशिश करेंगे तो बीच में कमजोरियां भी महसूस हो सकती हैं। इसका ध्यान रख कर ही हमें अपनी गति बढ़ानी चाहिए। दूसरे, हमें देखना है कि हिन्दी हर तरह से नयी टैक्नोलोजी के शब्दों को अपनाए और बनाए। यह करते हुए एक चीज से थोड़ा बच कर रहना है वह यह है कि हम अगर अपने ही शब्द बना लें तो कोई अगर हिन्दी सीखेगा और खासकर विज्ञान में, टैक्नोलोजी में तो वो किसी दूसरे से शायद बात नहीं कर पाएगा। मुश्किल होगी उसे बात करने में। विज्ञान की किताबें भी कम मिलेंगी। टैक्नोलोजी में तो यह ध्यान रख कर हमें कोशिश करनी चाहिये। टैक्नोलोजी में, विज्ञान में खासकर ऐसे शब्द लाएं जो सब लोग समझ सकें। दूसरी भाषाओं में चाहे जापानी हो चाहे दूसरी हों, हम देखते हैं कि जब वो नये टैक्नोलाजी के शब्द लाते हैं तो एक से ही शब्द सब भाषाओं में आ जाते हैं। दूसरी बात यह है कि इतने कठिन शब्द नहीं आने चाहिएं कि लोग समझ न पाएं। लेकिन कई दक्षिण की भाषाएं ऐसी हैं जो संस्कृत के शब्द ज्यादा समझती हैं और जिनको साधारण हिन्दुस्तानी के शब्द न समझ में आएं। तो दोनों बातों को सोच कर हमें अपना रास्ता बनाना है।"

प्रधान मंत्री जी के संबोधन के बाद बैठक की कार्रवाई प्रारम्भ हुई। समिति के माननीय सदस्य श्री वे. राधाकृष्ण मूर्ति ने प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में सम्पन्न हो रही पहली बैठक के लिये अपनी शुभकामनायें अर्पित करते हुए महात्मा गांधी, पं. जवाहर लाल नेहरू और श्रीमती इन्दिरा गांधी जैसे महान नेताओं के द्वारा राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रचार और प्रसार में दिये गए योगदान की ओर ध्यान आकर्षित किया।

समिति के माननीय सदस्यों ने अनेक सुझाव दिये जिनमें प्रमुख थे :—

माननीय सदस्य श्री वी. आर. चन्द्रशेखरन जी ने इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया कि मंत्रालयों व विभागों में राजभाषा का प्रयोग पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। माननीय गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि "क", "ख" और "ग" सभी क्षेत्रों के लिये लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं और अन्य कार्रवाई हो रही है और अगर किसी डिपार्टमेंट में कम काम हो रहा हो तो उसे ध्यान दिलाया जाता है।

माननीय सदस्य श्री रामचन्द्र विकल जी ने यह मांग की कि जिन मंत्रालयों, विभागों में 80 प्रतिशत से अधिक लोगों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है उन्हें हिन्दी में काम करने के लिए कहा जाए। उन्होंने यह भी कहा कि हिन्दी के प्रश्न को राजनीति से अलग रखा जाए।

माननीय सदस्य श्री गोपीनाथ तिवारी जी का मत था कि गणतंत्र के 35 वर्ष बाद भी हिन्दी कार्यान्वयन की गति अत्यन्त धीमी है। उन्होंने सुझाव दिया कि इसकी गति को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय किए जाएं और कोई तिथि निर्धारित की जाए।

माननीय गृह मंत्री जी ने उपर्युक्त सभी सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर में कहा कि इस संबंध में सभी मंत्रालयों, विभागों आदि से हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए पुनः लिखा जाएगा।

माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह ने अपने विचार समिति के समक्ष प्रस्तुत करते हुए कहा कि संचार मंत्रालय द्वारा दिये गए आश्वासन के बावजूद 18 महीने के बाद भी द्विभाषीय इलैक्ट्रानिक टेलीप्रिंटर उपलब्ध नहीं हो सका है।

इस संबंध में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने सदस्यों को सूचित किया कि द्विभाषी कम्प्यूटर तथा इलैक्ट्रानिक टाइपराईटर बनने लगे हैं एवं बाजार में उपलब्ध हैं। मांग के अनुसार उनका उत्पादन बढ़ सकता है। द्विभाषी इलैक्ट्रानिक टेलीप्रिंटर के संबंध में स्पष्टीकरण देते हुए संचार मंत्री ने सदस्यों को सूचित किया कि इस कार्य के लिए हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लि. ने एक विदेशी कंपनी के साथ करार किया है जिसकी अनुमति मई 1985 में प्राप्त हुई। उन्होंने आश्वासन दिया कि 6 महीने में इसका प्रयोगशाला मॉडल तैयार हो जाएगा और 9 से 12 महीने तक यह बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाएगा। सदस्यों की शंका का निवारण करते हुए संचार मंत्री महोदय ने यह भी सूचित किया कि भविष्य में सभी मंत्रालय, विभाग सरकारी नीति के अनुसार केवल द्विभाषी यांत्रिक उपकरण ही खरीदेंगे।

पारिभाषिक शब्दावली के संबंध में शिक्षा मंत्री ने सदस्यों को यह जानकारी दी कि विज्ञान तथा तकनीकी शब्दावली आयोग ने अब तक ज्ञान-विज्ञान के विभिन्न शाखाओं से संबंधित लगभग चार लाख से अधिक शब्दों का निर्माण कर लिया है और वे इस दिशा में बहुत जागरूक हैं तथा संबंधित विषयों के विशेषज्ञों के सहयोग से शब्दावली का निर्माण किया जाता है।

माननीय सदस्य डा. सरोजिनी महीषी का यह मत था कि सरकार द्वारा निर्मित शब्दावली इतनी कठिन होती है कि इसे पढ़ा-लिखा व्यक्ति भी आसानी से नहीं समझ पाता। उन्होंने यह भी कहा कि भाषा और शब्द आदेश दे कर नहीं बनाए जा सकते। ज्यों-ज्यों राष्ट्रीय जीवन का विकास होता है त्यों-त्यों उनका भी विकास होता है। उन्होंने सुझाव दिया की विभिन्न भाषाओं के शब्द लेकर मिली-जुली भाषा में शब्दावली बनाई जाए तथा शब्दों का आदान-प्रदान रखा जाए। इस संबंध में माननीय विधि राज्य मंत्री जी ने सदस्यों को अवगत कराया कि पारिभाषिक शब्दों का निर्माण यथासंभव जाने पहिचाने शब्दों के आधार पर किया जा रहा है। यथावश्यक उर्दू, फारसी एवं क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द भी स्वीकार किये गए हैं।

उपर्युक्त प्रसंग में माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह ने अपना मत व्यक्त करते हुए कहा कि हिन्दी के बारे में लोग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। वे लोग यह मान कर चलते हैं कि हिन्दी कठिन है। जो शब्द अपरिचित हैं वे कठिन प्रतीत होते ही हैं। जानकारी के बाद वे शब्द आसान लगते हैं। अंग्रेजी भी हिन्दी की तुलना में काफी कठिन है परन्तु अभ्यास के कारण लोगों को यह सरल लगने लगती है।

माननीय सदस्य डा. सरगु कृष्णमूर्ति ने समिति को बताया कि वे आयोग की शब्दावली निर्माण से संबंधित रहें हैं। उन्होंने कहा कि आयोग बहुत परिश्रम से शब्दों का निर्माण करता है और इसके लिए उसने अनेक प्रांतीय भाषाओं के शब्दों को भी स्वीकार किया है।

सदस्यों की शंकाओं का निवारण करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि शब्दावली आयोग ने काफी परिश्रम से अपने उत्तरदायित्व को निभाया है। उसने वर्ष 1984-85 में लगभग 1750 पुस्तकों का निर्माण किया है जो कि अपने में एक कठिन कार्य है। शब्दों के निर्माण में संस्कृत मूल का सहारा लेने का मुख्य कारण यही है कि उपसर्ग प्रत्यय जोड़ कर इनकी व्युत्पत्तियां आसानी से बनाई जा सकती हैं। बोलचाल की भाषा के शब्दों के साथ ऐसा करना संभव नहीं है इससे अटपटापन आ जाता है। उन्होने कहा, यद्यपि यह विषय विशेषणों से संबंधित है। फिर भी वे सदस्यों के सुझावों को आयोग तक पहुंचा देंगे।

डा. सरगु कृष्णमुर्ति ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि :—

विविध मंत्रालयों एवं अधीनस्थ विभागों में हिन्दी कार्यान्वयन को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए केंद्रीय हिन्दी समिति की ओर से एक विशेष सर्वोच्च राजभाषा पुरस्कार का प्रवर्तन किया जाए जिसका नामकरण हमारे राष्ट्र की भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नाम पर हो।

समिति ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि इस प्रयोजन के लिए "क", "ख" और "ग" क्षेत्रों के लिए प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार अलग-अलग दिए जाएं।

अध्यक्ष की अनुमति से माननीय सदस्य उड़ीसा के मुख्य मंत्री श्री पटनायक ने कतिपय सुझाव दिये :

(क) प्रत्येक विश्वविद्यालय में हिन्दी माध्यम से शिक्षा दी जाए।

(ख) विभिन्न सम्मेलनों में हिन्दी का ही प्रयोग किया जाए।

(ग) भारत के बाहर विदेशों में हमारे अधिकारी बातचीत में हिन्दी का प्रयोग करें।

(घ) हिन्दी मीडियम के पब्लिक स्कूल खोले जाएं।

(च) स्कूल में संस्कृत को बढ़ावा दिया जाए क्योंकि यह हमारी संस्कृति का आधार है।

(छ) एक केन्द्रीय हिन्दी अकादमी स्थापित की जाए।

उपर्युक्त सुझावों के बारे में गृह मंत्री जी ने उनसे अनुरोध किया कि इन्हें लिखित रूप में संबंधित मंत्रालयों को विचारार्थ भेजा जाए।

धन्यवाद ज्ञापन करते हुए गृह राज्य मंत्री श्रीमती रामदुलारी सिन्हा ने माननीय प्रधान मंत्री जी तथा सभी सदस्यों के प्रति आभार प्रकट किया। इसके पश्चात समिति की कार्यवाई समाप्त हुई।

अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन

हिन्दी के लिए सितम्बर का महीना बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब जानते ही हैं कि 14 सितम्बर 1949 को हमारे संविधान निर्माताओं ने हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इस वर्ष यह सितम्बर का महीना और भी महत्वपूर्ण बन गया है। 18 सितम्बर, 1985 को प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में केन्द्रीय हिन्दी समिति की बैठक सम्पन्न हुई और उसके दूसरे दिन ही 19 सितम्बर, 1985 को दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में विभिन्न मंत्रालयों की सलाहकार समितियों के अध्यक्ष, विभागों के सचिव, संयुक्त सचिव, सरकारी उपक्रमों एवं राष्ट्रीकृत बैंकों के अध्यक्षों का एक विशाल राजभाषा सम्मेलन सम्पन्न हुआ। विज्ञान भवन का मुख्य हाल भारत सरकार के वरिष्ठतम अधिकारियों से भरा हुआ था और एक आशामय उल्लास चारों ओर दृष्टिगत होता था। ठीक 4.00 बजे सांय प्रधानमंत्री जी राजभाषा सम्मेलन की अध्यक्षता करने और राजभाषा हिन्दी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को पुरस्कार देने के लिए पधारे। निस्संदेह भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए यह एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक क्षण था।

भारत के गृह मंत्री श्री शंकरराव चव्हाण जी ने प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हुए कहा :—

"हमारे लिये यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से कुछ समय निकाल कर इस सम्मेलन में पधारने की कृपा की है। इसके लिये मैं उनका अत्यन्त आभारी हूं और उनका हार्दिक स्वागत करता हूं।

"आज हमारे बीच मंत्रालयों की सलाहकार समितियों के अध्यक्ष संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य और भारत सरकार के वरिष्ठ,

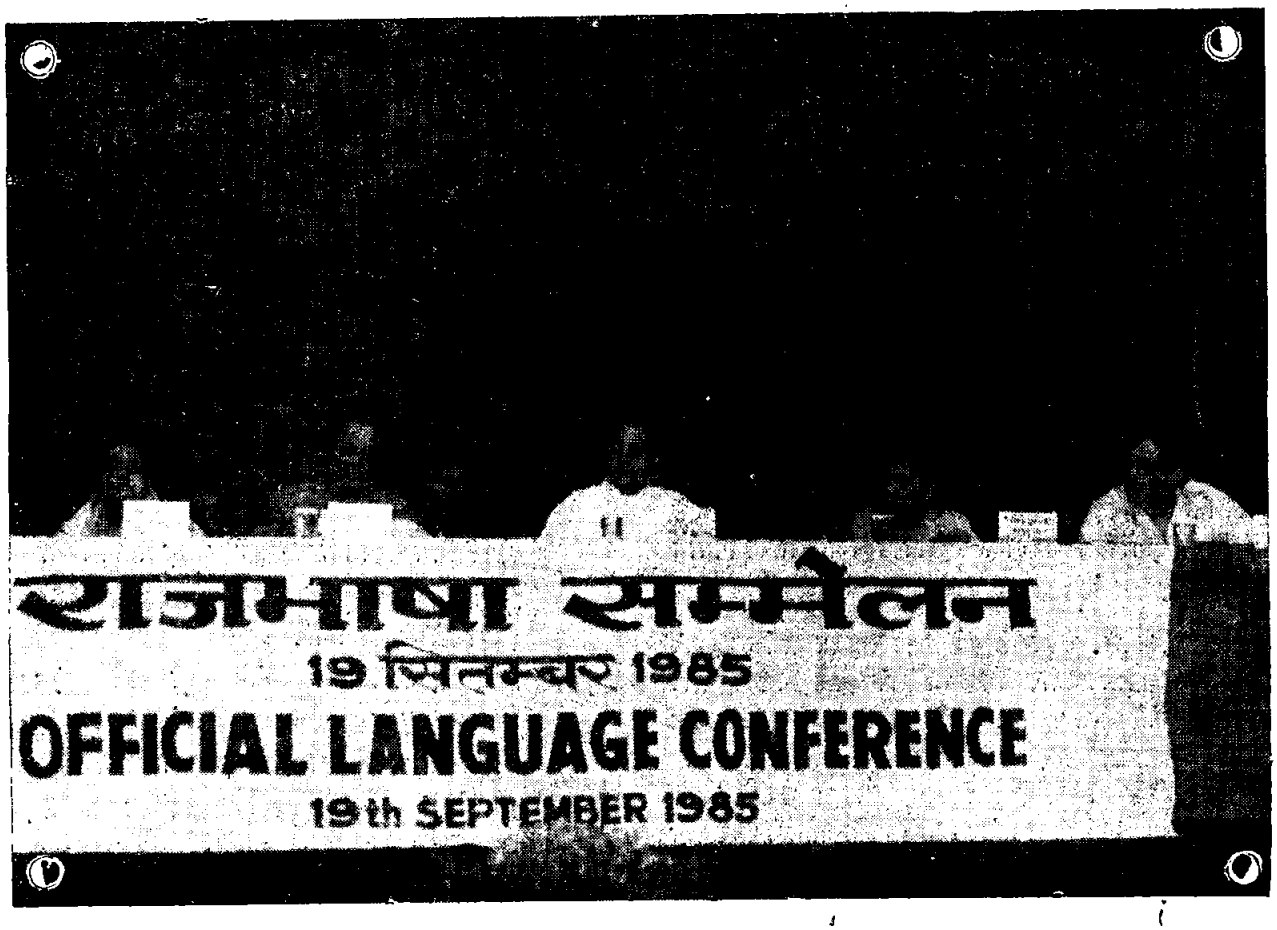

प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी राजभाषा सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए—बाएं से गृह राज्य मंत्री श्रीमती रामदुलारी सिन्हा, गृह राज्य मंत्री श्री शंकर राव चव्हाण, प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी, राजभाषा विभाग की सचिव कु. कुसुमलता, मित्तल, राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव श्री देवेन्द्र चरण मिश्र।

अधिकारी मौजूद हैं, इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार के पब्लिक अंडरटेकिंग्स के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्ष भी यहां आये हुए हैं।

आप सभी का मैं सम्मेलन में स्वागत करता हूं।

संसद द्वारा पारित सरकार की भाषा नीति संबंधी संकल्प के अनुसार केन्द्रीय सरकार पर यह जिम्मेदारी है कि हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए वह एक निश्चित कार्यक्रम तैयार करे और उसे लागू करे। इसके लिए नोडल मिनिस्ट्री गृह मंत्रालय अवश्य है लेकिन राजभाषा के रूप में हिन्दी के कार्यान्वयन की जिमेम्दारी भारत सरकार के सभी मंत्रालयों एवं विभागों की है और उनके सहयोग के बिना नीति का कार्यान्वयन नहीं किया जा सकता। इसी बात को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों में हिन्दी सलाहकार समितियों का गठन किया गया है। ये समितियां राजभाषा नीति के कार्यान्वयन पर नियंत्रण रखती हैं और मुझे आशा है कि सभी विभाग नियमित रूप से अपने-अपने विभाग की बैठक बुलायेंगे और उनसे लाभान्वित होंगे।

राजभाषा सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए प्रधान मंत्री जी का आगमन

"देश के विभिन्न भागों में 65 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का भी गठन किया गया है, जिससे केन्द्रीय सरकार के कार्यालय और पब्लिक अंडरटेकिंग्स में जो प्रगति हो रही है, उस पर विचार-विमर्श हो सके और जो कठिनाइयां सामने आ रही हैं उन्हें दूर किया जा सके। मुझे यह बताने में खुशी है कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां समय-समय पर बैठकें आयोजित कर रही हैं और अच्छा कार्य कर रही हैं। आवश्यकतानुसार कुछ और नगरों में भी कार्यान्वयन समितियां बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है और शीघ्र कार्यवाई की जायेगी।

राजभाषा नियम, 1976 के तहत यह प्रावधान है कि यदि केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों में से 80 प्रतिशत ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो नियम 10(4) के अन्तर्गत उस कार्यालय को अधिसूचित किया जाता है। यह प्रसन्नता की बात है कि केन्द्रीय सरकार के 61 मंत्रालयों एवं विभाग अब तक अधिसूचित हो चुके हैं और केवल 5 विभाग अधिसूचित होने के लिये बाकी है। मेरा इन विभागों से अनुरोध है कि वे इस दिशा में प्रयास करें और जो सुविधायें राजभाषा विभाग उपलब्ध करा रहा

है उसका उपयोग करें। अपने कर्मचारियों को हिन्दी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त करायें जिससे उन्हें भी जल्द से जल्द अधिसूचित किया जा सके। इसी प्रकार अब तक 5,527 अधीनस्थ कार्यालय भी अधिसूचित किये जा चुके हैं। इससे यह बात साबित हो जाती है कि केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों एवं कर्मचारियों में हिन्दी में कार्य करने की कितनी क्षमता तथा उत्साह बढ़ रहा है। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कार्यसाधक ज्ञान होने के बावजूद हिन्दी में पत्र-व्यवहार इतना अधिक नहीं हो रहा है जितनी कि आशा की जाती थी। मेरा अनुरोध है कि इस विषय पर आज सम्मेलन में आये हुए उच्च अधिकारी विचार करें और ऐसा वातावरण बनायें कि राजभाषा का प्रसार हर स्तर पर बढ़े। अधीनस्थ कार्यालय एवं पब्लिक अंडरटेकिंग्स जो जनता के ज्यादा संपर्क में रहते हैं उन्हें तो और भी सतक रहना होगा क्योंकि यदि वे उस भाषा का प्रयोग करेंगे जो जनसाधारण समझ सकता है तो और भी अधिक सफल हो सकेंगे।

राजभाषा सम्मेलन के प्रतिनिधियों के अभिवादन का उत्तर देते हुए प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी

"हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए राजभाषा विभाग की ओर से अनेक प्रोत्साहन योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। इसके अलावा "राजभाषा भारती" एक त्रैमासिक पत्रिका एवं मासिक "राजभाषा संदेश" भी प्रकाशित किया जा रहा है जिससे उचित जानकारी सभी विभागों एवं उपक्रमों को प्राप्त हो सके। मुझे आशा है कि सभी विभाग एवं पब्लिक अंडरटेकिंग्स अपने-अपने कार्यालय में भी हिन्दी की पत्रिका प्रकाशित करेंगे जिससे उचित वातावरण बनेगा और अधिकारी एवं कर्मचारी हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित होंगे।

"माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने व्यस्ततम समय में से कुछ समय हमारे लिये निकाला इसके लिए हम आभारी हैं और अब मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इस सम्मेलन में आए हमारे सहयोगियों तथा अधिकारियों का मार्गदर्शन करें।"

गृह मंत्री जी के स्वागत भाषाण के बाद प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी ने दृढ़ और विश्वास भरे शब्दों में सम्मेलन में उपस्थित अधिकारियों को संबोधित किया।

सारांश में उन्होंने कहा कि भारत में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं लेकिन हिन्दी को सबसे ज्यादा लोग समझते हैं और बोलते हैं। इसीलिये हिन्दी को हमने राजभाषा बनाने के लिए चुना है। यही नहीं हिन्दी का एक अपना इतिहास भी है और हमारी यह कोशिश रहेगी कि देश में सब लोग हिन्दी बोलने और समझने लगें। इस दिशा में काफी काम भी हुआ है, लेकिन जैसा कि अभी चव्हाण जी ने कहा है कि जिस रफ्तार से और जिस तेजी से काम होना चाहिए था, शायद नहीं हो पाया है।

राजभाषा सम्मेलन के प्रतिनिधियों एंव भारत सरकार के वरिष्ठतम अधिकारियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी । बाएं से-- गृह राज्य मंत्री श्री मुहम्मद आरिफ खां, गृह राज्य मंत्री श्रीमती रामदुलारी सिन्हा, गृह मंत्री श्री शंकर राव चव्हाण, प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी, राजभाषा सचिव कु. कुसुमलता मित्तल, राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव श्री देवेन्द्र चरण मिश्र ।

✓ "कल हमारा एक दूसरा सम्मेलन हुआ था, जिसमें भी कई मुद्दे उठाये गये थे । एक प्वांइंट जो सामने उभरकर आया वह यह था कि आज भी सरकार का काम उचित मात्रा में हिन्दी में नहीं हो पा रहा है जबकि जो आंकड़े प्रस्तुत किये गये थे उसके हिसाब से किसी विभाग में 99 प्रतिशत, किसी में 98 प्रतिशत और किसी में 95 प्रतिशत अधिकारी एवं कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान था हमें यह सोचना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है ? अगर लोग हिन्दी समझते हैं, तो हिन्दी में काम क्यों नहीं हो पाता, क्या हमारे आंकड़े ठीक हैं ? क्या सचमुच 99 प्रतिशत लोग हिन्दी अच्छी तरह समझते हैं या यह आंकड़े केवल प्रोत्साहन एलाउन्स लेने के लिये ही है ? अगर हिन्दी का प्रचार होना है और हिन्दी में काम होना है तो हमें अच्छी तरह से हिन्दी की जानकारी करनी होगी खासकर जब कानूनी काम एवं संसद का काम होता है । हमें यह भी सोचना होगा कि हम किस वजह से इस दिशा में पीछे रह गये हैं ? कहां पर हमने ध्यान नहीं दिया और उसे ठीक करने के उपाय भी सोचने होंगे ।

✓ हिन्दी का प्रचार करते हुए हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि दूसरी क्षेत्रीय भाषाएं बोलने वाले लोगों को यह महसूस नहीं होना चाहिए कि उनके ऊपर हिन्दी जबरदस्ती थोपी जा रही है, क्योंकि अगर उन्हें यह लगा तो वे विरोध करेंगे । जो काम हम प्यार स और समझा कर कर सकते हैं, वह जबरदस्ती करने से नहीं हो पाएगा । इस बात को अच्छी तरह से समझकर ही हमें हिन्दी का प्रचार करना है । साथ-साथ हमें यह भी देखना है कि भारत जैसे देश में जिसमें इतनी भाषाएं बोली जाती हैं वहां यह भी जरूरी है कि एक भाषा ऐसी हो जिसे सब समझें और जो पूरे देश को एक सूत्र में बांध सके । हमने इसके लिए हिन्दी को चुना है और अब गहराई से सोचना है कि किस तरह से हम हिन्दी का प्रचार और प्रसार कर सकते हैं ।

✗ प्रधान मंत्री जी ने सुझाव देते हुए आगे कहा--

✓ "दुनियां में जैसे-जैसे विकास होता है, नये शब्दों की आवश्यकता भी होती है । विज्ञान और टैक्नालोजी में जैसे जैसे हम आगें बढ़ते हैं, नये शब्दों की जरूरत महसूस होती है । हमें यह सोचना होगा कि क्या हम नये शब्द बनायेंगे या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे जो दूसरे देशों में भी इस्तेमाल हो रहे हैं । मिसाल के तौर पर प्रधान मंत्री जी ने केटरपिलर शब्द के बारे में बताया कि यह शब्द जापानी भाषा में

प्रधान मंत्री जी का भाषण सुनते हुए सम्मेलन के मंत्रमुग्ध प्रतिनिधिगण

पूरी तौर से आ गया है और जापानी लोग यह समझते हैं कि जापानी शब्द है, जो दूसरे देशों ने अपनाया है। दूरदर्शन, रेडियो और फिल्में भी अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। इस प्रकार जब हिन्दी सब समझने और बोलने लगेंगे तो हिन्दी खुद-ब-खुद आगे बढ़ जायेगी।

"हमने शिक्षा के लिए तीन भाषा का फार्मूला अपनाया है और इसी फार्मूले को हमें आगे चलाना है क्योंकि यह एक मध्यम रास्ता है जिससे हम हिन्दी का प्रचार कर सकते हैं और उसे देश के कोने-कोने तक पहुंचा सकते हैं। इसी प्रकार देश की दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं को भी बढ़ावा मिलेगा और हिन्दी का विरोध भी नहीं होगा।

अंत में प्रधान मंत्री जी ने इन महत्वपूर्ण विचारों के साथ अपने भाषण को समाप्त किया :

"आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप यह सुनिश्चित करें कि सरकार की कार्रवाई हिन्दी में हो। जितनी जल्दी हम यह कर सकते हैं, उतना ही अच्छा होगा। आपको अपने विभागों में खुद देखना होगा कि किस तरह आप यह कर सकते हैं। यह भी देखना होगा कि जो लोग हिन्दी समझते हैं, वह अच्छी तरह समझते हैं अथवा उनको और सिखाने की या शिक्षा देने की जरूरत है। अगर और सिखाना है तो यह कैसे किया जाये और किस तरीके से आगे बढ़ा जाये। मुझे उम्मीद है कि आप सभी और अधिक हिन्दी का प्रचार करेंगे और जो गति इस समय है उसमें तेजी लायेंगे। हमें देखना है कि कैसे हिन्दी जल्दी से जल्दी हमारी राज-भाषा एवं राष्ट्र भाषा बन जाये।

"इसी प्रकार हमें भी विचार करना होगा कि कौन से शब्द हम बनायें और कौन से शब्द दूसरी भाषाओं से लेंगे और ऐसा करने में हमें शर्माने की जरूरत नहीं है। अंग्रेजी में हिन्दी, उर्दू, फारसी इत्यादि के अनेक शब्द हैं और इसीलिए वह भाषा इतनी जीवित भाषा है। हमें भी घबराने की आवश्यकता नहीं है और यह नहीं सोचना चाहिये कि हिन्दी इतनी कमजोर है कि अगर हम दूसरी भाषाओं के शब्द उसमें सम्मिलित कर लेंगे तो हमारी भाषा डूब जायेगी।

"जब हम टक्नालोजी की बात करते हैं तो हमें यह भी देखना होगा कि हमारे वैज्ञानिक और टैक्नालोजिस्ट और विदश के वैज्ञानिकों के बीच में कोई दीवार न खड़ी हो जाय, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों को दुनिया के वैज्ञानिकों से मुकाबला करना है और इसलिए जो शब्द प्रचलित हैं, उन्हीं को अपनाना चाहिए।

प्रधान मंत्री जी ने यह भी कहा कि भाषा को अकेले सरकार आगे नहीं बढ़ा सकती। हमें यह देखकर चलना होगा कि ऐसी भाषा का प्रयोग करें जो आम जनता बोलती और समझती है। केवल शब्दकोशों से बड़े-बड़े और लम्बे शब्दों का प्रयोग करने से ही भाषा का विकास नहीं होता है। इसलिए एक तरफ तो हमारी यह जिम्मेदारी है कि आम भाषा को अच्छे स्तर का बनाये, लेकिन साथ-साथ यह भी देखें कि भाषा ऐसी इस्तेमाल न की जाये जो आम लोगों की समझ के परे हो। इसकी जिम्मेदारी केवल सरकार पर ही नहीं है। सरकार तो अपनी पूरी ताकत लगायेगी ही लेकिन इसके लिए जनता की ओर से भी अगर

आन्दोलन होगा तो हिन्दी जल्दी बढ़ेगी। इसके लिये यह कोशिश होनी चाहिए कि हर क्षेत्र में हिन्दी के लिए उचित वातावरण बने।"

प्रधानमंत्री जी की प्रेरणादायी वाणी ने सभागार में बैठे सभी अधिकारियों को जहां प्रोत्साहन से ओत-प्रोत किया उसी के साथ ही उनकी कर्त्तव्यनिष्ठा को भी सजग किया।

प्रधानमंत्री जी के संबोधन के बाद राजभाषा सम्मेलन का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ। प्रधान मंत्री जी के कर-कमलों द्वारा पांच नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्षों तथा ऐसे चुने हुए अधिकारियों को, जिन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में हिन्दी की प्रगति के लिए अति उत्कृष्ट कार्य किए हैं उनको प्रशस्ति पत्र प्रदान किए।

सबसे पहले त्रिवेन्द्रम नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री एम. एम. रमन, जो केरल सर्किल के डाक महाध्यक्ष भी हैं उन्हें पुरस्कार दिया गया। इसके बाद बंगलौर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष जो कि एच. एम. टी. के भी अध्यक्ष हैं श्री टी. वी. मनसुखानी को पुरस्कार दिया जाना था पर उनके विदेश में होने के कारण

त्रिवेन्द्रम नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री एम. एम. रमन प्रधान मंत्री जी के करकमलों से पुरस्कार प्राप्त करते हुए ।

यह पुरस्कार एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री एम.एम. जोशी को दिया गया।

बंगलौर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री टी. वी. मनसुखानी के स्थान पर एच. एम. टी. बंगलौर के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री एन. एन. जोशी पुरस्कार प्राप्त करते हुए ।

रांची नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष, जो कि रांची स्थित 'मैकन' के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक भी हैं श्री पी. एस. लाहा को राजभाषा की प्रगति के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि मैटलर्जिकल एंड इंजीनियरिंग कंसलटेंट लिमिटेड (मैकन), रांची एक तकनीकी संस्था है। वहां स्टील इंडस्ट्रीज में उपयोग होने वाली शब्दावलियों के निर्माण का प्रयास किया गया है और स्टील इंडस्ट्रीज से संबंधित हिन्दी में किए गए तकनीकी विषयों पर लेख आदि भी प्रकाशित किए गए हैं। विभिन्न ग्रेड के कोयले का स्टील इंडस्ट्रीज में प्रयोग और उसके महत्व पर श्री पी. एस. लाहा द्वारा अनुदित लेख अपने प्रकार का एक ही है।

रांची नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री पी. ए. लाहा प्रधानमंत्री श्री राजीव गांजी जी से पुरस्कार प्राप्त करते हुए ।

नागपुर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य सचिव श्री ए.एल. के.बी. चांद को जो प्रत्यक्ष कर अकादमी, नागपुर में सहायक निदेशक हैं उनके सराहनीय कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया।

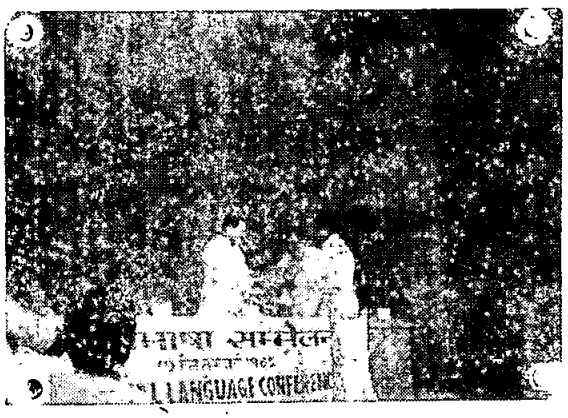

नागपुर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य सचिव श्री ए. एल. क. बी. चांद प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी के करकमलों से पुरस्कार प्राप्त करते हुए ।

देहरादून की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष मेजर जनरल गिरीश चन्द्र अग्रवाल को, जो कि भारत सरकार के सर्वेयर जनरल हैं, पुरस्कार प्रदान किया गया। श्री अग्रवाल ने देहरादून में

हिन्दी की बढ़ोत्तरी के लिए सर्वोत्कृष्ट कार्य किया हैं। इसक अतिरिक्त हिन्दी में कार्टोग्राफी शब्दों की एक मल्टीलिंग्वल डिक्शनरी (बहुभाषी शब्दकोश) भी बनाई है। भारत सरकार के लिए यह गौरव का विषय है कि इस डिक्शनरी को इटरनेशनल कार्टोग्राफी एसोसिएशन ने मान्यता प्रदान की है। अभी तक इस प्रकार की डिक्शनरी केवल चार और भाषाओं में ही अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त किए हुए थी। इन के प्रयत्नों से हमें प्रेरणा मिलती है कि हिन्दी यू. एन. ओ. में भी आधिकारिक भाषा के रूप में मान ली जा सकती है, यदि प्रयत्न किया जाए तो।

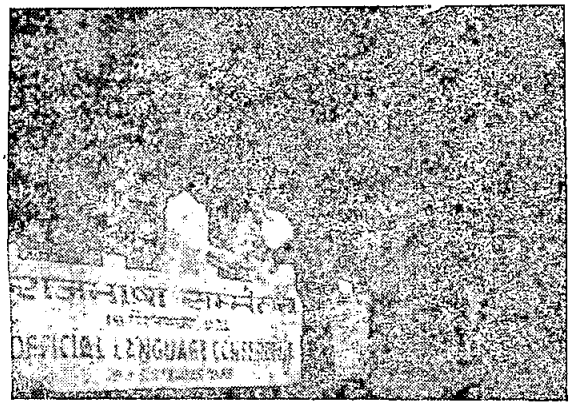

देहरादून नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष मेजर जनरल गिरीश चन्द्र अग्रवाल प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी से पुरस्कार प्राप्त करते हुए।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के अतिरिक्त कुछ सरकारी कार्यालयों तथा सरकारी उपक्रमों आदि में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में बहुत सफलता मिली है। यह अत्यन्त प्रशंसनीय है क्योंकि मुख्यतः ये अधीनस्थ कार्यालयों और उपक्रमों के हैं और इसके बावजूद कि दिल्ली स्थित मंत्रालयों/विभागों में जब पत्र हिन्दी में भेजे गए हैं वहां से भी उनका अनुवाद मांगा गया है ओर सभी पत्र अंग्रेजी में भेजने के लिए हिदायतें दी गई हैं, फिर भी इन अधिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में हिन्दी में काम करने में उपलब्धि हासिल की। इनमें से कुछ "क" क्षेत्रों के हैं जहां उनका प्रयत्न है कि शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में ही किया जाए जिससे जनता को भी सुविधा मिले और सरकार की नीति का भी कार्यान्वयन हो सके। इस संदर्भ में जिन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गय उनका विवरण निम्नांकित है :

पंजाब नेशनल बैंक, पटना के सहायक महाप्रबंधक श्री नारायणगों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। इन्होंने बिहार स्थित पंजाब नेशनल बैंक की 295 शाखाओं में हिन्दी की प्रगति के लिए कार्य किया। यहां कई एक शाखाएं ऐसी हैं जहां केवल हिन्दी में कार्य किया जाता है। आज यहां उपस्थित अधिकारियों को यह जानकर खुशी होगी कि इनकी अरगोरा शाखा को, जो रांची में है और जहां केवल हिन्दी में कार्य हो रहा है, पिछले वर्ष देशभर में कस्टमर सर्विस के लिए उत्कृष्ट प्रकार की शाखा होने का रहस्य केवल यही है कि वे हिन्दी में कार्य कर रहे हैं जिससे कस्टमर को इनकी सेवाओं से अधिक सुविधा पहुंच रही है।

केनरा बक, बंगलौर के प्रबंध निदेशक श्री वी. रत्नाकर को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। "ग" क्षेत्र में स्थापित होते हुए भी केनरा

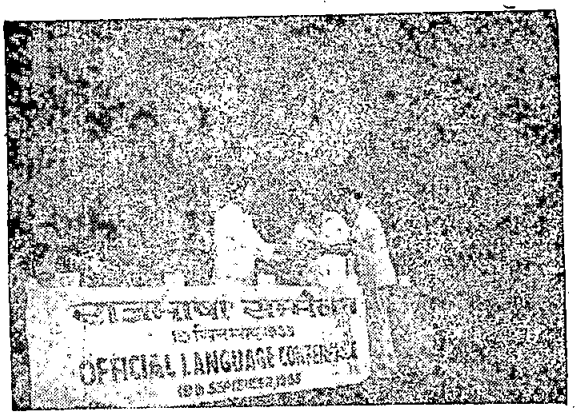

पंजाब नेशनल बैंक पटना के अंचल प्रबन्धक श्री नारायणगो प्रधानमंत्री से पुरस्कार ग्रहण करते हुए।

बैंक ने अपने कार्यालयों में हिंदी की प्रगति के लिए विशेष प्रयास किए हैं। इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि आज केनरा बैंक की कई शाखाओं में जो 'क' क्षेत्र में है केवल हिंदी में काय हो रहा है और इससे जहा जनता को सुविधा हो रही है वहीं कार्य का निष्पादन करने में सहुलियत भी हो रही है। अहिन्दी "ख" एवं "ग" क्षेत्रों में भी इन्होंने अपने कार्यालयों में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास किया।

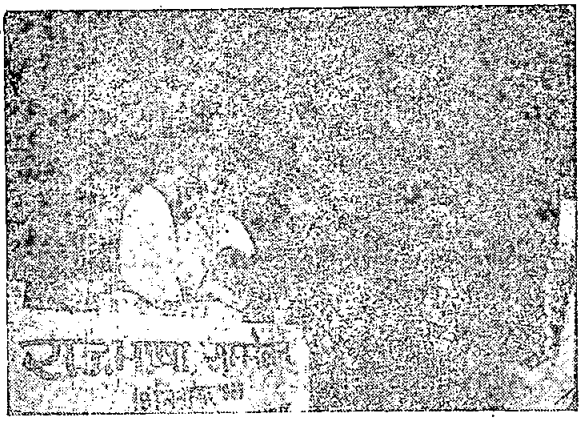

केनरा बैंक, बंगलौर के प्रबंध निदेशक श्री बी. रत्नाकर प्रधान मंत्री से पुरस्कार ग्रहण करते हुए।

बैंक ऑफ बड़ौदा के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री डी. सी. हाथी को बैंक ऑफ इंडिया के कार्यालयों में हिन्दी की प्रगति के लिए किये गए कार्यों के उपलक्ष में पुरस्कृत किया गया।

राजभाषा के प्रयोग एवं प्रचार-प्रसार के लिए सरकार द्वारा प्रयास विदेशों में भी होते रहे। इसमें भारत वर्ष के मिशनों के अतिरिक्त भारत सरकार के विभिन्न उपक्रम भी सहयोग दे सकते हैं। यद्यपि प्रगति वांछित प्रकार की नहीं है फिर भी कुछेक प्रयास सराहनीय है और इसमें एक है भारत सरकार का उपक्रम एयर इंडिया, बम्बई जहां कुमारी प्रमिला भटनागर को उनके सराहनीय कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया और इसी संदर्भ में श्री अरुण साहा, सहायक प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, पटना को भी पुरस्कृत किया गया।

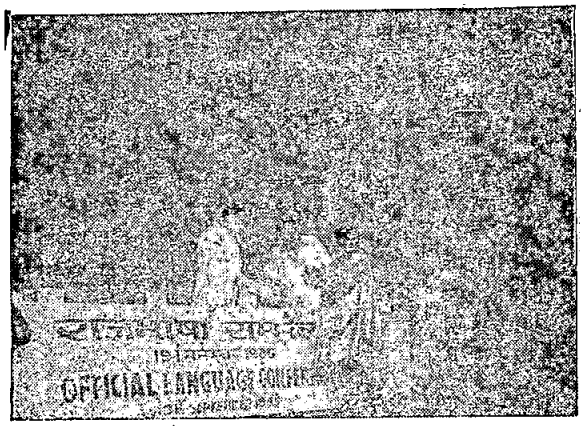

एयर इंडिया बम्बई की कु. प्रमिला भटनागर प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी से पुरस्कार प्राप्त करती हुई ।

यही नहीं कि कार्यालयों में हिन्दी में काम करने या राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के कार्यान्वयन को ही सुनिश्चित किए जाने का प्रयास किया जा रहा है अपितु तकनीकी कार्यों में भी हिन्दी में

पंजाब नेशनल बैंक, पटना के सहायक प्रबंधक श्री अरुण साहा प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी के करकमलों द्वारा पुरस्कार प्राप्त करत हुए ।

कार्य करने में अच्छी सफलता मिली है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, आगरा द्वारा इमारतों के कंस्ट्रक्शन आदि के लिए स्ट्रक्चरल प्लान हिन्दी में बनाई जा रही है। इससे नीचे के अधिकारियों तथा मिस्त्रियों आदि को प्लान समझने में सुविधा मिलती है। आगरा में देश के कई तकनीकी कार्यालयों के अधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि वे वहां जाकर देखें और अपने इस प्रकार के तकनीकी कार्यों में हिन्दी को लाने का प्रयास और तेजी से करें। इस प्रयास के लिए श्री उदयवीर सिंह त्यागी, सुपरिन्टेंडेंट इंजीनियर, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, आगरा को पुरस्कार दिया गया।

इसी प्रकार केन्द्रीय जल निगम बोर्ड, आगरा के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने भी अपने कार्यालयों में हिन्दी में शत-प्रतिशत कार्य करने में सफलता पाई । इसका श्रेय जाता है श्री भगवानदास पटरैय्या, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, केन्द्रीय जल निगम बोर्ड, आगरा को । उनकी इन सेवाओं के लिए पुरस्कृत किया गया ।

केन्द्रीय जल निगम बोर्ड आगरा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर श्री भगवानदास पटरैय्या प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी से पुरस्कार प्राप्त करते हुए ।

सरकारी उपक्रमों में इंडियन ऑयल कार्पोरेशन की मार्केटिंग ब्रांच, बम्बई ने हिन्दी में कार्य करने में अभूतपूर्व सफलता पाई है। यहां का अधिकतर कार्य हिन्दी में हो रहा है और इन को किसी प्रकार की कठिनाई अपने कार्य निष्पादन में नहीं है। श्री के. एन. बकाया, मुख्य योजना प्रबंधक, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन मार्केटिंग ब्रांच, बम्बई को उनके इन प्रयासों के लिए पुरस्कृत किया गया।

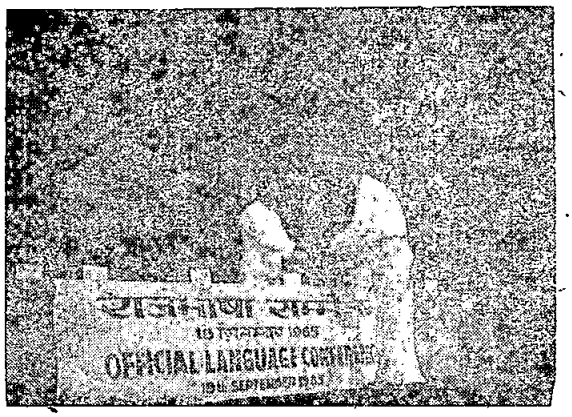

इंडियन आयल कार्पोरेशन मार्किटिंग ब्रांच के मुख्य योजना प्रबंधक श्री. के. एम. बकाया को प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी पुरस्कार देते हुए ।

जैसा कि आप जानते ही होंगे, इंडियन एयरलाइंस ने भी हिन्दी में काम करने पर अपने कार्यालयों में जोर दिया है। भारतवर्ष में हर प्रकार के वर्ग/क्षेत्र के लोग अब हवाई यात्रा करते हैं और केवल अंग्रेजी में काम करने से जनता को असुविधा होती है। इंडियन एयरलाइंस द्वारा किए गए प्रयासों में दिए गए सहयोग के लिए श्री गौरी शंकर शर्मा, सहायक कार्मिक प्रबन्धक, इंडियन एयरलाइंस मुख्यालय, नई दिल्ली को पुरस्कृत किया गया।

इंडियन एयर लाइन्स मुख्यालय, नई दिल्ली के सहायक कार्मिक प्रबंधक श्री गौरी शंकर शर्मा प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी के करकमलों से पुरस्कार प्राप्त करते हुए।

प्रधान मंत्री जी के करकमलों द्वारा जब राजभाषा के प्रचार और प्रसार के लिए किए गए सराहनीय कार्यों के लिए पुरस्कार दिये जा रहे थे तो उस समय विज्ञान भवन का मुख्य हाल बार-बार तालियों की गड़गड़ाहट से गुंजरित हो उठता था। एक अभूतपूर्व उल्लास और प्रोत्साहन का वातावरण दृष्टिगत होता था। पुरस्कार वितरण के बाद गृह राज्य मंत्री श्रीमती रामदुलारी सिन्हा जी ने निम्नांकित शब्दों में धन्यवाद ज्ञापन किया :

"प्रधान मंत्री जी एवं गृह मंत्री जी ने अपने व्यस्ततम समय में से कुछ बहुमूल्य समय निकालकर इस सम्मेलन में भाग लेने की जो कृपा की है, उसके लिए मैं सभी की ओर से आभार प्रकट करती हूं। मुझे आशा है कि प्रधानमंत्री जी ने इस अवसर पर हमें जो मार्गदर्शन दिया है वह हिन्दी को राजभाषा के रूप में प्रतिस्थापित करने की दिशा में बहुमूल्य साबित होगा।

"हिन्दी को राजभाषा के रूप में प्रतिस्थापित करने का इतिहास काफी पुराना है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिन्दी के प्रचार के और प्रसार को अपने रचनात्मक कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंग बनाया था जिसके अन्तर्गत दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभाएं आदि की स्थापना की गई थी। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिन्दी को राजभाषा का दर्जा देना भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना रहा। श्रीमती इंदिरा गांधी जी का सदैव यह मत रहा कि यदि भारत जैसे विशाल देश की सांस्कृतिक एकता एवं राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना है तो यह हिन्दी के ही माध्यम से संभव हो सकता है। हिन्दी इस देश की वह भाषा है जिसे हमारे देश के बहुसंख्यक समझते हैं और यह सही बात है कि इसी कारण सरकार की नीतियां जनमानस तक पहुंच सकती हैं इनमें कोई संदेह नहीं कि यदि हमें आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों को, आदिवासियों को, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां पहुंचानी हैं तो इसकी जानकारी उन तक राजभाषा के माध्यम से ही पहुंचाई जा सकती हैं।

"वास्तव में यदि देखा जाए तो हिन्दी विभिन्न बोलियों का एक एकीकृत रूप है। आज की सरल मानक हिन्दी जिसे हम राजभाषा के रूप में

बाएं से—गृह राज्य मंत्री आरिफ मुहम्मद खां, धन्यवाद ज्ञापन करते हुए गृह राज्य मंत्री श्रीमती रामदुलारी सिन्हा, गृह मंत्री श्री शंकरराव चव्हाण, प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी, राजभाषा विभाग की सचिव कु. कुसुमलता मित्तल, राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव श्री देवेन्द्र चरण मिश्र।

स्वीकार कर रहे हैं उसमें हिन्दी की सभी बोलियों का समावेश हो गया है और इस समावेश की प्रक्रिया में भारत की अन्य भाषाओं के शब्द भी आज मानक हिन्दी में शामिल हो गए हैं। विभिन्न बोलियों और भाषाओं को अपने में समेट लेना हिन्दी की एक विशेषता है जिससे हमारे देश की भावनात्मक एकता सुदृढ़ हो जाती है।

"संसार में ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसकी अपनी राजभाषा न हो और जिसे बोलने तथा उस राजभाषा में सरकारी कामकाज करने में वे अपने आपको गौरवान्वित न समझते हों। जब हम अपने प्रशासन का काम राजभाषा हिन्दी में करते हैं तो उससे हमारा स्वाभिमान बढ़ता है।

"हमारा देश एक बहुभाषी देश है, जिसके करोड़ों निवासी सदियों से अपनी भाषा तथा विशेष संस्कृति से जुड़े हुए हैं। जब हम राजभाषा के रूप में हिन्दी को प्रतिस्थापित करने की बात करते हैं तो इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि हम अपने देश की अन्य भाषा-भाषियों की किसी प्रकार की भावनात्मक अथवा व्यावहारिक उपेक्षा करते हैं। राजभाषा हिन्दी का विरोध भारत की किसी भी भाषा से नहीं है।

"हिन्दी के राजभाषा के रूप में स्वीकृत हो जाने पर इसके उत्तरदायित्वों में अपार वृद्धि हुई है। आज इसे न केवल बोलचाल और साहित्य की भाषा के रूप में अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह करना है बल्कि प्रशासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, वाणिज्य एवं उद्योग तथा पत्रकारिता आदि क्षेत्रों में भी अपने उत्तरदायित्वों को निभाना है। यह एक बहुत गंभीर उत्तरदायित्व है। अपने इस उत्तरदायित्व को निभाने में जो हिन्दी नहीं जानते उन्हें कोई कठिनाई न हो इसको ध्यान में रखते हुए द्विभाषिकता की स्थिति चल रही है।

"इस सम्मेलन में भारत सरकार के वरिष्ठतम अधिकारी उपस्थित हैं। प्रधान मंत्री जी एवं गृह मंत्री जी के आज के आह्वान के परिप्रेक्ष्य में मुझे विश्वास है कि इस सम्मेलन के परिणाम बड़े दूरगामी होंगे और

हिन्दी को राजभाषा के रूप में प्रतिस्थापित करने में इस सम्मेलन का महत्वपूर्ण योगदान होगा । वार्षिक कार्यक्रम का कार्यान्वयन भी अवश्य किया जाएगा। सलाहकार समितियों एवं कार्यान्वयन समितियों की बैठकों को समय से बुलाकर उनका पूरा लाभ उठाया जाएगा ।

जिन विभागों और कर्मचारियों को पुरस्कार मिले हैं उन्हें मैं बधाई देती हूं । मैं आशा करती हूं कि जो विभाग इस बार पुरस्कार प्राप्त नहीं कर सकें वे अगली बार पुरस्कार प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। राजभाषा विभाग की सचिव एवं अन्य अधिकारीगणों को भी इस सम्मेलन के आयोजन के लिए मैं धन्यवाद देती हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस सम्मेलन की कार्यवाही समाप्त करती हूं।"

यह सम्मेलन राजभाषा विभाग के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। जितना उल्लास इस सम्मेलन में दिखाई दिया वैसा संभवतः और कभी दिखाई नहीं पड़ा। पुरस्कार वितरण के समय प्रधान मंत्री जी द्वारा यह कहते हुए सुना गया कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। इस सम्मेलन के द्वारा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में राजभाषा के रूप में हिन्दी को प्रतिस्थापित करने की दिशा में निश्चित रूप से बड़ी प्रेरणा मिलेगी। हम विश्वास करते हैं कि प्रधान मंत्री जी की यह आकांक्षा कि हिन्दी के प्रचार और प्रसार की जो गति धीमी पड़ गई थी वह अब तेज होनी चाहिए, निःसंदेह पूर्ण होगी। राजभाषा विभाग प्रधान मंत्री जी की आकांक्षा की पूर्ति के लिए कटिबद्ध है।

—संपादक
'राजभाषा भारती'

□□□

प्रशासन में अंग्रेजी कार्यक्षमता गिराती है और गैर-बराबरी को बढ़ाने और अल्पमत के शासन के औजार के रूप में अंग्रेजी का दुष्परिणाम, उसके विदेशी भाषा और राष्ट्रीय सम्मान के विरुद्ध होने की बात से ज्यादा घातक है....जनतन्त्र और अंग्रेजी साथ-साथ नहीं चल सकती। जब तक सरकार का काम जनता की भाषा में न चले, तब तक कैसे कहा जा सकता है कि हमारे यहां जनतन्त्र है। यह तो भाषा के जरिये काम करने वाली गुलामी है। जनतन्त्र के लिए यह जरूरी है कि वह जनता की भाषा में काम करें।

—डॉ० राममनोहर लोहिया

समिति समाचार

(क) मंत्रालयों की हिन्दी सलाहकार समितियों की बैठकें

1. गृह मंत्रालय

गृह मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की 25वीं बैठक गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में 29-10-85 को सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया–

1. श्री शंकरराव चह्वाण, गृह मंत्री––अध्यक्ष
2. श्री अरुण नेहरू, गृह राज्य मंत्री (आई.एस.)––उपाध्यक्ष
3. श्री पी.ए.संगमा, गृह राज्य मंत्री (एस)––उपाध्यक्ष
4. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद, संसद सदस्य––सदस्य
5. श्री श्रीकान्त वर्मा, संसद सदस्य––सदस्य
6. डा. रुद्र प्रताप सिंह, संसद सदस्य––सदस्य
7. श्री महेन्द्र प्रकाश कौशिक, संसद सदस्य––सदस्य
8. श्री गंगा शरण सिंह––सदस्य
9. डा. एस. एन. गणेशन––सदस्य
10. श्री एच. पी. पान्डिया––सदस्य
11. श्रीमती चेन्नुपति विद्या––सदस्य
12. श्री नन्दी येलया––सदस्य
13. कुमारी कुसुम लता मित्तल, सचिव, राजभाषा विभाग तथा हिन्दी सलाहकार, भारत सरकार––सदस्य
14. श्री एल. एन. गुप्ता, अपर सचिव (जी), गृह मंत्रालय––सदस्य
15. श्री एस. आर. आय, संयुक्त सचिव (प्रशा.), गृह मंत्रालय––सदस्य
16. श्री वी. के. जैन, संयुक्त सचिव (पुलिस), गृह मंत्रालय––सदस्य
17. श्री एच. ए. बरारी, निदेशक, आसूचना ब्यूरो––सदस्य
18. लेफ्टि. जनरल पी. ई. मेनन, महानिदेशक, असम राइफल्स––सदस्य
19. श्री ओ. पी. भुटानी, महानिदेशक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस––सदस्य
20. श्री दुर्गा माधव मिश्र, महानिदेशक, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल––सदस्य
21. श्री मदन मोहन शर्मा, उप सचिव (प्रशा.), गृह मंत्रालय––सदस्य-सचिव

अन्य उपस्थित :

1. श्री डी.पी.एन. सिंह, महानिरीक्षक (मुख्यालय), सीमा सुरक्षा बल
2. श्री एस.के. शर्मा, महानिरीक्षक (मुख्यालय), केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
3. श्री वी.पी.पाण्डे, भारत के संयुक्त महारजिस्ट्रार
4. श्री रणधीर सिंह, उपनिदेशक (रा.भा.), गृह मंत्रालय
5. श्री मदन मोहन दरगन, हिन्दी अधिकारी, गृह मंत्रालय
6. श्री कलाश चन्द्र, हिन्दी अधिकारी, गृह मंत्रालय
7. श्री प्रेमचन्द धस्माना, हिन्दी अधिकारी, महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
8. श्री शिव कुमार मदान, हिन्दी अधिकारी, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

बैठक को आरम्भ करते हुए गृह मंत्री जी ने सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया और उनसे अनुरोध किया कि वे राजभाषा के प्रचार-प्रसार में मार्गदर्शन करें। उन्होंने समिति ने सदस्यों को मंत्रालय के विस्तार तथा इसमें हो रहे राजभाषा संबंधी कार्य के बारे में विस्तार से अवगत कराया। इसके पश्चात् उन्होंने सदस्यों से अनुरोध किया कि वे अपने-अपने सुझाव दें।

मंत्री जी के भाषण के पश्चात् श्री गंगाशरण सिंह ने कहा कि गृह मंत्रालय की स्थिति अन्य मंत्रालयों से भिन्न है, इसलिए उन्हें चाहिए कि वे राजभाषा नीति तथा इसके कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी राजभाषा विभाग के जरिए इस बात का भी पता लगाएं कि विभिन्न मंत्रालयों में राजभाषा अधिनियम तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गए आदेशों के कार्यान्वयन की दिशा में कितना-कितना कार्य हुआ है। उन्होंने यह सुझाव दिया कि इस समिति के सदस्य सचिव की अध्यक्षता में इस कार्य के लिए एक सैल बना लिया जाए। श्री गंगाशरण सिंह ने यह भी सुझाव दिया कि केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को चाहिए कि वे अपने-अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिन्दी में प्रशिक्षित करवाने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाएं।

इसके पश्चात् डा. रुद्र प्रताप सिंह ने गृह मंत्री जी को बताया कि उन्होंने संसदीय राजभाषा समिति की प्रथम उप-समिति के संयोजक होने के नाते गृह मंत्रालय के कई कार्यालयों का निरीक्षण किया है और वे गृह मंत्रालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की राजभाषा के

प्रति पूर्ण निष्ठा की भावना से काफी प्रभावित हुए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि उनके द्वारा किये गए निरीक्षणों के आधार पर वह कह सकते हैं कि भारत सरकार की राजभाषा के प्रचार-प्रसार के प्रति साम-दाम की नीति काफी सफल है, यद्यपि उसके कार्यान्वयन में अभी भी कुछ कमी है।

श्रीमती चेन्नुपति विद्या ने कहा कि हिन्दी सीखना बहुत सरल काम है और यही एक भाषा है जो कि सब प्रदेशों को आपस में मिला सकती है। अतः उन्होंने महसूस किया कि हिन्दी का सीखना सभी के लिए अनिवार्य कर देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इस समिति की तीन महीनों में एक बैठक की जानी चाहिए।

श्री गंगाशरण सिंह ने यह भी इच्छा व्यक्त की कि समिति को मंत्रालय में हो रहे राजभाषा संबंधी कार्य की प्रगति आंकड़ों सहित दी जाए।

डा. एस.एन. गणेशन ने समिति को यह सूचित किया कि संविधान के प्राधिकृत हिन्दी पाठ के संबंध में तमिलनाडु के समाचार-पत्रों में काफी कुछ लिखा जाता रहा है। उन्होंने कहा कि संविधान का प्राधिकृत हिन्दी पाठ तैयार करने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हिन्दी की पढ़ाई को अनिवार्य नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे प्रतिकूल प्रतिक्रिया होगी। "जो भी हिन्दी सीखना चाहें वे सीखें" की नीति ही पर्याप्त होगी।

श्री एच.पी.पान्डिया ने यह सुझाव दिया कि समिति की बैठक कभी-कभी दक्षिण में भी की जाए जिससे हिन्दी का प्रचार-प्रसार अखबारों में हो सके। श्री महेन्द्र प्रताप कौशिक ने यह सुझाव दिया कि सैन्ट्रल एम्पलाइज को 3 साल में प्रशिक्षण दे देना चाहिए।

समिति की पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

केन्द्रीय सरकार के समस्त कार्यालयों के नामपट्ट, सूचना-पट्ट, लेखन-सामग्री हिन्दी व अंग्रेजी दोनों में तैयार करना :

श्री गंगाशरण सिंह ने कहा कि केन्द्रीय सरकार के ऐसे कई कार्यालय हैं जहां कार्यालयों के नामपट्ट आदि को द्विभाषिक रूप में तैयार करने संबंधी नियमों की अवहेलना की गई है। उन्होंने कहा कि राजभाषा विभाग को चाहिए कि वे इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को पुनः सचेत करें।

समिति के समस्त सदस्यों को परिचय पत्र प्रदत्त करना तथा उनको केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के निरीक्षण हेतु अधिकृत करना :

श्री एच.पी.पान्डिया समेत समिति के कई सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया कि उन्हें परिचय पत्र दिए जाएं ताकि वे स्वयं भी केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में राजभाषा संबंधी प्रगति का जायजा ले सकें। श्री गंगाशरण सिंह ने कहा कि केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों, विभागों एवं कई नगरों में स्थित कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियां बनी हुई हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि उन्हें इन समितियों में पर्यवेक्षक के रूप में भेजा जा सकता है। गृह मंत्री जी ने स्थिति स्पष्ट करते हुए यह कहा कि निरीक्षण का कार्य गृह मंत्रालय के अधिकारियों एवं राजभाषा विभाग के अधिकारियों और संसदीय राजभाषा समिति की उप-समितियों द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने यह कहा कि इस समिति की बैठकों में सदस्य अपने-अपने विचार प्रकट करें जिन पर विचार कर उचित कार्यवाही की जाएगी।

तमिलनाडु में भारतीय संविधान के हिन्दी रूप को प्रामाणिक न मानने से उत्पन्न स्थिति तथा उसका समाधान करना :

गृह मंत्री जी ने समिति को सूचित किया कि कानूनी राय के अनुसार संविधान में संशोधन करके हिन्दी में संविधान का प्राधिकृत पाठ उपलब्ध कराने हेतु मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। डा. गणेशन ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया।

हिन्दी सलाहकार समिति की उप-समिति अथवा विशेष समिति आदि द्वारा हिन्दी शिक्षण तथा प्रसार की प्रगति का मूल्यांकन करना :

गृह मंत्री जी ने समिति को सूचित किया कि केन्द्रीय हिन्दी समिति के निर्णय के अनुसार हिन्दी सलाहकार समितियों की उप-समितियां बनाने की आवश्यकता नहीं है। डा. गणेशन ने इस बात पर जोर दिया कि जिन लोगों को हिन्दी में प्रशिक्षित किया गया है उन्हें कहा जाए कि वे हिन्दी में कार्य करें, अन्यथा वे जो कुछ सीखें हैं वह भूल जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि कितने लोगों ने अध्ययन किया है और कितने लोग हिन्दी में काम में लगे हुए हैं। श्री गंगाशरण सिंह ने भी इस दिशा में कार्रवाई करने के लिए कहा।

प्रशासन तथा अन्य क्षेत्रों से संबंधित पारिभाषिक शब्दावलियों में एकरूपता लाने के लिए विशेष समितियों का गठन :

श्री गंगाशरण सिंह ने समिति को सूचित किया कि उनकी जानकारी के अनुसार विभिन्न मंत्रालयों/कार्यालयों द्वारा स्वयं बनाई गई शब्दावलियों में एक ही अर्थ के लिए भिन्न-भिन्न शब्द प्रयोग किये गए हैं। अतः उनमें मानकीकरण की आवश्यकता है। राजभाषा विभाग के सचिव ने यह बताया कि भारत सरकार के मंत्रालय जो शब्दावलियां बना रहे हैं उनकी वैटिंग केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा करवा ली जाती है। इस पर भी श्री गंगाशरण सिंह ने कहा कि इसके बावजूद भी शब्दों में विसंगतियां पाई जा रही हैं। अतः उन्होंने यह सुझाव दिया कि इस समूचे कार्य के लिए एक संस्था बनाई जाए जिसमें सरकारी अधिकारियों के अतिरिक्त गैर-सरकारी विद्वानों और सलाहकार समिति के सदस्य का भी सहयोग लिया जा सकता है। श्री महेन्द्र प्रकाश कौशिक ने इस बात पर जोर दिया कि अन्तर्राष्ट्रीय शब्दों को ज्यों का त्यों लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए।

हिन्दी प्रशिक्षकों व हिन्दी अधिकारियों के लिए प्रादेशिक भाषा का ज्ञान :

श्री गंगाशरण सिंह तथा श्रीमती चेन्नुपति विद्या ने इस बात पर जोर दिया कि अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी के प्रशिक्षकों तथा हिन्दी अधिकारियों को संबंधित राज्य की भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए। इससे उन्हें न केवल प्रशिक्षण देने में सहूलियत होगी, बल्कि उस राज्य के प्रशिक्षार्थियों को भी अच्छा लगेगा और उनमें हिन्दी के प्रति रुचि उत्पन्न होगी।

गृह मंत्रालय में निदेशक (हिन्दी) का पद बनाना :

गृह मंत्रालय में निदेशक (राजभाषा) के पद के सृजन के बारे में श्री गंगाशरण सिंह तथा डा. रुद्र प्रताप सिंह ने अन्य सदस्यों के साथ जोर देते हुए कहा कि मंत्रालय के स्वरूप और विस्तार को देखते हुए यह अत्यन्त आवश्यक है कि यहां निदेशक (रा.भा.) का पद हो। उन्होंने यह भी कहा कि पदों के सृजन के ऊपर जो पाबन्दी है उसे देखते हुए भी कम से कम एक पद के लिए तो ढील ले ही ली जानी चाहिए।

हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन पत्राचार द्वारा हिन्दी आशालपि के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना :

श्री गंगाशरण सिंह ने यह सुझाव दिया कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में जो प्रशिक्षण दिया जाता है उसे भी सरकार द्वारा निर्धारित स्तर तक माना जाए, लेकिन साथ में यह निश्चित कर लिया जाए कि भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं का स्तर हिन्दी शिक्षण योजना के स्तर के बराबर हो। गृह मंत्री जी ने इस पर विचार करने का आश्वासन दिया।

अन्य कोई मद :

एजेन्डा के मदों पर विचार करने के पश्चात् श्री गंगाशरण सिंह ने कहा कि इस बात को सुनिश्चित् किया जाए कि जो भी यांत्रिक मशीन आदि खरीदी जाएं वे अनिवार्यतः द्विभाषी रूप में ही खरीदी जाएं। इसके लिए भी चैक प्वाइंट बना लिए जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि अच्छा होगा यदि इस समिति की अगली बैठक की तारीख अभी से तय कर ली जाए। डा. रुद्र प्रताप सिंह ने भी कहा कि जनवरी, 1986 के अन्त म अगली बठक रख ली जाए। गृह मंत्री जी ने कहा कि इस पर विचार कर लिया जाएगा।

इसके पश्चात् समिति के अध्यक्ष महोदय ने समिति के सभी उपस्थित सदस्यों का अपने-अपने अमूल्य सुझाव देने के लिए धन्यवाद किया।

—एम. एम. शर्मा

2. वाणिज्य मंत्रालय

वाणिज्य मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की आठवीं बैठक, वाणिज्य मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की अध्यक्षता में 26 अगस्त, 1985 को 11.00 बजे विज्ञान भवन, नई दिल्ली में हुई। निम्न सदस्यों/अधिकारियों ने इस बैठक में भाग लिया :—

1. श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, वाणिज्य मंत्री—अध्यक्ष
2. श्री प्रेम कुमार, सचिव, वाणिज्य मंत्रालय—सदस्य
3. श्री अजीत सिंह दाभी, संसद सदस्य—सदस्य
4. श्री हुकुमदेव नारायण यादव, संसद सदस्य—सदस्य
5. श्री राम नरेश कुशवाहा, संसद सदस्य—सदस्य
6. श्री हरिहर नाथ मिश्र—सदस्य
7. श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह—सदस्य
8. डा. वीरेन्द्र कुमार दूबे—सदस्य
9. सुश्री कुसुम लता मित्तल, सचिव—राजभाषा विभाग सदस्य
10. श्री आर. एल. मिश्र, मुख्य नियंत्रक, आयात तथा निर्यात—सदस्य
11. श्री एस. के. माडवल, महानिदेशक, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान—सदस्य
12. श्री के. ओबय्या, कार्यकारी निदेशक, व्यापार विकास प्राधिकरण—सदस्य
13. श्री वी. एस. गोपालकृष्णन, विकास आयुक्त, सान्ताक्रूज इलैक्ट्रॉनिक्स निर्यात संसाधन जोन तथा काण्डला मुक्त व्यापार जोन—सदस्य
14. श्री डी. सी. मजूमदार, निदेशक, निर्यात निरीक्षण परिषद, पटना—सदस्य
15. श्री आर. आर. गुप्त, अपर सचिव तथा वित्तीय सलाहकार, वाणिज्य मंत्रालय
16. श्री वी. के. चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव, वाणिज्य मंत्रालय
17. श्री डी. पी. वागची, संयुक्त सचिव, वाणिज्य मंत्रालय
18. श्री ए. हुदा, संयुक्त सचिव, वाणिज्य मंत्रालय
19. श्री वी. एम. वेंकटरामन, संयुक्त सचिव, वाणिज्य मंत्रालय
20. डा. दीपक नैयर, आर्थिक सलाहकार, वाणिज्य मंत्रालय
21. श्री सुदर्शन सिंह, संयुक्त मंत्रालय
22. श्री के. वी. इरनीराया, अपर मुख्य नियंत्रक, आयात तथा निर्यात
23. श्री नारायण टुटेजा, उप मुख्य नियंत्रक, आयात तथा निर्यात
24. श्री के. सी. गुप्त, हिन्दी अधिकारी, आयात तथा निर्यात का कार्यालय
25. श्री एस. बी. एस. डोड, शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक
26. श्री हेमेन्द्र कुमार, आयुक्त नोयडा निर्यात संसाधन जोन
27. श्री एन. रामकृष्णन, विकास आयुक्त, कोचीन निर्यात संसाधन जोन
28. श्री जे. सान्याल, विकास आयुक्त, फाल्टा निर्यात संसाधन जोन
29. श्री वी. बी. एल. मधुकर, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक माइका ट्रेडिंग कार्पो. आफ इंडिया लि.
30. श्री एस. एस. आहूजा, उप-अध्यक्ष, चाय बोर्ड
31. श्री टी. गांगुली, वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी, भारतीय चाय व्यापार निगम लि.
32. श्री वी. गोपालन, महाप्रबंधक, भारतीय चाय व्यापार निगम लि.
33. श्री पी. के. शुगलू, निदेशक, भारतीय राज्य व्यापार निगम

34. श्री पी.सी.सेन, हिन्दी अधिकारी, भारतीय राज्य व्यापार निगम

35. श्री सुरेन्द्र तिवारी, वरिष्ठ महाप्रबंधक, खनिज तथा धातु व्यापार निगम

36. श्रीमती सुनीता बुद्धिराजा, उप-प्रभागीय प्रबंधक, खनिज तथा धातु व्यापार निगम

37. श्री एन. चतुर्वेदी, सहायक प्रभागीय प्रबंधक, खनिज व धातु व्यापार निगम

38. श्री एम.एल. गोयल, उपनिदेशक, निर्यात निरीक्षण परिषद

39. श्री वी.डी.एन.राव, प्रबंधक, भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण

40. श्री आर.के.मिश्र, उपप्रबंधक, भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण

41. श्री डी.टी.गुरनानी, सचिव, व्यापार विकास प्राधिकरण

42. श्री वी. रामलिंगम, सचिव, समुद्रीय उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

43. श्री आर.एल. शर्मा, समुद्रीय उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

44. श्री एम.रामू, सचिव, काफी बोर्ड

45. श्री एस.पी. दौलतानी, प्रभारी अधिकारी, काफी बोर्ड

46. श्री ओ.पी. आहूजा, क्षेत्रीय प्रबंधक, निर्यात ऋण तथा गारंटी निगम

47. श्री बी.पी.एस. सिंघल, चाय बोर्ड

48. श्री एम. झाब, उप-मुख्य सूचना अधिकारी (वाणिज्य)

49. श्री एन.एम.अग्रवाल, उप-निदेशक (रा.भा.), वाणिज्य मंत्रालय

50. श्री ओ.पी. गुप्त, निदेशक, वाणिज्य मंत्रालय

अध्यक्ष महोदय ने वाणिज्य मंत्रालय की पुनर्गठित हिन्दी सलाकार समिति की पहली बैठक में सदस्यों का स्वागत किया। वाणिज्य मंत्रालय में सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग के सम्बन्ध में हुई प्रगति के बारे में संक्षेप में बताते हुए अध्यक्ष महोदय ने कहा कि जहां तक मंत्रालय खास का सम्बन्ध है, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अन्तर्गत आने वाले लगभग सभी कागजात हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किये जा रहे हैं, तथा राजभाषा अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर भी हिन्दी में दिये जा रहे हैं। तथापि, अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हिन्दी का प्रयोग अधिकतर अनुवाद पर आधारित है। अतः मूल पत्राचार में हिन्दी के प्रयोग के लिए और अधिक कड़े प्रयास करना आवश्यक है। अध्यक्ष महोदय ने आगे समिति को सूचित किया कि मंत्रालय के अधीन लगभग सभी कार्यालयों में हिन्दी स्टाफ तथा हिन्दी टाइपराइटरों की व्यवस्था कर दी गई है और अब इनकी संख्या बढ़ाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मंत्रालय के विभिन्न संगठनों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से की जा रही हैं और मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों में समय-समय पर हिन्दी कार्यशालाएं, हिन्दी वाद-विवाद, हिन्दी दिवस आदि भी आयोजित किये जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय ने समिति को आगे बताया कि संक्षिप्त अंग्रेजी-हिन्दी वाणिज्यिक शब्दावली बनाई गई है जो इस समय छप रही है। शब्दावली की प्रतियां सभी सम्बद्ध अधिकारियों को, जिनमें समिति के सदस्य भी शामिल हैं, शीघ्र ही भिजवा दी जाएंगी। अध्यक्ष महोदय ने एक बार फिर सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें अपने बहुमूल्य सुझाव देने के लिये आमंत्रित किया।

श्री रामनरेश कुशवाहा ने कहा कि मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों में सरकारी प्रयोजनों के लिये हिन्दी का प्रयोग सन्तोषप्रद नहीं है क्योंकि मंत्रालय के दो या तीन संगठनों को छोड़कर, इन संगठनों में ऐसे अधिकारी और कर्मचारी काफी बड़ी संख्या में हैं जिनको हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान है। उन्होंने सुझाव दिया कि हिन्दी के प्रयोग को सुकर बनाने के लिए अंग्रेजी के शब्दों को भी देवनागरी लिपि में लिखकर उनका प्रयोग उसी रूप में हिन्दी में किया जा सकता है। श्री कुशवाहा ने कहा कि मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों और संगठनों में हिन्दी की धीमी प्रगति का एक कारण यह है कि अंग्रेजी टाइपराइटरों की संख्या की तुलना में हिन्दी टाइपराइटरों की संख्या कम है। इस लिये, उन्होंने सुझाव दिया कि मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों, संगठनों में हिन्दी जानने वाले स्टाफ की संख्या के अनुपात में हिन्दी टाइपराइटरों की संख्या जुटाई जानी चाहिए।

श्री हुकुमदेव नारायण यादव ने कहा कि 'क' क्षेत्र के कई कार्यालयों में राजभाषा विभाग के वर्ष 1985-86 के वार्षिक कार्यक्रम का कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है और राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के प्रावधानों का भी अनुपालन पूर्णतः नहीं हो रहा है। मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात के कार्यालय के आंकड़ों का उल्लेख करते हुए ध्यान दिलाया कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं हुआ है, उन्होंने सुझाव दिया कि लाइसेंस फार्म द्विभाषी रूप में तैयार कराए जाने चाहिए और लाइसेंस हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किये जाने चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि राजभाषा अधिनियम और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिये हर कार्यालय/संगठन में उपयुक्त चैक प्वाइंट बनाये जाने चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि सरकार के इस निर्णय पर कि हिन्दी सलाहकार समिति की उप-समितियां पुनर्गठित नहीं की जानी चाहिए, पुनः विचार करने की आवश्यकता है ताकि मंत्रालय के विभिन्न संगठनों में हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति की समीक्षा ठीक तरह से की जा सके। इस सुझाव के उत्तर में सचिव, राजभाषा ने कहा कि जब कि ऐसी समितियों के बनाये जाने के बारे में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, चूंकि यह निर्णय केन्द्रीय हिन्दी समिति ने लिया है इसलिये केवल वही समिति इसकी समीक्षा कर सकती है। अपनी बात को जारी रखते हुए श्री यादव ने कहा कि जो कार्यालय राजभाषा नियमों के नियम 10(4) के अधीन अधिसूचित कर दिये गए हैं, वहां मूल पत्राचार में भी हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाना चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि, भविष्य में, हिन्दी टाइपराइटरों की खरीद तथा हिन्दी कार्य के लिये नियुक्त किये गए स्टाफ आदि के सम्बन्ध में गत दो-तीन वर्षों के तुलनात्मक आंकड़े ऐसी बैठकों के लिये प्रचालित किये जाने चाहिए ताकि सदस्य हुई प्रगति का मूल्यांकन

ठीक तरह से कर सकें। श्री यादव ने सुझाव दिया कि मंत्रालय के विभिन्न संगठनों की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों में लिये गए निर्णयों के कार्यान्वयन की मानीटरिंग करने की दृष्टि से प्रत्येक संगठन में उन समितियों की बैठक की कार्यवाही का रिकार्ड रखने के लिये एक रजिस्टर बनाया जाना चाहिए। श्री यादव ने इस बात पर बल दिया कि मंत्रालय के सभी कार्यालयों द्वारा 1985-86 के वार्षिक कार्यक्रम को पूरी तरह कार्यान्वित करने के लिये भरसक प्रयास किये जाने चाहिए। वार्षिक कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये श्री यादव ने सुझाव दिया कि मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों से कहा जाना चाहिए कि वे अपने क्रमबद्ध कार्यक्रम बनाए जिससे उसमें वचनबद्धता की भावना आयेगी। एम.एम.टी.सी.द्वारा द्विभाषी रूप में प्रकाशित "एम.एम.टी.सी." न्यूज़ का उल्लेख करते हुए श्री यादव ने कहा कि वस्तुतः यह पत्रिका द्विभाषी रूप में नहीं है क्योंकि हिन्दी पृष्ठों की अपेक्षा अंग्रेजी के पृष्ठ अधिक हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि इंडियन एयर लाइन्स द्वारा प्रकाशित पत्रिका के पैटर्न पर यह पत्रिका द्विभाषी रूप में प्रकाशित की जानी चाहिए।

श्री अजीत सिंह दाभी ने कहा कि चूंकि मंत्रालय के कई कार्यालयों तथा संगठनों का जनता से सम्पर्क रहता है इसलिये पत्राचार में सरल हिन्दी का प्रयोग वांछनीय है। उन्होंने सुझाव दिया कि अंग्रेजी शब्दों के कठिन हिन्दी पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करने की वजाय प्रादेशिक भाषाओं क सरल शब्द अपनाए जाने चाहिए तथा उनका प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि हिन्दी भाषा के सरलीकरण के लिये एक समिति वनायी जानी चाहिए। सचिव, राजभाषा विभाग ने स्पष्ट किया कि शिक्षा मंत्रालय के अधीन पहले ही एक वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग कार्य कर रहा है। हिन्दी में मूल पुस्तकों के सम्बन्ध में मंत्रालय की नकद पुरस्कार योजना का उल्लेख करते हुए श्री दाभी ने सुझाव दिया कि भविष्य में ऐसी योजनाओं का ब्यौरा समिति के सदस्यों की सूचना के लिये भी उनके पास भेजा जाना चाहिए।

श्री हरिहरनाथ मिश्र ने सुझाव दिया कि मंत्रालय के विदेश स्थित कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग में की गई प्रगति की समीक्षा करने के लिये राजभाषा विभाग के अधिकारियों को इन विभिन्न कार्यालयों का दौरा करना चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि आयातित तथा निर्यातित सभी उत्पादों के नाम और उनका विवरण हिन्दी में भी दिया जाना चाहिए और उनका प्रचार साहित्य मोनोग्राफ आदि हिन्दी में उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि भविष्य में द्विभाषी कम्प्यूटर खरीदे जाएं क्योंकि ऐसे कम्प्यूटर अब देश में ही बनने लगे हैं।

डा. वीरेन्द्र कुमार दूबे ने इच्छा व्यक्त की कि मंत्रालय के सभी कार्यालयों में हिन्दी टाइपराइटर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने चाहिएं। उन्होंने सुझाव दिया कि मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की उप-समितियां बनायी जानी चाहिए ताकि कार्यालयों में हिन्दी का प्रगामी प्रयोग ठीक तरह से सुनिश्चित किया जा सके।

श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह ने सुझाव दिया कि अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों का उत्तर देते समय उनमें विनम्रतापूर्वक इस प्रकार का संकेत दिया जा सकता है कि सरकार हिन्दी में ऐसे पत्रों का स्वागत करेगी। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि आशुलिपिकों और टाइपिस्टों की संख्या बढ़ाते समय यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि हिन्दी आशुलिपिकों और हिन्दी टाइपिस्टों की संख्या अंग्रेजी आशुलिपिकों और अंग्रेजी टाइपिस्टों से कम न हो। उन्होंने यह भी कहा कि हिन्दी आशुलिपिकों और हिन्दी टाइपिस्टों का वेतनमान अंग्रेजी आशुलिपिकों और अंग्रेजी टाइपिस्टों के वेतनमान के बराबर होना चाहिए। ऐसे कर्मचारियों को हिन्दी में अपना काम करने के लिये पर्याप्त प्रोत्साहन भी दिया जाना चाहिए। हिन्दी के सरलीकरण के बारे में श्री दाभी द्वारा उठाए गए प्वाईंट के सम्बन्ध में श्री सिंह ने कहा कि हिन्दी बहुत ही सरल भाषा है, किन्तु यदि कहीं कठिनाई हो तो हिन्दी की क्रिया के साथ अंग्रेजी की संज्ञाएं देवनागरी लिपि में लिखी जा सकती हैं। अपनी बात को जारी रखते हुए श्री सिंह ने कहा कि वे श्री दाभी के इस वक्तव्य से पूर्णतः सहमत हैं कि हिन्दी में प्रादेशिक शब्द अपनाये जाने चाहिए, इससे राष्ट्रीय एकता और अखण्डता की भावना पनपेगी। बैठक के समय दी गई 'एस.टी.सी.पत्रिका' का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि हालांकि पत्रिका का मुख पृष्ठ हिन्दी में है, परन्तु पत्रिका में अंग्रेजी की प्रमुखता है। उन्होंने सुझाव दिया कि राजभाषा विभाग के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार पत्रिका द्विभाषी रूप में होनी चाहिए।

सदस्यों द्वारा उठाए गए कुछ प्वाइंटों पर अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करते हुए अध्यक्ष महोदय ने समिति को आश्वासन दिया कि और अधिक हिन्दी टाइपराइटरों की मांग वित्तीय बातों के आधार पर नहीं ठुकराई जाएगी, यदि वह मांग अन्य दृष्टिकोणों से उचित हो। अध्यक्ष महोदय ने इस बात पर जोर दिया कि राजभाषा अधिनियम एवं उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों में किये गए प्रावधानों का अनुपालन सभी सम्बन्धित कार्यालयों आदि द्वारा अवश्य किया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि जब कि हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में ही दिया जाना चाहिए साथ ही यह भी प्रयास करना चहिए कि मूल पत्राचार में भी राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 1985–86 के आर्थिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार हिन्दी का प्रयोग हो। सरकार की राजभाषा नीति के समुचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये उपयुक्त चैक-प्वाइंटों की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर भी उन्होंने जोर दिया। विदेशों में स्थित कार्यालयों का दौरा करने सम्बन्धी सुझाव पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इस विषय पर सम्भवतः विदेश मंत्रालय द्वारा विचार किया जाना चाहिए। तथापि, हमें पहले देश में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने पर ध्यान देना चाहिए। द्विभाषी कम्प्यूटरों के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय ने समिति को बताया कि ऐसे कम्प्यूटरों को लगाने की लागत और अन्य बातों पर विचार करना होगा। प्रादेशिक भाषाओं के शब्दों के प्रयोग से सम्बन्धित प्वाइंट पर अध्यक्ष महोदय ने सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि जहां आसानी से हिन्दी में समझ सकने वाले शब्द न मिल सकें वहां हमें ऐसे शब्दों का स्वागत करना चाहिए।

चर्चा को समाप्त करते हुए अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को उनके बहुमूल्य सुझावों के लिए धन्यवाद दिया और उन्हें आश्वासन दिया कि उनके द्वारा उठाए गए उन सभी प्वाइंटों और सुझावों पर, जो कवर नहीं हो सके हैं पूर्ण रूप से विचार किया जाएगा और उन पर पूरा-पूरा ध्यान दिया जाएगा।

—ओमप्रकाश गुप्त
निदेशक, वाणिज्य मंत्रालय

3. विधि और न्याय मंत्रालय

विधि और न्याय मंत्रालय की पांचवीं हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक 23 अगस्त, 1985 को समिति कक्ष में राज्य मंत्री श्री हंसराज भारद्वाज की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई । इसमें निम्नलिखित सदस्य एवं अधिकारियों ने भाग लिया :

सर्वश्री हंसराज भारद्वाज, उपाध्यक्ष, श्री इन्द्रदीप सिंह, सदस्य, श्री गंगा शरण सिंह, सदस्य, श्री सुधाकर पाण्डेय, सदस्य, श्री शिवदयाल, सदस्य, डा० प्रद्युम्न कुमार त्रिपाठी, सदस्य, श्री बालकृष्ण, सदस्य, डा० मोती बाबू, सदस्य, श्री बी० एस० सेखों, सदस्य, श्री आर० वी० एस० पेरिशास्त्री, सदस्य, कु० कुसुमलता मित्तल, सदस्य, श्री नाहर चन्द गुप्त, सदस्य, श्री ब्रजकिशोर शर्मा, सदस्य-सचिव ।

निम्नलिखित अधिकारी भी उपस्थित थे :

श्री जगत नारायण, प्रधान संपादक, विधि साहित्य प्रकाशन, श्री गोकुल प्रसाद जैन, अपर विधायी परामर्शी, राजभाषा खंड, डा० धन्य कुमार जैन, अपर विधायी परामर्शी, राजभाषा खंड, श्री श्याम सुन्दर गुप्त, सहायक विधायी परामर्शी, राजभाषा खंड, श्री हेतराम बाल्मीकि, संपादक, विधि साहित्य प्रकाशन, श्री पूरन सिंह कर्नवाल, संपादक, विधि साहित्य प्रकाशन, श्री ओ० पी० दुआ, अवर सचिव, विधि साहित्य प्रकाशन श्री चन्दू भूषण देवराम, प्रकाशन और विक्रय राजभाषा विभाग, श्री राम लभाया, प्रकाशन और विक्रय सहायक, प्रबंधक, विधि साहित्य प्रकाशन, श्री विद्यासागर मदान, निजी सचिव, राजभाषा खंड, कु० सुभाष रानी यादव, अधीक्षक, राजभाषा खंड श्री सुरेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी, राजभाषा खंड, श्री एस० सी० दास, अनुभाग अधिकारी, विधायी विभाग, श्री सुरेश चन्द्र माथुर, सहायक संपादक, विधि साहित्य प्रकाशन ।

प्रारंभ में समिति के उपाध्यक्ष, विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री हंसराज भारद्वाज ने समिति के सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए यह कहा कि समिति को इस क्षेत्र में काम करने का व्यापक अनुभव है । उन्होंने इस विषय का गहराई से अध्ययन भी किया है अतः मंत्रालय उनकी सलाह को बहुमूल्य मानता है और उस पर पूरा-पूरा अमल करने का प्रयत्न करेगा । उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि लोक सभा में आवश्यक कार्य होने के कारण समिति के अध्यक्ष, विधि और न्याय मंत्री श्री अशोक सेन बैठक में उपस्थित नहीं हो पाए हैं । संसद के जो सदस्य इस समिति में हैं उनसे उपाध्यक्ष पहले से ही परिचित थे । समिति के जो नए सदस्य उपस्थित थे उनका परिचय समिति के सचिव ने उपाध्यक्ष से करवाया ।

श्री शिवदयाल ने उपाध्यक्ष से यह निवेदन किया कि राजभाषा अधिनियम, की धारा 7 के संशोधन का उनका प्रस्ताव 1983 में दिया गया था किन्तु अभी तक उससे संबंधित विधेयक संसद में नहीं लाया गया है । अन्य सदस्यों ने भी इस संशोधन की आवश्यकता पर बल दिया । राज्य मंत्री महोदय ने कहा कि वे संसद के सत्र के बाद इस विषय पर गृह मंत्री जी से चर्चा करेंग ।

बहुत से सदस्यों ने यह सुझाव दिया कि पत्रिकाओं का निर्णय और सार पत्रिकाओं की वार्षिक अनुक्रमणिका शीघ्र प्रकाशित होनी चाहिए । राज्य मंत्री जी ने स्वयं अपने अनुभव से कहा कि अधिवक्ताओं को निर्णय सार और अनुक्रमणिका की बहुत अधिक आवश्यकता होती है । इनके बिना पत्रिकाओं में से निर्णय तलाश करना बड़ा कठिन होता है और उसमें भी बहुत अधिक समय लगता है । बिना निर्णय सार के और अनुक्रमणिकाओं के पत्रिकाओं की कोई उपयोगिता नहीं रह जाती है । अतः निर्णय सार और अनुक्रमणिकाएं शीघ्र प्रकाशित की जाएं ।

विधायी विभाग के सचिव ने कहा कि विधि साहित्य प्रकाशन के कार्य में सुधार लाने के लिए उपायों का सुझाव देने के लिए एक उप-समिति बनाई जाए । इसी प्रकार का सुझाव श्री सुधाकर पाण्डे ने भी दिया । इन दोनों सुझावों पर विचार-विमर्श करते हुए यह तय हुआ कि निम्नलिखित सदस्यों की एक उपसमिति बनाई जाए :

श्री गंगाशरण सिंह, श्री सुधाकर पाण्डेय, श्री बालकृष्ण, डा० पी० के० त्रिपाठी डा० मोती बाबू ।

हिन्दी सलाहकार समिति के सचिव इस उपसमिति के सदस्य सचिव होंगे ।

समिति के सदस्य यह चाहते ह कि राज्य मन्त्री जी इस उप-समिति की अध्यक्षता करें । राज्य मन्त्री जी ने यह बताया कि व्यस्तता के कारण वे उपस्थित नहीं रह सकेंगे किन्तु जब कभी उप-समिति को उसकी सहायता या परामर्श की आवश्यकता होगी वे उपलब्ध रहेंगे ।

श्री सुधाकर पाण्डे ने राज्य मन्त्री जी से अनुरोध किया कि राज भाषा खंड में दिए पदों के सृजन के बारे में वित्त मन्त्री जी से बात करने की कृपा करें । राज्य मंत्री जी ने कहा कि संसद के सत्र के कारण वित्त मन्त्री अधिक व्यस्त हैं । संसद का सत्र समाप्त होने के पश्चात् वे उनसे मिलेंगे । उन्होंने यह भी कहा कि श्री सुधाकर पाण्डेय और एक अन्य सदस्य भी उनके साथ चलें जिससे वित्त मंत्री को अपनी अवश्यकता के बारे में विस्तार से बताया जा सके ।

यह तय हुआ कि हिन्दी सलाहकार समिति की आगामी बैठक अक्तूबर मास में बुलाई जाए । कुछ सदस्यों ने 12 से 18 अक्तूबर, 1985 के बीच का समय उपयुक्त बताया ।

—ब्रजकिशोर शर्मा, सचिव
हिन्दी सलाहकार समिति

4. श्रम मंत्रालय

श्रम मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की सातवीं बैठक 8-8-1985 को 11-00 बजे, समिति कक्ष, 'सी' विंग, श्रम शक्ति भवन नई दिल्ली में हुई । बैठक की अध्यक्षता श्रम मंत्री श्री टी० अंजया ने की । बैठक में निम्नलिखित सदस्यों/अधिकारियों ने भाग लिया : —

सरकारी पक्ष :

1. श्री टी. अंजैया, श्रम मंत्री—अध्यक्ष
2. श्री एच. एम. एस. भटनागर, सचिव, श्रम मंत्रालय—सदस्य

3. श्री अनिल बोर्दिया, अपर सचिव, श्रम मंत्रालय—सदस्य
4. श्री करनैल सिंह, संयुक्त सचिव, श्रम मंत्रालय—सदस्य सचिव
5. श्री पी. आर. रामकृष्णन, उप सचिव (रोज़गार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय) महानिदेशक, रोजगार एवं प्रशिक्षण के प्रतिनिधि—सदस्य
6. श्री हरिश्चन्द्र गोविंद भावे उप मुख्य श्रमायुक्त (के.) मुख्य श्रमायुक्त (कें.) के प्रतिनिधि—सदस्य
7. श्री ए. के. श्रीवास्तव महानिदेशक, श्रम कल्याण, श्रम मंत्रालय, जैसलमेर हाउस, नई दिल्ली—सदस्य
8. श्री वे. सु. रामास्वामी, महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, ई. एस. आई. सी. भवन, कोटला मार्ग, नई दिल्ली-1—सदस्य
9. श्री विपुल कांन्ति भट्टाचार्य, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, मयूर भवन, नई दिल्ली-1—सदस्य
10. कुमारी कुसुम लता मित्तल, सचिव, राजभाषा विभाग, तथा भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार—सदस्य
11. श्री सी. आर. महाजन, उप सचिव, (राजभाषा विभाग लोकनायक भवन, नई दिल्ली के प्रतिनिधि)—सदस्य
12. श्री आनन्द राम शर्मा, हिन्दी अधिकारी (महानिदेशक, खान सुरक्षा, धनबाद के प्रतिनिधि)—
13. श्री बी. बी. माथुर, निदेशक (महानिदेशक, कारखाना सलाहकार सेवा और श्रम विज्ञान केन्द्र, बम्बई के प्रतिनिधि)

गैर-सरकारी सदस्य :

1. श्री के. एन. प्रधान, संसद सदस्य (लोक सभा) 13-ए, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली—सदस्य
2. श्री राम रतन राम, संसद सदस्य (लोक सभा) 47 वेस्टर्न कोर्ट, नई दिल्ली—सदस्य
3. श्रीमती डा. सरोजिनी अग्रवाल, अभिवादन, वल्दा कालोनी, निशातगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश—सदस्य
4. श्री सत्य नारायण गुप्त, 21-3-86, जेलापुरा, हैदराबाद-500002 आन्ध्र प्रदेश—सदस्य
5. श्री कमल प्रसाद कमल, 13-2-667, धूलपेट, हैदराबाद आन्ध्र प्रदेश—सदस्य
6. श्री दीपक कुमार पाठक, 21-इर्गु रोड, हिल्स साउथ रांची, बिहार—सदस्य
7. श्री विजय रन्जन, सम्पादक, लोक आस्था, हिन्दी साप्ताहिक, शैल कुटीर, पटना, बिहार—सदस्य
8. श्री राम निवास पाण्डेय, ग्राम गायत्री नगर, पो. लोही, जिला-रेवा, मध्य प्रदेश—सदस्य
9. श्री अनुभव भटनागर, एफ-10 ए, डी. डी. ए. फ्लैट, मुनीरका, नई दिल्ली—सदस्य
10. श्री मधुकर खेर, साहित्यकार एवं पत्रकार बूढ़ापार, रायपुर, मध्य प्रदेश—सदस्य

विशेष रूप से आमंत्रित अतिथि :

1. श्रीमती सीमा गांधी, मार्फत् श्री बी. के. गांधी, 1-2-593/2, गगन महल कालोनी, डोमलगुडा, हैदराबाद ।

सर्व प्रथम श्रम मंत्री जी ने सदस्यों का स्वागत किया और बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा—जैसा कि आपको मालूम है, इस मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का हाल ही में पुनर्गठन किया गया है । पुनर्गठन समिति की इस पहली बैठक में आप सबका स्वागत करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है ।

भारत सरकार ने देश की आवश्यकताओं व परिस्थितियों को ध्यान में रखकर जो भाषा-नीति निर्धारित की है, उसे लागू करना हम सब का कर्त्तव्य है । जहां तक केन्द्र के सरकारी कामकाज का सम्बन्ध है, भारत सरकार की भाषानीति बिल्कुल स्पष्ट है । यह तय है कि कहां केवल हिन्दी का प्रयोग किया जाना है और कहां केवल अंग्रेजी का और कहां हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग अनिवार्य है : इन सब बातों की जानकारी हमें राजभाषा अधिनियम, उसके अधीन बनाए गए नियमों व समय-समय पर गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेशों से मिलती है । सरकार की भाषा-नीति को सुचारु रूप से चलाने के लिए क्या-क्या व्यवस्थाएं की जानी चाहिए, इसके बारे में भी सरकारी आदेश स्पष्ट हैं । यह काम संबंधित मंत्रालयों और कार्यालयों का है कि वे इन आदेशों के अनुसार आवश्यक व्यवस्थाएं करके सरकार की भाषा-नीति को लागू करें ।

श्रम मंत्रालय में हमने हिन्दी के पर्याप्त पद सृजित कर रखे हैं । अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप हिन्दी टाइपराइटरों इत्यादि की व्यवस्था भी है । परिणामस्वरूप हमारे यहां हिन्दी के प्रयोग में अब प्रगति हो रही है । हमारा यह प्रयत्न रहेगा कि हम राजभाषा विभाग द्वारा तैयार किए गए वार्षिक कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करें । मंत्रालय के सभी सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों आदि को भी ऐसा करने के निर्देश दिए गए हैं ।

मंत्रालय के सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए हमने एक शील्ड योजना भी चला रखी है । वर्ष 1982-83 के दौरान किए गए हिन्दी कार्य के आधार पर इसी बैठक में शील्ड तथा अन्य पुरस्कार दिए जा रहे हैं । मैं चाहूंगा कि अगले वर्ष के पुरस्कार देने संबंधी चयन कारवाई शीघ्र पूर्ण कर ली जाए ।

हमने अपने मंत्रालय व इसके प्रमुख सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति आपके समक्ष रखी है । हमें आशा है कि आप हमें हमारी कमियों से अवगत करायेंगे और उन्हें दूर करने के लिए अपने उपयोगी एवं व्यावहारिक सुझाव देंगे ।

आपका और समय न लेता हुआ मैं यह अनुरोध करना चाहूंगा कि अब हम बैठक की कार्यवाही आरम्भ करें ।

समिति को अवगत कराया गया कि मंत्रालय के सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए मंत्रालय

ने एक शील्ड एवं अन्य पुरस्कार योजना चलाई है। 1982-83 में किए गए हिन्दी कार्य के आधार पर जिन तीन कार्यालयों ने हिन्दी में सराहनीय काम किया था उनके नामों की घोषणा करते हुए श्रम मंत्री जी से अनुरोध किया गया कि वह इन कार्यालयों के अध्यक्षों को अपने कर-कमलों द्वारा शील्ड/ट्राफियां प्रदान करें। प्रथम पुरस्कार शील्ड के के रूप में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के मुख्यालय को दिया गया। केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय संख्या-1, धनबाद और केन्द्रीय सरकार औद्योगिक एवं श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली को क्रमशः द्वितीय व तृतीय पुरस्कार दिए गए जो ट्राफियों के रूप में थे। चूंकि केन्द्रीय औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय संख्या-1, धनबाद के पीठासीन अधिकारी बैठक में उपस्थित नहीं हो सके, इसलिए उस कार्यालय का पुरस्कार मंत्रालय के उप सचिव श्री बी. एस. मीना ने प्राप्त किया। समिति को यह भी बताया गया कि वर्ष 1983-84 के पुरस्कार भी शीघ्र वितरित किए जाएंगे।

विचार-विमर्श के दौरान समिति को मंत्रालय में विद्यमान हिन्दी के प्रयोग की स्थिति के बारे में जानकारी दी गई जिसपर सदस्यों ने मंत्रालय में किए जा रहे हिन्दी-कार्य की प्रशंसा की और इसके लिये श्रम मंत्री जी को बधाई दी। परन्तु उन्होंने महसूस किया कि मंत्रालय के सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग में सुधार लाए जाने की काफी गुंजाइश है। सदस्यों को बतलाया गया कि मंत्रालय तिमाही प्रगति रिपोर्टों के रूप में अपने सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों से हिन्दी के प्रयोग में प्रगति की जानकारी प्राप्त करता है जिसकी बारीकी से समीक्षा की जाती है और पाई गई कमियां उनके ध्यान में लाई जाती हैं ताकि वे उन्हें दूर कर सकें। समिति को आश्वासन दिया गया कि इन कार्यालयों को इस आशय के पुनः निर्देश जारी कर दिए जायेंगे कि वे राजभाषा अधिनियम/नियमों इत्यादि की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सरकारी-कामकाज में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए हर सम्भव प्रयास करें।

श्रीमती डा. सरोजिनी अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि हिन्दी के प्रयोग के व्यावहारिक पक्ष से उनका क्या अभिप्राय है। उन्होंने चाहा कि अधिकारीगण हिन्दी में कार्य करके उदाहरण कायम करें ताकि कमचारी भी उनका अनुसरण करें। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि चूंकि अंतिम उद्देश्य अंग्रेजी से छुटकारा पाना है, इसलिए यथासंभव अधिक से अधिक काम हिन्दी में किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हिन्दी में काम करके फिर उसका अंग्रेजी में भी अनुवाद कराया जाए। श्री के. एन. प्रधान ने भी इस बात पर बल दिया कि प्रयास यह होना चाहिए कि काम केवल हिन्दी में हो और उसे द्विभाषिक रूप में करने की आवश्यकता न पड़े। इस पर यह स्पष्ट किया गया कि अधिनियम/नियमों की अपेक्षाओं के अनुसार जो कामगाज द्विभाषी रूप में तैयार किए जाने हैं, उन्हें हर हालत में दोनों ही भाषाओं में तैयार करना होगा, क्योंकि उन्हें केवल हिन्दी या केवल अंग्रेजी में जारी करना अधिनियम/नियमों के विरुद्ध होगा। यह आश्वासन दिया गया कि सभी संबंधित को इस आशय के आदेश पुनः दे दिए जाएंगे कि जहां केवल हिन्दी का प्रयोग करने से अधिनियम/नियमों की अपेक्षाओं का उल्लंघन न होता हो, वहां वे यथासंभव केवल हिन्दी का ही प्रयोग करें।

बैठक के दौरान कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने सदस्यों को उस शब्दावली की प्रतियां वितरित कीं जो उन्होंने हाल ही में तैयार की थी। राजभाषा विभाग ने यह सुझाव दिया कि शब्दावली व्यावहारिक और सबकी समझ में आ सकने वाली होनी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि कोई कार्यालय, इस प्रकार की शब्दावली स्वयं तयार करे, तो उसे वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग से विधिवत् वट करवा लनी चाहिए। निगम क महानिदेशक ने बताया कि वितरित की गई शब्दावली की उक्त आयोग से बकायदा वटिंग करवा ली गई है।

सामान्य चर्चा के दौरान श्री के. एन. प्रधान ने इच्छा व्यक्त की कि मंत्रालय से हिन्दी में कोई मासिक या द्विमासिक श्रम विषयक पत्रिका निकाली जानी चाहिए। देवनागरी टाइपराइटरों से संबंधित श्री प्रधान के एक अन्य सुझाव के उत्तर में बतलाया गया कि मंत्रालय में इस समय 34 देवनागरी टाइपराइटर हैं जो मंत्रालय की समान अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त हैं। यह भी बताया गया कि आदेशों के अनुसार टाइपराइटरों की नई खरीद करते समय टाइपराइटर देवनागरी क खरीदे जाते हैं।

सचिव, राजभाषा विभाग ने समिति को सूचित किया कि अनुवादकों को प्रशिक्षण देने के लिए समुचित व्यवस्था की गई है और चाहा कि इन व्यवस्थाओं का पूरा-पूरा लाभ उठाया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि कम्पयटर व अन्य यन्त्र अब द्विभाषी रूप में उपलब्ध हैं। इसलिए सरकारी कामकाज के लिए इन द्विभाषी यन्त्रों की खरीद/प्रयोग किया जाए। इस पर उन्हें बताया गया कि इस संबंध में राजभाषा विभाग के निर्देश सभी संबंधितों के ध्यान में ला दिए गए हैं।

—करनैल सिंह
संयुक्त सचिव

5. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की पुनर्गठित हिन्दी सलाहकार समिति की पहली बठक दि. 16 सितम्बर, 1985 को श्रीमती मोहसिना किदवई, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे —

1. श्रीमती मोहसिना किदवई, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री—अध्यक्ष
2. श्री योगेन्द्र मकवाणा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री—उपाध्यक्ष
3. श्री बी. सत्यनारायण रेड्डी, संसद सदस्य—सदस्य
4. श्री कमला प्रसाद सिंह, संसद सदस्य—सदस्य
5. डा. सी.एस. त्रिपाठी, संसद सदस्य—सदस्य
6. श्री आर. वेंकट कृष्णन—सदस्य
7. डा. (श्रीमती) शान्ति सक्सेना—सदस्य
8. श्री मुकुल चन्द पाण्डेय—सदस्य
9. श्री शिवकान्त मिश्रा—सदस्य
10. श्री एम. के. बेलायुधन नायर—सदस्य
11. श्री काशीनाथ उपाध्याय "भ्रमर"—सदस्य
12. श्री रामनारायण कावरा—सदस्य
13. श्री मनुभाई खोडाभाई पटेल—सदस्य

14. प्रो. राजाराम शास्त्री—सदस्य
15. श्री पी. के. उमाशंकर, अपर सचिव (स्वास्थ्य)—सदस्य
16. श्री आर. पी. कपूर, अपर सचिव एवं आयुक्त (प.क.) —सदस्य
17. डा. देशबन्धु बिष्ट, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक—सदस्य
19. श्री देवेन्द्र चरण मिश्र, संयुक्त सचिव (रा. भा.) लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली—सदस्य

विशेष आमन्त्रित :

20. श्री एस. के. सुधाकर, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय—सदस्य-सचिव
21. श्री प्रभात कुमार महरोत्रा, संयुक्त सचिव (एम)
22. श्री स्वतंत्र कुमार आलोक, संयुक्त सचिव (ए)
23. श्री प्रेम प्रकाश चौहान, संयुक्त सचिव (सी)
24. श्री सर्वेश्वर झा, निदेशक (प्र. एवं सतर्कता)
25. श्रीमती चन्द्रकला सिंचुरी, उप सचिव
26. वैद्य शिवकुमार मिश्र, सलाहकार (आयुर्वेद)
27. डा. पी. एस. जैन, सचिव, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, नई दिल्ली
28. श्रीमती राजकुमारी सूद, उपचर्या सलाहकार

अन्य उपस्थित अधिकारी :

29. श्री मनमोहन श्रीवास्तव, राज्य मंत्री के निजी सचिव
30. श्री प्रेमलाल शर्मा, उप-निदेशक (राजभाषा)
31. श्री बहादुर सिंह बोरा, हिन्दी अधिकारी, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय
32. श्री जितेन्द्र लाल सूद, हिन्दी अधिकारी
33. श्री चन्द्रभान शर्मा, हिन्दी अधिकारी

प्रारम्भ में स्वास्थ्य और परिवार कल्लाण मंत्री ने सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि माननीय सदस्यों की सलाह इस महकमे में हिन्दी के प्रचार-प्रसार में बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध होगी। सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग के महत्व पर बले देते हुए उन्होंने कहा कि हिन्दी गरीबों और अमीरों तथा शासन और जनता को जोड़ने की एक कड़ी है। मुल्क के हर क्षेत्र में सरकारी कामकाज में इसे कैसे बढ़ाया जाए यह सोचना चाहिए। लोगों को भी यह महसूस होना चाहिए कि यह उनकी मातृभाषा है और व्यक्ति किसी विदेशी भाषा की अपेक्षा अपनी भाषा में अधिक प्रभावशाली ढंग से अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अपने ही देश में अजनबी पड़ने का अहसास सबसे दुखी अहसास होगा। हिन्दी भाषा को बढाने में उन्होंने दक्षिण के योगदान की भूरि-भूरि प्रशंसा की तत्पश्चात किसी अत्यन्त महत्वपूर्ण संसदीय कार्य में व्यस्त होने के कारण उन्होंने बैठक में बैठे रहने की अपनी विवशता प्रकट की और स्वास्थ्य राज्य मंत्री जी से अनुरोध किया कि वे इस बैठक की आगे अध्यक्षता करें।

स्वास्थ्य राज्य मंत्री जी ने सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए देश की एकता में हिन्दी की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय हिन्दी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग के लि कोशिश कर रहा है और यहां पर काफी काम हिन्दी में ही हो रहा है। किन्तु मंत्रालय में डाक्टरी शिक्षा वाले लोगों की बहुतायत होने के कारण हिन्दी के प्रयोग में उतनी तेजी नहीं आ पाई है। जैसा माननीय सदस्य भी जानते हैं कि डाक्टरी शिक्षा देश में अभी अंग्रेजी में ही दी जा रही है अतः इन लोगों को अपना काम हिन्दी में करने में कुछ दिक्कत अवश्य आती है। उन्होंने हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए मंत्रालय में किये गये प्रयासों का उल्लेख करते हुए सदस्यों को आश्वस्त किया कि मंत्रालय उनके मूल्यवान सुझावों पर अवश्य अमल करेगा। तत्पश्चात् कार्य-सूची पर विचार-विमर्श हुआ।

वर्तमान पुनर्गठित समिति की यह पहली बैठक थी इसलिए पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि हुई मान ली गयी और उसकी सिफारिशों पर की गयी कार्यवाही पर भी सहमति दे दी गई।

देशी चिकित्सा के क्षेत्र में हिन्दी का प्रयोग और आयुर्वेदिक फार्माकोपिया का मूल रूप से हिन्दी में तैयार किया जाना :

सदस्यों को सूचित किया गया कि आयुर्वेद के क्षेत्र में "क" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में काफी कुछ काम हिन्दी में हो रहा है। यहां तक कि एक संस्थान अर्थात् राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान, जयपुर में लगभग 99 प्रतिशत काम हिन्दी में हो रहा है। डा. सी. एस. त्रिपाठी का कहना था कि हिन्दी के पत्रों का उत्तर तो हिन्दी में दिया ही जा रहा है किन्तु जो पत्र अंग्रेजी में भेजे जा रहे हैं यदि उनके साथ हिन्दी अनुवाद भी दिया जाए तो इससे हिन्दी के प्रचार में सहायता मिलेगी। उनका यह भी कहना था कि हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए यह बहुत जरूरी है कि सरकारी काम-काज में हिन्दी का प्रयोग ऊपरी स्तर से शुरु किया जाना चाहिए। श्री मुकुल चंद पांडेय का कहना था कि लखनऊ के आयुर्वेदिक संस्थान में काम-काज अधिकतर अंग्रेजी में हो रहा है और प्रधान कार्यालयों से भी वहां पत्र अंग्रेजी में भेजे जा रहे हैं। सलाहकार (आयु.) ने स्पष्ट किया कि लखनऊ स्थित रीजनल इंस्टीट्यूट, आयुर्वेदिक परिषद् के अधीन काम कर रहा है और परिषद पर राजभाषा नीति और नियम सभी लागू होते हैं। हो सकता है कि कोई ऐसी स्थिति रही हो कि वहां से कोई पत्र अंग्रेजी में चला गया हो। डाक्टर आर. वेंकटकृष्णन का सुझाव था कि मद्रास स्थित आयुर्वेदिक औषधि संस्थान में अंग्रेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं में पत्राचार किया जाए। यहां पर लोग हिन्दी में काम करने के लिए तत्पर हैं। अध्यक्ष महोदय ने इस पर संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि ऐसे कार्यालयों में आगे से पत्र हिन्दी में भी भेजे जाएं।

जहां तक फार्माकोपिया का मूल रूप हिन्दी में बनाने का प्रश्न है सदस्यों को बतलाया गया कि फार्माकोपिया में औषधियों के परिचयात्मक और रासायनिक तथ्यों का दिग्दर्शन किया जाता है जिसके लिए मुख्यतः अंग्रेजी ग्रन्थों और रिपोर्टों में सामग्री प्राप्त की जाती है। इस समिति में सारे भारत के वैद्यों और वैज्ञानिकों का प्रतिनिधित्व होता है अतः इसे मूल रूप में अंग्रेजी में प्रस्तुत किया जा रहा है और तत्काल इसका हिन्दी अनुवाद भी तैयार किया जा रहा है। सदस्यों

को यह आश्वासन दिया गया कि इसके हिन्दी प्रकाशन में कोई विलम्ब नहीं किया जाएगा । श्री काशीनाथ उपाध्याय का सुझाव था कि इस संबंध में लखनऊ में एक वृहद् पुस्तक (वनौषधि संदर्भिका) तैयार हुई है । अतः फार्माकोपिया तैयार करते समय उस पुस्तक को भी देख लिया जाए । इस सुझाव को मान लिया गया ।

प्रान्तों के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभागों के बीच पत्र व्यवहार हिन्दी में—क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तरों की गोष्ठियों और संगोष्ठियों में हिन्दी का प्रयोग :

इस पर सदस्य विभागीय टिप्पणी से संतुष्ट थे किन्तु श्री एम. के. वेलायुधन नायर का कहना था कि केन्द्रीय सरकार के "ग" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों को कम से कम 10 प्रतिशत पत्र व्यवहार हिन्दी में करना चाहिए और इसके लिए इन कार्यालयों में हिन्दी के पद और टाइपराइटरों की व्यवस्था कर देनी चाहिए । फोल्डरों और बैनरों पर भी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाए । अध्यक्ष महोदय ने इस पर आवश्यक कार्यवाही करने की अपनी सहमति प्रकट की ।

मंत्रालय में हिन्दी जानने वाले कर्मचारी; न जानने वालों को प्रशिक्षण दिया जाना; कार्यसाधक ज्ञान न रखने वालों से हिन्दी में काम लिया जाना :

श्री बी. सत्यनारायण रेड्डी का कहना था कि लोग जानते हुए भी हिन्दी में काम इसलिए नहीं करते कि वे इसे महत्व देते ही नहीं । अध्यक्ष महोदय का कहना था कि इनका ज्ञान कार्यसाधक ज्ञान भर है इसलिए वे अपना नोटिंग ड्राफ्टिंग हिन्दी में नहीं कर सकते । श्री देवेन्द्र चरण मिश्र, संयुक्त सचिव राजभाषा विभाग का कहना था कि जिन कार्यालयों को नियम 10(4) के अन्तर्गत अधिसूचित कर लिया गया है उनको नियम 8(4) के अंतर्गत हिन्दी में काम करने के लिए निर्दिष्ट किया जा रहा है । समिति को यह बतलाया गया कि इस प्रयोजन के लिए ऐसे कार्यालयों का निरीक्षण किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि उन्हें इस प्रकार निर्दिष्ट करने से सरकारी कामकाज में बाधाएं तो नहीं खड़ी होंगी । डा. आर. वेंकटकृष्णन का कहना था कि तमिलनाडु स्थित कार्यालयों में कई स्थानों पर हिन्दी जानकार हैं परन्तु वहां देवनागरी टाइपराइटर नहीं हैं । सदस्यों को यह सूचित किया गया कि मंत्रालय के सभी कार्यालयों को ये आदेश बहुत पहले भेज दिए गए हैं कि वे अपने यहां हिन्दी टाइपराइटर की व्यवस्था कर लें । इस संबंध में उन्हें फिर से आदेश दे दिए जाएंगे । श्री एस. के. सुधाकर संयुक्त सचिव ने समिति को यह भी सूचित किया कि मंत्रालय में हिन्दी में काम हो रहा है । तीन अनुभागों में 75 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक काम हिन्दी में हो रहा है और ये अनुभाग हिन्दी अनुभाग से अलग अनुभाग हैं । मंत्रालय की कोशिश यह है कि ऐसे अनुभागों को निर्दिष्ट किये बिना ही यदि वहां पर हिन्दी का काम बढ़ाया जा सकता है तो उसे बढ़ाया जाए ।

आयुर्विज्ञान शब्द संग्रह का उपयोग; वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा प्रकाशित ग्रन्थों को अधीनस्थ कार्यालयों के पुस्तकालयों और संस्थाओं को उपलब्ध कराया जाना :

सदस्य कार्यसूची में दी गई विभागीय टिप्पणी से संतुष्ट थे । डा. (श्रीमती) शान्ति सक्सेना का यह सुझाव था कि एलोपैथी में प्रयोग होने वाली शब्दावली हिन्दी में तैयार करते समय चरक संहिता जैसे आयुर्वेदिक ग्रन्थों का उपयोग किया जाए तथा ऐसी शब्दावली से लोगों को परिचित कराने के लिए टी. वी. आदि पर उनका प्रचार किया जाए । इस पर समिति को सूचित किया गया कि आयुर्वेदिक शब्दावली में चरक संहिता का इस्तेमाल पहले से ही किया जा रहा है । दवाओं के नामों का हिन्दी अनुवाद भ्रान्तियां पैदा कर देगा । वैसे, डाक्टर तथा दूसरे लोग धीरे-धीरे हिन्दी का इस्तेमाल करते जा रहे हैं ।

एम. बी. बी. एस. और पैरा-मैडिकल पाठ्यक्रमों की पढ़ाई हिन्दी तथा भारतीय भाषाओं में : मेडिकल कालेज के पाठ्यक्रमों में हिन्दीतर भाषा-भाषी छात्रों के लिए हिन्दी के प्रशिक्षण की व्यवस्था; आयुर्विज्ञान की शिक्षा के लिए पाठ्य पुस्तकों का निर्माण और प्रकाशन :

इस पर सदस्य विभागीय टिप्पणी से संतुष्ट थे किन्तु राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि का यह सुझाव था कि इस पर एक समिति गठित करने पर विचार किया जाए, जिसमें मंत्रालय, मैडिकल काऊंसिल आफ इंडिया और शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि रखे जाएं ।

"ग" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों/उपक्रमों/निगमों के नाम तथा सभी कार्यालयों में निर्धारित मापदंड के अनुसार हिन्दी के पदों की व्यवस्था :

श्री एम. के. वेलायुधन नायर का कहना था कि कार्यालयों की सूची में आगे यह भी बतलाया जाए कि उनमें हिन्दी के कितने कितने पद हैं । उन्हें ऐसी सूची अगली बैठक में देने का आश्वासन दिया गया ।

जहां तक पदों की व्यवस्था का प्रश्न है समिति को यह बतलाया गया कि नए पदों के बनाने पर प्रतिबंध अभी भी जारी है । अतः ये पद बनाए नहीं जा सके हैं । राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि ने ऐसे विभिन्न कार्यालयों में हिन्दी के पदों को बनाने का प्रस्ताव उनके पास भेजने का सुझाव दिया और यह आश्वासन दिया कि वे इस कार्य में मंत्रालय की मदद करेंगे

श्री राजा राम शास्त्री का यह सुझाव था कि मंत्रालय में हिन्दी का काम देखने वाले अधिकारी का ग्रेड बढ़ाया जाए या वर्तमान पद से एक और उच्च पद बनाया जाए । समिति को यह आश्वासन दिया गया कि वर्तमान प्रतिबंध में रिलैक्सेशन मांगते हुए एक ऐसा पद बनाने की कार्यवाही की जाएगी तथा विभिन्न कार्यालयों के लिए आवश्यक पदों का एक प्रस्ताव राजभाषा विभाग की सिफारिशों के लिए उनके पास भेज दिया जायेगा ।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रकाशन-पत्र पत्रिकाओं के निकलने में विलम्ब :

इस संबंध में मंत्रालय द्वारा दी गयी टिप्पणी से संतुष्ट होते हुए भी सदस्यों का यह कहना था कि ऐसी सारी पत्र-पत्रिकाएं उनको भी भेजी जानी चाहिए । अध्यक्ष महोदय ने इस बात पर असंतोष व्यक्त किया कि ये पत्र-पत्रिकाएं उनको भी नहीं भेजी जाती । सदस्यों को यह आश्वासन दिया गया कि आगे से ये पत्र-पत्रिकाएं सबको भेजी जाती रहेंगी ।

औषधियों के पैकटों पर दी गयी जानकारी का अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी में भी दिया जाना :

इस पर सदस्य विभागीय टिप्पणी से संतुष्ट नहीं थे किन्तु कुछ सदस्यों का कहना था कि आयुर्वेद के केन्द्रीय सरकारी दवा निर्माता संस्थान में औषधियों के पैकटों पर लगने वाले लेबलों के कुछ नमूने अगली बैठक में प्रस्तुत किए जाएं। इसके अतिरिक्त विभिन्न संस्थानों के लोगो हिन्दी में तैयार किये जाएं। कुछ सदस्यों का यह भी कहना था कि केन्द्रीय सरकार जो दवाइयां खरीदती है उनके बारे में दवा निर्माताओं को ये हिदायतें दे दी जाएं कि वे उन दवाइयों के लेबलों पर "छोटा परिवार" तथा "सरकारी संस्थानों में प्रयोग के लिए" जैसे हिन्दी संकेत अवश्य छापें। सदस्यों को यह आश्वासन दिया गया कि समिति के इस सुझाव को रसायन और उर्वरक मंत्रालय के पास भेज दिया जाएगा।

हिन्दी के टाइपराइटर निर्धारित प्रतिशत में खरीदे जाने की व्यवस्था :

सदस्यों का कहना था कि "क", "ख" और "ग" क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों के लिए जो टाइपराइटर खरीदे जाएं तो उनमें से वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित प्रतिशत के अनुसार देवनागरी के टाइपराइटर खरीदे जाएं। अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को कहा कि इस प्रतिशत पर जोर न दिया जाए क्योंकि प्रश्न खरीदने का नहीं, उनके उपयोग का है। उन्होंने सदस्यों को आश्वासन दिया कि हिन्दी के टाइपराइटरों के अभाव में हिन्दी के उपयोग को रुकने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने सदस्यों को यह भी सूचित किया कि हिन्दी के टाइपराइटरों का प्रिन्ट अच्छा नहीं है इसलिए हम प्रारंभ में दो इलैक्ट्रोनिक टाइपराइटर खरीद रहे हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के गैर सरकारी सदस्यों को पहचान पत्र देने की व्यवस्था :

इस पर विचार विमर्श के दौरान यह बतलाया गया कि ऐसे पहचान पत्रों की उपयोगिता प्रतीत नहीं होती। श्री काशीनाथ उपाध्याय "भ्रमर" ने भी ऐसे पहचान पत्रों की आवश्यकता नहीं समझी। राजभाषा विभाग भी ऐसे पहचान पत्र देने के पक्ष में नहीं है। यदि कुछ मंत्रालयों ने ऐसे पहचान पत्र दिए हैं तो हो सकता है कि उन्होंने अपने यहां इनकी कोई उपयोगिता समझी हो। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि यह सब होते हुए भी हम इसके बारे में आगे बातचीत करेंगे और यह देखेंगे कि ऐसे पहचान-पत्र देने की हमारे मंत्रालय के लिए कोई उपयोगिता है भी या नहीं।

हिन्दी सलाहकार समिति की वर्ष में चार बैठकें। राजभाषा कार्यान्वयन समिति के गैर सरकारी सदस्य विशेषकर सांसद का नामांकन :

वर्ष में चार बैठकें करने पर अध्यक्ष महोदय ने अपनी सहमति प्रकट की। किन्तु राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में सांसद जैसे विशिष्ट व्यक्तियों को पर्यवेक्षक के रूप में शामिल करने के बारे में उन्होंने उपस्थित संसद सदस्यों से ही यह जानना चाहा कि क्या वे ऐसी बैठकों में आना पसन्द करेंगे जिनकी अध्यक्षता एक अधिकारी कर रहा हो। सदस्यों ने इस पर अपनी नापसन्दी प्रकट की। संयुक्त सचिव ने बतलाया कि हम सांसदों से भिन्न किसी स्थानीय गैर सरकारी सदस्य को ऐसी बैठक में नामांकित करने पर विचार कर रहे हैं।

मंत्रालय और उसके अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियां :

कार्य सूची में दी गई विभागीय टिप्पणी से संतुष्ट होते हुए भी श्री मुकुल चंद पांडेय का यह कहना था कि लखनऊ स्थित क्षेत्रीय निदेशक के कार्यालय में 60 कर्मचारी होने पर भी वहां पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति नहीं बनी हुई है और निदेशक का यह कहना है कि यदि ऐसे आदेश मंत्रालय से उन्हें मिलें तो वे ऐसी समिति का निर्माण कर देंगे। लखनऊ स्थित इस कार्यालय में 60 कर्मचारी होने पर संदेह व्यक्त किया गया और साथ ही यह भी बतलाया गया कि यदि 58 ऐसे अन्य कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियां बनी हुई हैं तो वे मंत्रालय के आदेश पर ही बनी होंगी। अध्यक्ष महोदय ने बतलाया कि शीघ्र ही मंत्रालय के एक अधिकारी इस कार्यालय का निरीक्षण करने जा रहे हैं जो वस्तुस्थिति का पता लगा लेंगे।

अस्पतालों में रजिस्टरों, पर्चियों आदि पर हिन्दी का प्रयोग :

सदस्य कार्य सूची में दी गयी विभागीय टिप्पणी से संतुष्ट थे। वैसे उन्होंने ऐसी पर्चियों पर "दिन में दो बार" "तीन बार" जैसे संकेत अधिकाधिक हिन्दी में ही देने पर जोर दिया। उनका कहना था कि दवा का नाम अंग्रेजी में लिखा जा सकता है किन्तु पर्चियों पर रोगी का नाम और इस्तेमाल के संकेत हिन्दी में अवश्य दिये जाएं।

एस. के. सुधाकर
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

नौवहन और परिवहन मंत्रालय :

मंत्रालय की नवगठित हिन्दी सलाहकार समिति की पहली बैठक नौवहन और परिवहन राज्य मंत्री जी की अध्यक्षता में 22 जुलाई, 1985 को हुई इस बैठक में निम्नलिखित सदस्य अधिकारी उपस्थित थे :

1.	नौवहन और परिवहन राज्यमंत्री	अध्यक्ष
2.	श्री सुधाकर पाण्डेय, संसद सदस्य (राज्य सभा)	सदस्य
3.	परिवहन सचिव	सदस्य
4.	राजभाषा सचिव व भारत सरकार की हिन्दी सलाहकार	सदस्य
5.	अपर सचिव (पत्तन)	सदस्य
6.	महानिदेशक, दीपघर और दीपपोत विभाग	सदस्य
7.	अध्यक्ष, मद्रास पोर्ट ट्रस्ट	सदस्य
8.	श्री गया सिंह, भूतपूर्व एम० एल० ए०	सदस्य
9.	डा० जे० पी० द्विवेदी	सदस्य
10.	डा० एन० चन्द्रशखरन नायर	सदस्य
11.	अब्दुल उर्फ अंसारी, एम० एल०ए०	सदस्य
12.	श्री गोपाल मिश्र	सदस्य

13.	श्री क्षेम चन्द्र "सुमन"	सदस्य
14.	डा० एम० राजेश्वरय्या	सदस्य
15.	श्री के० सी० सिन्हा	सदस्य
16.	संयुक्त सचिव (पत्तन)	सदस्य–सचिव

अधिकारीगण :

1. के० जे० एस० गिल, वरिष्ठ उप नौवहन महानिदेशक, बम्बई
2. श्री पी० घोष, उप नौवहन महानिदेशक, बम्बई
3. डा० अनिमेष चन्द्र राय, उपाध्यक्ष, कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट
4. श्री के० के० गोगोई, मुख्य इंजीनियर और प्रशासक, अन्तर्देशीय जल परिवहन निदेशालय
5. श्री के० टी० कोठारी, महाप्रबंधक, भारतीय नौवहन निगम लि०, बम्बई
6. श्री ए० डी० चावला, उप प्रबंधक, भारतीय नौवहन निगम लि० नई दिल्ली
7. श्री सी० आर० महाजनी, उप सचिव, राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय)
8. श्री महेश झाब, उप मुख्य, सूचना अधिकारी, नौवहन और परिवहन मंत्रालय
9. श्री देवराज बंसल, उप सचिव, नौवहन और परिवहन मंत्रालय
10. श्री देवेश चन्द्र, उप निदेशक (राजभाषा), नौवहन और परिवहन मंत्रालय

समिति ने हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्य श्री चन्द्रगुप्त विद्यालंकार जी के निधन पर समिति ने शोक प्रकट किया और दो मिनट का मौन रखा। इसके बाद बैठक कार्रवाई शुरू हुई। माननीय राज्य मंत्री जी ने नवगठित समिति के सदस्यों का स्वागत करते हुए आशा व्यक्त की कि नवगठित समिति यह सुनिश्चित कर लेगी कि मंत्रालय और उसके सभी कार्यालयों और पब्लिक अंडरटेकिंगों आदि में हिन्दी का पूरा प्रचार प्रसार हो। उन्होंने सदस्यों को वर्ष 1985–86 के लिए केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों में हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग के संबंध में गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) द्वारा बनाये गये वार्षिक कार्यक्रम की संक्षिप्त रूप रेखा बताई और सूचित किया कि इसकी प्रतियां मंत्रालय के सभी प्रधान कार्यालयों को दी गई हैं। उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने सभी पोर्ट ट्रस्टों, डाक नम्बर बोर्डों और कारपोरेशनों आदि के अध्यक्षों को निदेश दे दिए जाएं कि जब कभी इन संस्थानों के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स की बैठक हो तब राजभाषा कार्यान्वयन की प्रगति पर भी विचार किया जाना चाहिए और मंत्रालय को तदनुसार सूचित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मंत्रालय में इन रिपोर्टों की समीक्षा की जायेगी और उचित निर्देश जारी किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) ने जो भी प्रोत्साहन योजनाएं प्रस्तावित की हैं उनसे हमारे कार्यालय पूरी तरह वाकिफ हैं और उसके लिए पूरी पूरी कोशिश की जा रही है। उन्होंने समिति को आश्वासन दिया कि हमारे अधिकारी व कर्मचारी राजभाषा अधिनियम व नियम का पालन करने की पूरी कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार म हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने की जिम्मेदारी मुख्यतः सामान्य लोगों पर है। उन्होंने सदस्यों से अनुरोध किया कि वे नौवहन और परिवहन से संबद्ध विषयों पर हिन्दी में सामग्री उपलब्ध कराने में मंत्रालय की सहायता करें।

मंत्रालय और उसके कार्यालयों से प्रकाशित होने वाली पत्र-पत्रिकाओं का सदस्यों को भेजा जाना और इन पत्र-पत्रिकाओं में रचनाओं का हिन्दी में भी दिया जाना :

सदस्यों को बताया गया कि यह निर्णय सभी कार्यालयों के ध्यान में ला दिया गया है और नवगठित समिति के सदस्यों के नाम व पते सभी कार्यालयों को सूचित किये जा रहे हैं जिससे कि उन्हें उक्त पत्र-पत्रिकाएं आदि मिलती रहें। बैठक में भारतीय नौवहन निगम, लि. बम्बई, इंडियन रोड कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लि. नई दिल्ली और दीपघर व दीपपोत विभाग नई दिल्ली में प्रकाशित पत्रिकाएं और बुलेटिन प्रस्तुत किये गये। संसद सदस्य श्री सुधाकर पांडेय ने सुझाव दिया कि इन पत्र-पत्रिकाओं में अंग्रेज़ी और हिन्दी दोनों भाषाओं में एक सी सामग्री प्रकाशित होनी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि पत्र-पत्रिकाओं में तकनीकी विषयों पर लेख रहने चाहिए।

यह सुझाव स्वीकार किया गया और निर्णय किया गया कि इसे सभी कार्यालयों को कार्यान्वित करने के लिए भेज दिया जाए।

मंत्रालय व उसके कार्यालयों जन संपर्क अधिकारियों के लिए हिन्दी का ज्ञान अनिवार्य किया जाना :

सदस्यों को बताया गया कि मंत्रालय और उसके कार्यालयों के जन संपर्क अधिकारी अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों की तरह हिन्दी का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और हिन्दी शिक्षण की सुविधाएं भी सभी कार्यालयों में उपलब्ध हैं।

संसद सदस्य श्री सुधाकर पांडेय ने यह जानना चाहा कि ये जन संपर्क अधिकारी हिन्दी का प्रयोग करते हैं या नहीं। समिति को यह सूचित किया गया कि जन संपर्क अधिकारियों द्वारा हिन्दी का व्यवहार नहीं किये जाने के बारे में कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है और यह अनुमान किया जाता है कि हमारे जन संपक अधिकारी अपने कर्तव्य में हिन्दी का यथासंभव प्रयोग करते हैं।

श्री जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी जी ने सुझाव दिया कि मंत्रालय और उसके कार्यालयों में ऐसे विषय/अनुभाग आदि चुने जाने चाहिए जहां केवल हिन्दी में काम हो :

परिवहन सचिव महोदय ने बताया कि राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए) नियम 1976 के नियम 8 में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों म टिप्पणियों के लिखे जाने के बारे म व्यवस्था निश्चित की हुई है और प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी को हिन्दी म काम करने की पूरी छूट मिली हुई है। उन्होंने बताया कि नियम 8(4) के तहत कार्यालयों में विनिर्दिष्ट करने के बारे में यथासंभव विचार किया जाएगा। परिवहन सचिव महोदय ने स्दस्यों को आश्वासन दिया कि कछ ऐसे विषय भी चुने जायेंगे जिन के बारे म कर्मचारियों/

अधिकारियों में टिप्पणी हिन्दी में ही लिखने के लिए अनुरोध किया जायेगा।

श्री जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी जी ने कहा कि मंत्रालय में 12 लिपिक हिन्दी टाईपिंग और 27 आशुलिपिक हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षित हैं लेकिन देवनागरी के कुल 20 टाइपराइटर हैं जिसके कारण हिन्दी टाईपिंग व हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षित कर्मचारी की सेवाओं का उचित उपयोग नहीं होता दीखता। उन्होंने सुझाव दिया कि मंत्रालय द्वारा देवनागरी के टाइपराइटरों की कमी को पूरा किया जाना चाहिए।

यह बताया गया कि परिवहन पक्ष के केन्द्रीय रजिस्ट्री अनुभाग में हिन्दी टाईपिंग की व्यवस्था के अलावा सड़क पक्ष में भी हिन्दी टाइपिंग की व्यवस्था है और जो लोग हिन्दी टाईपिंग व हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षण प्राप्त किये हुए हैं उनकी सेवाओं का उपयोग किया जाता है तथापि वर्ष 1985–86 के वार्षिक कार्यक्रम में दी गई व्यवस्था और मंत्रालय में हिन्दी टाईपिंग व हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षित कर्मचारियों का अधिक से अधिक उपयोग करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय हुआ कि इस वर्ष मंत्रालय में जितने टाइपराइटर खरीदे जायेंगे उनमें 80 प्रतिशत देवनागरी के टाइपराइटर खरीदे जायेंगे।

श्री जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी जी तथा अन्य सदस्यों द्वारा उक्त व्यवस्थाओं के अनुपालन के बारे में पूछे जाने पर यह बताया गया कि मंत्रालय और उसके कार्यालयों में राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अनुपालन के लिए मंत्रालय में तीन स्थानों पर जांच बन्दु बने हुए हैं :–

(1) पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी
(2) जिस अनुभाग की ओर से पत्र जारी होगा वह अनुभाग
(3) केन्द्रीय रजिस्ट्री अनुभाग।

परिवहन सचिव महोदय ने यताया कि इस धारा के अनुपालन के प्रति सभी अधिकारी सावधान रहते हैं, तथापि कभी-कभी एकाध आदेश अंग्रेजी में जारी करने जरूरी हो जाते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस बारे में जो भी आवश्यक होगा अवश्य किया जाएगा।

यह निर्णय किया गया कि गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) ने उक्त जांच विन्दुओं के अतिरिक्त जिन अन्य जांच विन्दुओं की व्यवस्था की है उनको भी कार्यान्वित कराया जाय जिससे इस धारा का कड़ाई के साथ पालन हो सके।

हिन्दी में काम करने के लिए गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) द्वारा प्रस्तावित प्रोत्साहनों का व्यापक प्रचार किया जाए।

यह निर्णय हुआ कि इन प्रोत्साहनों, योजनाओं को सुचारू रूप से कार्यान्वित करने के लिए इनका व्यापक प्रचार किया जायेगा और डा० वासुदेवरशरण अग्रवाल पुरस्कार, डा० मोती चन्द्र पुरस्कार तथा राजभाषा शील्ड योजना को सक्रिय किया जायेगा।

राजभाषा सचिव और भारत सरकार की हिन्दी सलाहकार कुमारी कुसुमलता मित्तल जी ने सुझाव दिया कि मंत्रालय और उसके कार्यालयों में 'सिद्धार्थ' वर्ड प्रोसेसर जैसे यांत्रिक उपकरण खरीदे जाने चाहिए।

यह निर्णय हुआ कि मंत्रालय और उसके कार्यालयों में यथा-आवश्यकता 'सिद्धार्थ' वर्ड प्रोसेसर आदि इलेक्ट्रानिक उपकरण खरीदे जायें।

वाणिज्य नौवहन भर्ती के लिए आयोजित परीक्षाओं में हिन्दी का प्रयोग :

श्री गोपाल मिश्र जी ने सुझाव दिया कि वाणिज्य नौवहन में भर्ती के लिए जो परीक्षा आयोजित की जाती है, उनमें हिन्दी के प्रयोग की व्यवस्था की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय ने बताया कि वाणिज्यिक नौवहन अन्तर्राष्ट्रीय विषय है। इसलिए इन परीक्षाओं में हिन्दी के प्रयोग पर बल देना विदेशी जहाजों पर देश के नवयुवकों को नौकरी मिलने में बाधक सिद्ध हो सकता है तथापि इन परीक्षाओं में "सामान्य हिन्दी" प्रश्न पत्र को शामिल करने पर विचार किया जा सकता है। ये परीक्षाएं नौवहन महानिदेशालय आयोजित किया करता था और अब इन परीक्षाओं के प्रबन्ध को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को सौंपने का निर्णय हुआ है।

यह निर्णय हुआ कि इस संबंध में नौवहन महानिदेशालय से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ विचार विमर्श कर सामान्य हिन्दी के प्रश्न पत्र को परीक्षा में शामिल कराने के लिए कहा जायेगा।

हिन्दी सलाहकार समिति की शब्दावली उप समिति का पुनर्गठन :

इस मद पर सदस्यों ने अनेकों सुझाव दिये जिनमें से एक यह था कि इस उप समिति में तटवर्ती क्षेत्रों में हिन्दी का काम करने वाले व्यक्ति को शामिल किया जाय। राजभाषा सचिव और भारत सरकार की हिन्दी सलाहकार कुमारी कुसुम लता मित्तल जी ने सुझाव दिया कि इस उप समिति में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के अध्यक्ष डा० मलिक मोहम्मद को भी सहयोजित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को सूचित किया कि उनके सुझावों को ध्यान में रखते हुए शब्दावली उप समिति के पुनर्गठन के बारे में शीघ्र निर्णय लिया जायेगा।

श्री क्षेमचन्द "सुमन" जी ने कहा कि हिन्दी सलाहकार समिति की एक बैठक कोचीन में आयोजित हुई थी। उन्होंने सुझाव दिया कि इसी प्रकार इस समिति की बैठक तटवर्ती स्थानों में आयोजित की जाये।

अध्यक्ष महोदय ने बताया कि भारत सरकार के वित्तीय निर्देशों को ध्यान में रखकर ही इस पर निर्णय लिया जा सकता है।

(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें

1. तिरूवनंतपुरम

विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक दिनांक 29-10-85 को संयुक्त निदेशक जनगणना कार्य श्री बी. टी. पिल्लै की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई इसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :

श्री एस. जयशंकर, स : नि (त), श्री के. वि. रामास्वामी स : नि (प्र), श्री एन. मुरलीधरन नायर–हि. : अ (सचिव) ।

हिन्दी के प्रगामी प्रयोग संबंधी तिमाही रिपोर्ट और उसकी संवीक्षा टिप्पणी पर विचार किया गया। सदस्यों ने यह विचार प्रकट किया कि संवीक्षा टिप्पणी में बनाई गयी कई मदें वास्तविकता के विरुद्ध हैं ।

अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों ने इस पर खुशी प्रकट की कि इस कार्यालय के अभिलेखापाल ने हिन्दी प्रबोध परीक्षा पास कर ली है। अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि अन्य 4 कर्मचारी हिन्दी प्रशिक्षण ले रहे हैं और 3 निम्न श्रेणी लिपिक निजी प्रयत्नों से हिन्दी टंकण सीख रहे हैं ।

निर्णयानुसार इस निदेशालय ने अन्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों से मिल कर इस वर्ष का हिन्दी सप्ताह दिनांक 14-9-85 से 20-9-85 तक मनाया । 3 कर्मचारियों और कर्म चारियों के 2 बच्चों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया।

चूंकि दिल्ली के प्रकाशकों से अभी तक पुस्तकें प्राप्त नहीं हुई हैं, इसलिए समिति ने यह निर्णय लिया कि आवश्यक संदर्भ ग्रंथ स्थानीय प्रकाशकों से खरीदें ।

नवंबर 1985 से "धर्मयुग" का ग्राहक बनने का भी निर्णय लिया गया ।

समिति ने संतोष प्रकट किया कि इस कार्यालय से भेजे जाने वाले हिन्दी में मूल पत्रों की संख्या बढ़ती जा रही है । अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को बताया कि इस विषय में आवश्यक अनुदेश दिए जा चुके हैं कि सभी फार्म और रबड़ की मोहरें केवल हिन्दी–अंग्रेज़ी की ही प्रयुक्त करें। समिति ने यह निर्णय भी लिया कि छुट्टी का अनुमोदन आदेश हिन्दी–अंग्रेज़ी में भेजें।

–बी. टी. पिल्लै
अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति एवं
संयुक्त निदेशक जनगणना कार्य

2. विशाखापटनम

दिनांक 12-7-1985 को पूर्वाह्न 11. 30 बजे मंडल रेल प्रबन्धक, दक्षिण पूर्व रेलवे, वाल्टेयर के सभाकक्ष में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की आठवीं बैठक श्री आर० रंगराजन मंडल रेल प्रबन्धक की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के उपसचिव श्री सी० आर० महाजन ने बैठक में भाग लिया। बैठक में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों तथा सरकारी उपक्रमों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति उत्साहवर्धक रही ।

उपसचिव महोदय ने राजभाषा नीति के कार्यान्वयन पर जोर दिया और वार्षिक कार्यक्रम पूरा करने का अनुरोध किया। उन्होंने हिन्दी, हिन्दी टंकण व आशुलिपि के प्रशिक्षण की आवश्यकता और महत्व की चर्चा की और हिन्दी को राष्ट्र गौरव, आत्म स्वाभिमान और भारत माता की प्रतिष्ठा की संज्ञा दी । उनके अनुसार राष्ट्र की एकता और प्रेम की भावना जागृत करने के लिए राजभाषा हिन्दी में कामकाज करना आवश्यक है । इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि –

भाषा नहीं सिखाती आपस में वैर रखना

हिन्दी हैं, हम वतन है हिन्दोस्तां हमारा

श्री महाजन जी ने हिन्दी के प्रयोग के सम्बन्ध में कहा कि यह बात न अनुनय–विनय की है और न जोर जबर्दस्ती की, हिन्दी में काम करना गौरव की बात है। हमें भारत माता को जो माला पहनानी है, उसमें विभिन्न भारतीय भाषाओं के अलग–अलग मनके लगे हों और हिन्दी माला का सबसे बड़ा संतुलन लाने वाला मनका हो। उन्होंने आगे कहा हिन्दी में कामकाज करना स्वतः जागृति और आत्मचिन्तन का विषय है, प्रतिष्ठा और गौरव के लिए तथा राष्ट्र मर्यादा के हित में। राष्ट्र स्तर पर हिन्दी को उचित स्थान दिलाने में न अंग्रेज़ी का अहित है, न अन्य भाषाओं का विरोध। सबका अपना-अपना स्थान व महत्व है ।

उन्होंने अनुवाद पर अधिक निर्भर न रहने का परामर्श दिया और सरल भाषा अपनाने पर जोर दिया । आपने विशाखापट्टनम नगर में कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की और उसमें गति लाने के लिए अनुरोध किया ।

श्री डी. आर. कोष्ठी, सहायक निदेशक ने बैठक की कार्य-सूची के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किए और वार्षिक कार्य-क्रम को यथासाध्य पूर्ण करने का अनुरोध किया । समिति के अध्यक्ष तथा मंडल रेल प्रबन्धक श्री आर० रंगराजन ने बैठक की समाप्ति पर सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया।

––डी. आर. कोष्ठी
सहायक निदेशक, हिन्दी शिक्षण योजना, विशाखापट्टनम

नागपुर

केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक दिनांक 1 अक्तूबर, 1985 को दोपहर तीन बजे डा. महावीर सिंह, केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी नागपुर की अध्यक्षता में संपन्न हुई । इसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे : डा. महावीर सिंह, केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी, श्री एम. एस. दोडके, सेल्समेन, फिल्म प्रभाग, श्री रामेशचन्द्र शुक्ल, हिन्दी अधिकारी, दूरदर्शन, श्री मधुकर ओझरकर, प्रशासन अधिकारी, आकाशवाणी, श्री मधुकर गुलवणी, कार्यक्रम अधिकारी, आकाशवाणी, श्री राजकुमार वर्मा, मुख्य लिपिक, आकाशवाणी, श्री पु.म. नायडू, हिन्दी अधिकारी, आकाशवाणी ।

सर्वप्रथम डा० महावीर सिंह, केन्द्र निदेशक ने सभी अधिकारियों का स्वागत किया । इसके बाद बैठक में उपस्थित अधिकारियों का परिचय कराया गया । अध्यक्ष महोदय ने जानना चाहा कि आज उपस्थिति कम क्यों हैं । सचिव ने बताया कि श्री कांबले सूचना अधिकारी कार्यालय के काम से नागपुर के बाहर गए हुए हैं । हिन्दी शिक्षण योजना के सहायक निदेशक श्री कुलरत्न दक्षिण पूर्व रेलवे कार्यालय की बैठक में भाग लेने हेतु गए हैं। श्री सांबरे क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी कार्यालय से संबंधित किसी कार्यक्रम में व्यस्त होने के कारण नहीं आ पाए । श्री उबेद नियाजी कार्यक्रम अधिकारी अस्वस्थ होने के कारण छुट्टी पर हैं ।

हिन्दी सप्ताह के दौरान आयोजित हिन्दी निबंध प्रतियोगिता के पुरस्कार विजेताओं का परिचय दिए जाने के बाद अध्यक्ष महोदय ने श्री भास्कर खिरेकर, कु. रजनी हूमने, श्री के. एच. बागडे को समिति के सदस्य की ओर से बधाई दी ।

समिति को निम्नलिखित सूचना दी गई तथा निर्णय लिए गये :

आकाशवाणी में हिन्दी अनुवादक के पद के भरे जाने के संबंध में चर्चा हुई । सचिव ने बताया कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 21–9–85 को आकाशवाणी नागपुर में हिन्दी अनुवादक के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया है । आशा है निकट भविष्य में हिन्दी अनुवादक का पद भरा जाएगा ।

पिछली बैठक में तय हुआ था कि आकाशवाणी नागपुर में उपलब्ध हिन्दी के तीन टाइपराइटरों पर विभागीय टाईपिंग प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी । अध्यक्ष महोदय ने बताया कि फिलहाल जगह की कमी है इसलिए यह व्यवस्था नहीं की जा सकी । आशा है कि नई बिल्डिंग में कुछ अनुभागों के चले जाने पर टाइपराइटिंग प्रशिक्षण के लिए जगह उपलब्ध हो जाएगी तथा विभागीय प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी ।

श्री०मधुकर गुलवणी कार्यक्रम अधिकारी ने जानना चाहा कि जो कर्मचारी हिन्दी टाइपराईटिंग परीक्षा पास करने के बाद एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि ले चुके हैं और हिन्दी का कोई काम नहीं करते उनके बारे में कार्यालय क्या कार्रवाई कर रहा है । श्री रमेशचन्द्र शुक्ल, हिन्दी अधिकारी, दूरदर्शन ने कहा कि ऐसे कर्मचारियों को हिन्दी में टाइप करने के लिए बाध्य किया जा सकता है । अध्यक्ष महोदय ने सचिव से कहा कि वे महीने में कम से कम पांच पृष्ठ हिन्दी में टाइप करने का कार्य संबंधित कर्मचारियों को दिया करें जिससे संबंधित कर्मचारियों का हिन्दी में टाइप करने का अभ्यास बना रहे ।

सचिव ने बताया कि जो कर्मचारी हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में टाइप करते हैं उन्हें विशेष प्रोत्साहन भत्ता देना है लेकिन अभी संबंधित आदेशों की प्रतीक्षा की जा रही है । इस प्रकार के आदेशों के आने पर विशेष प्रोत्साहन भत्ता संबंधित टाइपिस्टों को दिया जाएगा ।

अध्यक्ष महोदय ने प्रशासन अधिकारी से जानना चाहा कि समूह "ग" और "घ" कर्मचारियों की सेवापंजियों को हिन्दी में रखने के मामले में क्या प्रगति हुई है । श्री मधुकर ओझरकर प्रशासन अधिकारी ने बताया कि समूह "ग" और "घ" कर्मचारियों की सेवापंजियों को हिन्दी में रखा जा रहा है । इसके लिए आवश्यक रबर स्टाम्प भी बनवाए गए हैं । श्री रमेशचन्द्र शुक्ल ने प्रविष्टियों के नमूने समिति के सदस्य कार्यालयों को भेजे हैं । उनके पास और भी प्रविष्टियां हैं जिसे वे सदस्य कार्यालयों को भिजवाएंगे ।

श्री एन. एस. दोडके, सेल्समैन, फिल्म प्रभाग ने बताया कि उनके कार्यालय में छुट्टी के आवेदन हिन्दी में प्राप्त होते हैं और छुट्टी संबंधी आदेश भी कार्यालय द्वारा हिन्दी में जारी किए जाते हैं ।

सचिव ने बताया कि आकाशवाणी नागपुर में चैक प्वाइंट की व्यवस्था सफलता–पूर्वक चल रही है । साइक्लोस्टाइल की जाने वाली स्टेनसिलों की जांच की जाती है । सर्कुलेशन फाइल देखकर भी हिन्दी में पत्र भेजने संबंधी सुझाव दिए जा रहे हैं । इस प्रकार हिन्दी का कार्य बढ़ाने में चैक प्वाइंट व्यवस्था से लाभ हुआ है ।

सचिव ने बताया कि आकाशवाणी में हिन्दी प्रशिक्षण के लिए दो कर्मचारी बाकी हैं । टाईपिंग प्रशिक्षण के लिए 16 टाइपिस्ट बाकी हैं । आशुलिपि के लिए 4 आशुलिपिक बाकी हैं । श्री रमेशचन्द्र शुक्ल, हिन्दी अधिकारी, दूरदर्शन ने बताया कि उनके कार्यालय में हिन्दी जानने वाला एक भी टाइपिस्ट नहीं है । हिन्दी आशुलिपि जानने वाला भी कोई आशुलिपिक नहीं है । उन्होंने बताया कि उनके कार्यालय में 6 अंग्रेजी के और 2 हिन्दी के टाइपराइटर हैं ।

राजभाषा वार्षिक कार्यक्रम के बारे में विस्तार से चर्चा हुई । सचिव ने चर्चा के दौरान बताया कि सभी कार्यालयों में हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिए जा रहे हैं । सामान्य आदेश भी द्विभाषी जारी किए जा रहे हैं । हिन्दी सप्ताह भी आयोजित किया गया । पुस्तकालय के लिए हिन्दी पुस्तकें भी खरीदी जा रही हैं । अध्यक्ष महोदय ने कहा सभी कार्यालय इतने छोटे हैं कि एक साथ पंद्रह-बीस कर्मचारी एक सप्ताह के लिए कार्यशाला प्रशिक्षण के लिए नहीं छोड़े जा सकते । उन्होंने यह भी बताया कि 40 प्रतिशत पत्र-व्यवहार हिन्दी में किए जाने के प्रयत्न चल रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय ने उपस्थिति सुधारने के लिए सुझाव दिया कि बैठक की सूचना बैठक की तिथि से 15 दिन पहले दी जानी चाहिए । उन्होंने अगली तिमाही की बैठक की 7 जनवरी 1986 घोषित की ।

चित्र समाचार

सेंट्रल बैंक, नई दिल्ली में हिन्दी दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में राजभाषा सचिव कु० कुसुमल ता मित्तल का स्वागत करते हुए श्री एस० के० गाबा, उप महाप्रबन्धक, उनके पीछे बैठे हुए हैं श्री अनिल केशव चिमोटे, मुख्य प्रबन्धक, तथा बाईं ओर बैठे हैं श्री रा० वि० तिवारी, मुख्य अधिकारी, राजभाषा।

←

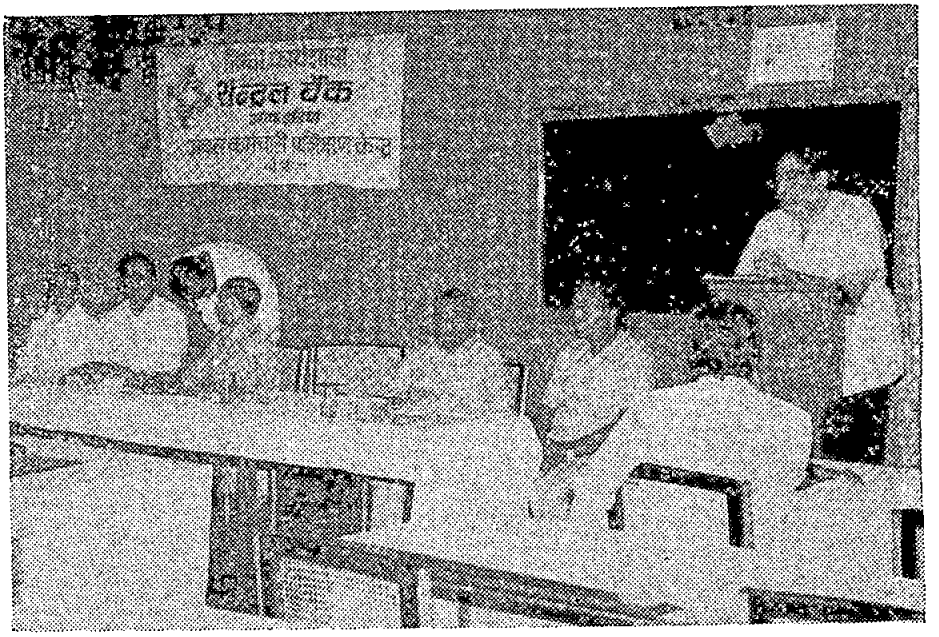

सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, दिल्ली अंचल द्वारा आयोजित शाखा प्रबन्धकों की कार्यशाला को संबोधित करते हुए श्री देवेन्द्र चरण मिश्र, संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग—फोटों में कालेज के प्राचार्य श्री एस० ए० बाशा, मुख्य प्रबन्धक श्री अनिल केशव चिमोटे, श्री जगदीश सेठ, उप निदेशक बैंकिंग प्रभाग भी दिखाई दे रहे हैं।

→

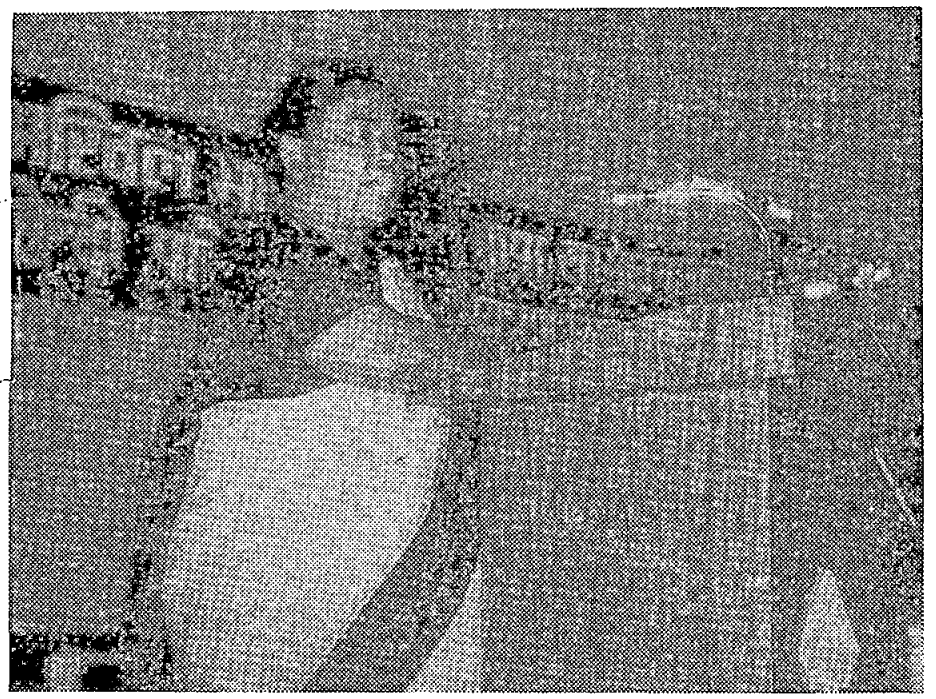

अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन को संबोधित करती हुई बिहार की सिंचाई मंत्री श्रीमती सुशीला केरकेट्टा।

←

हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स, पुणे में हिन्दी दिवस के अवसर प
अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, के कार्यकार
सदस्य श्री श्रीनिवास मूंदड़ाजी अध्यक्षीय भाषण देते हुए। बायें
← हिन्दी शिक्षण योजना, पुणे के सहायक निदेशक श्री उधोराम सिंह
केन्द्रीय उद्योग मंत्रालय के हिन्दी अधिकारी श्री बी० एस
मेहरा, एच० के० के प्रबंध निदेशक, श्री ज्ञा० भ० तेलंग एवं मुख
जनसंपर्क अधिकारी श्री सुदेश कपूर।

↑

संघ शासित प्रदेश दादरा एवं नागर हवेली में हिन्दी दिवस
समारोह का दीप जलाकर उद्घाटन करते हुए मुख्य अतिथि
श्री नारायण दत्त, संयोजक एवं संपादक साथ में खड़े हैं अध्यक्ष
एवं प्रशासन के सचिव श्री के० डी० सिंह।

↑

पंजाब नेशनल बैंक की कंकड़बाग शाखा, पटना के नये परिसर का उद्घाटन करते हुए श्री सी० आर० महाजन, उप सचिव, गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) भारत सरकार, नई दिल्ली।

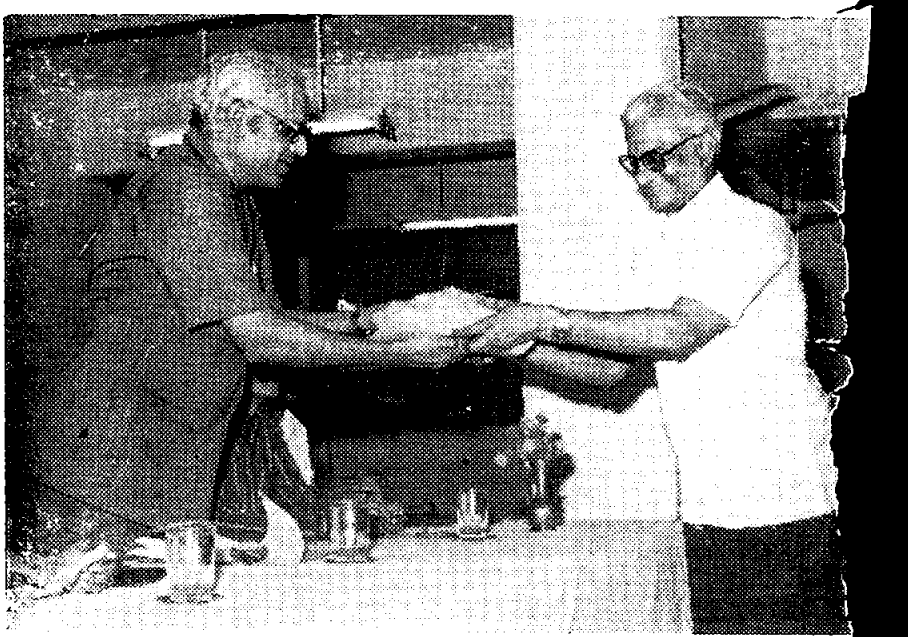

हिन्दी दिवस के अवसर पर प्रश्नमंच कार्यक्रम में प्रथम पुरस्कार वि जेता श्री डी० जगन्नाथन, अधीक्षक रेल डाक सेवा, डाक मह ाध्यक्ष मद्रास से पुरस्कार ग्रहण करते हुए। →

कार्लटन होटल, लखनऊ में नगर राजभाषा कार्यान्व समिति की बैठक का आयोजन–चित्र में बाएं से– धरनी धर, मुख्य आयुक्त (प्रशासन) एवं आय आयुक्त, लखनऊ, अध्यक्ष, श्री सुनील शास्त्री, ऊर्जा मं उ० प्र० (मुख्य अतिथि), श्री कुलदेन नारायण सचिव (सांख्यिकी विभाग) भारत सरकार, श्री भैरवन सिंह, निदेशक, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली श्री राम निवास श्रीवास्तव, राजभाषा अधिकारी सहायक आयुक्त, लखनऊ।

←

जयपुर में हिन्दी दिवस समारोह के अवसर पर बाएं से– महालेखाकार श्री एम० पी० गुप्ता, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), श्री एस० सी० आनन्द, निदेशक राज-भाषा विभाग श्री कलानाथ शास्त्री, वरिष्ठ पत्रकार एवं समारोह के अध्यक्ष श्री युगल किशोर चतुर्वेदी तथा राजस्थान सरकार के भूतभूर्व मंत्री श्री देवी शंकर तिवाड़ी।

→

पटना नगर बैंक राजभाषा कार्यान्वयन समिति बैठक के अवसर पर तिमाही हिन्दी पत्रिका "अर्पणा" विमोचन करते हुए राजभाषा विभाग के संयुक्त सचि श्री देवेन्द्र चरण मिश्र।

←

हालेखाकार (लेखापरीक्षा) रयाजस्थान, जयपुर के ार्यालय में हिन्दी कार्यशाला के उद्घाटन के अवसर पर ायोजित समारोह में बोलते हुए मुख्य अतिथि श्री एम० ी० गुप्त, महालेखाकार (लेखा व हक) तथा उनके बाएं ठे हुए हैं समारोह के अध्यक्ष श्री एस. सी. आनन्द, हालेखाकार (लेखापरीक्षा)

→

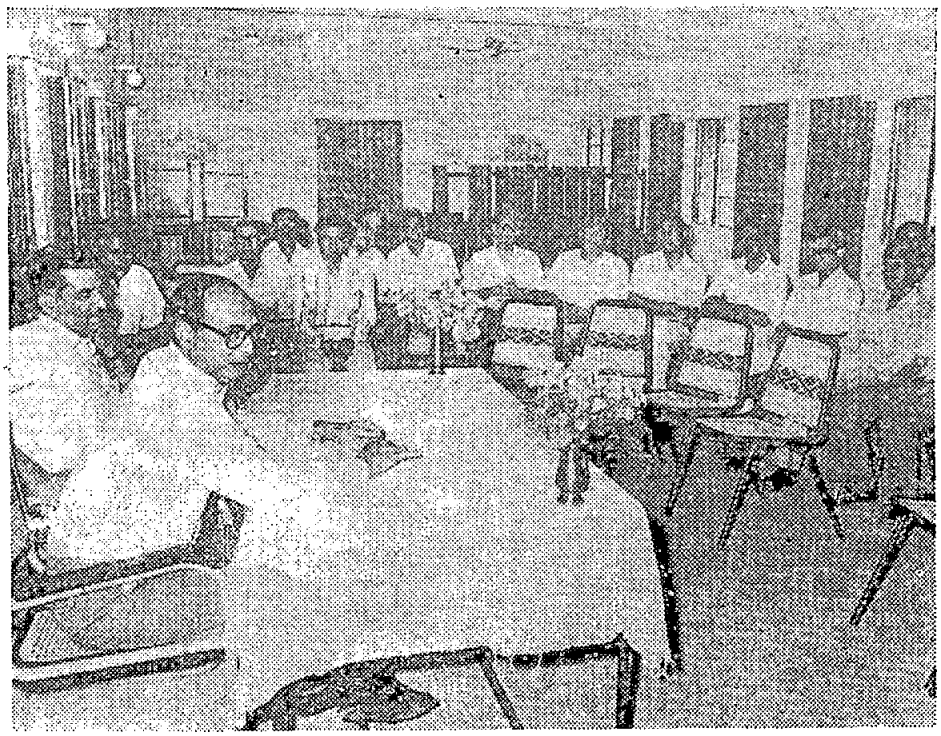

इका, हैदराबाद, में हिन्दी कार्यशाला के अवसर पर प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए प्रभारी केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, हैदराबाद के प्रो० डा० वी० आर० जगन्नाथन बैठे हुए वाएं से श्री वी० रामाराव, महाप्रबन्धक एवं अध्यक्ष रा० भा० का० समिति ई० सी० आई० एल० एवं श्री एस० एन० तेलंग, वर्ग महाप्रबंधक ई० सी० आई० एल० ।

←

पिंजौर स्थित एच० एम० टी० लि० में राजभाषा गोष्ठी का आयोजन हुआ । राजभाषा विभाग के अनुसंधान अधिकारी श्री एम० एल० मैत्रेय, निगम के अधिकारियों से चर्चा करते हुए ।

→

श्री रमेशचन्द्र शुक्ल, हिन्दी अधिकारी, दूरदर्शन ने बताया कि हिन्दी टाइपिस्ट के न होने से दूरदर्शन के कार्य में प्रगति नहीं हो पा रही है। अध्यक्ष महोदय ने कहा यदि दूरदर्शन मांग करे तो हम आकाशवाणी से एक हिन्दी टाइपिस्ट भेज सकते हैं। इसके बदले दूरदर्शन अंग्रेज़ी टाइपिस्ट भेज सकता है।

सचिव ने सुझाव दिया कि केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् द्वारा प्रकाशित कार्यालय सहायिका नामक पुस्तक की बीस प्रतियां प्रति वर्ष मंगवाई जाएं और अधिकारियों और कर्मचारियों को वितरित की जाएं। इसकी सहायता से हिन्दी में काम करने में आसानी होगी। अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को मंजूर किया और पुस्तकें मंगवाने का निदेश दिया।

श्री शुक्ल, हिन्दी अधिकारी, दूरदर्शन ने सुझाव दिया कि हिन्दी निदेशालय को भी लिखकर हिन्दी से अंग्रेज़ी और अंग्रेज़ी से हिन्दी छोटी पारिभाषिक शब्दावली भी मंगवाई जाए। अध्यक्ष महोदय ने इन पुस्तकों को भी मंगवाने का निदेश दिया।

डा० महावीर सिंह
अध्यक्ष एवं केन्द्र निदेशक

4. हैदराबाद

गत 9 जुलाई, 1985 को संसदीय राजभाषा की दूसरी उप-समिति ने हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में हुई प्रगति के निरीक्षण हेतु इलेक्ट्रानिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटड का दौरा किया था। माननीय सदस्यों ने प्रबन्ध निदेशक–ई सी आई एल, हैदराबाद से निगम में हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति के बारे में विस्तृत चर्चा की और आग्रह किया कि इस दिशा में निरंतर प्रयास जारी रहना चाहिए। संसदीय उपसमिति के माननीय सदस्य श्री चिंतामणि जेना ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के राष्ट्रभाषा संबंधी विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि यह हम सभी का विशेषकर जो प्रशासन में हैं विशेष दायित्व बनता है कि हम बापू के सपनों को साकार करें और राष्ट्रभाषा को उसका उचित स्थान दिलाने में भरपूर प्रयास करें। श्री तोम्बी सिंह, संसद सदस्य; ने भी इसी संदर्भ में अपने विचार व्यक्त करते हुए इस बात पर विशेष बल दिया कि वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों में रोजमर्रा के कामों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिल सके। श्रीमति इंदुबाला सुखाड़िया ने राष्ट्रभाषा के प्रति अपने उद्‌गारों को व्यक्त करते हुए कहा कि दरअसल राष्ट्रभाषा–राजभाषा के प्रति हमारी निष्ठा कुछ उसी तरह होनी चाहिए जैसे आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति होती है और राष्ट्रभाषा के प्रति बगैर इस तरह की आध्यात्मिक निष्ठा के हम अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सकेंगे। इसीलिए उन्होंने आग्रहपूर्वक कहा कि प्रशासन के बड़े अधिकारियों को राजभाषा के प्रति अपनी नैतिक जिम्मेदारी का अनुभव करते हुए इस दिशा में निरंतर प्रगतिशील दृष्टिकोण से काम करते रहना चाहिए। सभी सदस्यों ने प्रबंध निदेशक से आग्रह किया कि वे अपने निगमों में कम से कम सरकार द्वारा जारी राजभाषा संबंधी नीतियों–नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित बनाने का भरपूर प्रयास करें।

अंत में निगम के प्रबन्ध निदेशक श्री वी० एस० प्रभाकर ने संसदीय राजभाषा के सदस्यों के सुझावों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्हें अवगत कराया कि निगम में हिन्दी अनुभाग की स्थापना की जा चुकी है तथा निगम राजभाषा नियमों का अनुपालन करने के प्रति पूरी तरह सचेष्ट है। इस दिशा में निगम द्वारा अपने कर्मचारियों को हिन्दी पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण दिये जाने की चर्चा करते हुए प्रबंध निदेशक ने अन्य कार्यों में हुई प्रगति का उल्लेख करते हुए संसदीय समिति को आश्वासन भी दिया कि निगम राजभाषा संबंधी विभिन्न नीतियों–नियमों के अनुपालन के संदर्भ में भविष्य में भी कोई कोर कसर नहीं उठा रखेगा। इस चर्चा के बाद सभी माननीय सदस्यों ने निगम के विभिन्न वर्गों का भी निरीक्षण किया और इस बात पर हार्दिक प्रसन्नता व्यक्त की कि निगम जहाँ इलेक्ट्रानिकी के क्षेत्र में राष्ट्र की बहुमूल्य सेवायें कर रहा है वहीं वह राजभाषा संबंधी अपने दायित्वों के प्रति भी काफी सचेत है।

प्रस्तुति
सुरेश कुमार श्रीवास्तव
हिन्दी अधिकारी

5. अहमदाबाद

अहमदाबाद नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दसवीं बैठक 7 अगस्त, 1985 को 15.30 बजे आयोजित की गई। "गुजरात विद्यापीठ" में स्थित "आदिवासी अनुसंधान का प्रशिक्षण केन्द्र" में बुलाई गई इस बैठक की अध्यक्षता मुख्य आयुक्त (प्रशासन) श्री एन० ओ० पारेख ने की। इस बैठक के दौरान आयकर आयुक्त श्री पी० सी० हालाखंडी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे। राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि के रूप में भाषान्तरकार श्री पी० एन० जोशी की उपस्थिति में आयोजित इस बैठक में कार्यालयों/बैंकों के निम्नलिखित सदस्य प्रतिनिधि उपस्थित थे :

1. श्री एन० ओ० पारेख, मुख्य आयुक्त (प्रशासन) व आयकर आयुक्त, गुजरात चार्ज–1 (अध्यक्ष)।
2. श्री पी० सी० हालाखण्डी, आयकर आयुक्त, गुजरात चार्ज–1. (अतिथि विशेष)।
3. श्री पी० एन० जोशी, राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि (गृह मंत्रालय), नई दिल्ली।
4. श्री बी० आर० कौशिक, राजभाषा अधिकारी व सहायक आयकर आयुक्त, अहमदाबाद।
5. डा० हरियश राय, राजभाषा अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा।
6. श्री अशोक कुमार वर्मा, राजभाषा अधिकारी, इंडियन बैंक।
7. श्री के० के० गुप्ता, राजभाषा अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा।
8. श्री एस० पी० जैन, उप महालेखाकार, महालेखाकार कार्यालय।
9. श्री एस० ए० शेख, वरिष्ठ लेखा परीक्षक, महालेखाकार कार्यालय।

10. श्री अशोक कपूर, लेखा अधिकारी, सी० सी० आई०।
11. श्री सुरेशचन्द्र शर्मा, वरिष्ठ सहायक, सी० सी० आई०।
12. डा० विनोद दीक्षित, सहायक प्रबंधक (राजभाषा) पंजाब नेशनल बैंक।
13. श्री प्रमोद शंकर मिश्र, प्रभारी अधिकारी, केन्द्रीय भूमि जल मंडल।
14. श्री आर० के० राठौर, सहायक अधिकारी, अखिल भारतीय मृदा एवं भूमि सर्वेक्षण।
15. श्री सुन्दरलाल शर्मा, हिन्दी अनुवादक, रा० प्र० स० सं०
16. श्री के० पी० सोलंकी, अधिक्षक, रा० प्र० स० सं०
17. श्री बसंत कुमार सिंघव, वरिष्ठ सहायक, स्टील अथोरिटी ऑफ इंडिया लि०।
18. श्री जी० के० परीख, उप निरीक्षक, जनगणना कार्यालय।
19. श्री दामोदर सिंह नेगी, हिन्दी अनुवादक, जनगणना कार्यालय।
20. श्री बाबूराम शुल्क, हिन्दी अनुवादक, पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय।
21. श्री पी० बी० मकवाणा, हिन्दी अनुवादक, दूर संचार गुजरात सर्कल।
22. श्री एस० गोपालन, संयुक्त क्षेत्रीय, निदेशक, कर्मचारी बीमा निगम।
23. श्री विजय कुमार दुबे, हिन्दी अधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा निगम।
24. श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ सेल्स अधिकारी भारत पेट्रोलियम कॉ० लि०।
25. श्री रामप्रवेश सिंह राजपूत, हिन्दी अनुवादक, नेशनल टेक्सटाईल कॉ० (गुजरात) लि०।
26. श्री सुकान्त दा सेल्स इंजीनियर, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि०।
27. श्री डी० वी० ओझा, लिपिक, शासकीय समापक उच्च न्यायालय।
28. श्री म० दरियानानी, अधीक्षक एवं लेखाकार, शासकीय समापक उच न्यायालय।
29. श्री वि० दत्त, हिन्दी अधिकारी, अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र।
30. श्री व्रजमोहन सिंह, अधिकारी सर्वेक्षक, भारतीय सर्वेक्षण विभाग।
31. कु० अनीता चांदवाणी, सहायक प्रशासन अधिकारी, ओरीयण्टल बीमा निगम।
32. श्री महेन्द्रपाल शर्मा, हिन्दी अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक।
33. श्री भवन चन्द्र जोशी, हिन्दी अधिकारी, विजया बैंक।
34. कु० कमलेश रानी, राजभाषा अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया।
35. श्री नानक चन्द्र नवीन, प्रभारी अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया।
36. श्री राजकुमार मौदगिल, हिन्दी अनुवादक, केन्द्रीय बाढ़ पूर्वानुमान प्रभाग।
37. श्री अनिल कुमार सिन्हा, सहायक इंजीनियर, केन्द्रीय बाढ़ पूर्वानुमान प्रभाग।
38. श्री सोनेलाल कोल, सहायक निदेशक, हिन्दी शिक्षण योजना।
39. श्री जे० आर० पाण्डेय, प्राध्यापक, हिन्दी शिक्षण योजना।
40. श्री जी० एल० परीख, उप प्रबंधक (प्रशासन), इफको।
41. श्री वी० के० जैन, उप समाहर्ता, कस्टम एवं सेन्ट्रल एकसाइज़।
42. श्री ज० प्र० पाण्डेय, हिन्दी अधिकारी, के० उ० श० एवं सीमा शुल्क।
43. श्री बी० के० श्रीवास्तव, उप-निदेशक, वस्त्र आयुक्त कार्यालय।
44. श्री के० के० ठक्कर, जी० वी० कॉ० अहमदाबाद।
45. श्री हरसुखलाल शाह, सूचना अधिकारी, पत्र सूचना कार्यालय।
46. श्री के० पी० चालीस हजार, उपाधीक्षक, नमक आयुक्त कार्यालय।
47. श्री रेवती रमन शर्मा, हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड।
48. श्री प्रकाश बरतूनियाँ, राजभाषा अधिकारी, सिंडीकेट बैंक।
49. श्री जे० सी० भट्ट, हिन्दी अधिकारी, पोस्ट मास्टर जनरल।
50. श्री सी० एल० परमार, हिन्दी अधिकारी, क्षेत्रीय, भविष्य निधि आयुक्त।
51. श्री एस० एल० त्रिवेदी, आकाशवाणी।
52. श्री रूप किशन दवे, अनुश्रवण केन्द्र।
53. श्री वि० एम० परमार, अनुसंधान अधिकारी, अनुसूचित जाति तथा जनजाति।
54. श्री वी० पी० भाटिया, अनुभाग अधिकारी, भारतीय मानक संस्था।
55. श्री एस० एल० मीना, हिन्दी अधिकारी, दूरसंचार, गुजरात सर्कल।
56. श्री गुरूदत्त, हिन्दी अधिकारी, अहमदाबाद टेलीफोन्स।
57. श्री एम० आई० नायक, हिन्दी अनुवादक, अहमदाबाद टेलीफोन्स।
58. डा० गंगाराम शील, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान।
59. श्री पी० डी० डबगर, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान।
60. श्री एम० एस० जांभूले, युवा सहायक ग्रेड–I, राष्ट्रीय सेवा योजना।

61. श्री चिमनभाई पटेल, खादी ग्रामोद्योग कमीशन।

62. श्री राजदेव तिवारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग

63. श्री रविचन्द्र, सहायक अधिकारी, सीमा सुरक्षा बल, गुजरात।

64. श्री सी० आर० शाह, स्पेस एप्लीकेशन।

65. श्री कृष्ण कुमार जे० गुप्ते, फिल्ड पब्लीसिटी।

66. श्री रसिक बी० शाह, उप-सम्पादक (हिन्दी), सम्पूर्ण गांधी वाङ मय।

67. श्री एम० एम० आगजा, क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी क्षेत्रिय प्रचार कार्यालय।

68. श्री गौ० ठा० मुनशी, सहायक सम्पादक, संपूर्ण गांधी वाङ्मय।

69. श्री एम० ए० वाजिदखान, सहायक प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम।

70. श्री वी० आर० दीक्षित, सहायक, भारतीय खाद्य निगम

71. श्री गोपीचन्द, प्रबन्धक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक।

72. श्री राजेन्द्र एन० ठाकर, आयकर अधिकारी (कल्याण) आयकर विभाग।

73. श्रीमति देवकी शर्मा, राजभाषा अधिकारी, कार्पोरेशन बैंक।

74. श्री आर० के० पवार, क्षेत्रीय निदेशक, श्रमिक शिक्षा केन्द्र।

75. श्री एस० बी० पटेल, शिक्षाधिकारी, श्रमिक शिक्षा केन्द्र।

76. श्री बंशीधर गारेकर, प्रभारी अधिकारी, वैमानिक संचार केन्द्र।

77. श्री मनोहर सिंह, वैमानिक संचार केन्द्र।

78. श्री सुरेश चन्द्र ओझाय, भारतीय स्टेट बैंक।

79. श्री प्रभात शंकर श्रीवास्तव, उप-निदेशक, निर्यात निरीक्षण अधिकरण।

80. श्री जे० सी० पटेल, हिन्दी टंकक, आयकर आयुक्त कार्यालय और

81. श्री दिनेश मिस्त्री, (सचिव), हिन्दी अधिकारी, आयकर आयुक्त कार्यालय।

प्रारंभ में अध्यक्ष ने इस बैठक के लिए उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए यह सूचना दी कि पिछले कुछ समय से अहमदाबाद में प्रवर्तमान अशांत परिस्थितियों के कारण इस बार की बैठक जून के बजाय अगस्त में बुलाई जा रही है। उन्होंने यह भी सूचित किया कि हिन्दी में अधिक से अधिक कार्य करने संबंधी संकल्प को व्यवहारिक रूप देते समय विभिन्न कार्यालयों के समक्ष हिन्दी आशुलिपिकों की कमी या नितान्त अभाव के कारण हिन्दी के प्रति लगाव तथा पिछले संकल्पों के बावजद ज्यादातर कार्यालयों में हिन्दी में हो रहे कार्यों की स्थिति संतोषप्रद नहीं है। इस सिलसिले में उन्होंने हिन्दी में उल्लेखनीय काय करने के लिए राजभाषा विभाग के बंबई स्थित क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से अहमदाबाद के तीन कार्यालयों को पिछले दिनों पुरस्कृत किए जाने की बात का जिक्र करते हुए यह बताया कि आयकर विभाग, राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान (एन०आई०डी०) तथा इफ़को को क्रमशः प्रथम द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार 14 जून, 1985 को बम्बई में आयोजित एक समारोह में केन्द्रीय सरकार की गृह राज्य मंत्री महोदया ने अर्पित किए। इसके लिए संबंधित कार्यालयों को बधाई दी गई। उन्होंने यह भी व्यक्त किया कि प्रायः सभी सदस्य कार्यालयों में हिन्दी में कार्य करने का उत्साह बढ़ा है।

राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि श्री जोशी जी ने अपने संक्षिप्त वक्तव्य के दौरान राजभाषा अधिनियम आदि के प्रावधानों पर सुचारु रूप से कार्यान्वयन पर बल दिया। पिछले जून में शील्ड पुरस्कार प्राप्त करने वाले कार्यालयों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि शेष कार्यालयों में भी हिन्दी में कार्य करने की संभावनाएं उज्जवल हैं। एक बार हिन्दी में काम करने की शुरुआत हो जाने पर, हालांकि आगे भी कठिनाइयां अवश्य अनुभव होंगी, फिर भी इसके बाद हिन्दी में काम करना आसान होगा।

हिन्दी के प्रचार-प्रसार में गुजरात के योगदान की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि देश को आजादी मिली उससे बहुत पहले ही महात्मा गांधी व सरदार पटेल जैसे नेताओं ने हिन्दी का प्रचार शुरू कर दिया था। स्वतंत्र भारत की राजभाषा के रूप में हिन्दी की अनन्यता सबसे पहले महात्मा गांधी ने ही महसूस की थी। गांधी जी की जन्मभूमि गुजरात में हिन्दी के प्रति विरोध होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। उन्होंने अपेक्षा व्यक्त की कि अहमदाबाद के कार्यालय भविष्य में हिन्दी को कामकाज की भाषा बनाने के लिए ठोस प्रयत्न करेंगे।

भारत सरकार की ओर से राजभाषा हिन्दी को प्रदान किए गए सर्वोपरि महत्व की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि "केन्द्रीय हिन्दी समिति" के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री स्वयं हैं। इसे मद्दे-नजर रखते हुए उन्होंने स्थानीय कार्यालयों के अध्यक्षों को इस बात की सतर्कता बरतने की हिदायत दी कि जाने-अनजाने में उनसे इसके महत्व को नजरन्दाज न किया जाता हो। उन्होंने इस पर असंतोष जाहिर किया कि समय-समय पर राजभाषा विभाग/संबंधित मंत्रालयों और स्थानीय नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की ओर से परिपत्र आदि जारी किए जाने के बावजूद अब भी कुछेक कार्यालय का प्रतिनिधित्व बैठकों में बिलकुल होता ही नहीं है जब कि बहुत से कार्यालयों के जूनियर अधिकारी या लिपिक प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लेते हैं। किसी भी कार्यालय में हिन्दी के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी चूंकि कार्यालयाध्यक्ष व वरिष्ठ अधिकारियों पर है, अतः प्रतिनिधित्व भी उसी तबके का हो यह अत्यन्त जरूरी है।

श्री जोशी ने अपने वक्तव्य में बताया कि राजभाषा कार्यान्वयन का दायित्व सभी कार्मिकों का है। वास्तव में इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो कार्यालयों के वरिष्ठतम अधिकारियों की है।

बैठक के अंत में आयकर विभाग के राजभाषा अधिकारी श्री वी० आर० कौशिक ने अध्यक्ष श्री एन० ओ० पारेख एवं अतिथि आयकर आयुक्त श्री पी० सी० हालाखंडी के प्रति विशेष आभार व्यक्त किया क्योंकि वे बैठक में विशेष रूचि लेते हुए उपस्थित रहते आए हैं।

दिनेश मिस्त्री
सचिव
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति
तथा हिन्दी अधिकारी (आयकर)
अहमदाबाद।

6. भटिंडा

दी काटन कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि० भटिंडा की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 19 अक्तूबर, 85 को आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित थे :

1. शाखा प्रबन्धक एवं अध्यक्ष, रा० का० समिति सर्व श्री प्रेमचन्द मिश्र, 2. सदस्य विजय कुमार सेठी, 3. डी० एस० हाण्डा, 4. कुलदीप चन्द वशिष्ठ, 5. अरुण कुमार सिन्हा, 6. जगदीश राय ग्रोवर एवं सदस्य सचिव 7. प्रदीप यादव।

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए :

यह प्रस्ताव स्वीकृत किया गया कि कार्यालय में मंगलवार का दिन केवल हिन्दी में ही कार्य करने के लिए निश्चित किया जाये। साथ ही एक दिन और भी प्रत्येक अनुभाग/विभाग के लिए पहले से ही निश्चित है। मंगलवार के दिन कोई भी फाइल शाखा प्रबन्धक महोदय के पास अंग्रेजी में नहीं आएगी। इससे हिन्दी के प्रयोग को और भी अधिक तेजी से बढ़ाया जा सकेगा।

कार्यालय से जारी होने वाले सभी परिपत्र अब निश्चित रूप से हिन्दी में भी जारी किए जाएंगे और इसकी जिम्मेदारी अब अनुभाग प्रभारी/विभागाध्यक्ष की निश्चित कर दी गई है।

लेखा अनुभाग को यह निर्देश दिया गया कि अब भविष्य में आगे से जारी होने वाले सभी चैक और बैंक ड्राफ्ट केवल हिन्दी में ही जारी किए जाएंगे।

सेवा पंजिका में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रविष्टियां हिन्दी में ही करने का प्रशासन विभाग को सख्त हिदायत दी गई और आगे से इसका पालन अनिवार्य होना चाहिए, इसके प्रति भी ध्यान आकृष्ट कराया गया।

कार्यालय के सभी अनुभागों और विभागों को अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि आगे से सभी फाइलें हिन्दी में ही आए और उन पर हिन्दी में रबर की मोहरें लगाई जानी चाहिए। वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक को यह निर्देश भी दिया गया कि अगर कोई मोहर हिन्दी में नहीं है तो उसे हिन्दी में तुरन्त तैयार किया जाए और सभी विभागों को उपलब्ध कराई जाए।

सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आगे से हिन्दी में लिखी गई टिप्पणी की किसी भी फाइल में अंग्रेजी की कोई भी टिप्पणी नहीं लिखी जाएगी।

कार्यालय में हिन्दी के प्रति रूचि को और भी अधिक बढ़ाने के लिए नवम्बर, 85 में हिन्दी कार्यशाला का आयोजन करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया और इसके आयोजन की जिम्मेदारी वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक को सौंपी गई।

सभी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा दनिक डायरी रजिस्टर में अपनी उपस्थिति केवल हिन्दी में ही लगाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

कार्यालय में राजभाषा अधिनियम को पूर्णतः लागू करने के लिए और साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों में हिन्दी के प्रति रूचि को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए कार्यालय में हिन्दी की पत्रिकाएं धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, सारिका और सर्वोत्तम आदि मंगवाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया।

समिति ने 17 सितम्बर, 85 को हिन्दी दिवस समारोह के सफल एवं सुव्यवस्थित आयोजन की प्रशंसा की और आशा व्यक्त की कि वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक नवम्बर, 85 में इसी प्रकार से कार्यालय में हिन्दी कार्यशाला का आयोजन भी करेगा।

भविष्य में कार्यालय में राजभाषा अधिनियम को और भी सख्ती से लागू किया जाएगा जिससे राजभाषा विभाग द्वारा तैयार किया गया वर्ष 1985–86 के कार्यक्रम के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। कार्यालय से जारी होने वाले कुल पत्रों के 40 प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त करने क निश्चय को और भी मजबूत करने के प्रति विश्वास व्यक्त किया गया।

सरकारी विज्ञापन और संधियां भविष्य में हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में किए जाने के प्रति सभी ने विश्वास प्रकट किया।

प्रदीप यादव
सदस्य-सचिव, का० रा० समिति

7. अजमेर

अजमेर स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिन्दी के प्रचार-प्रसार को पढ़ाने तथा नई दिशा देने के उद्देश्य से नगर राजभाषा कार्यन्वयन समिति, अजमेर की ओर से राजभाषा स्मारिका "दिशा" का प्रकाशन किया गया और स्थानीय सीनियर रेलवे इंस्टीट्यूट में दिनांक 20-8-85 को अध्यक्ष, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति एवं मंडल रेल प्रबन्धक द्वारा इसका विमोचन किया गया। इस समारोह की अध्यक्षता एच एम टी के संयुक्त महाप्रबंधक श्री पी०आर० भट्ट द्वारा की गई। समारोह में अजमेर स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों/उपक्रमों/राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के कार्यालय प्रमुखों के अलावा राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों एवं स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भाग लिया।

इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया जिसमें केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों/उपक्रमों आदि के विभिन्न विभागों के कलाकारों ने भाग लिया। समारोह के अंत में कवि गोष्ठी का आयोजन भी श्रोताओं के आकर्षण का केन्द्र रहा।

अ० अमरेन्द्र सहाय
अध्यक्ष, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति
एवं मंडल रेल प्रबंधक, अजमेर

8. आगरा

आगरा, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की आठवीं बैठक भारतीय स्टेट बैंक के सौजन्य से आयकर आयुक्त श्री ओंकारनाथ मैरोत्रा की अध्यक्षता में होटल क्लार्क शिराज में दिनांक 14 अगस्त से आयोजित की गई। इस बैठक के आयोजन, से भारतीय स्टेक बैंक द्वारा मनाए जा रहे "राजभाषा मास" का शुभारम्भ किया। इस बैठक में राजभाषा विभाग की ओर से श्री देवेन्द्र चरण मिश्र संयुक्त सचिव ने मुख्य अतिथि के रूप में पधार कर अधिकारियों का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि 38 वर्षों के पश्चात् अब संदर्भ साहित्य और अनुवादकों की तथाकथित समस्या राजभाषा के आड़े नही आनी चाहिए। सबको कर्तव्य निष्ठा से इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।

इस अवसर पर श्री देवेन्द्र मिश्र चरण जी ने हिन्दी में श्रेष्ठ कार्य के लिए भारतीय स्टेट बैंक, कैनरा बैंक, सिंडीकेट बैंक, केन्द्रीय जल आयोग के बाढ़ पूर्वानुमान एवं जल संस्थान कार्यालय तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्ष सर्वेक्षण संगठन कार्यालय को चल बैजयन्तियां तथा अधिकारियों को कप व प्रशस्ति पत्र दिए।

रामचन्द्र मिश्र,
हिन्दी अधिकारी
आयकर आयुक्त, आगरा

9. इलाहाबाद

कार्यालय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की विगत तिमाही (अवधि अप्रैल 85 से जून 86 तक) की बैठक 23-8-85 को अपराह्न 3.00 बजे सहायक आयुक्त (मुख्यालय) की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। उक्त बैठक में इस कार्यालय के अधीनस्थ तीनों क्षेत्रीय कार्यालयों के सहायक आयुक्तगण, प्रशासनिक अधिकारी, अनुसंधान अधिकारी, अनुभाग अधिकारी, वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक एवं सचिव उपस्थित थे।

1. बैठक में सर्व प्रथम विगत तिमाही में लिए गए निर्णयों पर विवेचना की गई।
2. बैठक में मुख्यालय में गत तिमाही में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग विषयक रिपोर्ट की समीक्षा की गई और राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप कार्य करने पर निर्णय लिया गया और कार्यालय में हर स्तर पर अधिकाधिक हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने पर बल दिया गया।
3. बैठक में कलकत्ता क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्राप्त गत तिमाही रिपोर्ट की समीक्षा की गई और पाई जाने वाली विसंगतियों की ओर सहायक आयुक्त, कलकत्ता का ध्यान आकर्षित कराया गया। सहायक आयुक्त ने उन त्रुटियों को यथाशीघ्र निवारण के लिए आश्वस्त किया।
4. बैठक में बेलगांव क्षेत्रीय कार्यालय के विगत तिमाही रिपोर्ट की समीक्षा की गई। रिपोर्ट संतोषजनक पाई गई। उक्त कार्यालय "ग" क्षेत्र में स्थित है। वहां पर कार्यरत कर्मचारियों को हिन्दी एवं हिन्दी टंकण आशुलिपि प्रशिक्षण केन्द्र के अभाव में प्रशिक्षण नहीं दिलाया जा पा रहा है। उक्त संदर्भ में मंत्रालय को अलग से पत्र लिखे जाने का निर्णय लिया गया है।
5. बैठक में मद्रास क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्राप्त गत तिमाही रिपोर्ट की समीक्षा की गई। रिपोर्ट उत्साह जनक पाई गई। जहां तक उक्त कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को हिन्दी, हिन्दी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण का प्रश्न है, सहायक आयुक्त ने आश्वस्त किया है कि कार्यालय कार्य को देखते हुए क्रमशः कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। उक्त कार्यालय के शेष रबर के मुहरों को यथाशीघ्र द्विभाषी रूप में बदलवाने का भी सहायक आयुक्त ने विश्वास दिलाया है। मद्रास क्षेत्रीय कार्यालय में अब एक कर्मचारी हिन्दी टंकण परीक्षा उत्तीर्ण कर चुकी है। सर्व सम्मत से यह तय हुआ कि उक्त कार्यालय में एक हिन्दी टंकण मशीन यथाशीघ्र भेजा जाएगा।

वीरेन्द्र कान्त पाठक
सचिव, राजभाषा कार्यान्वयन समिति

कार्यान्वयन समितियों की बैठकें

1. नई दिल्ली (गृह मंत्रालय)

गृह मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 12वीं बैठक 18 सितम्बर, 1985 को संयुक्त सचिव (प्रशासन) की अध्यक्षता में हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :

संयुक्त सचिव, अध्यक्ष, निदेशक (आई एस), उप संचिव (प्रशासन), उप सचिव (सी पी ओ), उप सचिव (एन ई) सदस्य, वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी, सदस्य-सचिव, अवर सचिव (रोकड़), अवर सचिव (प्रशासन–II), अनुभाग अधिकारी (ए एंन एल) अनुभाग अधिकारी (जी पी ए–4), अनुभाग अधिकारी (आर एंड आई), अनुभाग अधिकारी (प्रशासन–III), हिन्दी अधिकारी।

बैठक की कार्यवाही आरंभ करते हुए समिति के अध्यक्ष ने खेद प्रकट किया कि समिति के कई सदस्यों ने बैठक में आने का कष्ट नहीं किया। उन्होंने उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए और बैठक की कार्यवाही की आरंभ करते हुए उनसे अनुरोध किया कि वे एजेंडा की मदों पर अपने-अपने सुझाव दें।

समिति के अध्यक्ष ने बताया कि पिछली बैठक में जो भी निर्णय लिए गए थे, उन सभी पर कार्यवाही की जा रही है और यह इच्छा व्यक्त की कि जो मामले अभी राजभाषा विभाग के पास पैंडिंग हैं, उनके बारे में उन्हें पुनः अनुस्मारक भेजा जाए। इसमें प्रशिक्षण रिजर्व का मामला एवं हिन्दी टाइपिंग/स्टेनोग्राफी व नोटिंग-ड्राफ्टिंग संबंधी आदि प्रोत्साहन का मामला शामिल है। प्रशासन–II तथा प्रशासन–I(क) अनुभाग से भी पुनः अनुरोध किया जाए कि वे हिन्दी टाइपिंग तथा हिन्दी स्टेनोग्राफी में प्रशिक्षण के लिए प्रभागवार सूचियां बना लें। फर्नीचर आदि पर "गृह मंत्रालय" हिन्दी में लिखने के संबंध में उप सचिव (प्रशासन) ने सूचित किया कि नये फर्नीचर पर द्विभाषी रूप में लिखा जा रहा है और पुराने फर्नीचर पर भी द्विभाषी रूप में लिखने के लिए संबंधित अवर सचिव को आदेश दे दिए गए हैं। समिति के सदस्य-सचिव ने समिति को सूचित किया कि हिन्दी कार्यशाला का आयोजन 23 सितंबर, 85 से किया जा रहा है। अधिकारियों को

हिन्दी आशुलिपिकों की सेवाएं उपलब्ध कराने के बारे में समिति के अध्यक्ष श्री आर्य ने कहा कि चूंकि मंत्रालय में हिन्दी आशुलिपिक भी नियुक्त किए जा रहे हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि उनका भी पूरा-पूरा इस्तेमाल किया जाए। इस संबंध में यह सुझाव दिया गया कि तीन-चार अधिकारियों में से एक अधिकारी को हिन्दी स्टेनोग्राफर दे दिया जाए, जिसकी सेवाएं तीनों-चारों अधिकारी आवश्यकतानुसार ले सकते हैं। इस सुझाव पर प्रशासन खंड में विचार किया जा सकता है।

गृह मंत्रालय के एक अनुभाग में सारा काम हिन्दी में किया जाना

समिति के सदस्य-सचिव के इस सुझाव को लगभग मान लिया गया कि चूंकि प्रशासन-III अनुभाग एक "हाउस कीपिंग" अनुभाग है अतः यहां लगभग सारा काम हिन्दी में किया जाना चाहिए। इस अनुभाग के संबद्ध अवर सचिव ने यह कहा कि अनुभागों में कई काम इस प्रकार के हैं जिन्हें हिन्दी में करना मुश्किल होगा। इस संबंध में यह सुझाव दिया गया कि इस अनुभाग के अधिकतर मानक-मसौदों को हिन्दी अनुभाग की सहायता से हिन्दी में भी तैयार करवा लिया जाए ताकि हिन्दी में काम करने के लिए अधिक कठिनाई का सामना न करना पड़े। समिति के अध्यक्ष महोदय ने यह भी इच्छा प्रकट की कि रोकड़ अनुभाग में भी अधिकतर काम हिन्दी में ही किया जाए।

गृह मंत्रालय में रोमन तथा हिन्दी (द्विभाषिक) इलैक्ट्रानिक टाइप-राइटरों की खरीद

इस विषय में काफी विचार-विमर्श के पश्चात् यह महसूस किया गया कि चूंकि मंत्रालय में हिन्दी और अंग्रेजी के टाइपराइटर काफी अधिक संख्या में उपलब्ध हैं, इसलिए द्विभाषिक इलैक्ट्रानिक टाइपराइटर खरीदने की फिलहाल कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है।

हिन्दी दिवस/सप्ताह का आयोजन

समिति को सूचित किया गया कि 1985-86 के वार्षिक कार्यक्रम में यह अपेक्षित है कि हर कार्यालय वर्ष में एक बार हिन्दी दिवस/सप्ताह का आयोजन करें। काफी विचार-विमर्श के बाद यह फैसला किया गया कि 7 अक्तूबर, 1985 के आरंभ होने वाले सप्ताह के रूप में मनाया जाए और मंत्रालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध किया जाए कि वे इस सप्ताह के दौरान अपना अधिक से अधिक काम केवल हिन्दी में ही करें।

समिति को यह सूचित किया गया कि "क" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों आदि को भेजे जाने वाले लिफाफों पर पते हिन्दी में लिखना 1985-86 के वार्षिक कार्यक्रम की अपेक्षा है। इस पर आर. एंड. आई. के अनुभाग अधिकारी को सूचित किया कि वे पहले से ही यह कार्य कर रहे हैं और भविष्य में भी इसे जारी रखेंगे।

अध्यक्ष ने इस बात पर खेद प्रकट किया कि जिन अनुभागों में हिन्दी के प्रयोग के बारे में कमियां पाई गई थीं उन अनुभाग अधिकारियों को बैठक में बुलाया गया था कि वे बैठक में उपस्थित नहीं हुए। उन्होंने यह आदेश दिया कि जो अनुभाग, राजभाषा अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुसार हिन्दी का प्रयोग नहीं कर रहे उनसे, उन्हें अधिनियम की अपेक्षाएं बताते हुए यह पूछा जाए कि वे ऐसा क्यों और किन परिस्थितियों में कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से समिति के सदस्य-सचिव ने समिति के सभी सदस्यों से अनुरोध किया कि वे भी बैठक के एजेंडा के लिए विचारार्थ मदें भेजा करें जिससे उनमें भी राजभाषा अधिनियम के प्रति रूचि बढ़ेगी।

रणधीर सिंह
वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी

2. नई दिल्ली (प्रधान डाकघर)

दिनांक 25-9-85 को दोपहर तीन बजे राजभाषा कार्यान्वयन समिति की स्थानीय शाखा की त्रैमासिक बैठक डाकपाल कक्ष में श्री के. डी. वर्मा की अध्यक्षता में हुई। जिसमें निम्नलिखित सदस्य एवं अधिकारी उपस्थित हुए :

श्री के. डी. वर्मा, अध्यक्ष, श्री विद्यादत्त गोदपाल, हिन्दी अधिकारी, महा डाकपाल कार्यालय, दिल्ली परिमण्डल, नई दिल्ली, एवं इसी कार्यालय के सहायक डाकपाल श्री सुरजीत सिंह, श्रीमती चंचल मैनी, श्री करतार सिंह, श्रीमती सन्तोष गांधी, श्री हरप्रसाद शर्मा, श्री गोपाल सिंह रावत, श्री जी. एल. कौल, श्री हरीराम, श्री विजय कुमार, श्री खेमराज, श्री राम किशोर एवं कु. लता पन्त।

उपस्थित सदस्यों का हार्दिक स्वागत करते हुए अध्यक्ष महोदय ने विगत बैठक की कार्यवाही पढ़कर सुनाने के आदेश सहित कार्यवाही प्रारंभ करने की अनुमति दी। कार्यवाही पढ़ कर सुनाई गई और बिना किसी आपत्ति के सर्व सम्मति से पास कर दी गई।

हिन्दी अधिकारी महोदय ने विगत कार्यवाही के अनुरूप कार्यान्वयन पर संतोष व्यक्त करते हुए भविष्य में निरन्तर हिन्दी की प्रगति करते रहने की प्रेरणा दी।

हिन्दी प्रतियोगिता के पुरस्कार हेतु बजट प्रस्तुत से पूर्व स्वीकृति महा डाकपाल, दिल्ली परिमण्डल, नई दिल्ली से इस कार्यालय में सुलभ कराने का आश्वासन दिया।

राजभाषा के अधिकतम प्रचार-प्रसार के लिए दैनिक कार्य में हिन्दी के अधिकतम प्रयोग पर बल दिया गया।

एल. आनन्द
डाकपाल
पार्लियामेंट स्ट्रीट प्रधान डाकघर, नई दिल्ली

□□□

सम्मेलन

1. त्रिवेंद्रम में राजभाषा सम्मेलन

27-9-85 को त्रिवेन्द्रम में राजभाषा सम्मेलन आयोजित हुआ जिसकी अध्यक्षता सचिव राजभाषा विभाग एवं भारत सरकार की हिन्दी सलाहकार कु. कुसुमलता मित्तल ने की। इसमें त्रिवेन्द्रम स्थित भारत सरकार के कार्यालयों के उच्चाधिकारियों, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा सरकारी उपक्रमों के अध्यक्षों, केरल क्षेत्र के नगर राजभाषा, कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष एवं सवकार्यभारी अधिकारियों ने भाग लिया।

राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव श्री देवेन्द्र चरण मिश्र ने अपना स्वागत भाषण का प्रारंभ मलयालम भाषा में करके सबको आश्चर्य-चकित कर दिया। श्री मिश्र ने प्रारंभ में मलयालम भाषा में कहा :—

"इन्ना ई सम्मेलनत्तिल पंगडूक्कुवान इवडयत्तिटूला एल्ला मान्य वयक्तिकलेयुम् राजभाषा विभागत्तिण्डे पेरिल यंगल् स्वागतम् चयून्न बहुमान पट्टा अध्यक्षयुडे अनुमतियोड इन्नते कार्यपरिपाडी आरम्भिंकुन्नू।

श्री मिश्र के इन शब्दों का जोरदार स्वागत किया गया और एक सौहार्दय का वातावरण बन गया। आगे का भाषण हिन्दी में करते हुए श्री मिश्र ने अपने भाषण में इस बात पर प्रसन्नता प्रकट की कि इस क्षेत्र में राजभाषा हिन्दी का यह अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम सम्मेलन आयोजित हो रहा है जिसमें उच्च अधिकारी भाग ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि हिन्दी प्रशिक्षण, हिन्दी एवं हिन्दी टइप आशुलिपि के प्रशिक्षण के लिए राजभाषा विभाग हर संभव प्रयत्न कर रहा है। काफी हद तक प्रशिक्षण पूरा भी हो चुका है। वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली निर्माण में भी काफी प्रगति हो चुकी है। हिन्दीतर प्रदेशों की सुविधा के लिए अनुवाद आदि के लिए केन्द्र स्थापित कर दिए गए हैं और राजभाषा विभाग की ओर से बहुत सी प्रोत्साहन योजनाएं आरम्भ की गई हैं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि इस प्रदेश के लोग भी इन योजनाओं से लाभान्वित होने का प्रयत्न करें तथा अपना कार्य भी हिन्दी में करने का प्रयत्न करें। इसके उपरांत संयुक्त सचिव (राजभाषा) ने गत सप्ताह दिल्ली में हुए राजभाषा सम्मेलन में प्रधान मंत्री जी के आश्वासन की ओर सब का ध्यान दिलाते हुए हिन्दी में अधिक से अधिक कार्य करने के लिए उन्हें प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि इससे राष्ट्रीय एकता को बल मिलेगा।

सचिव महोदया ने पुरस्कार पाने वालों को बधाई देते हुए इस बात पर हार्दिक प्रसन्नता प्रकट की कि अहिन्दी भाषी क्षेत्र हिन्दी कार्यान्वयन में किसी कदर पीछे नहीं हैं। इस क्षेत्र के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व और गरिमा का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इतिहास इस बात का गवाह है कि केरल प्रदेश राजभाषा हिन्दी के प्रचार प्रसार में हमेशा अग्रणी रहा है। हम आशा करते हैं कि अब भी अपनी उसी परम्परा को निभाते हुए राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। सचिव जी ने आगे कहा कि सरकार के प्रयत्नों, प्रोत्साहनों की कोई कमी नहीं है। कमी है तो मानसिकता की। अंग्रेजी की मानसिकता को बदलने पर उन्होंने वल दिया और कहा कि हमें अपनी चिन्तन-धारा को बदलना होगा तभी इसमें सफलता मिल पायेगी। उन्होंने आगे कहा कि हिन्दी का किसी भी भाषा से किसी भी प्रकार का विरोध नहीं है। भारत सरकार सभी भाषाओं का समान रूप से विकास चाहती है पर संपर्क भाषा के रूप में हिन्दी की अत्यन्त आवश्यकता है। अतः आप अपनी झिझक को छोड़कर हिन्दी में लिखना आरंभ करें और राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्डों को पूरा करने में सहयोग दें।

केरल विधान सभा के अध्यक्ष माननीय श्री वी. एम. सुधीरन ने हिन्दी में संक्षिप्त भाषण देते हुए राजभाषा के रूप में हिन्दी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जन-तंत्रात्मक प्रणाली से शासित देश में एक राजभाषा को स्वीकार किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। केरल के माननीय अध्यक्ष ने राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रचार प्रसार की दिशा में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव श्री देवेन्द्र चरण मिश्र को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। माननीय विधान सभा अध्यक्ष महोदय ने निम्नांकित राजभाषा कार्यान्वयन समितियों और कार्यालयों को भी पुरस्कार प्रदान किये।

1. बंगलौर—प्रथम : यूनियन बैंक आफ इंडिया, द्वितीय: नेशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन, बंगलौर, 2. त्रिवेन्द्रम (कार्यालय)—प्रथम : मंडल रेल प्रबंधक, द्वितीय : महाप्रबंधक दूर संचार, तृतीय : विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र, त्रिवेन्द्रम, 3. त्रिवेन्द्रम (बैंक)—प्रथम : स्टेट बैंक आफ ट्रावनकोर, प्रधान कार्यालय, द्वितीय : केनरा बैंक सर्किल आफिस, तृतीय : स्टेट बैंक आफ इंडिया 4. हैदराबाद :—प्रथम : मंडल प्रबंधक, दक्षिण मध्य रेलवे सिकन्दराबाद, हैदराबाद, द्वितीय : सेन्ट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, हैदराबाद, 5. विशाखापत्तनम—प्रथम मंडल रेल प्रबंधक, दक्षिणपूर्व रेलवे, द्वितीय : ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि., तृतीय : हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, 6. भुवनेश्वर—प्रथम : यूनियन बैंक आफ इंडिया, द्वितीय : कमांडेंट, सेन्ट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, तृतीय : एकाउन्टेंट जनरल (ए. एण्ड ई.)।

2. राँची में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन

हिन्दी परिषद भारी अभियंत्रण निगम, राँची द्वारा द्वि-दिवसीय (29, 30 सितम्बर, 1985) अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा सरकारी उपक्रमों के लगभग 300 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए।

मुख्यमंत्री श्री बिन्देश्वरी दुबे ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री जी सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे। सम्मेलन की अध्यक्षता बिहार सरकार के मुख्य सचिव श्री के. के. श्रीवास्तव ने की।

मुख्यमंत्री जी ने अपने उद्घाटन भाषण में यह कहा कि किसी देश की राजभाषा वहां की जनभाषा से अलग नहीं हो सकती। निश्चय ही हिन्दी हमारे देश की जन-भाषा है, इसलिए संविधान के निर्माताओं ने हिन्दी को राजभाषा के रूप में प्रतिस्थापित किया। उन्होंने आगे कहा कि तकनीकी व विज्ञान के क्षेत्र में जापान और जर्मनी ने अपनी भाषा के द्वारा ही इतनी प्रगति की है। एक राष्ट्र के लिए एक भाषा और एक लिपि का होना अनिवार्य है। राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिये यह आवश्यक है। इससे राष्ट्र की एकता और संस्कृति मजबूत हो सकती है। स्वतंत्रता आन्दोलन के दिनों में ही राष्ट्रीय नेताओं ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा एंव हिंन्दी भाषा के रूप में स्वीकार किया था। इसका मुख्य कारण यह था कि पूरे देश में अधिकांश भारतीय हिंदी बोलते और समझते थे। उस समय हिन्दी का सम्पर्क भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता था। हिन्दी के समुचित विकास के लिए जनमानस तैयार किया जाना अति आवश्यक है। बिना कारण अंग्रेजी को महत्व देना तथा अंग्रेजी में बोलना कुछ लोग अपनी शान समझते हैं, यह राष्ट्र भाषा की भावना के प्रतिकूल है।

"संघ लोक सेवा आयोग के निदेशक डा० आई० पाण्डुरंगराव ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा :—दक्षिण में हिन्दी को विद्वानों ने ही नहीं, किसानों ने भी सीखा है। उन्होंने यह भी कहा कि हमें संकल्प लेना होगा कि सब काम हिन्दी में ही करेंगें। हिन्दी को मन, वचन और कर्म से स्वीकार करने से ही उसका विकास होगा।"

इस अवसर पर गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव श्री देवेन्द्र चरण मिश्र ने कहा कि पूरे देश को "क" "ख" और "ग" तीन क्षेत्रों में बांटा गया है और इन क्षेत्रों की स्थिति के अनुसार हिन्दी के विकास और कार्यान्वयन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हमारे देश के संविधान में हिन्दी को राजभाषा के रूप में मान्यता देने के साथ ही हिन्दी के प्रयोग का भी निर्धारण किया गया है। श्री मिश्र ने आगे कहा कि हिन्दी के संबंध में सरकार द्वारा अपनायी गई नीति के अनुसार ही राजभाषा विभाग कार्यक्रम बनाता है, लक्ष्य निर्धारित करता है और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निरन्तर प्रयास करता है। बाद में बिहार राज्य की सिंचाई मंत्री श्रीमती सुशीला करकेट्टा ने भी अपने विचार प्रकट किये।

हिन्दी परिषद् के संयोजक श्री विजय कुमार त्रिवेदी ने कहा कि 7 एकड़ जमीन में हिन्दी परिषद् का भवन निर्माण करने की योजना विचाराधीन है तथा सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों से शीघ्र ही एक पत्रिका और समाचार पत्र के प्रकाशन के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं।

राजभाषा हिन्दी के प्रचार को बढ़ावा देने के लिए 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। इनमें सर्वप्रथम थे राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव श्री देवेन्द्र चरण मिश्र। इनके अलावा 'मेकन' के निदेशक श्री पी०सी० लाहा, पंजाब नेशनल बैंक के अंचल प्रबन्धक श्री नारायणगो 'सेल' के निदेशक डा. शैलभ कान्ति गुप्त तथा एयर इंडिया, बम्बई की राजभाषा अधिकारी कुमारी प्रमिला भटनागर हैं जिन्हें मुख्यमंत्री जी ने उत्तरीय (दुशाला) तथा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया।

सम्मेलन के अन्त में बिहार राज्य के मुख्य सचिव श्री के० के० श्रीवास्तव ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि सरकार के चिन्तन और क्रियान्वयन में अन्तर का बहुत बड़ा कारण सरकारी अधिकारियों का अंग्रेजी प्रेम है। उन्होंने कहा कि इतने वर्षों में भी हम भावनात्मक एकता को संयोजित नहीं कर पाये। इसका कारण हमारी मानसिकता है। हमें इलेक्ट्रानिकी उपकरणों को हिन्दी में उपलब्ध कराना होगा। जब तक कम्प्यूटर आदि द्विभाषी रूप में उपलब्ध नहीं होंगे, तब तक हम हिन्दी का विकास नहीं कर पायेंगे। उन्होंने बताया कि हिन्दी भाषी राज्यों में तो हिन्दी में काफी काम हो रहा है, परन्तु केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाले अधिकांश पत्र अंग्रेजी में होते हैं। यदि केन्द्र सरकार से हिन्दी में पत्र प्राप्त हों तो हिन्दी राज्यों को उनका उत्तर देने में सुविधा हो सकती है और ऐसा करने से हम पांच सितारा होटल तक हिन्दी को पहुंचा सकते हैं।

29 सितम्बर, 1985 के अपराह्न में दो गोष्ठियों का आयोजन किया गया। पहली गोष्ठी का विषय था "तकनीकी संस्थाओं में राजभाषा हिन्दी की बाधाएं" और दूसरी गोष्ठी का विषय था "राजभाषा और प्रान्तीय भाषाओं का संबंध"। प्रथम गोष्ठी की अध्यक्षता संघ लोक सेवा आयोग के निदेशक डा० आई० पाण्डुरंगराव ने की और दूसरी गोष्ठी की अध्यक्षता संसद सदस्य डा. वर्मा ने की। राजभाषा के प्रतिनिधि ने यांत्रिक सुविधाओं के बारे में राजभाषा विभाग द्वारा किये गये प्रयत्नों तथा उपलब्धियों के बारे में विस्तार से बताया।

दूसरे दिन 30 सितम्बर को भी दो गोष्ठियां आयोजित की गई जिसमें से तीसरी गोष्ठी का विषय था "सरकारी उपक्रमों में व्यावसायिक हिन्दी से संबंधित विकास पर चर्चा" और चौथी गोष्ठी का विषय था "आधुनिक इलैक्ट्रानिकी उपकरणों का देवनागरी अथवा द्विभाषिक रूप में प्रयोग करने के संबंध में एक राष्ट्रीय नीति का निर्धारण।" इन गोष्ठियों में वक्ताओं ने अपने अपने विचार प्रकट किये तथा संचार मंत्रालय के प्रतिनिधि ने द्विभाषी कम्प्यूटर एवं द्विभाषी टेलीप्रिन्टर के विकास के बारे में जानकारी दी।

सम्मेलन के दूसरे दिन अपराहन में खुला अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्री राम चन्द्रप्रसाद यादव, उप महाप्रबंधक एच० ई० सी० ने की।

सम्मेलन से हिन्दी की मानसिकता का वातावरण बना जो आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण है।

3. बम्बई में राजभाषा सम्मेलन

भारत सरकार, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, के उपनिदेशक कार्यालय बम्बई द्वारा दिनांक 14 जून, 1985 को पूर्वान्ह 11.00 बजे एयर इंडिया ऑडिटोरियम बम्बई में राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलनमें बम्बई स्थित केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, व राष्ट्रीयकृत बैंकों के अध्यक्ष शामिल हुए। महाराष्ट्र सरकार के राजभाषा निदेशक तथा गुजरात, महाराष्ट्र तथा गोवा में स्थित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्ष भी उक्त सम्मेलन में शामिल हुए। इस सम्मेलन की अध्यक्षता भारत सरकार की सचिव कु० कुसुमलता मित्तल, आई० ए० एस० ने की। माननीय गृह राज्य मंत्री श्रीमती रामदुलारी सिन्हा ने प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित होकर उपस्थित सदस्यों का मार्गदर्शन किया तथा विभिन्न कार्यालयों आदि को पुरस्कृत किया।

सम्मेलन की शुरूआत करते हुए भारत सरकार के संयुक्त सचिव जी ने विभिन्न सदस्यों का स्वागत किया और कहा कि वर्ष 83-84 एवं 84-85 से राजभाषा विभाग के कार्याकिलापों में काफी गति आयी है उसका मुख्य कारण यह है कि राजभाषा विभाग ने हिन्दी को राजभाषा के रूप में कार्यान्वित करने के लिए कई नई योजनाएं तैयार की और योजना आयोग की सहमति प्राप्त होने के पश्चात् उनमें कुछ का कार्यान्वयन भी सुनिश्चित किया। इन सब योजनाओं में राजभाषा विभाग ने कार्यान्वयन पक्ष को सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दिया जिससे राजभाषा के रूप में हिन्दी का प्रयोग एवं प्रसार विभिन्न मंत्रालयों, विभागों तथा उनसे संबद्ध अधीनस्थ कार्यालयों तथा सरकारी उपक्रमों एंव राष्ट्रीयकृत बैंकों में बढ़ सके। इसमें नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों ने भी काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके लिए राजभाषा विभाग देश की 62 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्षों और सदस्य सचिवों का अनुग्रहीत है।

इस आयोजन के लिए संयुक्त सचिव जी ने निदेशक केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो को बधाई दी जिनके प्रयत्नों से यह सम्मेलन आयोजित हो सका। गृह राज्य मंत्री जी ने इस सम्मेलन में उपस्थित होने के लिए अपने व्यस्त समय में से जो समय निकाला उसके लिए संयुक्त सचिव जी ने आभार प्रदर्शित किया। संयुक्त सचिव जी ने राजभाषा विभाग की सचिव कुमारी कुसुमलता मित्तल जी से सम्मेलन को सम्बोधित करने के लिए अनुरोध किया।

राजभाषा विभाग की सचिव कुमारी कुसुमलता मित्तल ने अपने सम्बोधन में कहा कि राजभाषा विभाग की प्रगति की जानकारी अभी आपको मिल गयी है। आपसे केवल दो तीन बातों पर चर्चा करनी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश भर में हिन्दी आशुलिपि तथा हिन्दी टाइपिंग के लिए प्रशिक्षण केन्द्र खोले हैं। जिन अधिकारियों व कर्मचारियों को हिन्दी नहीं आती है अथवा हिन्दी व आशुलिपि नहीं आती है उन्हें कार्यालय समय में ही प्रशिक्षण दिया जाता है। इस संबंध में सरकारी आदेश भी है। प्रशिक्षण को ड्यूटी माना जाता है। उन्होंने कहा कि देश की राजभाषा व साथ-ही-साथ संपर्क भाषा (लिंक लेंग्वेज) के रूप में हिन्दी ही कार्यालय की भाषा बनेगी। यदि थोड़ा ध्यान दिया जाए तो इन सुविधाओं का उपयोग कर सरकार की नीति को असरकारक ढंग से लागू किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई कार्यालय स्थान देने के लिए तैयार हो और पर्याप्त मात्रा में प्रशिक्षार्थी वहां उपलब्ध हो सकें तो वहां पर विभाग की ओर से प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा सकती है।

उन्होंने कहा कि अब सभी उपकरण जैसे टाइपराइटर, कंप्यूटर, वर्ड-प्रोसेसर आदि प्रद्विभाषी रूप में बनने लगे हैं और यदि अभी से हिन्दी अंग्रेजी में इनके लिए आर्डर दिए जाए तो बहुत कम खर्चे में द्विभाषी रूप में व्यवस्था हो सकती है। अगर अभी अंग्रेजी के कंप्यूटर आदि खरीदे गए और बाद में हिन्दी में तो लागत दुगनी हो जाएगी और उसका इस्तेमाल ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा। उन्होंने बताया कि सरकारी व निजी क्षेत्र से अनुरोध करते हुए उन्होंने कहा कि वे दफ्तरों में जाकर सरकार की इस नीति को लागू कराएं।

सचिव जी ने सभी से अनुरोध किया कि वे अपने कर्मचारियों से न केवल हिन्दी में बातचीत करें बल्कि छोटी-मोटी टिप्पणियां भी हिन्दी में लिखकर उनके पास भेजें। इससे एक अच्छे वातवरण का निर्माण होगा और उनके अधीनस्थ कर्मचारी हिन्दी में लिखने की प्रेरणा पाएंगे।

माननीय गृह राज्य मंत्री जी ने उपस्थित सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत एक बहु-भाषी देश है। इसके करोड़ों निवासी सदियों से बहु धर्मों और बहु संस्कृतियों के बावजूद भी एक साथ प्रेम और सद्भाव से रहते आ रहे हैं। इसके निवासियों के आचार विचार, बोलचाल और जीवनदर्शन में एक सूत्रता है जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम को आबद्ध करती है। इसमें भाषा का ही प्रमुख स्थान है। इसमें संदेह नहीं है कि इस बहुभाषी देश में आवश्यकताओं के अनुसार भाषा का स्वरूप बदलता रहा है परन्तु हिन्दी हमारे राष्ट्र की लोकशक्ति से उभरी हुई जनभाषा है जिसका प्रभुत्व एक दो या चार देशों में नहीं है। इसी कारण बिना झिझक हमारे संविधान निर्माताओं ने एक मत होकर इसको राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। हिन्दी के राजभाषा के रूप में स्वीकृत हो जान पर उसके उत्तरदायित्वों में अपार वृद्धि हुई है। आज इसे न केवल बोलचाल और साहित्य की भाषा के रूप में अपने कर्त्तव्य का निर्वाह करना है बल्कि प्रशासन, विज्ञान और प्रोद्यौगिकी, वाणिज्य और उद्योग तथा पत्रकारिता आदि क्षेत्रों में भी अपने उत्तरदायित्व को निभाना है। यह एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है।

उन्होंने राजभाषा के संदर्भ में द्विभाषिकता की स्थिति को समझाते हुए कहा कि द्विभाषिकता के परिप्रेक्ष्य में कुछ जिम्मेदारियां हमारे ऊपर आयी हैं। अभिप्राय अंग्रेजी बनाम हिन्दी की समस्या नहीं है वरन् हिन्दी की केन्द्रीय सरकार की राजभाषा के रूप में सुदृढ़ करने की है। इससे अंग्रेजी पढ़े-लिखे सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की सुविधा तो बनी रहे परन्तु भारत के जनमानस और लोगों की भावनाओं की उपेक्षा न हो। ऐसा प्रावधान इसलिए किया गया था कि जिन अधिकारियों ने अंग्रेजी माध्यम से अपना अध्ययन पूरा किया है, उन्हें हिन्दी में काम करने में कठिनाई न हो। इसके अतिरिक्त अनेक तकनीकी, वैज्ञानिक और वाणिज्यिक संगठनों में भी जहां हिन्दी न जानने वाले अधिकारियों का बाहुल्य हो वहां अकस्मात हिन्दी में काम करने की

असुविधा न हो। पर इस द्विभाषिकता की स्थिति में सरकार ने पूरा प्रयास किया है कि केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों एंव विभागों तथा उनके अधीनस्थ कार्यालयों एवं सरकारी उपक्रमों में कर्मचारियों को जो हिन्दी नहीं जानते या जो हिन्दी में काम करने की क्षमता नहीं रखते उनको पूरी तरह से सुविधा प्रदान की जाए ताकि वे द्विभाषिकता की स्थिति से उभर कर ऐसी स्थिति में आ जाएं जहां उन्हें हिन्दी में काम करने में कठिनाई न हो। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी में सेवा कालीन प्रशिक्षण पच्चीस सालों से दिया जा रहा है और प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद प्रोत्साहन भी दिया जाता है।

उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा शब्दावलियों का निर्माण कार्य भी करीब-करीब पूरा कर लिया गया है। तकनीकी विषयों पर भी शब्दावलियां उपलब्ध की गयी हैं जिनमें अंतरिक्ष और इलेक्ट्रानिकी विषय आदि भी सम्मिलित हैं। चार लाख पृष्ठों से अधिक सरकारी मैनुअलों और कोडो का अनुवाद कर लिया गया है और यह प्रक्रिया अभी भी चल रही है। विधि साहित्य में प्रतिदिन काम में आने वाले पुस्तकों का अनुवाद कर दिया गया है। शब्दावलियों आदि की जानकारी के लिए राजभाषा विभाग ने कुछ दिन पहले बड़े ही रोचक फोल्डर भी बनाए हैं। तकनीकी क्षेत्र में द्विभाषी कम्प्यूटर, इलेक्ट्रानिक टेलीप्रिन्टर, इलेक्ट्रीकल टाइपराइटर, वर्ड प्रोसेसर आदि भी उपलब्ध होने लगे हैं। इन तमाम सुविधाओं के बावजूद अभी भी कार्यालयों में हिन्दी में सुचारू रूप से कार्य नहीं हो पा रहा है। यह कहना तर्क संगत नहीं लगता है कि इन सभी सुविधाओं के बावजूद अधिकतर काम-काज अनिश्चितकाल तक अंग्रेजी में चलता रहे। अक्सर हिन्दी में काम करने की जिम्मेदारी वस्तुतः उन कर्मचारियों की समझी जाती है जो हिन्दी का काम करने के लिए नियुक्त किए जाते हैं, इसका परिणाम यह हुआ है कि कई कार्यालयों में हिन्दी केवल अनुवाद की भाषा बन कर रह गयी और सही मायने में सरकारी कामकाज में ठीक प्रकार से इस्तेमाल नहीं हो रही है। यही वजह है कि राजभाषा विभाग द्वारा जारी किया गया वार्षिक-कार्यक्रम ठीक तरह से कार्यान्वित नहीं हो पा रहा है। उन्होंने पूरी आशा के साथ कहा कि वरिष्ठ अधिकारी इस ओर ध्यान देगें और हिन्दी के प्रयोग एवं प्रसार पर अधिक बल देंगे। इस प्रकार अपने दायित्व का पूरी तरह निर्वाह करेंगे।

उन्होंने कहा कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी हमेशा हिन्दी को राष्ट्र की एकता और संगठन मजबूत करने वाली शक्ति मानती थीं। आज जरूरत इस बात की है कि हम राष्ट्रीय एकता और संगठन को मजबूत करने के लिए राजभाषा हिन्दी का प्रयोग अधिक से अधिक करें। उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग अधिक से अधिक कर पूरा फायदा उठांए। वर्ष 1985-86 के वार्षिक कार्यक्रम में प्रधान मंत्री जी ने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो आव्हान किया है उसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि आज इस द्विभाषिकता की स्थिति में अंग्रेजी का समुचित लाभ उठाते हुए हिन्दी की स्थिति को मजबूत बनाना है तथा साथ ही दिए गए लक्ष्यों का कार्यान्वयन भी करना है। केन्द्र में हिन्दी की स्थिति मजबूत करने के लिए राज्यों को भी पत्र-व्यवहार में हिन्दी को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यह तभी हो सकता है जब केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग मूल पत्राचार हिन्दी में करना प्रारंभ करें। विभागाध्यक्षों और प्रशासनिक अध्यक्षों का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि कार्यालयों में हिन्दी के टिप्पण और आलेखन बढ़ाने में जो कठिनाई आ रही है उन्हें दूर करने में पूरा सहयोग दें।

उन्होंने कहा कि उन्हें यह बताया गया है कि किसी-किसी विभाग में तो एक भी हिन्दी आशुलिपिक नहीं है। यह शायद इसलिए है कि वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान इस ओर नहीं गया। मंत्री जो ने पुरस्कृत कार्यालयों को बधाई व शुभकामनायं देते हुए अन्य कार्यालयों के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि जिस प्रकार हिन्दी का अधिकाधिक कार्य करने के लिए उक्त कार्यालयों को पुरस्कार मिला है वे भी हिन्दी के प्रयोग को बढ़ा कर पुरस्कृत हों।

उसके बाद माननीय गृह राज्य मंत्री जी ने निम्नलिखित विभिन्न कार्यालयों को पुरस्कार व प्रशंसापत्र प्रदान किए :—

क्रम सं०	नगर का नाम	पुरस्कार	पुरस्कार विजेता कार्यालय का नाम
		न. रा. भा. का समिति	
(1)	बम्बई केन्द्रीय कार्यालय	प्रथम	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालय, बम्बई।
		द्वितीय	मुख्य आयकर आयुक्त (प्रशा०) बम्बई।
		तृतीय	महाप्रबन्धक टेलीफोन्स, बम्बई।
(2)	बम्बई (उपक्रम)	प्रथम	इंडियन रेअर अर्थ्स लि०, बम्बई।
		द्वितीय	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि., बम्बई।
		तृतीय	दि कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बम्बई।
(3)	नासिक	प्रथम	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक।
		द्वितीय	भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक।
		तृतीय	हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, नासिक।

1	2	3	4
(4) पूना		प्रथम	: गीत और नाटक प्रभाग, पूना ।
		द्वितीय	: बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केन्द्रीय कार्यालय, पूना ।
		तृतीय	: महाप्रबंधक, पुणे टेली-फोन्स, पूना ।
(5) नागपुर		प्रथम	: पत्र सूचना कार्यालय नागपुर ।
		द्वितीय	राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा-महाविद्यालय, नागपुर ।
		तृतीय	: राष्ट्रीय प्रत्यक्षकर अकादमी, नागपुर ।
(6) अहमदाबाद		प्रथम	: मुख्य आयकर आयुक्त (प्रशा.) अहमदाबाद ।
		द्वितीय	: राष्ट्रीय डिजाइन्स संस्थान, अहमदाबाद ।
		तृतीय	: इफको, अहमदाबाद ।
(7) बड़ौदा		प्रथम	: मंडल रेल प्रबन्धक, पश्चिम रेलवे, बड़ौदा ।
		द्वितीय	: केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क, बड़ौदा ।
		तृतीय	: बैंक ऑफ बड़ौदा, प्रधान कार्यालय, बड़ौदा ।
(8) राजकोट		प्रथम	: मंडल रेल प्रबंधक पश्चिम रेलवे, राजकोट ।
		द्वितीय	: बैंक ऑफ इंडिया, अंचल कार्यालय, राजकोट ।
		तृतीय	: केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालय, राजकोट ।
(9) भावनगर		प्रथम	: मंडल रेल प्रबंधक, पश्चिम रेलवे, भावनगर ।
		द्वितीय	: स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, भावनगर ।
		तृतीय	: देना बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, भावनगर ।

बड़ौदा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री ना० व० सोनावणे, समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व सीमाशुल्क ने राजभाषा विभाग का आभार प्रकट करते हुए कहा कि चार-पांच माह पहले दिल्ली में और अब आज बम्बई में इस सम्मेलन के अवसर पर जो पुरस्कार दिए गए हैं उससे काफी अच्छा वातावरण बना है। उन्होंने कहा कि सरकारी नीति के अनुसार राजभाषा हिन्दी की प्रगति के संबंध में जो अपेक्षाएं की जाती हैं उन्हें पूरा करने में दिक्कत नहीं महसूस होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में देने, धारा 3(3) के अधीन सभी सामान्य आदेश द्विभाषी रूप में जारी करने, "ख" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में 25 प्रतिशत टाइपराइटर हिन्दी में खरीदने आदि कार्य आसानी से किए जा सकते हैं, उनमें किसी प्रकार की समस्या नहीं आती है।

उन्होंने माननीय गृह राज्य मंत्री जी के शब्दों को उद्धृत करते हुए कहा कि हिन्दी वास्तव में संपर्क भाषा है। अपने विदेश प्रवास का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि विदेशों में लोग हिन्दुस्तान से आए मेहमानों से हिन्दी में भी बातें करते हैं और हिन्दी बोलने पर वे काफी खुश होते हैं। उन्होंने अपने कार्यालय में हुई हिन्दी की प्रगति की संक्षेप में जानकारी दी और अनुरोध किया कि बड़ौदा में प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की व्यवस्था की जाए।

संयुक्त सचिव जी ने बड़ौदा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष के रूप में श्री ना० व० सोनावणे द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों की जानकारी सभी सदस्यों को दी। उन्होंने वाराणसी, जयपुर, इलाहाबाद, देहरादून, की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों का उल्लेख करते हुए बताया कि मेजर जनरल अग्रवाल ने देहरादून में भूगोल की शब्दावली हिन्दी में प्रकाशित की है। यह शब्दावली अब तक विश्व की केवल चार भाषाओं में ही प्रकाशित हुई थी, उन्होंने इसे हिन्दी में प्रकाशित करके एक उत्कृष्ट कार्य किया है।

नासिक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री पी० एस० शिवराम, जनरल मैनेजर, भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक ने कहा कि नासिक में 5 वर्ष से जनरल मैनेजर के रूप में काम कर रहे हैं नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष भी हैं। हिन्दी शिक्षण केन्द्र भी है, वहां पर लोग हिन्दी सीखते हैं, अपना काम हिन्दी में करते भी हैं, अपना काम हिन्दी में करने में रुचि भी रखते हैं मुद्रणालय में 40% तक हिन्दी का इस्तेमाल कर रहे हैं।

सरकारी उपक्रम के श्री के० एन० बकाया, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन के प्रतिनिधि ने कहा कि हिन्दी को अनुवाद की भाषा बनाया जा रहा है। जो लोग काम करना चाहते हैं वे करते हैं अन्यथा अपने बचाव के लिए वे पत्र अनुवाद करने के लिए हिन्दी अनुभाग में भेज देते हैं। इंडियन ऑयल कार्पोरेशन, मार्केटिंग डिवीजन में हमने बहुत काम किया है। "क" क्षेत्र में अपना काम हम हिन्दी में करवा रहे हैं, व्यापार की दृष्टि से भी हम हिन्दी का ही इस्तेमाल करते हैं अन्यथा दूर देहात में रहने वाला डीलर कैसे अंग्रेजी समझ पाएगा, सभी कर्मचारी अंग्रेजी समझते भी नहीं है। हम हिन्दी की कक्षाएं चला रहे हैं। अनुवाद ब्यूरो की सुविधा का लाभ भी उठा रहे हैं। स्वयं रुचि हमें पैदा करनी होगी। यह कहा जाता है कि मंत्रालय काम शुरु करे तो सभी करेंगे परन्तु "पहले आप",

की भाषा को छोड़कर स्वयं शुरू करें। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में पर्सनल विभाग का सारा पत्र व्यवहार हिन्दी में किया जाता है यद्यपि इससे मालूम हुआ है कि मंत्रालय में कुछ समस्या पैदा हो रही है । हम अपनी शक्ति का उपयोग हिन्दी में कर रहे हैं। हम अपने आदेश हिन्दी में भी निकालते हैं। समझाकर काम चला लेते हैं। हमने अपने स्टेनों को कहा कि वे अपने अधिकारी को हिन्दी में पत्र हस्ताक्षर करने के लिए अवश्य कहें क्योंकि हो सकता है वे भूल गए हों, उन्हें याद दिला दें। उन्होंने बताया कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बारे में जानकारी क्षेत्रीय भाषाओं में भी दी जाती है। बैठकों में विचारों के आदान-प्रदान में भी हिन्दी को बढ़ावा मिलता है।

संयुक्त सचिव जी ने कहा कि इनके कार्य दूसरों के लिए काफी उपयोगी हैं। इन्होंने कुछ बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं। सचिव जी ने अभी कहा है कि उपकरण द्विभाषी लिए जाएं। संयुक्त सचिव ने कहा कि चाहे जहां से मंगवाए, द्विभाषी अवश्य लें। विदेशी फर्म भी द्विभाषी उपकरण सप्लाई कर रही है इस संबंध में एक परिपत्र आपको मिला है। कम्प्यूटर "डेजीविल" पाइंट वाले लिए जाएं इसमें द्विभाषी रूप की सुविधा होगी। सरकार का निर्णय है, इसलिए द्विभाषी ही लें, यह आर्थिक दृष्टि से, स्थान की दृष्टि से तथा उपयोग की दृष्टि से बहुत लाभकारी है। वरिष्ठ अधिकारी के स्तर पर अवश्य विचार किया जाए।

श्री जे०एन० दौलतजादा, जनरल मैनेजर, बैंक आफ बड़ौदा ने कहा कि राजभाषा विभाग हिन्दी के काम का एक काफी बड़ा मंच है। इसके द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम हमारे लिए काफी उपयोगी है। पुस्तकालय सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि के साथ धारा 3(3) को लागू करना बहुत जरूरी है, उक्त सभी कार्य बैंक ऑफ बड़ौदा करता है। ग्राहकों को भी हम द्विभाषी रूप में तथा क्षेत्रीय भाषा में साहित्य देते हैं। उन्होंने शाखा स्तर पर हिन्दी टाइपराइटर आदि देने के बारे में बैंकों को छूट देने की मांग की ताकि वे आवश्यकता के अनुसार खरीद सकें। उन्होंने कहा कि बैंक ऑफ बड़ौदा कम्प्यूटर आदि द्विभाषी ही खरीदेंगे।

संयुक्त सचिव ने कहा कि प्रयत्न न कीजिए बल्कि कम्प्यूटर आदि द्विभाषी ही लें। उन्होंने बताया कि जापान में सभी टेक्नालाजी को जापानी भाषा में अवश्य उपबन्ध कराया जाता है। यदि आप चाहें तो जानकारी राजभाषा विभाग से ले सकते हैं अथवा इलेक्ट्रानिकी विभाग से सहयोग ले सकते हैं।

अन्त में उप सचिव (कार्यान्वयन) ने माननीया गृह राज्य मंत्री जी, सचिव जी, संयुक्त सचिव तथा विभिन्न केन्द्रीय कार्यालयों, उपक्रमों, के अध्यक्षों आदि का आभार व्यक्त किया। उन्होंने माननीय गृह राज्य मंत्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद दिया कि उन्होंने अत्यन्त व्यस्तता के बावजूद इस सम्मेलन को अपना मार्ग दर्शन प्रदान किया और इसे गौरान्वित किया।

—हरिओम श्रीवास्तव
उप निदेशक (कार्यान्वयन)
बम्बई

"हिन्दी एक सेतु है जिसने विभिन्न भाषाओं व संस्कृतियों में तालमेल स्थापित करके राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया है।"

—नरसिंह राव

राजभाषा हिन्दी के बढ़ते चरण

1. नैशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन हैदराबाद

नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग पर वर्षों से पर्याप्त ध्यान दिया जाता रहा है। यहां राजभाषा अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार हिन्दी प्रशिक्षण और हिन्दी अनुवाद के लिए समुचित व्यवस्था के साथ ही दैनन्दिन प्रशासनिक कार्यों में हिन्दी के प्रयोग पर भी पर्याप्त ध्यान रखा जा रहा है।

निगम राजभाषा के प्रयोग के साथ ही, इसके लिए अनुकुल वातावरण पैदा करने के उद्देश्य से हिन्दी कार्यशालाओं, हिन्दी सेमिनारों तथा राजभाषा समारोहों आदि का आयोजन हर वर्ष करता है। यह हिन्दी में पत्रिकाओं का भी प्रकाशन करता है। प्रशासनिक शब्दावली (अंग्रेजी-हिन्दी) भी प्रकाशित की गई है तथा प्रचार-प्रसार के लिए राजभाषा संबंधी पर्याप्त प्रैस विज्ञप्तियों भी जारी की गई हैं।

पिछले एक वर्ष के कुछ प्रमुख कार्यकलाप इस प्रकार हैं :—

इस्पात और खान मंत्रालय से प्रथम पुरस्कार राजभाषा शील्ड की उपलब्धि :

निगम को अगस्त, 1984 में इस्पात और खान मंत्रालय के इस्पात विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी कार्यालयों/उपक्रमों के बीच वर्ष 1983 में हिन्दी के सार्वधिक काम के लिए विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 18 अगस्त, 1984 को आयोजित "शील्ड वितरण समारोह एवं राजभाषा सेमिनार" में मंत्रालय की ओर से प्रथम पुरस्कार के रूप में "राजभाषा शील्ड" प्रदान की गयी।

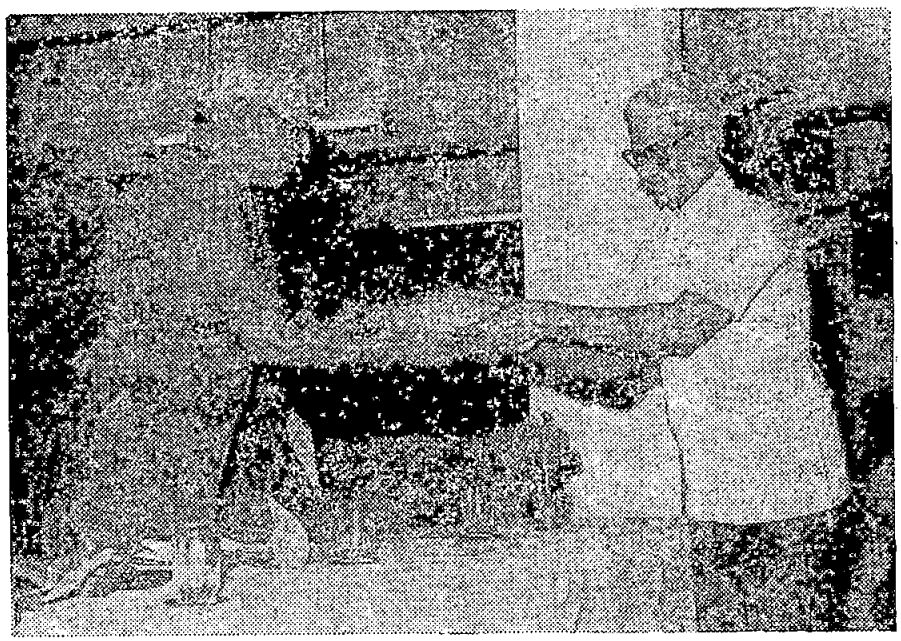

निगम के अध्यक्ष, श्री प्रेमचन्द गुप्ता, इस्पात और खान मंत्रालय के इस्पात विभाग क तत्कालीन सचिव से "राजभाषा शील्ड" प्राप्त कर रहे हैं।

राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) से श्रेष्ठता प्रमाण-पत्र एवं पुरस्कार की प्राप्ति :

राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) की ओर से निगम को "राजभाषा कार्यान्वयन के वर्ष 1984 में श्रेष्ठतम निष्पादन के लिए "श्रेष्ठता प्रमाण-पत्र एवं पुरस्कार प्रदान किए गए। पुरस्कार गृह राज्य मंत्री श्रीमति राम दुलारी सिन्हा ने दिया।

हिन्दी सम्मेलन/सेमिनार/कार्यशालाओं के आयोजन

निगम की हीरा खान परियोजना, पन्ना में 25 अक्तूबर, 1984 तक हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया गया।

निगम को "दोपिमलै लौह अयस्क परियोजना", दोपिमलै कर्नाटक में 18 फरवरी 1985 से 24 फरवरी, 1985 तक हिन्दी सप्ताह और राजभाषा सेमिनार के आयोजन किए गए। इसके अन्तर्गत हिन्दी कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया।

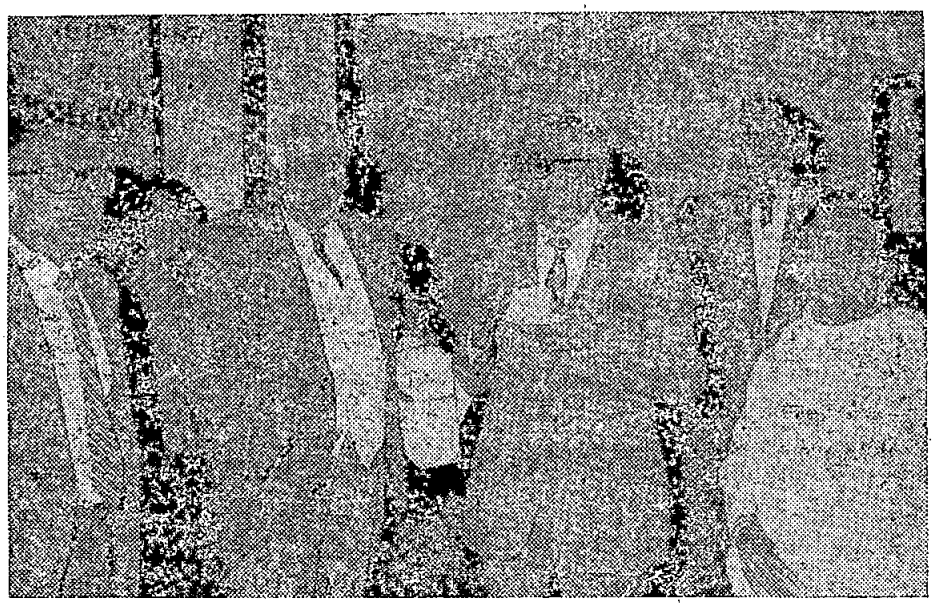

दाएं से क्रमशः श्रीमती राम दुलारी सिन्हा, श्री प्रेमचन्द गुप्ता, श्री एम० सी० मलिक तथा श्री आर. के. शास्त्री तत्कालीन सचिव, राजभाषा विभाग

मुख्यालय, हैदरावाद में 30 मार्च, 1985 से 12 अप्रैल, 1985 तक हिन्दी-सम्मेलन किया गया। इसके अन्तर्गत हिन्दी निवन्ध, हिन्दी वाक, हिन्दी नोटिंग-ड्राफ्टिंग प्रतियोगिता के आयोजन के साथ-साथ राजभाषा सेमिनार, हिन्दी कवि-गोष्ठी तथा राजभाषा समारोह के विस्तृत आयोजन किए गए।

राजभाषा सेमिनार

11 अप्रैल, 1985 को राजभाषा सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें राजभाषा से सम्बद्ध अनेक विद्वान तथा केन्द्रीय सरकार के सभी संगठनों/कार्यालयों के सम्बद्ध अधिकारी तथा कर्मचारी आमंत्रित थे।

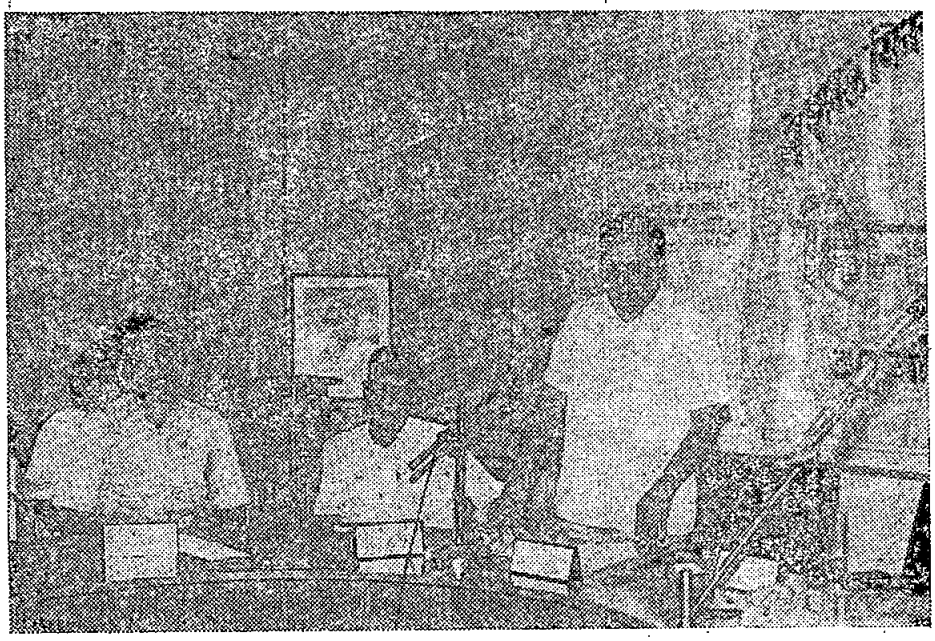

निगम के निदेशक (उत्पादन), श्री ए० के० चटर्जी अध्यक्षीय भाषण देते हुए। उनके बाएं बैठे हैं श्री ए. खालिक एवं श्री गोवर्ध । ठाकुर

आयोजन की अध्यक्षता निगम के निदेशक उत्पादन श्री ए०के० चटर्जी ने की। इन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में इस बात पर जोर दिया कि हिन्दी का प्रयोग राष्ट्रीय आवश्यकता है और हम जहां कहीं, जिस किसी भी स्तर पर कार्य कर रहें हों, हिन्दी के प्रयोग को आगे बढ़ाए। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि इसमें कोई कठिनाई नहीं है। थोड़ा प्रयास अवश्य करना पड़ेगा, परन्तु जैसे-जैसे हमारा अभ्यास बढ़ता जाएगा हमें सहूलियत होने लगेगी।

प्रमुख वक्ता के रूप में बोलते हुए हिन्दी संस्थान के स्थानीय केन्द्र के प्रो० एवं केन्द्र प्रभारी, डा० वी० रा० जगन्नाथन तथा उसमानिया विश्व विद्यालय के रीडर डा० विष्णुस्वरुप ने यह महसूस किया कि हिन्दी के प्रयोग में कठिनाइयों की बात अधिकतर वे लोग करते है, जो स्वयं इसका प्रयोग करने से कतराते हैं। हिन्दी बड़ी ही सरल भाषा है और यदि लोग चाहें तो धीरे धीरे इसका प्रयोग बढ़ा सकते हैं। इसके लिए अभ्यास करना होगा। जो आदमी पानी में बैठने से ही डरेगा वह भला तैर कैसे पाएगा। जो एक बार हिन्दी का प्रयोग शुरू कर देते हैं उनके लिए यह धीरे धीरे अपने आप आसान बनती चली जाती है।

राजभाषा समारोह :

12 अप्रैल, 1985 को राजभाषा समारोह का भव्य आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता, निदेशक (उत्पादन) श्री ए. के. चटर्जी ने की।

विशेष अतिथि थीं श्रीमती कुसुम गुप्ता तथा मुख्य अतिथि थे—श्री वेमूरिआंजनेय शर्मा। इस अवसर पर हिन्दी निबन्ध, हिन्दी वाक् और हिन्दी नोटिंग ड्राफ्टिंग प्रतियोगिता में विजयी दर्जनों अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ ही, इस वर्ष हिन्दी के प्रयोग संबंधी नियमों के अनुपालन में विशेष सजगता दिखाने वाले कर्मचारियों को भी पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर निगम के सर्वकार्यभारी अधिकारी श्री ए० खालिक ने अतिथियों का स्वागत किया तथा वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी श्री गोवर्धन ठाकुर ने उपस्थित सभी को निगम में हिन्दी के प्रयोग और प्रचार-प्रचार के लिए किए जा रहे प्रयत्नों की विस्तृत जानकारी दी।

प्रशासनिक शब्दावली तथा राजभाषा नियम एवं आदेश का प्रकाशन

1984 के उत्तरार्ध में प्रकाशित उपर्युक्त पुस्तक में निगम के रोजमर्रा के काम में प्रयोग में आने वाली प्रशासनिक शब्दावलियों, निगम के पदनामों, संक्षिप्त टिप्पणियों के हिन्दी रूपांतर तथा राजभाषा हिन्दी के प्रयोग के संबंध में निगम द्वारा जारी स्थायी आदेश तथा राजभाषा नियम 1976 संकलित किए गए हैं। इस 135 पृष्ठ की पुस्तक से निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को हिन्दी का प्रयोग करने में सुविधा हो रही है।

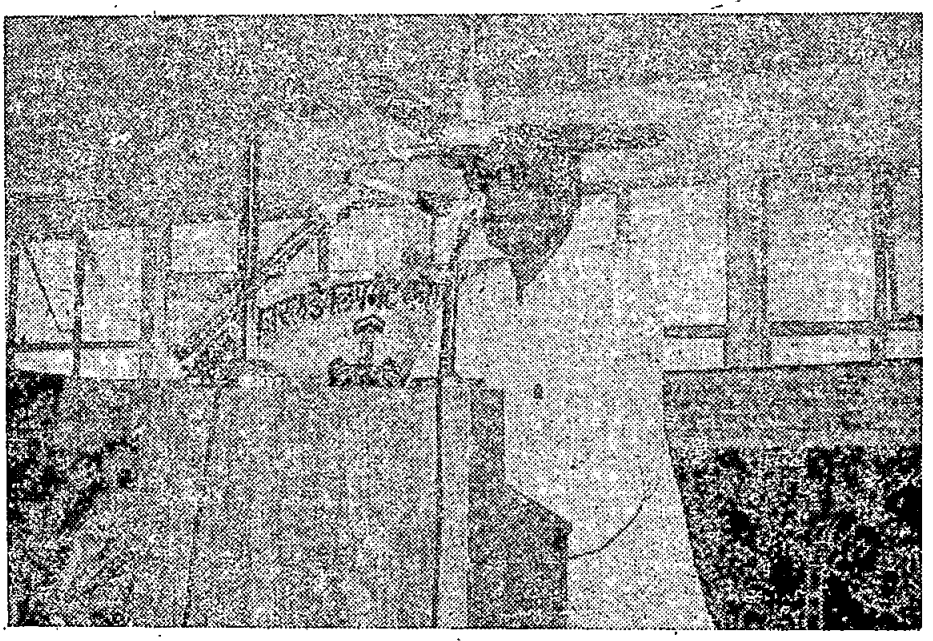

दक्षिण भारत में हिन्दी प्रचार सभा, हैदराबाद के उपकुल सचिव श्री वमूरिआंजनेय शर्मा, मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए

हिन्दी कार्यशालाओं के आयोजन

निगम में 1984-85 वर्ष में 12 हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

गोवर्धन ठाकुर
वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी

केनरा बैंक में राजभाषा की प्रगति—एक परिचय

1 उपलब्धियाँ : (1982—1985)

बैंक में राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन पर काफी ध्यान दिया जा रहा है। बैंक ने इस क्षेत्र में भी कई एक सम्मान पाये हैं। पिछले 2–3 वर्षों में बैंक ने, हिन्दी के प्रयोग के क्षेत्र में जो पुरस्कार जीते हैं, उनमें कुछ हैं :–

क–पुरस्कार एवं सम्मान

—वर्ष 1982 में, रिज़र्व बैंक गवर्नर राजभाषा शील्ड योजना में बैंक को चौथा स्थान मिला।

(इसी योजना के अंतर्गत वर्ष 1980 में क्षेत्र "क" के लिए केनरा बैंक को प्रथम पुरस्कार दिया गया था)

—भारतीय रिज़र्व बैंक गवर्नर राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता में वर्ष 1983 में केनरा बैंक ने क्षेत्र "ग" के लिए प्रथम तथा क्षेत्र "क" एवं "ख" के लिए द्वितीय पुरस्कार जीते।

—केनरा बैंक मण्डल कार्यालय आगरा को, वर्ष 1983–84 तथा 1984 –85 के लिए, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की चल "वैजयन्ती शील्ड प्राप्त हुई।

—हिन्दी के प्रयोग के क्षेत्र में किये गये उल्लेखनीय कार्य की मान्यता के रूप में केनरा बैंक के अध्यक्ष श्री वी. रत्नाकर ने माननीय प्रधान मंत्री राजीव गांधी के करकमलों से दि० 19-9-85 को पुरस्कार प्राप्त किया।

—राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय भारत सरकार ने, केनरा बैंक अंचल कार्यालय तिरूवनंतपुरम को, हिन्दी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दिनांक 27-9-1985 को एक पुरस्कार प्रदान किया।

—केनरा बैंक अंचल कार्यालय तिरूवनंतपुरम को, तिरूवनंतपुरम, नगर में, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का संयोजक नामित किया गया है

—संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति ने समय-समय पर, बैंक के विभिन्न कार्यलयों का दौरा करने के बाद, हिन्दी के कार्यान्वयन के क्षेत्र में बैंक द्वारा किये गये प्रयासों की सराहना की है।

—विभिन्न सरकारी अधिकारियों ने बैंक के प्रधान कार्यालय एवं अंचल कार्यालयों का निरीक्षण करके हिन्दी के कार्यान्वयन के क्षेत्र में बैंक द्वारा की गयी प्रगति की प्रशंसा की है।

—हिन्दी के प्रयोग के सम्बन्ध में केनरा बैंक ने जो निरीक्षण रिपोर्ट रूपायित की थी, उसे भारतीय रिज़र्व बैंक ने सराहा और अनुकरण हेतु अन्य बैंकों के बीच परिचालित किया।

(ख) कार्य-निष्पादन के आयाम : (1982—85)

—प्रयोजन मूलक हिन्दी में कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए बैंक ने वर्ष 1984 में 147 हिन्दी कार्यशालाएं चलायीं, जो कि एक कीर्तिमान है।

—बैंक की कुल 152 राजभाषा कार्यान्वयन समतियाँ हैं जिनकी बैठकें नियमित रूप से हो रही हैं।

—अब तक, बैंक के राजभाषा अधिकारियों के 4 सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं, जिनके ज़रिए नए-नए विचार प्रकाश में आये हैं।

—अब तक 400 शाखाओं को राजपत्र में अधिसूचित किया जा चुका है।

—5680 फॉर्म और रजिस्टरों का द्विभाषीकरण पूरा हो चुका है।

—95 प्रतिशत मेन्युअलों का द्विभाषीकरण पूरा हो चुका है। कार्यपालक अधिकारियों को पत्राचार द्वारा प्रयोजनमूलक हिन्दी में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

—बैंक की शाखाओं/कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने की दृष्टि से केनरा बैंक राजभाषा शील्ड योजना का श्रीगनेश किया गया।

—बैंक की दो पत्रिकाएं हैं—श्रेयस और राजभाषा प्रदीप। इनमें "राजभाषा प्रदीप" में केनरा बैंक में हिन्दी के बढ़ते चरण दर्शाये जाते हैं।

—बैंक के कई अंचल कार्यालय हिन्दी में पत्रिकाएं प्रकाशित कर रहे हैं।

—बैंक के सभी प्रशासनिक कार्यालयों/प्रशिक्षण केन्द्रों में धूमधाम से हिन्दी दिवस/हिन्दी सप्ताह/हिन्दी पखवाड़ा मनाया जाता है।

—सभी क्षेत्रों में बैंक के प्रशासनिक कार्यलयों में हिन्दी पुस्तकालय गठित किए हैं।

—मूल पत्राचार के क्षेत्र में बैंक ने अच्छी प्रगति की है। वर्ष 1984 में बैंक ने "क", "ख", "ग" क्षेत्रों में क्रमश करीबन 90%, 85% और 45% मूल पत्राचार हिन्दी में किया है।

—राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) की आवश्यकताओं का पूरा-पूरा अनुपालन किया जा रहा है।

—कर्मचारियों को हिन्दी शिक्षण का कार्य तेज़ी से चल रहा है और शिक्षणार्थियों को आकर्षक नकद पुरस्कार एवं अन्य प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं।

—मानक मसौदों की पुस्तिका, हिन्दी कार्यशाला सहायिका आदि जैसी कई सहायक सामग्री का प्रकाशन समय-समय पर किया जा रहा है।

—उन सभी कार्यलयों को देवनागरी टाइपराइटर उपलब्ध कराये गये हैं, जहां एक निर्धारित प्रतिशत पत्राचार हिन्दी में हो रहा है।

11. संभावनाएं :

भारत सरकार की नीतियों के अनुपालन करने में केनरा बैंक ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। हमारी राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन भी उसका अपवाद नहीं। बैंक ने एक दीर्घकालीन योजना बनायी है जिसका उद्देश्य है :—

(1) हिन्दी के कार्यान्वयन के क्षेत्र में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त करना।

(2) भारत सरकार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों का सौ फी सदी अनुपालन करना।

(3) हिन्दी प्रशिक्षण कायक्रमों को गति देना।

(4) मेन्युअल आदि के द्विभाषीयकरण को तुरन्त पूरा करना।

(5) ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को हिन्दी के कार्यान्वयन से जोड़ना और उन्हें हिन्दी में कार्य करने को प्रोत्साहित करना।

केनरा बैंक का प्रबंधन-तन्त्र राजभाषा के कार्यान्वयन के प्रति काफी उत्सुकता दिखा रहा है। बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री बी०

रत्नाकर ने एक मूल मंत्र अपने सहयोगियों के सम्मुख रखा है — "सर्वोत्तमता श्रेय स्साधनम्" बैंक, हिन्दी के कार्यान्वियन के क्षेत्र में भी सर्वोत्तमता हासिल करने में निरंतर प्रयत्नशील है।

3. लघु उद्योग सेवा संस्थान, जयपुर में हिन्दी की प्रगति

लघु उद्योग सेवा संस्थान, जयपुर संघ सरकार की राजभाषा नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने में सतत् प्रयत्नशील रहा है। नवम्बर, 1983 में हिन्दी प्रभाग की विधिवत स्थापना के बाद संस्थान द्वारा सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में अभिवृद्धि करने के लिए विद्यमान नीति के अन्तर्गत सभी साध्य प्रयास किये गये। संस्थान परिवार की निष्ठा, लगन, राजभाषा हिन्दी का प्रयोग सरकारी कामकाज में करके जनता के साथ जुड़ने की ललक तथा विशेषकर विभागाध्यक्ष द्वारा सरकारी कामकाज को हिन्दी में कराने के लिए संस्थान द्वारा परिवार के प्रत्येक सदस्य को प्रोत्साहन देना आदि के ही ये परिणाम हैं कि संस्थान द्वारा एक वर्ष की अल्पावधि में ही संघ सरकार द्वारा घोषित एवं निर्धारित हिन्दी प्रगति के लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है।

राजभाषा विभाग, केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों द्वारा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग हेतु निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाने के कारण विगत काफी वर्षों से एक ही प्रकार का कार्यक्रम निर्धारित करता जा रहा है। यह संस्थान भी वर्ष 1983–84 तक 40% हिन्दी पत्राचार के लक्ष्य को ही प्राप्त कर सका था। हिन्दी प्रभाग की स्थापना के पश्चात् हिन्दी प्रयोग के लिए किये गये गहन प्रयास इस पत्राचार को आगे बढ़ाने में समर्थ हुए है। फलस्वरूप वर्ष 1984-85 में संस्थान ने 66% निर्धारित हिन्दी प्रयोग का लक्ष्य पूरा करने में सफलता प्राप्त की। इस सफलता के पीछे मुख्यालय का समर्थन परामर्श और प्रोत्साहन हमारे लिये नींव के पत्थर सिद्ध हुए हैं। लक्ष्यों की पूर्ति में सस्थान के निदेशक के उत्साही नेतृत्व एवं मार्ग दर्शन में एवं इसके साथ-साथ संस्थान के प्रत्येक कर्मचारी के मनोबल का हिन्दी प्रयोग के लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमने हमेशा इस मनोबल को जागृत करनें का प्रयास किया है। जिसनें जैसी भी हिन्दि लिखी या लिखने का प्रयास किया हमने प्रोत्साहन देते हुए उसे सहर्ष स्वीकार कर हिन्दी प्रयोक्ता का मनोबल बढ़ाया।

आलोच्य वर्ष के दौरान इस कार्यालय में राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में की गई प्रगति का शब्दांकन निम्नानुसार है।

(1) निर्धारित लक्ष्यों के अन्तर्गत शासकीय पत्राचार

राजभाषा विभाग द्वारा शासकीय कामकाज में 66% हिन्दी का प्रयोग सुनिश्चित किया गया था। हमारे कार्यालय ने वर्ष के दौरान कुल 27441 पत्र जारी किये। जिसमें से 18426 पत्र हिन्दी में एवं 9015 पत्र अंग्रेजी में जारी किये गये। इस तरह 67% पत्राचार हिन्दी में करके संस्थान ने राजभाषा विभाग द्वारा घोषित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है।

(2) निर्धारित प्रयोजनों के लिए हिन्दी का प्रयोग :–

(क) "क" तथा "ख" क्षेत्र में स्थित राज्यों, संघ सरकारों में कार्यालयों एवं व्यक्तियों से पत्र व्यवहार।

कुल पत्र	हिन्दी में	अंग्रेजी में	वर्ष के दौरान प्रगति का प्रतिशत	83-84 में प्रगति का प्रतिशत	निर्धारित लक्ष्य
1	2	3	4	5	6
18124	13225	4899	73%	40%	100%

(ख) "क" क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों या विभागों और उनसे सम्बंध अथवा अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्र व्यवहार

1	2	3	4		6
8829	50134	3826	56%	31%	66%

(ग) "ख" क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के साथ पत्र-व्यवहार

1	2	3	4	5	6
161	78	83	48%	16%	100%

(घ) "ग" क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के साथ पत्र व्यवहार

1	2	3	4	5	6
78	10	68	13%	19%	40%

(3) हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर

हिन्दी में प्राप्त पत्र	हिन्दी में उत्तर	अंग्रेजी में उत्तर
5038	2509	7

(4) देवनागरी में प्रेषित तार

कुल प्रेषित तार	हिन्दी में	अंग्रेजी में	प्रतिशत	83-84 का प्रतिशत
249	100	149	44%	31%

(5) राजपत्र में अधिसूचना

वर्ष 1983-84 के दौरान कार्यालय को राजभाषा नियम 10(4) के अन्तर्गत राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया था। अधिसूचना के बाद इस कार्यालय पर राजभाषा हिन्दी में कामकाज करने की बहुत गहरी जिम्मेदारी आ गई थी। कार्यालय ने इस उत्तरदायित्व का पालन करते हुए टिप्पण/आलेखन एवं अन्य सरकारी कामकाज में हिन्दी प्रयोग में तेजी लाना सुनिश्चित किया। कार्यालय के कांच एवं मृत्तिका शिल्प प्रभाग, रसायन प्रभाग, यांत्रिक प्रभाग, औद्योगिक प्रबन्ध एवं प्रशिक्षण प्रभाग, विस्तार केन्द्र जोधपुर, कोटा एवं यांत्रिकशाला जयपुर ने टिप्पण/आलेखन/ तथा अन्य सरकारी कामकाज में हिन्दी प्रयोग में बहुत अधिक वृद्धि की। ये सभी प्रगति के लिए बधाई एवं प्रशंसा के पात्र हैं।

(6) निर्धारित प्रयोजनों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं का प्रयोग

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अनुपालन में इस कार्यालय ने विशेष सावधानी रखी। अधिनियम की धारा 3(3) के अनुपालन की स्थिति इस प्रकार है :–

धारा 3 (3) के अन्तर्गत जारी कुल दस्तावेज	द्विभाषी रूप में	केवल अंग्रेजी में	प्रतिशत	टिप्पणी
477	477	–	100%	–

(7) हिन्दी प्रशिक्षण

आलोच्य वर्ष के दौरान कार्यालय में हिन्दी शिक्षण योजना का अत्यधिक लाभ प्राप्त किया। अपनी निर्धारित नीति के अनुसार इस संस्थान ने प्रत्येक सत्र में एक आशुलिपिक और एक अवर श्रेणी लिपिक क्रमशः हिन्दी आशुलिपि एवं हिन्दी टाईपिंग के लिए नामित किया। इस तरह 31 मार्च, 85 तक कुल पांच आशुलिपिक एवं पांच अवर श्रेणी लिपिक नामित किये गये। इनमें से दो आशुलिपिकों एवं दो अवर श्रेणी लिपिकों ने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है दो आशुलिपिक एवं दो अवर श्रेणी लिपिक अभी प्रशिक्षण में चल रहे हैं। इसके साथ-साथ विस्तार केन्द्रों में पदस्थापित तीन अवर श्रेणी लिपिकों को उनके शहरों में हिन्दी शिक्षण योजना के केन्द्र नहीं होने के कारण व्यक्तिगत प्रयासों से हिन्दी टंकण का प्रशिक्षण दिलाया गया।

(8) तकनीकी साहित्य का प्रकाशन :–

(1) काफी अर्से से इस कार्यालय में एक द्विमासिक एस०आई०एस० आई० समाचार पत्र का प्रकाशन हिन्दी में किया जा रहा है। पिछले वर्ष में भी इस समाचार पत्र का प्रकाशन नियमित रहा है। यह समाचार पत्र बिना किसी प्रकार की आर्थिक सहायता के इस कार्यालय द्वारा लगातार प्रकाशित किया जाता रहा है। यह तथ्य इस बात का प्रमाण है कि हमारा संस्थान हिन्दी प्रगति के लिए कृत संकल्प है। इस पत्र का कागज, कलेवर, छपाई, साज सज्जा एवं विषय सामग्री उच्च स्तर की है। समाचार पत्र की भाषा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। निदेशक इस पत्र के नियमित प्रकाशन में अत्यंत दिलचस्पी रखते हैं।

इसके अतिरिक्त संस्थान द्वारा कुछ अन्य पत्र भी प्रकाशित किये जाते हैं। ये प्रकाशन तकनीकी कारणोंवंश अभी अंग्रेजी में ही प्रकाशित किये जा रहे हैं। इन्हें भी हिन्दी में ही प्रकाशित किये जाने के प्रयास किये जा रहे है।

(2) संस्थान द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिये स्वरोजगार योजना के अधीन वर्ष 1983-84 के दौरान 25 परियोजनाओं का एक सेट प्रकाशित किया गया था। इसी चरण में 25 परियोजनाओं का दूसरा सैट वर्ष 1984-85 में प्रकाशित किया गया। तीसरा सैट मुद्रणाधीन हैं एवं चौथा सैट तैयार किया जा रहा है। यह अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि इस तरह का तकनीकी साहित्य संस्थान द्वारा मूल रूप से हिन्दी में ही तैयार किया जाता है और बिना किसी आर्थिक सहयोग के जनता के लाभार्थ प्रकाशित किया जाकर वितरित किया जाता है :–

(9) संस्थान द्वारा तैयार किए गए अन्य तकनीकी दस्तावेज :–

(1) वर्ष के दौरान इस कार्यालय ने परियोजना रिपोर्ट, परियोजना की रूप-रेखा, विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन, स्वशिक्षा सिरीज, उद्योग मूल्यांकन रिपोर्ट, अन्त संयत्र अध्ययन, उत्पादन एवं प्रक्रियाउन्मुखी पाठ्यक्रम तकनीकी रिपोर्ट आई० पी० शीट, क्षमता निर्धारण रिपोर्ट आदि शीर्षकों के अन्तर्गत 262 प्रकार के तकनीकी दस्तावेज तैयार किये। इनमें 69 दस्तावेज मूल रूप से हिन्दी में तैयार किये गये।

(2) इन दस्तावेजों के अलावा कुल 22 दस्तावेज हिन्दी में अनुवाद हेतु प्राप्त हुए। इन सभी का अनुवाद कर प्रभागों को उपलब्ध करा दिया गया।

सूची

1. स्टील फेब्रीकेशन————परियोजना
2. लकड़ी के फर्नीचर बनाना————परियोजना
3. राजस्थान में संभाव्य वस्तुओं का उत्पादन————सूची
4. इरेक्शन ऑफ मशीनरी————तकनीकी नोट्स
5. ताजी सब्जी में विटामिन एवं उनका संरक्षण————तकनीकी नोट्स
6. वर्ष 1983-84 में उ० ल० से० सं० जयपुर द्वारा आयोजित सेमिनार/औद्योगिक कायलाशा/औद्योगिक निदानशाला/मुक्त चर्चा–रिपोर्ट
7. वर्ष 1983-84 में ल०उ० से० सं० जयपुर द्वारा आयोजित व भाग लिए गहन औद्योगिक विकास अभियान ————रिपोर्ट

8. औद्योगिक निवेश स्थान ——विवरणिका
9. वर्ष 1983–84 के दौरान ल०उ०से०सं० जयपुर द्वारा किए गए अंत: संयंत्र अध्ययन ————एक रिपोर्ट ।
10. कर रियायतों पर औद्योगिक सूचना-विवरणीका
11. औद्योगिक प्रबन्ध पाठ्यक्रम————पाठ्यक्रम पुस्तिका
12. बेकरी उद्योग के आधुनिकीकरण पर तकनीकी नोट्स
13. गुणवत्ता नियंत्रण पर पुस्तिका
14. शू फिनिशिंग——स्व शिक्षा सिरीज
15. साईकल टायर ट्यूब पर उद्योग पूर्वेक्षण पत्र (आई० पी० शीट)
16. स्टेनसेल स्टील बर्तनों के उद्योग पर उद्योग पूर्वेक्षण पत्र
17. माचिस उद्योग पर उद्योग पूर्वेक्षण पत्र
18. सिलाई मशीन उद्योग पर उद्योग पूर्वेक्षण पत्र
19. बेकरी के कच्चे माल की प्रोसेसिंग एवं ब्रेड बनाने के तरीके—तकनीकी नोट्स
20. राजस्थान में लघु इकाईयों को उपलब्ध ऋण सुविधाएं—विवरणीका (ब्रोचर)

(10) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

वर्ष के दौरान इस कार्यालय ने समाजोपयोगी विभिन्न प्रकार के विषयों में कुल 46 प्रकार के वृत्तिकाग्राही एवं गैर वृत्तिकाग्राही प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाये । इन सभी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का माध्यम हिन्दी रहा ।

(11) संगोष्ठी/क्रेता-विक्रेता मिलन/मुक्त विचार विमर्श एवं अन्य परिचर्चा

संस्थान द्वारा वर्ष के दौरान कुल 14 संगोष्ठियां/क्रेता-विक्रेता मिलन/मुक्ति विचार विमर्श आयोजित किये गये । इन सभी में पारस्परिक विचार विनिमय एवं परिचर्चा का माध्यम सामान्यत: हिन्दी रहा ।

(12) बैनरों/बिल्लों/निमंत्रण पत्रों में हिन्दी प्रयोग

इस कार्यालय द्वारा वर्ष के दौरान जितने भी बैनर बनाये गये वे सभी (एक दो अपवादों को छोड़कर) हिन्दी में ही तैयार किये गय सभी कार्यक्रमों के निमंत्रण पत्र द्विभाषी रूप में जारी किये गये। बैज भी सामान्यतया हिन्दी में ही तैयार कराये गये ।

1 प्रतियोगिताओं का आयोजन

वर्ष भर में संस्थान द्वारा हिन्दी प्रयोग को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में हिन्दी लेख, वाक, हिन्दी व्यवहार तथा अहिन्दी भाषी कर्मचारियों के प्रोत्साहन हेतु हिन्दी व्यवहार प्रतियोगिता आदि उल्लेखनीय है। विजयी कर्मचारियों को नकद पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र वितरित किये गये ।

(2) प्रोत्साहन योजनाएं

राजभाषा विभाग द्वारा जारी की गई हिन्दी में टिप्पण/आलेखन प्रोत्साहन योजना, हिन्दि आशूलिपि/टंकण विशेष भता योजना आदि सभी योजनाएं आलोच्य वर्ष के दौरान इस संस्थान में भी लागू रखी गई ।

(3) हिन्दी संगोष्ठी :—

मुख्यालय के परामर्श से संस्थान परिसर में 16 अक्तूबर, 84 को उद्योग व व्यवसाय के क्षेत्र में हिन्दी विषय के एक दिवसीय हिन्दी संगोष्ठी का आयोजन किया गया । संगोष्ठी का लक्ष्य भाषा के मानकीकरण की अपेक्षा देवनागरीकरण पर विद्वानों, साहित्यकारों एवं हिन्दी सेवकों की राय को एकत्रित करना था । इस लक्ष्य में यह संस्थान पूर्णतया सफल रहा । संगोष्ठी में सभी विद्वानों ने एक मत से यह राय दी कि हिन्दी प्रगति के इस संक्रान्ति काल में जनता से सीधे-सीधे जुड़े उद्योग एवं व्यवसाय जैसे क्षेत्रों में भाषा के मानकीकरण पर कतई जोर नहीं दिया जाना चाहिए। प्रत्युत् लोक भाषा के रूप में अन्य भाषाओं के प्रचलित शब्दों को भी नागरीलिपि में निर्बाध रूप से लिखने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इससे भाषा के विकास की धारा बिना किसी व्यवधान के प्रवाहित होती रहेगी और इस धारा का मार्ग प्रशस्त होगा। इस संगोष्ठी का लाभ प्राप्त करने के लिए बहुत से उद्योग पतियों ने भी भाग लिया ।

(4) हिन्दी कार्यशालाएं :—

सरकारी कामकाज में हिन्दी प्रयोग के लिए कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने हेतु वर्ष के दौरान दो बार कार्यशालाएं लगाई गई। कार्यशालाओं में बाहरी विशेषज्ञों द्वारा प्रशीक्षण एवं व्याख्यान दिये गये । इन कार्यशालाओं का शासकीय कामकाज में हिन्दी के प्रयोग पर प्रचुर प्रभाव पड़ा है ।

(5) हिन्दी पुस्तकें :–

यद्यपि वर्ष के दौरान इस कार्यालय को हिन्दी पुस्तकों की खरीद के लिए कोई राशि विकास आयुक्त कार्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है। किन्तु निदेशक ने अपने अधिकारों के तहत लगभग 800 रुपये की हिन्दी पुस्तकें संस्थान में वर्ष के दौरान खरीद करवाई। यह स्पष्ट करता है कि संस्थान में हिन्दी के पठन-पाठन एवं प्रयोग में सभी की प्रगाढ़ रूचि है।

(6) देवनागरी टाईपराईटरों की खरीद :–

वर्ष क दौरात इस कार्यालय ने दो तये देवनागरी टाइपराइटर खरीदें हैं । इस तरह अब कुल 5 देवतागरी टाइपराइटर कार्यालय में हो गये हैं ।

(7) हिन्दी प्रगति निरीक्षण :––

वर्ष के दौरान हिन्दी अधिकारी द्वारा लघु उद्योग विस्तार केन्द्र जोधपुर कोटा जयपुर उदयपुर एवं यांत्रिकशाला जयपुर में हिन्दी प्रगित का निरीक्षण किया गया। प्रगति निरीक्षण के दौरान सभी कर्मकारियों को राजभाषा नीतियों का समुचित ज्ञान कराया गया। इससे हिन्दी प्रयोग में अपेक्षाकृत लाभ हुआ और इन केन्द्रों पर हिन्दी प्रयोग में तेजी आई।

इस तरह व्यापक समीक्षा से यह स्पष्ट है कि यह कार्यालय राजभाषा हिन्दी को अपने शासकीय कामकाज में शत प्रतिशत लागू करने के लिए कृत संकल्प है और इस हेतु संस्थान क्रमिक रूप से शनैं-शनैं आगे बढ़ रहा है ।

इसके लिए जो प्रोत्साहन और पुरस्कार दिए गए है उनका विवरण निम्नांकित है :–

1. मुख्यालय स्तर पर टिप्पण आलेखन प्रोत्साहन योजना में पुरस्कार प्राप्त करने वाले कर्मचारी : श्री एस० पी० स्वामी, द्वितीय पुरस्कार ।

2. प्रतियोगिताओं में पुरस्कार प्राप्त करने वालों की सूची

(क) हिन्दी लेख प्रतियोगिता 1. श्री बलवन्त सिंह, प्रथम, 2. श्री गंगादत्त जोशी, द्वितीय, 3. कुमारी रेणुका वर्मा, तृतीय, 4. श्री शीतल प्रसाद वर्मा, प्रशंसा-पत्र, 5. श्री कृपाल दास मोटवानी, प्रशंसापत्र ।

3. (ख) **हिन्दी वाक प्रतियोगिता** :–1. श्री रामकुमार पाण्डेय प्रथम, 2. श्री गंगा दत्त जोशी, द्वितीय, 3. श्री शीतल प्रसाद वर्मा, तृतीय, 4. श्री वीर सेन मंलिक, प्रशंसा-पत्र 5. श्री नवल किशोर, प्रशंसा पत्र

(ग) **हिन्दी व्यवहार प्रतियोगिता** 1. श्री एस०पी० स्वामी, प्रथम, 2. श्री बलवन्त सिंह, द्वितीय, 3. श्री कैलाश प्रसाद घीया, प्रशंसा-पत्र, 4. श्री ए०पी० माथुर सहायक निदेशक, प्रशंसा पत्र ।

(घ) **अहिन्दी भाषी कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन हेतु हिन्दी व्यवहार**:– 1. श्री शिव दयाल , प्रथम ।

□□□

"हम सब चाहते हैं कि हिन्दी आगे बढ़े । हिन्दी किस प्रकार की हो, हम सबको मिलकर निर्णय करना है । मुझे बहुत कठिन हिन्दी नहीं आती है । इसलिए मेरी इच्छा होगी कि सरल हिन्दी हो लेकिन संग-संग जो दूसरे लोग हैं, चाहे महाराष्ट्र में हैं, चाहे गुजरात में हैं और चाहे मलयालम बोलते हैं । उनको दूसरी हिन्दी ज्यादा सरल पड़ती है जिसमें संस्कृत के शब्द हों । इसलिए इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है । इतने बड़े मुल्क में हम रहते हैं तो जरा संतुलन बीच में से निकालना चाहिए ।"

––श्रीमती इंदिरा गांधी

हिन्दी कार्यशालाएं

1. ई० सी० आई० एल० हैदराबाद

इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के प्रशिक्षण कक्ष में दिनांक 28 सितम्बर, 1985 को एक दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला 2 बजे से 4 बजे तक चली। कार्यशाला प्रारंभ करने का मुख्य लक्ष्य समस्त वरिष्ठ प्रबन्धकों एवं तकनीकी प्रबन्धकों को राजभाषा अधिनियम एवं उसे निगम में लागू करने की दिशा में आने वाली कठिनाईयों के बारे में जानकारी देना तथा उनके संदेहों का निराकरण करना था। कार्यलाशा में मुख्य अतिथि डा०वी० आर० जगन्नाथन, निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, हैदराबाद के अतिरिक्त श्री वी० रामाराव, महाप्रबन्धक, श्री एस० एन० तेलंग, कार्यवाहक प्रबन्ध निदशक, श्री जे० एस० भाटिया, वरिष्ठ प्रबन्धक, श्री बी० एल० मिश्रा, प्रबन्धक (ईडीपी), श्री डी० जगन्नाथ, वरिष्ठ जनसम्पर्क अधिकारी एवं अन्य आमंत्रित वरिष्ठ प्रबन्धक एवं तकनीकी प्रबन्धकों ने भाग लिया।

मुख्य अतिथि डॉ०वी. आर. जगन्नाथन, श्री वी. रामाराव, श्री एस० एन० तेलंग, श्री जे० एस० भाटिया, श्री बी० एल० मिश्रा तथा श्री डी० जगन्नाथ ने निगम में हिन्दी कार्यान्वयन की समस्याओं पर अपने विचार व्यक्त करते हुए हिन्दी के प्रसार हेतु कुछ ठोस सुझाव दिये एवं सिफारिशें भी की।

श्री वी० रामाराव ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि हमें इस बात पर अत्यन्त खुशी है कि हम हिन्दी कार्यशाला की शुरूआत कर रहे है और भविष्य में भी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिन्दी सिखाने हेतु इसी तरह की कार्यशालाएं आयोजित की जायेगी।

श्री एस०एन० तेलंग ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि जहां तक हो सके हम लोग आपसी बातचीत (अधिकारियों एवं कर्मचारियों से) हिन्दी में करने का प्रयास करें। क्योंकि हिन्दी आज नहीं तो भविष्य में अवश्य पूरे देश की भाषा बनेगी। उन्होंने हिन्दी को एक विकल्प के रूप में भी स्वीकार किये जाने का आग्रह किया।

श्री डी० जगन्नाथ ने कहा कि निगम के अधिकारियों को हिन्दी कार्यान्वयन की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। राजभाषा अधिनियम के बारे में सभी अधिकारियों को जानकारी दी जानी चाहिए। उचित संख्या में प्रत्येक प्रभाग में हिन्दी स्टाफ नियुक्त किया जाना चाहिए। संसदीय राजभाषा समिति, परमाणु ऊर्जा विभाग एवं गृहमंत्रालय के राजभाषा विभाग को प्रस्तुत की जाने वाली सूचनाओं में अक्सर कार्यवाही की जायेगी या की जा रही है आदि शब्दों का प्रयोग करते है। इसलिए उन्होंने आग्रह किया कि हिन्दी में कार्य करके हमें इन शब्दों के स्थान पर कार्यवाही की गई आदि शब्दों का उपयोग करना चाहिए।

श्री जे०एस० भाटिया ने कहा कि परिचय पत्र तो कम से कम हिन्दी मे अवश्य होने चाहिए। श्री बी०एल० मिश्रा ने कहा कि किसी भी चीज को दृढ़ संकल्पना के साथ लागू किया जा सकता है। उन्होंने तकनीकी वैज्ञानिक विषयों एवं साहित्य का हिन्दी में अनुवाद और हिन्दी में मौलिक लेखन की आवश्यकता पर बल दिया।

श्री के०एल० वर्मा ने भी हिन्दी कार्यान्वयन की समस्याओं पर अपने कुछ विचार रखते हुए कहा कि हिन्दी को लागू करने में मुख्य कठिनाई हमारी मानसिकता ही है। यदि हम अपने मानसिक अवरोध (Mental Barrier) को तोड़ने का संकल्प कर लें तो फिर कठिनाई नहीं होगी। उन्होंने भी इस बात पर बल दिया कि अगर हम अपने पूर्वाग्रहों से ऊपर उठ कर सोचें तो तय है कि इस देश में धीरे-धीरे ही सही हिन्दी ही संपर्क भाषा का स्थान लेगी और भावी पीढ़ियां इसी भाषा में काम करेंगी। मुख्य अतिथि डा० वी० आर० जगन्नाथन ने अपने प्रभावशाली भाषण से श्रोताओं का हृदय ही जीत लिया। उन्होंने राष्ट्रीय एकता के लिए हिन्दी सीखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हमें क्षेत्रीयता की भावना त्यागकर राष्ट्रीय हित में हिन्दी को अपनाना चाहिए। उन्होंने हिन्दी माध्यम से उच्च एवं सामान्य शिक्षा पर बल देते हुए कहा कि हिन्दी के प्रसार हेतु ई सी आई एल जैसे नामी प्रतिष्ठान को देवनागरी के कम्प्यूटर अवश्य बना कर टेकनालौजी की दुनिया में एक मिसाल कायम करनी चाहिए। ईसी आई एल का यह कदम हिन्दी को विज्ञान से जोड़ने के क्रम में एक महत्वपूर्ण दिशा निर्धारित करेगा। उन्होंने कहा कि हिन्दी थोपकर नहीं वरन् आर्थिक सुविधाएं देकर सिखानी चाहिए। भावी पीढ़ी को हिन्दी सिखाने के लिए उन्होंने विशेष जोर दिया ताकि भावी पीढ़ी तो सरकारी काम-काज हिन्दी में करने में सक्षम हो ही सके उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे हिन्दी में टिप्पण एवं आलेखन लिखना शुरू करके भी अपने काम को गति दे सकते हैं। अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हम किस तरह संघर्ष करते है उसी प्रकार हम संवैधानिक दायित्व को भी एक जुट होकर निभाना चाहिए।

श्री सुरेश कुमार श्री वास्तव, हिन्दी अधिकारी ने निगम में हिन्दी लागू करने हेतु सभी अधिकारियों से सहयोग देने का अनुरोध करते हुए अंत में आभार व्यक्त किया।

2. मौसम विज्ञान के अपर महानिदेशक (अनुसंधान) का कार्यालय

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अधीनस्थ कार्यालय, मौसम विज्ञान के अपर महानिदेशक (अनुसंधान) पुणे में सरकारी काम-काज में टिप्पण और मसौदा आलेखन में हिन्दी प्रयोग का शिक्षण देने के लिए दिनांक 19 से 23 अगस्त 1985 तक पांच दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में पुणे में स्थित विज्ञान विभाग के सभी चार कार्यालयों से कुल 20 कर्मचारियों ने हिन्दी टिप्पण और आलेखन में प्रशिक्षण प्राप्त किया। हिन्दी कार्यशाला का प्रारम्भ हिन्दी शिक्षण योजना पुणे के सहायक निदेशक श्री ऊधोराम सिंह जी के पाठ राजभाषा

हिन्दी संबंधी सरकारी नीति' से हुआ । हिन्दी कार्यशाला में कुल 18, सामान्य पाठ और 12 तकनीकी पाठ पढ़ाये गये । वयाख्याता श्री राजेन्द्र प्रसाद, मौसम विज्ञानी ने सामान्य पाठ, छुट्टी, डाक्टरी परीक्षा, चरित्र तथा पूर्ववृत्त सत्यापन, सेवा पंजी संबंधी मामलें और इस कार्यालय के तकनीकी विषयों से संबंधित टिप्पणी एवं मसौदा लेखन के तकनीकी पाठ पढ़ाए । श्री रामचन्द्र दुबे, मौसम विज्ञानी श्रेणी II ने अनुशासनिक मामलें, यात्रा संबंधी, सामान्य पाठ पढ़ाए । डा० लक्ष्मण सिंह राठौर, मौसम विज्ञानी श्रेणी II ने तार, पेशगियां संबंधी सामान्य पाठ और कृषि मौसम विज्ञान संबंधी तकनीकी विभिन्न विषयों पर हिन्दी में टिप्पण और मसौदा लेखन पढ़ाए । डां० ओम प्रकाश सिंह, मौसम विज्ञान श्रेणी II ने पदों का सृजन, भर्ती, आरक्षण आदि और मौसम के पूर्वानुमान कार्यालय में तकनीकी विषयों से संबंधित टिप्पणियां और मसौदा लेखन को बताया । श्री आर० डी० वशिष्ठ, मौसम विज्ञानी श्रेणी I ने स्वचलित वर्षामापी यंत्रों की स्थापना सम्बन्धी टिप्पणियाँ और मसौदा लेखन तकनीकी पाठ पढ़ाए । श्री अवधेश कुमार, मौसम विज्ञानी श्रेणी II ने साइकिल, फर्नीचर, टैलीफोन, लेखन सामग्री, बिलों का भुगतान तथा लेखा आपत्तियों संबंधी सामान्य पाठ और तकनीकी पाठ पढ़ाए । श्री प्रबोध-कुमार जैन, सहायक मौसम विज्ञानी ने नियुक्ति तैनाती, पदोन्नति स्थायित्वता आदि और इनसैट डी० सी० पी० उपकरण की संस्थापना के सम्बन्ध में टिप्पणियां और मसौदा लिखना पढ़ाए । डा० प्रमिला लता भल्ला और सत्यनारायण तिवारी ने क्रमश: आवेदन लिखना और साधारण टिप्पणियां पढ़ाये । सभी प्रशिक्षणार्थियों ने बड़ी लगन और उत्साह के साथ अध्ययन एवं हिन्दी में लिखने का अभ्यास किया ।

–नूतन दास

मौसम विज्ञान के उपमहानिदेशक (जलवायु और भू-भौतिकी) कृते मौसम विज्ञान के अपर महानिदेशक (अनुसंधान) का कार्यालय, पुणे ।

3. पुणे टेलीफोन्स, पुणे

भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार पुणे टेलीफोन्स में पांच दिवसीय हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया ।

दि० 25 अक्टूबर 85 को कार्यशालाओं का उद्घाटन करते हुए टेलीफोन्स के महाप्रबन्धक श्री रा०द०जोशी ने इन कार्यशालाओं में कर्मचारियों को राजभाषा हिन्दी के स्वरूप को जानने समझने एवं उसका अपने सरकारी काम-काज में प्रयोग करने हेतु प्रेरित किया । इस अवसर पर हिन्दी शिक्षण योजना पुणे के सहायक निदेशक श्री उधोराम सिंह ने राजभाषा हिन्दी के स्वरूप को स्पष्ट किया ।

दि० 5-11-85 को हुए कार्यशालाओं के समापन के अवसर पर प्रशिक्षार्थियों ने अपना सरकारी कार्य हिन्दी में करने के लिए इन कार्यशालाओं को काफी उपयोगी बताया ।

समापन समारोह के अध्यक्ष के रूप में बोलते हुए पुणे टेलीफोन्स के सहायक महाप्रबन्धक (प्रशासन) श्री प्र०ह० तिलक ने कार्यशालाओं के सफल आयोजन के लिए पुणे टेलीफोन्स के हिन्दी अधिकारी डा० किशोर वासवानी को बधाई देते हुए सभी प्रशिक्षार्थियों को अपना कार्यालयीन कार्य हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहित किया ।

–किशोर वासवानी
हिन्दी अधिकारी, पुणे टेलीफोन्स

4. हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स, पुणे

हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स, पुणे में तृतीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन 2 सितम्बर से 10 सितम्बर, 1985 तक किया गया । उद्घाटन दिवस समारोह में हिन्दी शिक्षण योजना के सहायक निदेशक श्री उधोराम सिंह ने कंपनी के कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य यह है कि अधिक से अधिक कर्मचारियों को आलेखन एवं टिप्पण का अभ्यास कराया जा सके ताकि वे बिना किसी झिझक के हिन्दी में काम कर सकें । उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालय चाहे भारत के किसी भी क्षेत्र में हों हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों की प्राप्ति हो । उन्होंने यह भी कहा कि जहां तक हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स का प्रश्न है, यह राजभाषा नीति के अनुसार (ख) क्षेत्र में आता है । यहां से अन्य सरकारी दफ्तरों को 40 प्रतिशत पत्र हिन्दी में जाने चाहिए । उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को हिन्दी का प्रयोग करने के लिए संकोच नहीं करना चाहिए ।

इस कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए कंपनी के प्रभारी प्रबंध निदेशक श्री ज्ञानेश्वर तेलंग ने कहा कि कंपनी में पहले दो कार्यशालाओं का आयोजन हो चुका है तथा कंपनी के कई कर्मचारियों ने कार्यालय में चलाई गई कक्षाओं से प्रबोध, प्रवीन तथा प्राज्ञ की परीक्षा पास की है । इससे कमचारियों को हिन्दी का काफी ज्ञान हो गया है । अब हमें यह देखना है कि कर्मचारी कार्यालय के काम में अधिक से अधिक हिन्दी का प्रयोग करें । उन्होंने आशा प्रकट की कि इस कार्यशाला से कर्मचारियों को हिन्दी का प्रयोग करने में अच्छा प्रशिक्षण मिलेगा ।

इससे पूर्व कंपनी के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने कर्मचारियों को कार्यशाला के उद्देश्यों से अवगत कराया और कहा कि हिन्दी भाषा का ज्ञान होना एक अलग बात है तथा इसका उपयोग सरकारी कामकाज में करना दूसरी बात है । हिन्दी कार्यशाला इस दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है ताकि कर्मचारियों को आलेखन एवं टिप्पण का पूरा अभ्यास हो सके तथा वे अपना कामकाज हिन्दी में बिना किसी कठिनाई से कर सकें ।

इस कार्यशाला में 19 कर्मचारियों ने भाग लिया तथा श्री एस०पी० जोशी, कु० दर्शन लुथरा, श्री वी० वी० काले ने क्रमश: प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त किया । इन कर्मचारियों को कंपनी की ओर से 14 सितंबर, 1985 को हिन्दी दिवस के शुभ अवसर पर आकर्षक पुरस्कार दिए गए । कार्यशाला में भाग लेने वाले सभी कर्मचारियों को इस अवसर पर प्रमाणपत्र भी प्रदान किए गए, जिनका वितरण अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा, की कार्यसमिति के सदस्य श्रीनिवास मुदड़ाजी ने किया ।

–सुदेश कपूर
मुख्य जनसंपर्क अधिकारी

5. इस्को, बर्नपुर

कार्यालय का काम हिन्दी में करना बहुत आसान है। किन्तु देखा गया है कि बहुत सारे कर्मी हिन्दी में काम करने में संकोच करते हैं। कर्मियों के मन से संकोच हटाने के लिए तथा हिन्दी में और अधिक काम करने के लिए प्रेरित करने हेतु गत 22 और 23 जुलाई को इस्को, बर्नपुर में तथा 25 और 26 जुलाई को इस्को, गुआ में हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन हुआ।

इस्को, बर्नपुर में आयोजित कार्यशाला का संचालन श्री हेमचन्द्र कौशिक, प्रबंधक (हिन्दी, सेल,) नई दिल्ली ने किया। चित्र में कार्यशाला के समापन पर महाप्रबंधक (वर्क्स) श्री के० डी० एस० ढिल्लन से प्रमाण-पत्र ग्रहण कर रहे हैं, श्री स्वराज राय।

इन कार्यशालाओं का संचालन श्री हेमचन्द्र कौशिक, प्रबंधक (हिन्दी) सेल, नई दिल्ली ने किया। चर्चा के दौरान उन्होंने अंग्रेजी शब्दों के हिन्दी पर्याय बताते हुए कहा कि यह अच्छा है कि हमें हिन्दी शब्दावली की जानकारी हो तथा हम उसका प्रयोग करें किन्तु इसके लिए काम न रोका जाए। जिनके हिन्दी पर्याय याद न हों उन्हें ज्यों का त्यों देवनागरी लिपि में लिख कर काम शुरू कर दिया जाए। उन्होंने अपने व्याख्यान के दौरान हिन्दी की संवैधानिक स्थिति, राजभाषा अधिनियम तथा नियमों आदि पर प्रकाश डाला तथा इस संबंध में की गई व्यवस्थाओं की जानकारी दी। कार्यशाला में विभिन्न तरह के टिप्पण व प्रारूप लेखन का अभ्यास कराया गया।

इस कार्यशाला में कार्यपालक और गैर-कार्यपालक मिलाकर कुल 39 कर्मियों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला के समापन सत्र में श्री के० डी० एस० ढिल्लन, महाप्रबंधक (वर्क्स), श्री तपन कुमार घोष प्रबंधक (तकनीकी सेवा) श्री पोहारी शरण सिन्हा, सहायक प्रबंधक (हिन्दी) उपस्थित थे। इस अवसर पर अपने भाषण के दौरान श्री ढिल्लन ने हिन्दी के प्रयोग की आवश्यकता बतायी। श्री घोष तथा सिन्हा ने कार्यशाला के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। इस मौके पर बोलते हुए कार्यशाला के संचालन श्री हेमचन्द्र कौशिक ने इस्को में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के प्रति संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि यह यहां के कर्मियों की रूचि तथा सुलझे विचारों का ही परिणाम है। कार्यशाला में भाग लेने वाले कामिकों को प्रमाण-पत्र दिए गए। प्रमाण-पत्रों का वितरण महाप्रबंधक (वर्क्स) ने किया।

25 और 26 जुलाई को इस्को, गुआ में आयोजित कार्यशाला में कार्यपालक और गैर-कार्यपालक मिलाकर कुल 20 कार्मियों ने हिस्सा लिया। इस दो दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए श्री प्रमोद रंजन मेढ़, महाप्रबंधक (को०अय०व खु० खान) ने हिन्दी की उपयोगिता और महत्व पर बल दिया और कार्यालयीन कार्य हिन्दी में ही करने के लिए सबका आह्वान किया। इस कार्यशाला में इस्को के सहायक प्रबंधक (हिन्दी) श्री जौहारी शरण सिन्हा भी उपस्थित थे। उन्होंने कार्यशाला की उपयोगिता तथा इससे होने वाले लाभ की चर्चा की। श्री एस०जे० सिंह, सहायक महाप्रबंधक (खान) ने कार्यशाला में भाग लेने वालों के बीच प्रमाण-पत्र वितरित किए।

—जौहरी शरण सिन्हा
सहायक प्रबन्धक (हिन्दी)

6. राजपुरा दरीबा माइन्स/हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड

इकाई में 8 जुलाई, 1985 को हिन्दी कार्यशाला के समापन के अवसर पर आयोजित एक विचार-गोष्ठी में राजभाषा की महत्ता पर अपना वक्तव्य देते हुए सुप्रसिद्ध कवि-चिंतक श्री नंद चतुर्वेदी ने कहा कि हमें अंग्रेजी की मानसिक दासता से मुक्ति पानी होगी। हिन्दी हमारी अपनी भाषा है, इसके प्रयोग में हीनता का भाव नहीं होना चाहिए। हिन्दी ही हमारे देश की अखंडता की रक्षा करने में समर्थ है। इस गोष्ठी की अध्यक्षता इकाई के महाप्रबन्धक श्री एन०सी० जैन ने की। गोष्ठी में इकाई के अन्यान्य कमचारियों एवं अधिकारियों ने भाग लिया।

विचार गोष्ठी की, अध्यक्षता करते हुए महाप्रबन्धक श्री एन. सी. जैन (बीच में)

इससे पूर्व इकाई की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री मोती सिंह सामर ने आगन्तुकों का स्वागत करते हुए इकाई में चल रही राजभाषा गतिविधियों का परिचय दिया । वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी श्री पुरूषोत्तम छंगाणी ने हिन्दी कार्यशाला योजना और इसकी महत्ती भूमिका की चर्चा करते हुए, प्रशिक्षित कर्मचारियों से अपने कामकाज में अधिकाधिक हिन्दी के प्रयोग का अनुरोध किया ।

गोष्ठी में विशेष आमंत्रित डा० महेन्द्र भाणावत ने हिन्दी की धीमी प्रगति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आजादी के 38 वर्षों के बाद भी हिन्दी को वह पद, वह प्रतिष्ठा नहीं मिल पाई है, जिसकी वह अधिकारिणी है । अपने अध्यक्षीय भाषण में श्री जैन ने कहा कि हमारा कर्त्तव्य है कि हम किसी प्रकार के पुरस्कार की चाह रखे बिना हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करें ।

इस अवसर पर कर्मचारियों की एक आशुभाषण प्रतियोगिता भी आयोजित की गई । प्रतियोगिता में सर्व श्री श्रवण द्विवेदी, इन्द्र कुमार जोशी, गणेश लाल पुरोहित तथा नारायण लाल रैगर को क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं सांत्वना पुरस्कार दिए गए । केन्द्रीय सचिवालय परिषद् की प्रतियोगिता में सफल रहे कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र भी वितरित किए गए ।

—पुरूषोत्तम छंगाणी
वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी

7. हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर

हिन्दी एक सशक्त भाषा है । कार्यालय कामकाज के हर क्षेत्र में इसका प्रयोग सहज रूप से किया जा सकता है । आवश्यकता केवल इस बात की है कि हमें मानसिकता बदलनी होगी और हिन्दी के प्रयोग के लिये आस्था व निष्ठा से प्रयास करने होंगे । यह शब्द थे—राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष डा० प्रकाश आतुर के, जो हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड की ओर से आयोजित हिन्दी कार्यशाला में अध्यक्ष पद से बोल रहे थे । इस हिन्दी कार्यशाला में कम्पनी की उदयपुर के आस-पास स्थित सभी इकाइयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था ।

इससे पूर्व कम्पनी की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री अनुपम कुमार चौधरी ने कम्पनी में राजभाषा हिन्दी के संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा प्रस्तुत करते हुए कहा कि कम्पनी के कामकाज में हिन्दी का प्रयोग निरन्तर बढ़ रहा है । इसके लिये कई सुनियोजित कार्यक्रम एवं गतिविधियां चलाई जा रही है । हिन्दी कार्यशाला में राजभाषा संस्थान, नई दिल्ली के निदेशक श्री हरिबाबू कंसल ने पारदर्शियों के माध्यम से सरकार की राजभाषा नीति, एवं नियमों आदि की जानकारी दी । उनका कहना था कि हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिये, क्योंकि हमारे संविधान ने हिन्दी को राजभाषा घोषित किया है । उन्होंने प्रतिनिधियों की राजभाषा संबंधी जिज्ञासाओं की भी संतुष्टि की । इस अवसर पर इस्पात एवं खान मंत्रालय के उप-निदेशक (राजभाषा), श्री जयवीर सिंह चौहान ने अपने विचार रखें और हिन्दुस्तान जिंक लि० में हिन्दी के लिये किये जा रहे प्रयासों की सराहना की । कार्यशाला में सर्वश्री वी० सी० पुरी, पुरुषोत्तम छंगाणी, राजेन्द्र जोशी, एवं जगकिशोर सोती आदि ने भी अपने अनुभवजन्य विचार प्रस्तुत किये । इस अवसर पर एक राजभाषा प्रदर्शनी भी आयोजित की गई जिसमें हिन्दी पुस्तकों के अलावा कम्पनी में की जा रही हिन्दी गतिविधियों एवं प्रकाशनों आदि को दर्शाया गया ।

इकाई की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री राजेन्द्र सिंह खमेसरा ने धन्यवाद ज्ञापन किया । कार्यशाला का संचालन वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी श्री पुरुषोत्तम छंगाणी ने किया ।

पुरुषोत्तम छंगाणी
वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी

8. महालेखाकार कार्यालय, आगरा

भारत सरकार के वर्ष 85-86 के वार्षिक कार्यक्रम के अन्तर्गत इस कार्यालय में हिन्दी कार्यशाला का संचालन किया गया। इस कार्यशाला का उदघाटन दिनांक 20-8-85 को 3.00 बजे अपरान्ह श्री सुशील चन्द्र आनन्द, महालेखाकार, (लेखापरीक्षा) ने किया। इस समारोह में श्री एम० पी० गुप्त, महालेखाकार (लेखा व हक) कार्यशाला के समस्त प्रशिक्षणार्थी एवं समस्त प्रशिक्षक भी उपस्थित थे।

कार्यशाला का उदघाटन करते हुए श्री सुशील चन्द्र आनन्द ने आशा व्यक्त की कि देश की बदलती हुई परिस्थितियों में हम अब राजभाषा में काम करने के अभ्यस्त हो जायेंगे तथा सरल, सुबोध और सहज हिन्दी को अपनायेंगे। उन्होंने कहा कि कार्यशाला का उद्देश्य हमारे विभाग में प्रयोग होने वाले तकनीकी शब्दों का तथा आलेखन लिखने की एक विशेष तकनीकी शैली का अभ्यास करना है।

महालेखाकार (लेखा वाहक) श्री एम० पी० गुप्त ने अपने भाषण में बताया कि एक भाषी ज्ञान वर्तमान राज को चलाने में अधिक लाभदायक नहीं होगा अतः हमें दोनों भाषाओं में एक समान पारंगत होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि हिन्दी को समृद्ध बनाने के लिये हमें अंग्रेजी व देशज भाषाओं के शब्द भी लेने चाहियें।

यह कार्यशाला दिनांक 21.8.85 से 28.8.85 तक पांच कार्यदिवसों के लिए पूर्णकालिक चलाई गई, जिसमें कार्यालय से संबंधित विभिन्न विषयों पर प्रारूप व टिप्पणियां लिखने का अभ्यास कराया गया। हिंदी की प्रगति में यह कार्यशाला बहुत सफल रही।

चंचल चन्द मसाली
व० उप-माहालेखाकार (प्रशासन)

9. केनरा बैंक का मंडल कार्यालय आगरा

गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग की हिन्दी कार्यशाला योजना के अन्तर्गत नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वाधान में 5 सितम्बर, 1985 से आयोजित त्रिदिवसीय हिन्दी कार्यशाला का समापन केनरा बैंक के मंडल प्रबन्धक श्री एच० डी० सूडा की अध्यक्षता में दिनांक 9 सितम्बर, 1985 को सायकाल 5.30 बजे कर्मचारी प्रशिक्षण केन्द्र केनरा बैंक में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर निरीक्षण निदेशालय (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) के सहायक निदेशक श्री राजकिशोर भी उपस्थित थे।

इस कार्यशाला का उद्घाटन केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सदस्य श्री सुधाकर द्विवेदी द्वारा दिनांक 5-9-1985 को किया गया था। कार्यशाला तीन दिन चली और निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान डा० बालगोविन्द मिश्र, निदेशक केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो श्री भैरवनाथ सिंह, श्री सूरजभान सिंह, प्रोफेसर के० हि० संस्थान निरीक्षण निदेशालय के सहायक निदेशक, श्री राजकिशोर सिंडीकेट बैंक के राजभाषा अधिकारी डा० रामानुज भारद्वाज स्टेट बैंक के राजभाषा अधिकारी, श्री उपेन्द्र नारायण सेवक पाण्डेय और श्री खेमराज गुप्ता ने व्याख्यान के साथ-साथ कार्यालयीन शब्दावली और पत्राचार सम्बन्धी अभ्यास कराए। कायशाला में विभिन्न कार्यालयों, बैंकों, उपक्रमों आदि के लगभग 20 अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला में अन्त में प्रतिभागी अधिकारियों की प्रतियोगी परीक्षा भी की गयी। उसमें सर्व श्री मनीराम आयकर अधिकारी, डा० एस० एल० गर्ग, नियंत्रक विस्फोटक विभाग, श्री सुनहरी लाल, कनिष्ठ लेखा अधिकारी को क्रमशः प्रथम तीन स्थान मिलें और श्री सी० बी० जैन भारतीय जीवन बीमा निगम, के उप प्रबन्धक पी० बी० राय, सहायक इंजीनियर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, एम०एल० खण्डेलवाल, अधीक्षक केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को प्रमाण-पत्र के साथ-साथ पुरस्कार प्रदान किए गए।

इस अवसर पर श्री सूडा मंडल प्रबंधक, केनरा बैंक को यह अनुरोध किया कि इस कार्यशाला का महत्व तभी है जबकि उनको कार्यरूप में परिणत किया जाए। आप लोग जब अपने कार्यालय में यहां से जाएं तो हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग करें उन्होंने स्वयं की असमर्थता प्रकट करते हुए यह बताया कि वे यहां कुछ वर्षों से हिन्दी भाषी क्षेत्र में है उन्होंने यहां रहकर हिन्दी काफी हद तक सीखी है और अपने यहां अधिकारियों तथा कर्मचारियों को प्रोत्साहित करते रहते हैं।

रामचन्द्र मिश्र
हिन्दी अधिकारी

10 आयकर आयुक्त कार्यालय, आगरा

आयकर आयुक्त आगरा प्रभार में जयपुर हाउस स्थित आयकर आयुक्त कार्यालय के प्रशिक्षण कक्ष में दिनांक 9 अक्टूबर, 1985 से 11 अक्टूबर, 1985 तक प्रवर श्रेणी लिपिक से पर्यवेक्षक स्तर तक के कर्मचारियों के लिए हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन माननीय श्री त्रिलोकी नाथ पाण्डेय, आयकर आयुक्त आगरा द्वारा मां सरस्वती को माल्यार्पण एवं दीप प्रज्जवलित करते हुए किया गया और कार्यशाला का समापन दिनांक 11 अक्टूबर, 1985 को सायंकाल 5.30 बजे श्री ओंकार नाथ मेहरोत्रा, आयकर आयुक्त (अपील) आगरा ने किया। कार्यशाला में विभाग के 17 प्रतिभागियों ने इस कार्यशाला में रूचि तथा लगन से भाग लिया। इसमें राजभाषा नियम, अधिनियम, वार्षिक कार्यक्रम, सरकारी नीति और राजभाषा विभाग द्वारा प्रसारित हिन्दी संबंधी योजनाओं की जानकारी देने के साथ-साथ और कार्यशाला में शब्दावली, वाक्यावली पत्राचार, टिप्पण लेखन, ताल लेखन संशोधित और देवनागरी लिपि व्याकरण और वर्तनी संबंधी भूलें जो अनजाने में हो जाती हैं उनकी चर्चा की गई और उनकी विशेष रूप से जानकारी दी गई तथा प्रयोगात्मक अभ्यास कराया गया। कार्यशाला में यही प्रयत्न रहा कि सीधी और सरल भाषा का प्रयोग किया जाए और विभिन्न भाषाओं में प्रचलित शब्दों का प्रयोग करने में संकोच न किया जाए। अंग्रेजी के जो प्रचलित शब्द हैं और हिन्दी के प्रयोग में आ गए हैं उन्हें निस्संकोच अपनाया जाए। कार्यशाला में कार्यालय सहायिका जो उपयोगी पुस्तक है के साथ-साथ प्रशासन शब्दावली वाक्यावली आदि देवनागरी में तार लेखन, राजभाषा नियम, अधिनियम आदि साहित्य भी सुलभ कराया गया।

कार्यशाला के अन्त में एक प्रतियोगी परीक्षा भी रखी गई, जिसमें से सर्वश्री केदार नाथ सिंह, प्रवर श्रेणी लिपिक (प्रथम), मानपाल, प्रवर श्रेणी लिपिक (द्वितीय) एवं आर० पी० तिवारी ने तृतीय स्थान

प्राप्त किया और उन्हें पुरस्कार के रूप में शब्दकोष की प्रतियां तथा समेकित शब्दावली (प्रशासन) दी गई ।

कार्यशाला में इस विभाग के सहायक निदेशक (राजभाषा) श्री रामचन्द्र मिश्र के साथ-साथ श्री मिथिलेष कुमार मिश्र, निरीक्षण सहायक आयकर आयुक्त एवं राजभाषा अधिकारी, डा० रामानुज भारद्वाज, राजभाषा अधिकारी सिंडिकेट बैंक, श्री उपेन्द्र नारायण सेवक पाण्डेय, राजभाषा अधिकारी केनरा बैंक श्री महेन्द्र कपूर, राजभाषा अधिकारी, ओरिएण्टल बैंक आफ कामर्स और डा० माणिक राजभाषा अधिकारी मथुरा रिफाइनरी ने प्रतिभागियों को विभिन्न विषयों पर जानकारी देने के साथ-साथ व्यावहारिक अभ्यास भी कराया । इस कार्यशाला के बारे में प्रतिभागियों के सुझाव भी मांगे गये थे । जिनसे कि यह ज्ञात हो सके कि इस कार्यशाला की उपादेयता और कराये गये व्यावहारिक अभ्यास के बारे में उनका क्या विचार है । मुख्य रूप से कार्यशाला के बराबर आयोजन पर बल दिया गया और अधिक अभ्यास की आवश्यकता पर बल दिया गया है और समय तीन दिन का पर्याप्त न होने के बारे में भी सुझाव दिए गए । वस्तुतः 4-5 दिन का समय पर्याप्त होगा । चूंकि इस समय स्टाफ अन्य कार्यों में व्यस्त था अतः यह कार्यशाला तीन दिन के लिए ही आयोजित की जा सकी ।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि कार्यशालाओं में आने के बाद कर्मचारी और अधिकारी अपने-अपने कार्यालय पहुंचने पर हिन्दी में प्रयोग पर्याप्त मात्रा में करने लगते हैं और उनमें संकोच दूर होने के साथ-साथ आत्म विश्वास भी बढ़ता है ।

त्रिलोकी नाथ पाण्डेय
आयकर आयुक्त, आगरा

11. आयकर आयुक्त कार्यालय, मेरठ

राजभाषा विभाग के निर्देशानुसार कर्मचारियों के लिए आयकर आयुक्त कार्यालय, मेरठ में दिनांक 30-9-85 से 4-10-85 तक हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया । कार्यशाला का उद्घाटन दिनांक 30 सितम्बर, 1985 को मेरठ सेन्ट्रल कमान के रक्षा लेखा नियंत्रक श्री आर० कृष्णामूर्ति द्वारा मां सरस्वती को माल्यार्पण एवं दीप प्रज्जवलित करते हुए किया । समारोह की अध्यक्षता श्री वी० के० सचदेव, आयकर आयुक्त मेरठ ने की । मुख्य अतिथि का स्वागत श्री वी० पी० शाह, निरीक्षण सहायक आयकर आयुक्त (कर निर्धारण) और धन्यवाद ज्ञापन श्री डी० के० शर्मा, निरीक्षण सहायक आयकर आयुक्त मेरठ ने किया ।

कार्यशाला में विभाग के 12 कर्मचारियों ने भाग लिया । इस कार्यशाला में सर्वश्री डी० के० शर्मा, निरीक्षण सहायक आयकर आयुक्त, मेरठ, वी० पी० शाह, निरीक्षण सहायक आयकर आयुक्त, (कर-निर्धारण), मेरठ विचारदास, सहायक निदेशक (राजभाषा) तीरथ राम, आयकर अधिकारी (मुख्यालय) प्रशासन, मेरठ वी० के० गोयल आयकर अधिकारी, बुलन्दशहर श्री राजकिशोर सहायक निदेशक (राजभाषा) निरीक्षण निदेशालय, (गवे० सां० व जनसम्पर्क), और आगरा प्रभार के सहायक निदेशक श्री आर० सी० मिश्र ने प्रतिभागियों को कार्यशाला में राजभाषा नीति, नियम, अधिनियम, तार-लेखन, कार्यालय में सामान्य प्रयोग में आने वाली टिप्पणियों, शब्दों के लेखन विभिन्न प्रकार के फार्मों को भरवाना, वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्य बताना, आयकर विभाग का संगठनात्मक परिचय, प्रशासन में प्रयोग में आने वाले कार्यालय आदेश, पत्र लेखन आदि पर अभ्यास कराया गया । कार्यशाला में शब्दावली, कार्यालय सहायिका भी प्रतिभागियों को सुलभ करायी गयी । कार्यशाला की समाप्ति पर परीक्षा रखी गयी और उसमें प्रथम, द्वितीय स्थान पाने वालों को प्रमाण पत्र तथा पुरस्कार दिए गए ।

वी० के० सचदेव,
आयकर आयुक्त मेरठ

12. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, नई दिल्ली

राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अधीन बानायें गये नियमों के अनुसरण में निगम द्वारा अनेक उपाय किये गये है ताकि हिन्दी का उत्तरोत्तर प्रयोग बढ़ाया जा सके ।

इस संबंध में 2 जुलाई, 1985 को एक हिन्दी कार्यशाला का आयोजन निगम द्वारा किया गया जिसमें निगम के विकास अधिकारियों तथा लेखा अधिकारियों ने भाग लिया । इस कार्यालय की कार्यशाला का उद्घाटन उद्योग मंत्री श्री आरिफ मुहम्मद खां द्वारा किया गया । निगम द्वारा किये गये प्रयासों की सराहना भी उन्होंने की । इससे पहले निगम ने अक्टूबर, 1984 में भी एक कार्यशाला का आयोजन किया था जिसमें उप प्रबन्धक तथा उससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों ने भाग लिया था । इसके अतिरिक्त निगम में हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता तथा वाद-विवाद प्रतियोगिता जैसे कार्यकलाप किये जाते हैं जिससे हिन्दी के प्रयोग के लिए उचित वातावरण तैयार हुआ है । और आशुलिपिक प्रशिक्षण के लिए एक अल्पकालिक प्रशिक्षण केन्द्र चल रहा है जिसमें अभी तक टाइपिस्टों के तीन बैच तथा आशुलिपिकों के एक बैच ने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है । निगम की वार्षिक रिपोर्ट तथा अखिल भारतीय स्तर के विज्ञापन द्विभाषिक रूप में छपवाने की व्यवस्था है । 25 से अधिक कर्मचारियों वाले सभी अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की उप-समितियां गठित कर दी गई हैं । हावड़ा स्थित हमारे अधीनस्थ कार्यालय में हिन्दी शिक्षण योजना का एक केन्द्र शीघ्र खोले जाने की संभावना है । मुख्य कार्यालय में उप प्रबन्धक (हिन्दी) की देखरेख में "हिन्दी कक्ष" है जिसमें अनुवादक, सहायक तथा टाइपिस्ट कार्यरत हैं । निगम के अनेक फार्म, नामपट्ट, साइनबोर्ड, रबड़ की मोहरें द्विभाषिक रूप में है । इस निगम द्वारा प्रदर्शनियों और हिन्दी भाषी क्षेत्रों में आयोजित गहन अभियानों में प्रचार के माध्यम के रूप में हिन्दी का व्यापक प्रयोग किया जाता है । निगम द्वारा प्रकाशित प्रचार सामग्री हिन्दी में भी उपलब्ध कराई जाती है । समय-समय पर "हिन्दी कक्ष" द्वारा निगम के अधिकारियों को सहायक सामग्री उपलब्ध कराई जाती है । राजभाषा नियमों को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए नियमित रूप से राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें होती हैं । इन बैठकों की विशेष बात यह है कि इनकी अध्यक्षता स्वयं निगम के अध्यक्ष करते है ताकि बैठक में लिये गये निर्णय तुरन्त और प्रभावी ढंग से लागू हों तथा उच्च अधिकारी निर्णय लागू करने के लिए व्यक्तिगत रूप में जिम्मेदार रहें । अधीनस्थ कार्यालयों की प्रगति पर नजदीकी से नजर रखने के लिए रिपोर्ट मंगाने के साथ-साथ उनका प्रत्यक्ष निरीक्षण भी

किया जाता है और अधीनस्थ कार्यालयों की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में भाग लेने और मार्गदर्शन करने के लिए मुख्य कार्यालय के प्रतिनिधि को भेजा जाता है।

वी० के० सिंह
उपप्रबन्धक (हिन्दी)

13. सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, दिल्ली

सेन्ट्रल बैंक दिल्ली अंचल द्वारा आयोजित बैंक के शाखा प्रबंधकों के लिए 23वीं हिन्दी कार्यशाला का समापन दिनांक 26-10-85 को श्री देवेन्द्र चरण मिश्र, संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बैंक के प्रशिक्षण महाविद्यालय नौएडा में किया गया। उक्त अवसर पर शाखा प्रबंधकों को संबोधित करते हुए श्री मिश्र ने आग्रह किया कि शाखा प्रबंधक सरकार की राजभाषा नीति को लागू करने में अहम भूमिका निभायें क्योंकि आज का बैंकिंग वर्ग बैंकिंग न होकर जन बैंकिंग है और जनता तक पहुंचने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सरकार समय-समय पर आदेश निकालती रही है एवं जिस तरह से एक सरकारी कर्मचारी के लिए सरकार की अन्य नीतियों का पालन करना उनका कर्तव्य हो जाता है उसी प्रकार संघ सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन करना भी उनका कर्तव्य है। इस संबंध में उन्होंने कहा कि सरकार की राजभाषा नीति स्पष्ट है कि दैनिक काम-काज में सरल एवं बोल-चाल की हिन्दी का प्रयोग किया जाए। उन्होंने इसे राष्ट्रीय एकता को सुदृढ करने के परिप्रेक्ष में देखने का भी आग्रह किया। इस दिशा में उन्होंने हाल ही में अपने त्रिवेन्द्रम, मद्रास, बैंगलौर आदि स्थानों के दौरे पर अपने अनुभवों का जिक्र किया एवं बताया कि "ग" क्षेत्र में उन्हें कहीं भी हिन्दी के प्रति विरोध देखने को नहीं मिला।

अगर लोगों को समझा बुझा कर एवं इसके महत्व को समझाते हुए काम किया जाए तो हिन्दी राष्ट्रीय एकता एवं अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम बन सकती है। उन्होंने शाखा प्रबंधकों से उनके दैनिक काय में हिन्दी के प्रयोग में आने वाली कठिनाइयों के संबंध में भी चर्चा की। श्री मिश्र ने सुझाव दिया कि भारत सरकार के वार्षिक कार्यक्रम में दिये गये 66 प्रतिशत हिन्दी पत्राचार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शाखा प्रबंधक अपने कुछ काम को निर्दिष्ट कर लें एवं जो कर्मचारी शाखा में हिन्दी जानते हों उन्हें वे कार्य दें। इससे जहां एक ओर सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है वहीं दूसरी ओर शाखा में हिन्दी के कार्य में भी प्रगति आयेगी।

कार्यक्रम के प्रारम्भ में प्रचार्य श्री एस० ए० बाशा ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया एवं श्री अनिल केशव चिभोटे, मुख्य प्रबंधक, आंचलिक कार्यालय ने सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, दिल्ली अंचल द्वारा राजभाषा नीति के संबन्ध में हो रहे कार्यों की जानकारी मुख्य अतिथि महोदय को दी उन्होंने बताया कि सेन्ट्रल बैंक, दिल्ली अंचल द्वारा अब तक 23 हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की गयी हैं जिनमें अब तक लगभग 350 कर्मचारियों को हिन्दी में पत्राचार, ग्राहक सेवा में हिन्दी का महत्व, हिन्दी में टिप्पण, तारें आदि विषयों में प्रशिक्षित किया गया। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली अंचल के कर्मचारियों के लिए क्षेत्रीय स्तर पर कार्यशालाएं चलाते हैं तथा शाखाओं में जाकर भी राजभाषा नीति की समीक्षा करते हैं।

कार्यक्रम के अन्त में राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव श्री देवेन्द्र चरण मिश्र ने प्रमाणपत्र वितरित किए।

14. पुनर्वास प्रभाग (गृह मंत्रालय)

पुनर्वास प्रभाग में दिनांक 14 अक्टूबर, 1985 से 18 अक्टूबर, 1985 तक हिन्दी कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। इसका

पुनर्वास प्रभाग में आयोजित हिन्दी कार्यशाला के समारोह के अवसर पर सचिव, राजभाषा विभाग, कुमारी कुसमलत्ता मित्तल तथा अन्य अधिकारियों का स्वागत करते हुए श्रीमती रवीन्द्र नारंग, सहायक निदेशक (रा. भा.)

उद्घाटन राजभाषा सचिव कु० कुसुमलता मित्तल ने किया। सहायक निदेशक श्रीमती रवीन्द्र नारंग ने सचिव महोदया का स्वागत करते हुए प्रसन्नता प्रकट की कि उन्होंने समारोह की अध्यक्षता करके उन्हें अनुगृहीत किया है। श्री वी०जे० हीरजी अपर सचिव ने अपने कार्यालय में हिन्दी कार्यान्वयन सम्बन्धी स्थिति को स्पष्ट करते हुए यह आश्वासन दिया कि वे इसके कार्यान्वयन के लिए सदैव प्रयत्नशील रहेंगे। इसके बाद उन्होंने सचिव महोदया से सबका मार्गदर्शन करने का अनुरोध किया। तत्पश्चात कु० मित्तल ने अपने उद्घाटन भाषण में अधिकारियों तथा कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि हिन्दी का प्रयोग उतना कठिन नहीं है जितना लोग समझते हैं। इसके लिए सतत अभ्यास की आवश्यकता है। उन्होंने आगे कहा कि हिन्दी में समतुल्य शब्द ध्यान में न आए तो अंग्रेजी के शब्द को ही लिप्यान्तरित करके लिखा जा सकता है।

5 दिवसीय कार्याशाला में प्रभाग के 10 वरिष्ठ तथा कनिष्ठ अधिकारियों और 10 कर्मचारियों ने भाग लिया। 18 अक्टूबर, 1985 को आयोजित समापन समारोह में अपर सचिव श्री बी०जे० हीरजी ने प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण-पत्र दिए तथा पुरस्कार स्वरूप पुस्तकें प्रदान कीं।

श्रीमती रवीन्द्र नारंग
सहायक निदेशक (रा०भा०)

संयुक्त राष्ट्र संघ में हिन्दी हो, यह वास्तव में बड़ी बात होगी, किन्तु उससे भी बड़ी बात यह होगी कि भारत में मौलिक साहित्य इतना आगे बढ़े कि शोध तथा अन्वेषण का माध्यम बने और हिन्दी का साहित्य इतनी उच्च कोटि का हो कि संसार के लोगों को हिन्दी न जानने से अभाव लगे।

—श्रीमती इन्दिरा गांधी

हिन्दी या हिन्दुस्तानी भारतीय एकता एवं राष्ट्रीय का प्रतीक रूप है। वास्तव में हिन्दी ही भारत की भाषाओं का प्रतिनिधित्व कर सकती है।

डॉ. नीति कुमार चटर्जी

हिन्दी दिवस और हिन्दी सप्ताह समारोह का आयोजन

1. भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद

कम्पनी की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वावधान में दिनांक 14-9-85 को हिन्दी दिवस समारोह का आयोजन किया गया।

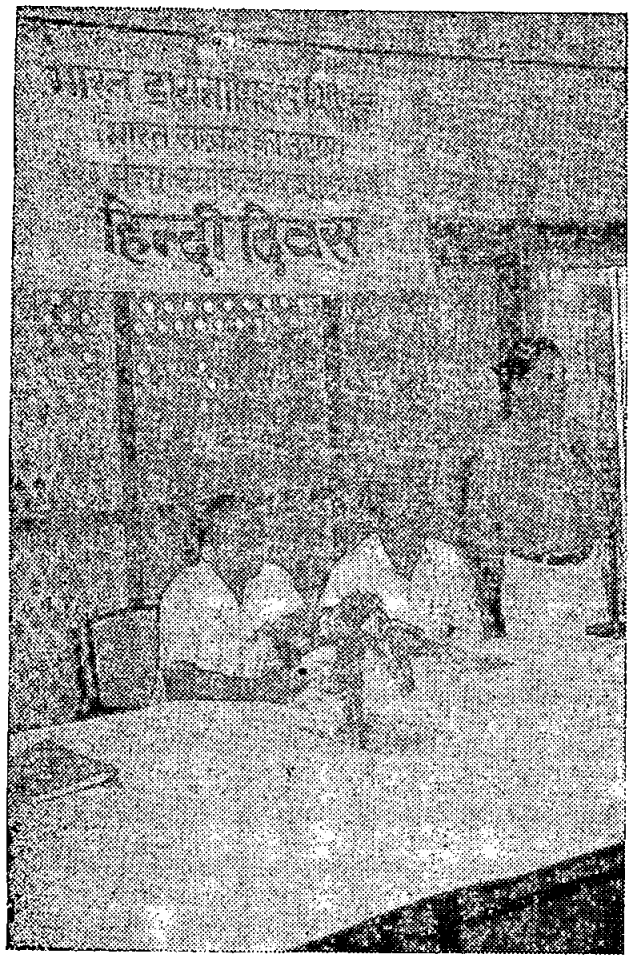

चित्र में मंच पर बाएं से—
श्री जेड० पी० मार्शल, प्रबन्धक निदेशक एंव अध्यक्ष, रा० भा० का० स०, श्री एन० साम्बूमूर्ती, उप महाप्रबन्धक (कार्मिक एंव प्रशासन) एंव बात करते हुए : श्री नरहरदेव, हिन्दी अधिकारी एंवं सदस्य सचिव रा० भा० का० स०

दिनांक 14-9-85 को पूर्वाह्न 9.00 बजे हिन्दी दिवस समारोह का आरम्भ श्रीमती वी. एल. जयलक्ष्मी, वित्त विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनागीत से हुआ। तदुपरान्त श्री एन. साबमूर्ती, राजभाषा अधिकारी एवं उप महाप्रबंधक (कार्मिक एवं प्रशासन) ने अध्यक्ष के रूप में श्री जेड़. पी. मार्शल, प्रबंध निदेशक एवं राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष, श्री बी० अप्पाजी, महाप्रबंधक (वित्त), श्री टी० के० सेतुरामन, महाप्रबंधक (उत्पादन) तथा कर्नल एच० एस० जग्गी, महाप्रबंधक (अभि-कल्प एवं विकास) व अन्य वरिष्ठ कार्यपालक, कर्मचारीगण, भारत डायनामिकस आफिसर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि भारत डायनामिक्स एम्प्लॉयिज़ एसोसिएशन के प्रतिनिधि, निकटस्थ मिश्र धातु निगम के प्रतिनिधि, गृहमंत्रालय राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि आदि उपस्थितों का स्वागत किया। तत्पश्चात राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य सचिव, अवर प्रबन्धक (हिन्दी) ने समारोह के आयोजन का उद्देश्य तथा भारत डायनामिकस में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग का विवरण सभी के सामने प्रस्तुत किया। इस परिचय कार्यक्रम के बाद श्री जेड़० पी० मार्शल प्रबन्ध निदेशक के करकमलों से प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किए गए।

बाद में प्रबंध निदेशक महोदय ने अपने अध्यक्षीय भाषण में संदेश दिया कि राजभाषा के प्रयोग का यह उत्साह केवल प्रतियोगिताओं तक ही सीमित न रखकर रोजमर्रा के कामकाज में हिन्दी का प्रयोग कर सरकार की राजभाषा नीति का उद्देश्य सफल करें और उत्पादन में भी लगन दिखाकर राष्ट्र की सेवा में अपना हाथ बटाएं।

इस संबंध में दिनांक 10-9-85 को हिन्दी निबन्ध लेखन तथा हिन्दी वाचन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में सभी स्तर के अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने बड़े उत्साह से भाग लिया।

नरहरदेव
सदस्य सचिव, राजभाषा समिति

2. केंद्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालय, हैदराबाद

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालय, हैदराबाद में 9-9-85 से 13-9-85 तक राजभाषा सप्ताह का आयोजन किया गया। राजभाषा सप्ताह के दौरान निम्नलिखित रूप से प्रतियोगिताएं तथा अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया :

	दिनांक
1. हिन्दी सुलेखन प्रतियोगिता	9–9–85
2. हिन्दी भाषण प्रतियोगिता	10–9–85
3. हिन्दी निबंध प्रतियोगिता	11–9–85
4. हिन्दी टिप्पण-आलेखन प्रतियोगिता	12–9–85
5. राजभाषा सप्ताह समापन तथा पुरस्कार वितरण आदि	13–9–85

दिनांक 13-9-85 को अपराह्न 3.00 बजे राजभाषा सप्ताह के समापन दिवस पर पुरस्कार वितरण और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम का आरंभ "बन्दे मातरम्" से हुआ।

श्री एम० वी० सूर्यप्रसाद, अपर समाहर्ता महोदय ने माननीय श्री वी० वी० एस० शास्त्री को कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए स्वागत किया तथा अपने स्वागत भाषण के दौरान उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि "जिस दिन संपूर्ण देश में एक राजभाषा में सरकारी कामकाज होने लगेंगे, हम संसार के सर्वाधिक विकसित राष्ट्रों में से होंगें।"

श्री सी०आर० वुनकर, उप समाहर्ता महोदय ने अध्यक्ष महोदय का परिचय कराते हुए आशा व्यक्त की कि राजभाषा समारोह में आपकी उपस्थिति से राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को सरकारी कार्यालयों में काफी बल और प्रोत्साहन मिलेगा और राजभाषा के प्रति आपकी यह अनुपम सेवा होगी।

श्री टी०वी० साठराम, उप समाहर्ता (लेखा परीक्षा) ने माननीय मुख्य अतिथि श्री विजेन्द्र नारायण सिंह जैसे प्रसिद्ध विद्वान, आलोचक निबंधकार का संक्षिप्त परिचय कराते हुए उनकी पैनी समीक्षक दृष्टि की सराहना की और राजभाषा-चिंतन और साहित्य-चिंतन के क्षेत्र में आपसे असीम आशाएं व्यक्त कीं।

मंडल कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों, निरीक्षणों, रबर स्टांपों, द्विभाषिक फार्मों, टाइपराइटरों, हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं एवं पुस्तकों की खरीद, द्विभाषिक नामपट्टों, हिन्दी शिक्षण योजना की विभिन्न कक्षाओं में अधिकारियों के मनोनयन आदि की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि इन दिशाओं में धीरे-2 प्रगति हो रही है। समाहर्तालय की गृह पत्रिका "प्रगति" के मुद्रित रूप में प्रकाशन, "प्रति दिन एक शब्द सीखिए" योजना के निष्पादन, पुस्तकालय-वाचनालय की स्थापना आदि से समाहर्तालय में राजभाषा हिंदी के प्रति अधिकारियों/कर्मचारियों की रूचि बढ़ी है। अपनी रिपोर्ट में आशा व्यक्त करते हुए सचिव ने कहा कि "यों तो राजभाषा विभाग ने हमारे लिए ("ग" क्षेत्र के लिए) 10 (दस प्रतिशत) का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है, लेकिन हम शत प्रतिशत कार्य राजभाषा हिंदी में कर सकें, इस योग्य शीघ्र बन सकें, ऐसे क्षणों की हम प्रतीक्षा करते हैं।"

राजभाषा सप्ताह के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजयी 5-5 प्रतिभागियों को पुरस्कार दिए गए। इनके अतिरिक्त समाहर्तालय में राजभाषा प्रयोग की दिशा में सराहनीय और उत्साहवर्धक कार्यों के लिए तीन विशेष पुरस्कार दिए गए। प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले सभी प्रतियोगियों को प्रमाणपत्र/प्रशस्तिपत्र दिए गए।

माननीय मुख्य अतिथि श्री विजेन्द्र नारायण सिंह ने अपने विद्वत्तापूर्ण भाषण में राजभाषा की आवश्यकता, देश की मानसिकता तथा सरकार द्वारा संघ-राजभाषा के प्रसार-प्रयोग के लिए किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख करते हुए बताया कि जिस गति और अनुराग से, जिस मनोयोग और उद्यम से यह कार्य होना चाहिए, उसमें अभी भी कहीं-न-कहीं कुछ अभाव है। विश्व का कोई अन्य राष्ट्र अपनी राजभाषा के लिए कोई दिवस या सप्ताह का आयोजन नहीं करता, ऐसे आयोजन भारत जैसे विशाल गणतंत्र में आयोजित होते हैं, इसका यह अर्थ है कि हमारी मानसिकता में अभी काफी बदलाव की आवश्यकता है। लेकिन दूसरी ओर उन्होंने बताया कि ऐसे समारोहों के आयोजन से हमारी गुलाम-मानसिकता को झकझोरने का अवसर मिलता है और इसी अर्थ में ऐसे आयोजन सार्थक हैं। अपने समस्त भाषणों के दौरान मुख्य अतिथि इस बात के प्रति आस्थावान और आशावान रहे कि राजभाषा के मामले में राष्ट्र की मानसिकता में शीघ्र ही बदलाव आएगा।

माननीय श्री वी० वी० एस०-शास्त्री, आयकर आयुक्त, आंध्रप्रदेश ने अपने अत्यंत संक्षिप्त भाषण में कहा कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालय, हैदराबाद ने वस्तुतः राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में सराहनीय प्रगति की है। अधिकारियों और कर्मचारियों के सहयोग से राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में अपेक्षित प्रगति की जा सकती है।

कार्यक्रम के दौरान एक "तेलुगु" "देशगीतम्" और एक "उर्दु गजल" प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में आए अतिथियों, अधिकारियों और विद्वानों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन करते हुए समाहर्तालय की राजभाषा अधिकारी एवं उप समाहर्ता (कार्मिक एवं स्थापना) श्रीमती ललिता जॉन ने उनका आभार माना और कहा कि राजभाषा समारोह के इस अवसर पर विद्वान अधिकारियों के भाषणों ने हमारा उत्साह बढ़ाया है। इससे समाहर्तालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को सोचने-समझने और कार्य करने के लिए नयी दिशा और नया उत्साह मिला है।

इस वर्ष भी महाप्रबंधक टेलीफोनस, हैदराबाद के कार्यालय में हिन्दी सप्ताह के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किए गए। सचिव, दूरसंचार बोर्ड, दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए हिन्दी की निम्नलिखित प्रतियोगिताएं दिनांक 16-9-85 से 21-9-85 तक आयोजित की। कर्मचारियों और अधिकारियों की ओर से सराहनीय प्रोत्साहन मिला और

समापन समारोह के अवसर पर आगत अतिथियों तथा उपस्थित अधिकारियों का आभार प्रदर्शन करती हुई श्रीमती ललिता जॉन, उपसमाहर्त्ता (का० व० स्था०) तथा राजभाषा अधिकारी (का०व०स्था०) चित्र में बाएं से बैठे हैं :--श्री एम० चो० सूर्यप्रसाद, अवर समाहर्त्ता, श्री वी० वी० एस० शास्त्री आयकर आयुक्त, तथा वी०वी० श्री विजेन्द्र नारायण सिन्हा, अध्यक्ष हिन्दी विभाग, हैदराबाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय

विगत वर्षों की अपेक्षा अधिक संख्या में प्रतिभागियों ने प्रतियोगिताओं में उत्साहवर्धक भाग लिया । निम्नलिखित प्रतियोगिताओं का क्रमशः आयोजन किया गया :

1. निबंध प्रतियोगिता
2. भाषण प्रतियोगिता
3. टिप्पण व प्रारूप लेखन प्रतियोगिता
4. तकनीकी शब्दों की स्मरण शक्ति प्रतियोगिता

हिन्दी सप्ताह का शुभारंभ 16 सितम्बर, 85 को श्रीमान एम०आर० सुब्रहमण्यम, महाप्रबंधक टेलीफोन्स, हैदराबाद के करकमलों द्वारा उद्घाटन कार्यक्रम से सम्पन्न हुआ । अपने उद्घाटन भाषण में महाप्रबंधक जी ने भारी संख्या में उपस्थिति को देखत हुए हर्ष प्रगट किया और कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं हिन्दी के ज्ञान को विशषकर टिप्पण व प्रारूप लेखन जसी प्रतियोगिताएं सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध होती हैं। साथ ही भाषण के माध्यम से हम हिन्दी के और निकट आते ह और हमारे बातचीत करने की झिझक दूर होती है । आपने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं लाभकर सिद्ध होंगी और इन्हें नियमित रूप से आयोजित किया जाना चाहिए ।

17 सितम्बर, 1985 को तकनीकी शब्दों की स्मरणशक्ति प्रतियोगिता का आयोजन किया गया । इस कायक्रम की अध्यक्षता श्रीमान जे०वी० रामाराव, सहायक महाप्रबन्धक प्रशासन ने की । इस प्रतियोगिता की विशेषता यह है कि प्रतियोगी को एक घंटे के समय में अपनी स्मरण शक्ति से हिन्दी से अंग्रेज़ी या अंग्रेजी से हिन्दी में अधिक से अधिक तकनीकी शब्द लिखने होते ह । यहां पर यह उल्लेखनीय है कि एक घंटे की अवधि में कर्मचारियों की ओर से श्रीमती पी० शेषम्मा दू०का० सहायक ने सबसे अधिक शब्द लिखकर और दूसरे क्रम में कु० सी० कानकुमारी, फोन निरीक्षक तथा तीसरे क्रम में श्रीमती लक्ष्मी राजगोपालन, दू० सं० ने अपना स्थान प्राप्त किया । दूसरी ओर अधिकारियों में प्रथम श्री वी० एन० मूर्ति, लेखाधिकारी (रोकड़); द्वितीय श्री पी० वी० गोपाल राव, लेखाधिकारी (दू० लेखा०) तथा तीसरा श्री एन० उमा-शंकर, जनसम्पर्क अधिकारी तथा वाणिज्य अधिकारी ने प्राप्त किया ।

20 सितम्बर 1985 को भाषण प्रतियोगिता सहायक महाप्रबन्धक (प्रशासन) श्रीमान जे०वी० रामाराव की अध्यक्षता में आयोजित की गई । इस प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि थे श्रीमान महेशचन्द्र गुप्ता, कार्यकारी अभियन्ता केन्द्रीय लोक मिर्माण विभाग । श्री महेशचन्द्र गुप्त केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् नई दिल्ली के प्रतियोगिता मंत्री हैं । उनसे मुख्य अतिथि के साथ-साथ निर्णायक के दायित्व को निभाने का भी अनुरोध किया गया जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया । मुख्य अतिथि ने अपने भाषण में कहा कि मैं टेलीफोन्स हैदराबाद के कार्यालय को अपने निजी घर में रहने-सा अनुभव कर रहा हूं । अधिकारियों तथा कर्मचारियों में हिन्दी के प्रति प्रेम व लगाव की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए आपने कहा कि अब समय आ गया है कि हमें अंग्रेजी का व्यामोह छोड़कर अपनी भाषाओं का विकास करें और राजभाषा के विकास में अपना योगदान प्रदान करें । अन्य दो निर्णायकों ने भी प्रतियोगियों के भाषण की कला व अभिव्यक्ति की प्रशंसा की और अवसर पर प्रोत्साहन प्रदान करने वाली जानकारी दी ।

उक्त प्रतियोगिताओं में सफल/विजयी प्रतियोगियों को 25 सितम्बर, 1985 को पुरस्कार प्रदान किए गए । इस कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमान एम०आर० सुब्रहमण्यम, महाप्रबंधक टेलीफोन्स, हैदराबाद ने की मुख्य

अतिथि माननीय वेमूरि अजिनेय शर्मा, सदस्य केन्द्रीय डाक-तार हिन्दी सलाहकार समिति, नई दिल्ली व कुल सचिव उच्च शिक्षण व शोध संस्थान, दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, हैदरावाद थे। इस अवसर पर कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारीगण, उप महाप्रवन्धक, प्रतिभागीगण तथा हिन्दी शिक्षण योजना द्वारा आयोजित परीक्षाओं में उत्तीर्ण विभागीय उम्मीदवार भी उपस्थित थे।

श्रीमान एम०आर० सुब्रहमण्यम, महाप्रबन्धक के करकमलों द्वारा प्रतियोगिताओं में विजयी प्रतियोगियों को क्रमशः पुरस्कार प्रदान किए गए और हिन्दी शिक्षण योजना में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को भी प्रमाण-पत्र दिए गए।

इस अवसर पर माननीय वेमूरि आंजनेय शर्मा ने मुख्य अतिथि के पद से भाषण देते हुए कहा कि हैदराबाद टेलीफोन्स में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग, प्रचार व प्रसार में सराहनीय कार्य हो रहा है। आपने कहा कि श्रीमान एम०आर० सुब्रहमण्यम जी ने राजभाषा के प्रचार प्रसार में पर्याप्त ठोस कदम उठाए हैं। इस दिशा में "177" पर तेलुगु-हिन्दी विशेष सेवा का उल्लेख करते हुए आपने कहा कि यह सेवा अपनी प्रारम्भिक स्थिति में है और आगे चलकर यह काफी लोकप्रिय व बहुप्रयोजनीय सिद्ध होगी। इस विशेष सेवा की और अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए विभाग को विशेष प्रयत्न करने का सुझाव दिया।

महाप्रबन्धक टेलीफोन्स हैदरावाद श्री एम०आर० सुब्रहमण्यम ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि राजभाषा के प्रयोग की दृष्टि से कार्यालय में सराहनीय कार्य हो रहा है। हाल ही में संसदीय राजभाषा की दूसरी उपसमिति का दौरा/निरीक्षण हुआ और राजभाषा के कार्यान्वयन से समिति ने अपना संतोष भी प्रकट किया। आपने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग को बढ़ावा देने में सहायक ही नहीं लाभप्रद भी सिद्ध होती हैं। अधिकारियों/कर्मचारियों में हिन्दी के प्रति उत्साह की आपने भूरि-भूरि प्रशंसा की और इस उत्साह को बनाए रखने तथा आगामी प्रतियोगिताओं में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर उच्च स्थान प्राप्त करने का सुझाव दिया। इस अवसर पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का उल्लेख करते हुए महाप्रबन्धक जी ने कहा कि हम हर तिमाही राजभाषा के प्रयोग की प्रगति की समीक्षा करते हैं। हमारा यह प्रयास जारी है कि हम अधिक से अधिक राजभाषा हिन्दी का प्रयोग अपने दैनंदिन सरकारी कामकाज में करें और लक्ष्य की पूर्ति करें। आपने तेलुगु, हिन्दी विशेष सेवा का उल्लेख करते हुए कहा कि यह सेवा सभी विभागों, कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों आदि में अनुवाद की दिशा में ठोस एवं उपयुक्त भूमिका का निर्वाह कर रही है। माननीय आंजनेय शर्मा जी के मार्गदर्शन में यह सेवा और उपयोगी एवं प्रयोजन परक सिद्ध होगी। सभी विजयी प्रतियोगियों को आपने हिन्दी के प्रयोग के प्रति निष्ठा एवं लगन को बनाए रखने का सुझाव दिया।

कार्यक्रम के अन्त में राजभाषा कार्यान्वयन के सचिव ने सभी के प्रति के भार व्यक्त किया और इसी प्रकार के प्रोत्साहन को सुदृढ़ता प्रदान अरने का सभी से आग्रह किया।

—जी० प्रेम कुमार
सदस्य-सचिव, राजभाषा कार्यान्वयन समिति एवं हिन्दी अधिकारी,
म० प्र० टे०, हैदराबाद

4 प्रागा टुल्स लिमिटेड, हैदराबाद

रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के हैदराबाद स्थित उपक्रम प्रागा टूल्स लिमिटेड में 13 अगस्त, 1985 को उसकी राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वावधान में वृहत स्तर पर "हिन्दी दिवस" समारोह मनाया गया।

श्रीमती एस० लक्ष्मी कुमारी एवं श्रीमती शान्ता रंजन द्वारा निराला जी की "वर दे वीणा वादिनी"..वन्दना के साथ कार्यक्रम आरम्भ हुआ। कार्यक्रम का सुचारू रूप से संचालन श्री गजानन्द गुप्त ने किया। उक्त अवसर पर स्थानीय भारत सरकार के कार्यालयों एवं उपक्रमों के राजभाषा अधिकारी भी अतिथि के रूप में भारी संख्या में उपस्थित थे। उपक्रम की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार महाजन (महाप्रबन्धक) ने समारोह में उपस्थित जनों का स्वागत किया। राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य-सचिव श्री एस० सुरीन (उप कार्मिक प्रबन्धक/हिन्दी अधिकारी) ने उपक्रम में हुई हिन्दी प्रगति का विवरण प्रस्तुत किया। हिन्दी अनुवादिका श्रीमती एस० विजेन्द्र नारायण सिंह (अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, हैदराबाद विश्वविद्यालय) ने अपने विद्वत्तापूर्ण भाषण में राजभाषा की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डाला। विभिन्न देशों की भाषाओं के इतिहास के बारे में बतलाते हुए डा० सिंह ने हिन्दी की महत्ता एवं प्रासंगिकता को समूचे देश की एकता के परिप्रेक्ष्य में सिद्ध किया। उन्होंने बीसों उदाहरण देकर हिन्दी की सरल, सहज एवं मौलिक प्रवृत्ति को स्पष्ट किया। अंग्रेजी की तुलना में हिन्दी कितनी समद्ध, सम्पन्न एवं वज्ञानिक भाषा है यह उन्होंने सप्रमाण वताया।

—एस० सुरीन
उप प्रबन्धक/हिन्दी अधिकारी

5 पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय, केरल परिमंडल, तिरुवंनतपुर

तिरूवनंतपुरम के केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों/निगमों/बैंकों के संयुक्त तत्वावधान में, केरल हिन्दी प्रचार सभा के सहयोग से तारीख 16-9-85 से 21-9-85 तक तिरूवनंतपुरम में हिन्दी सप्ताह समुचित रूप से मनाया गया। इस दौरान, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए विविध प्रतियोगिताएं चलाई गई। राजभाषा सम्मेलन, भारतीय भाषा सम्मेलन, कवि सम्मेलन, राजभाषा नीति अमल करने में "ग" क्षेत्र के कार्यालयों में, होने वाली कठिनाइयों पर विचार-विमर्श आदि भी हिन्दी सप्ताह के दौरान आयोजित किए गए थे। इस कार्यालय ने इन सब में सक्रिय रूप से भाग लिया।

हिन्दी सप्ताह समारोह के एक भाग के रूप में, इस कार्यालय में तिरूवनंतपुरम के केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों के लिए तारीख 9-10-85 से 15-10-85 तक 7 दिन के लिए केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा अनुवाद प्रशिक्षण में संक्षिप्त पाठ्यक्रम चलाया गया। तिरूवनंतपुरम स्थित विभिन्न केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों के 33 कर्मचारियों ने यह प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया।

हिन्दी सप्ताह समारोह के सिलसिले में, इस कार्यालय के अधीन एकक तिरूवनंतपुरम उत्तर डाक मंडल कार्यालय में एक हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें कर्मचारियों को टिप्पण और प्रारूप लिखने का अभ्यास दिया गया। साथ ही साथ, राजभाषा नियम और

अधिनियम का अनुपालन करते हुए कर्मचारियों को अधिक से अधिक काम हिन्दी में किए जाने के लिए प्रोत्साहन भी दिए गए।

इस परिमंडल के कुछ अधीनस्थ कार्यालयों में भी हिन्दी सप्ताह समारोह उचित रूप से मनाया गया। इस सिलसिले में तिरूवनंतपुरम जी पी ओ में तारीख 14-9-85 से 20-9-85 तक हिन्दी सप्ताह मनाया गया। तारीख 19-9-85 को हिन्दी निबंध, भाषण हिन्दी टिप्पण और आलेखन आदि में प्रतियोगिताएं चलाई गई। तारीख 23-9-85 को आयोजित समापन समारोह में हिन्दी के उच्च अधिकारी एवं पंडितों ने हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के बारे में भाषण दिया। इस सिलसिले में एक हिन्दी संगीत संध्या का भी आयोजन किया गया।

कालिकट डाक मंडल कार्यालय में भी हिन्दी सप्ताह मनाया गया। कर्मचारियों को 10 प्रतिशत काम हिन्दी में करने के लिए आह्वान किया गया। इसके लिए पावतियां, आवधिक रिपोर्ट और शून्य रिपोर्ट के मानक मसौदे स्टेंसिल करके वितरित करने का निर्णय लिया गया। तारीख 21-9-85 को प्रवर अधीक्षक की अध्यक्षता में एक आम बैठक चलाई गई। उन्होंने राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन की महत्ता पर भाषण दिया। कुछ कर्मचारियों ने भी हिन्दी में भाषण दिए। सभी सरकारी कामकाज में हिन्दी के कार्यान्वयन पर जोर दिया।

तिरुवनंतपुरम उत्तर डाक मंडल में भी हिन्दी सप्ताह मनाया गया। तारीख 16-9-85 को आयोजित समारोह सम्मेलन में भाषण दिए। अधिकारियों ने हिन्दी में काम करने के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया।

हिन्दी सप्ताह समारोह के दौरान विविध प्रधान डाकघरों में प्रेषित डाक टिकटों और अन्य वस्तुओं के बीजक कोच्चिन पोस्टल स्टाप्प डिपो द्वारा द्विभाषी रूप में तैयार किए गए।

कोल्लम डाक मंडल कार्यालय में भी हिन्दी सप्ताह के सिलसिले में तारीख 20-9-1985 को एक बैठक चलाई गई जिसमें, जहां तक हो सके, पत्र-व्यवहार हिन्दी में करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

तृश्शूर डाक मंडल कार्यालय में उक्त मंडल के 25 कर्मचारियों के लिए एक हिन्दी कार्यशाला चलाई गई। इसमें कर्मचारियों को हिन्दी माध्यम से कार्यालयीन काम करने के लिए प्रोयोगिक प्रशिक्षण दिया गया।

कालिकट स्थित डाक विभाग के कार्यालय में कार्यरत 40 कर्मचारियों के लिए क्षेत्रीय डाक निदेशालय के तत्वावधान में एक सप्ताह की हिन्दी कार्यशाला 4-11-85 से 8-11-85 तक चलाकर हिन्दी में निर्दिष्ट तिशत काम निष्ठापूर्वक निभाने के लिए बढ़ावा दिया गया।

—डी० कृष्ण पणिकर
हिन्दी अधिकारी
कृते पोस्टमास्टर जनरल, केरल परिमण्डल,
तिरूवनंतपुरम-695033

6 हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स, पुणे

हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि० पुणे में हिन्दी दिवस 14 सितम्बर, 1985 को बड़े ही उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा के कार्यकारी सदस्य श्री श्रीनिवास मुंदड़ाजी थे। हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स के कर्मचारियों को सम्बोधित करते हुए श्री मुदंड़ाजी ने कहा कि हिन्दुस्तान एक ऐसा देश है, जहां की संस्कृति और भाषा अलग-अलग ढंग की है, फिर भी रंग एक है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिन्दी के लिए यह गौरव की बात है कि उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त है। हिन्दी भारतमाता की बिन्दी है और माता का सुहाग रखना हमारा सबका परम कर्त्तव्य है। श्री मुंदड़ाजी ने बताया कि भारत के इतिहास से पता चलता है कि हिन्दी का प्रचार संतों, मुनियों आदि ने बहुत सुन्दर ढंग से किया है। "मसि कागद छुओं तक नाही, कलम गहौ नाहीं हाथ"—कबीर, "पराधीन सपने सुख नाहीं"—तुलसीदास कृत रामचरित मानस आदि दोनों का वर्णन करते हुए, श्री मुंदड़ाजी ने कहा कि हिन्दी का स्रोत तो एक सागर के समान है जितना ढूंढोगे, ज्ञान उतना ही बढ़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि कर्मचारियों को हर काम करने के लिए सरकार पर निर्भर नहीं होना चाहिए बल्कि स्वयं प्रयत्न करने चाहिएं ताकि हिन्दी को अधिक से अधिक बढ़ावा मिल सके।

भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के हिन्दी अधिकारी श्री बी० एस० मेहरा ने कहा कि जितना अधिक वे हिन्दी में काम करेंगे देश उतना ही जल्द आगे बढ़ेगा।

हिन्दी दिवस समारोह के साथ-साथ हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स में 14 से 20 सितम्बर, 1985 तक राजभाषा सप्ताह का आयोजन किया गया। जिसका उद्घाटन कंपनी के प्रभारी प्रबंधक निदेशक श्री ज्ञानेश्वर तेलंग ने किया। उन्होंने कहा कि हिन्दी विभाग ने इस दिशा में रास्ता दिखा दिया है अब कर्मचारियों को चाहिए कि वह कार्यालय के काम में अधिक से अधिक हिन्दी का प्रयोग करें। राजभाषा सप्ताह के अंतर्गत कंपनी में निम्नलिखित प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया :

निबंध प्रतियोगिता

आलेखन एवं टिप्पण प्रतियोगिता

सुलेख प्रतियोगिता

कविता पाठ प्रतियोगिता

वाद-विवाद प्रतियोगिता

इन प्रतियोगिताओं में कंपनी के विभिन्न कर्मचारियों ने बड़े उत्साह से भाग लिया। इन सभी प्रतियोगिताओं में प्रथम तीन स्थान पाने वाले कर्मचारियों को कंपनी की तरफ से आकर्षक पुरस्कार प्रदान किए गए। इन पुरस्कारों का वितरण समापन समारोह में श्री श्रीनिवास मुंदड़ाजी के करकमलों से किया गया। इस अवसर पर कंपनी सचिव श्री श्रीनिवासन देवगांवकर ने श्री मुंदड़ाजी को कंपनी की तरफ से विश्वास दिलाया कि हम राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए सभी संभव कदम उठायेंगे ताकि राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके।

—सुदेश कपूर
मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी

7 मौसम विज्ञान के अपर महानिदेशक (अनुसंधान), पुणे

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अधीनस्थ कार्यालय, मौसम विज्ञान के अपर महानिदेशक (अनुसंधान) और भारत मौसम विज्ञान पुणे की केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् शाखा की ओर से राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार तथा इसे लोकप्रिय बनाने हेतु दिनांक 13 सितम्बर, 1985 की अपराह्न 2.45 से 6 बजे तक "हिन्दी दिवस" समारोह सफलतापूर्वक मनाया गया। इस समारोह की अध्यक्षता मौसम विज्ञान के अपर महानिदेशक श्री एच० एम० चौधरीजी ने की। समारोह के प्रमुख अतिथि डा० रामजी तिवारी, प्रवक्ता, हिन्दी विभाग, पुणे विद्यापीठ थे। इस में हिन्दी शिक्षण योजना पुणे की ओर से सहायक निदेशक श्री उधोराम सिंह और श्रीमती आंशुमति दुनाखे भी उपस्थित थे। इस समारोह में भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे के सभी कार्यालयों के वरिष्ठतम अधिकारियों/कर्मचारियों ने उत्साह के साथ भाग लिया।

हिन्दी दिवस समारोह के अवसर पर डा. जी. पी. श्रीवास्तव, हिन्दी परिषद्, मंत्री एंव मौसम विज्ञान के उपमहानिदेशक (उपकरण जांच तथा सेवा पुणे) बोलते हुए। चित्र में बांए से सहायक निदेशक हि. शि. यो. पुणे, समाध्यक्ष, मौसम विज्ञान के अपर महानिदेशक (अनुसंधान) श्री एच. एम. चौधरी, मुख्य अतिथि प्रो. डा. रामजी तिवारी, पुणे, विश्वविद्यालय।

समारोह की शुरुआत वंदना (संगीत ध्वनि) के साथ हुए। संपूर्ण हाल हर्षोल्लास से गूंज उठा। इसमें निबंन्ध वाद-विवाद, कविता, अंताक्षरी आदि विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। निबन्ध प्रतियोगिता में हिन्दी भाषिक और अहिन्दी भाषिक कुल 23 प्रतियोगियों ने भाग लिया। वाद-विवाद में 12, कविता में 30, तथा अंताक्षरी में 3 टोलियों ने हिस्सा लिया। निबन्ध में अहिन्दी भाषी प्रथम पुरस्कार श्री व्ही० बी० पसरणीकर, द्वितीय श्री एम० जी० करोड़ी और हिन्दी भाषी में प्रथम श्री सी० एम० जोशी, और द्वितीय श्री सत्यानारायण तिवारी को प्राप्त हुआ। वाद-विवाद प्रतियोगिता में प्रथम श्री व्ही० आर० मिश्रा, द्वितीय श्री आनन्द पर्लीकर, तृतीय श्री सत्यानारायण तिवारी को प्राप्त हुआ। कविता प्रतियोगिता में प्रथम श्री व्ही० वी० पसरणीकर, द्वितीय श्री आर० वाई० रांजगे; तृतीय श्री आर० डी० परमेश्वर तथा अंताक्षरी प्रतियोगिता में प्रथम पूर्वानुमान के कार्यालय श्री आर० डी० परमेश्वरी श्री सी० एस० जोशी, श्रीमती उज्जवला देशमुख, श्रीमती ए. बी. कुलकर्णी और द्वितीय अनुसंधान कार्यालय के श्री सत्यानारायण तिवारी, श्री जयकुमार शर्मा, श्री आर० एस० चौरिशी, श्रीमती, एम० एम० कुलकर्णी को प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त सभी प्रतियोगिताओं में कुल 50 प्रोत्साहन पुरस्कार दिए गए।

एक हिन्दी एकांकी नाटक "चक्रव्यूह" (50 मिनट का) प्रस्तुत किया गया। जिसमें कुल 9 कलाकारों ने भाग लिया। प्रमुख अतिथि डा० रामजी तिवारी ने सभी विजयी प्रतियोगियों को पुरस्कार और प्रमाण-पत्र प्रदान किए। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि ऐसी प्रतिक्रियाएं ही हमारी राष्ट्रभाषा की प्रगति में सहायक हैं। इस समारोह में भाग लेने से हमें भारत में मौसम विज्ञान कार्यालय का राजभाषा के प्रति निष्ठा और लगन का पता चला है। हमें उम्मीद है कि भविष्य में यह कार्यालय हिन्दी के योग्य और लोकप्रिय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या में अधिकाधिक वृद्धि कर सभी सरकारी कामकाज हिन्दी में ही करने लगेंगे।

–नूतन दास

मौसम विज्ञान के उपमहानिदेशक (जलवायु विज्ञान तथा भू-भौतिकी)

मौसम विज्ञान के अपर महानिदेशक (अनुसंधान) का कार्यालय, शिवाजीनगर, पुणे-411005

8 पुणे टेलीफोन्स, पुणे

राजभाषा के हिन्दी के संदर्भ में पूणे टेलीफोन्स में दिनांक 13-9-85 से 19-9-85 तक हिन्दी सप्ताह का भव्य आयोजन किया गया।

दिनांक 13-9-85 को हिन्दी सप्ताह का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में डा० रामजी तिवारी, पुणे विश्वविद्यालय (वरिष्ठ व्याख्याता, हिन्दी विभाग) ने मातृभाषा के प्रति प्रेम और राजभाषा एवं संपर्क भाषा के रूप में हिन्दी के प्रति प्रेम पर विशेष बल दिया।

समारोह का उद्घाटन करते हुए पुणे टेलीफोन्स के महाप्रबन्धक माननीय आर० डी० जोशी ने इस आयोजन पर हार्दिक हर्ष प्रकट करते हुए पुणे टेलीफोन्स के कर्मचारियों को समारोह के विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु प्रेरित करते हुए समारोह की सफलता हेतु अपनी शुभकामनाएं प्रकट कीं।

हिन्दी सप्ताह के दौरान वाद-विवाद, हास्य रचनाएं, परिसंवाद, कर्मचारियों द्वारा कविता वाचन, कर्मचारियों के बच्चों की ओर से कार्यक्रम, निबंध तथा मसौदा लेखन जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया।

दिनांक 19-9-85 को हिन्दी सप्ताह के समापन के अवसर पर जन-संपर्क अनुभाग के कर्मचारियों द्वारा स्त्री समता आंदोलन पर बहुत बढ़िया लघु नाटिका प्रस्तुत की गई। समापन के अवसर पर हिन्दी कक्ष द्वारा तैयार की गई एक हिन्दी-अंग्रजी पत्रिका का विमोचन तथा पुरस्कारों का वितरण महाप्रबंधक श्री आर० डी० जोशी के करकमलों से किया गया।

हिन्दी सप्ताह दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं म कुल 103 प्रतियोगियों ने भाग लिया। जिनमें से 36 कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया।

समापन समारोह के अवसर पर महाप्रबंधक जी ने पत्रिका के प्रकाशन का, राजभाषा हिन्दी को बढ़ावा देने की दिशा में, एक ठोस कदम बताते हुए हर्ष व्यक्त किया। अंत में उन्होंने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई देते हुए इस बात पर बल दिया कि सभी कर्मचारी अपने सरकारी कार्य में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग करें। साथ ही उन्होंने अन्य सभी कर्मचारियों को भी भविष्य में हिन्दी कार्यक्रमों म रूचि लेने के लिए प्रेरित किया।

—मु० अ० कुकंडे
जनसम्पर्क अधिकारी

9 आकाशवाणी, पुणे

इस केन्द्र में 13 सितम्बर, 85 से 23 सितम्बर, 85 तक हिन्दी सप्ताह काफी उत्साह के साथ मनाया गया। 13 सितम्बर, 85 को हिन्दी दिवस तथा हिन्दी सप्ताह का उद्घाटन किया गया।

हिन्दी दिवस को मुख्य अतिथि के रूप में बैंक आफ महाराष्ट्र के हिन्दी अधिकारी श्री सतीश गंधे को आमंत्रित किया गया था। अन्य अतिथि हिन्दी शिक्षण योजना के सहायक निदेशक श्री उधोराम सिंह और श्रीनिवास मुन्दहा आमंत्रित थे। समारोह में सभी अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहें।

हिन्दी सप्ताह के दौरान पांच प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। प्रतियोगिताओं के विषय इस प्रकार थे :—

1. वाक प्रतियोगिता—हिन्दी के प्रचार-प्रसार में आकाशवाणी/दूरदर्शन की भूमिका

2. टिप्पण और मसौदा लेखन प्रतियोगता

3. निबन्ध प्रतियोगिता—(क) देश की एकता और राजभाषा हिन्दी. (ख) कम्प्यूटर और देश की उन्नति

4. कविता वाचन

5. वाद-विवाद प्रतियोगिता—क्या हिन्दी फिल्में समाज के लिए घातक हैं। प्रत्येक प्रतियोगिता के लिए प्रत्येकी रु० 50 रु० 30, और रु० 20 तीन-तीन नकद पुरस्कार समापन समारोह में वितरित किए गए। समापन समारोह के मुख्य अतिथि के पूणे विश्वविद्यालय के प्रवक्ता डा० रामजी तिवारी आमंत्रित किए थे। इस समारोह में हिन्दी कार्यशाला के प्रमाण-पत्र भी वितरित किए गए।

—राजाराम नलगे
हिन्दी अधिकारी
कृते केन्द्र निदेशक

10 सैन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, पुणे

गत वर्षों की भांति ही सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया के पुणे अंचल में नागपुर, नासिक, पुणे, जलगांव, अहमदनगर, अमरावती, अकोला, औरंगाबद स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों एवं जिला मुख्यालयों पर दिनांक 14 सितम्बर, 85 से 21 दिसम्बर, 85 तक हिन्दी दिवस मनाने के लिए समारोह का आयोजन किया गया। इन समारोहों में हिन्दी वक्तृत्व स्पर्धा, हिन्दी कविता लेखन प्रतियोगिता तथा अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। समारोहों में उपस्थित बैंक कार्यपालकों एवं वक्ताओं द्वारा हिन्दी के महत्व पर प्रकाश डाला गया एवं हिन्दी को अपने दैनिक कामकाज में अपनाने पर बल दिया गया। विभिन्न स्पर्धाओं में विजेता प्रतियोगी कर्मचारियों को नकद पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर महापुरूषों एवं राष्ट्रीय नेताओं द्वारा हिन्दी के विषय में कहे गए वाक्यों से सज्जित आकर्षक ध्वज पटिकाएं भी बैंक द्वार पर लगाई गई।

—मुख्य प्रबंधक

11 बम्बई महानगर

महानगर बम्बई में पिछले आठ वर्षों से हिन्दी सप्ताह का नियमित आयोजन होता आ रहा है। नगर हिन्दी सप्ताह समिति के द्वारा यह 13 सितम्बर से शुरू होकर 20 सितम्बर तक शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में आयोजित किया जाता है। इस वर्ष भी बड़े उत्साह भरे वातावरण में इसे मनाया गया।

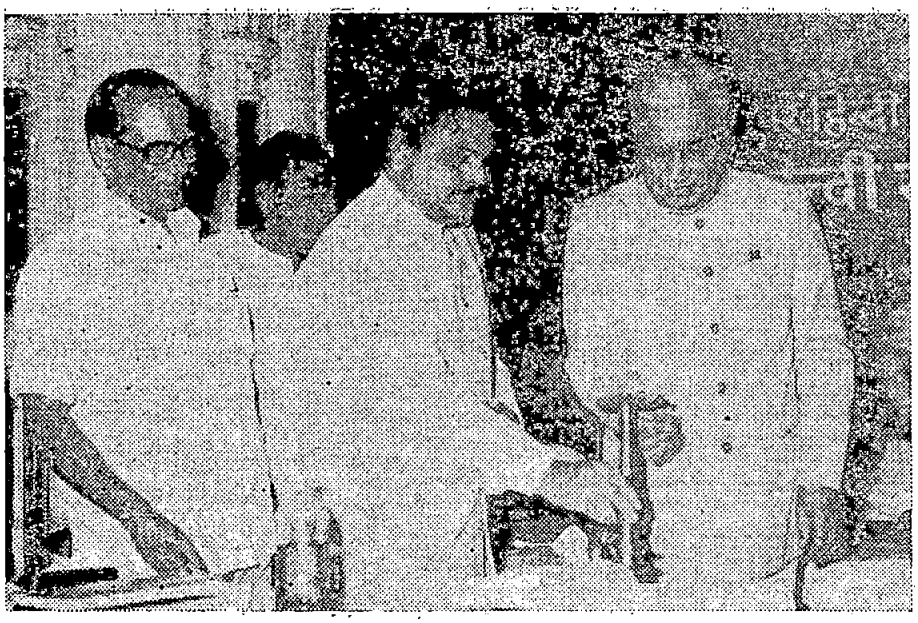

बम्बई की "नगर हिन्दी सप्ताह समिति" द्वारा आयोजित हिन्दी सप्ताह समारोह" का उद्घाटन करते हुए महाराष्ट्र के लोक आयुक्त न्यायमूर्ति श्री व्यं० श्री. देशपांडे। उनके बगल में महापौर श्री छगन भुजबल तथा सप्ताह समिति के अध्यक्ष श्री हरिशंकर खड़े हैं।

प्रथम दिन महाराष्ट्र के लोक आयुक्त श्री व्यं श्री. देशपांडे ने दीप जलाकर समारोह का उद्घाटन किया। यह आयोजन बम्बई नगर निगम के सभा कक्ष में महापौर श्री छगन भुजबल की अध्यक्षता में हुआ। लोकायुक्त श्री देशपांडे ने देश की भाषा-समस्या की गंभीरता पर विवेचनात्मक भाषण देते हुए कहा कि इस विशाल देश की राजभाषा हिन्दी को हमें बड़े धैर्य के साथ अन्य भाषा-भाषियों में लोकप्रिय बनाना चाहिए। हर नागरिक अपनी भाषा के प्रति सम्मान रखता है। उसे ऐसा न लगे कि उस पर किसी तरह की जोर-जबरदस्ती की जा रही है।

अध्यक्ष श्री छगन भुजबल ने कहा कि जिस व्यक्ति को अपनी मातृभाषा के प्रति सम्मान न होगा, वह राजभाषा का क्या सम्मान करेगा। हमारे लिए यह लज्जा की बात है कि हम अपनी राजभाषा में काम न करके विदेशी भाषा में अपना काम चला रहे हैं। समिति के कार्याध्यक्ष श्री हरिशंकरजी ने हिन्दी सप्ताह के महत्व एवं इसकी उपलब्धियों पर प्रकाश डाला।

इस अवसर पर हिन्दी की सेवा के लिए बाबू गंगाशरण सिंह, पं० सत्यकाम विद्यालंकार, श्री दाऊदयाल उपाध्याय, श्रीमती हन्नाबेन पेडकर का सार्वजनिक सम्मान किया गया। सम्मानित व्यक्तियों की सेवाओं का परिचय समिति के मंत्री श्री गिरिजाशंकर त्रिवेदी ने दिया। अंत में श्री कान्तिलाल जोशी ने आभार प्रदर्शन किया। श्री अनंतराम त्रिपाठी ने कार्यक्रम का संचालन किया।

दूसरे दिन का आयोजन विद्यानिधि विद्यालय की ओर से इस्कोन के सभागृह में श्री लक्ष्मीरमण आचार्य की अध्यक्षता में किया गया। बाबू गंगाशरण सिंह ने इस अवसर पर भारतीय भाषाओं की एकरूपता पर प्रकाश डाला और उनकी उच्चारण की वैज्ञानिकता सोदाहरण सिद्ध की। अतिथियों का स्वागत प्रधानाध्यापिका निरंजना वाडेकर ने किया। श्री हरिशंकर और श्री गिरिजाशंकर त्रिवेदी ने भी राष्ट्रभाषा को व्यवहारिक रूप दिए जाने पर जोर दिया। श्री मंत्री जी ने आभार प्रकट किया।

उसी दिन बम्बई प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार सभा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित दीक्षान्त समारोह में बाबू गंगाशरण सिंह ने उपाधिधारी छात्रों को सम्बोधित करते हुए कहा कि आप लोग राष्ट्रभाषा के संदेश को घर-घर पहुंचाने का काम करें और देश की एकता को मज़बूत बनाने का पावन संकल्प लें। सभी प्रान्तीय भाषाओं का उपयोग प्रान्तीय स्तर पर होगा तभी राजभाषा का रूप हिन्दी को मिल पायेगा। श्री कान्तिलाल जोशी, श्री हरिशंकर, श्री जयदेव सिंहानिया, डा०एन०एन० कैलास ने भी राजभाषा की महत्ता पर प्रकाश डाला। श्री शिवकुमार ज्ञानी ने धन्यवाद दिया। पुरस्कृत छात्रों को इस अवसर पर पुरस्कार भी दिये गये।

तीसरे दिन का कार्यक्रम "बम्बई हिन्दी सभा" की ओर से आयोजित था। पं० सत्यकाम विद्यालंकार ने मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए कहा कि यह काम सरकार के भरोसे न छोड़ कर हम लोगों को स्वयं ही करना है। सरकार तो केवल प्रचार मात्र करती रहती है कि हिन्दी के नाम पर बड़े-बड़े अनुदान दिये जा रहे हैं पर हो कुछ नहीं रहा है। केन्द्रीय सरकार के राजभाषा निदशक श्री राजमणि तिवारी, श्री हरिशंकर और श्री सी० पी० सिंह अनिल ने भी अपने-अपने विचार व्यक्त किए। कुलपति श्री हन्नाबेन पेडकर ने समारोह की अध्यक्षता की।

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की ओर से आयोजित कार्यक्रम में "पाटी" फिल्म दिखायी गयी। लोकायुक्त श्री देशपांडे, श्री सूरीजी, श्री गुप्ता जी श्री हरिशंकर ने भी विचार व्यक्त किए। श्रीमती मालती तांबे ने समारोह की अध्यक्षता की। अतिथियों का स्वागत श्री फोपे जी ने किया। आभार प्रदर्शन किया श्री गिरिजाशंकर त्रिवेदी ने।

17 सितंबर का आयोजन के० जे० सोमैया कालेज में किया गया। श्री हुल्लड़ मुरादाबादी ने अपनी हास्य रचनाओं से श्रोताओं का अच्छा मनोरंजन किया। श्री गिरिजाशंकर त्रिवेदी और श्री आर० एन० चतुर्वेदी ने भी कवितापाठ किया। प्रिंसिपल गाभे ने समारोह की अध्यक्षता की। उप प्रधानाचार्य श्री राव ने आभार प्रकट किया।

उसी दिन शाम को आयोजन हिन्दुजा कालेज में हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री हरिशंकर ने की। श्री गिरिजाशंकर त्रिवेदी ने सप्ताह-समिति की गतिविधियों और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। श्री हुल्लड़ मुरादाबादी की हास्य रचनाओं ने श्रोताओं को भाव-विहोर कर दिया। कु० कुसुम त्रिपाठी ने कार्यक्रम का संचालन किया और श्री राकेश पाठक ने धन्यवाद दिया।

19 सितम्बर का आयोजन महर्षि दयानन्द कालेज में श्री सी० एल० प्रभात की अध्यक्षता में हुआ। श्री सुरेश पंडित ने अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर अंग्रेजी तथा उर्दू विभाग के प्राध्यापकों ने भी हिन्दी की उपयोगिता पर बल दिया और हिन्दी में स्वरचित अपनी-अपनी कविताएं भी सुनायीं। श्री गिरिजाशंकर त्रिवेदी ने भी कविता पाठ किया। श्री हरिशंकर ने हिन्दी का उपयोग दिनों दिन बढ़ाये जाने पर जोर दिया।

अंतिम दिन का आयोजन मंत्रालय के सभाकक्ष में नगर विकास राज्य मंत्री डा० राममनोहर त्रिपाठी की अध्यक्षता में बड़े ही शानदार ढंग से हुआ। इस अवसर पर महापौर श्री छगन भुजबल का उनकी हिन्दी सेवा के लिए सम्मान किया गया। जनसंपर्क विभाग के श्री शान्ता राम सगणे ने भी अपने विचार व्यक्त किए। श्री हरिशंकर ने कहा कि हमें सभी भाषाओं का आदर करते हुए और उनकी उपयोगिता को बढ़ावा देते हुए राजभाषा हिन्दी को उचित स्थान दिलाने का निरन्तर प्रयास करते रहना चाहिए।

इस अवसर पर महाराष्ट्र सरकार के नागरिक आपूर्ति विभाग की संचालिका श्रीमती नीला सत्यनारायण के काव्य-संग्रह "असीम" का विमोचन भी किया गया। डा० त्रिपाठी ने अध्यक्ष पद से बोलते हुए कहा कि हिन्दी को केवल हिन्दी वालों ने ही नहीं उसे समृद्धि करने म मराठी, गुजराती, बंगाली, उर्दू और अन्य भाषा-भाषियों का भी बहुत महत्वपूर्ण हाथ है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बहुत ही प्रभावशाली वक्ता के रूप में समझाया कि हिन्दी को अगर किसी ने राजभाषा का दर्जा दिलाया है तो वे अन्य भाषा वाले ही हैं। भाषाओं की "शब्द यात्रा" का जिक्र करते हुए उन्होंने समझाया कि एक भाषा के शब्द किस प्रकार दूसरी भाषा में व्यवहृत होने लगते हैं। कार्यक्रम का संचालन किया श्री अनन्तराम त्रिपाठी ने।

—हरिशंकर

12 पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय, बम्बई

पोस्टमास्टर जनरल बम्बई के कार्यालय में दिनांक 24-9-85 को केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् की शाखा द्वारा हिन्दी दिवस समारोह श्रीमती कार्तिययानी जी निदेशक डाक सेवा (मुख्यालय) के अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। श्रीमती ना०ज० राव, उपनिदेशक (राजभाषा विभाग) समारोह की मुख्य अतिथि थीं। श्रीमती राव ने अपने भाषण में राजभाषा हिन्दी के महत्व तथा सरकार की राजभाषा नीति पर प्रकाश डाला। श्रीमती कार्तिययानी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में हिन्दी में कामकाज करने की आवश्यकता पर बल दिया। सम्माननीय अतिथि श्रीमती विमला कुमार, निदेशक डाक सेवा (बम्बई), श्री अ०कु० भटनागर, निदेशक, डाक सेवा, श्री सज्जा सिंह प्रेसिडेन्सी डाकपाल (बम्बई), श्री डी० के० काम्बले, हिन्दी अधिकारी समारोह में उपस्थित थें।

हिन्दी सप्ताह के दौरान परिषद द्वारा आयोजित "हिन्दी प्रश्न मंच" प्रतियोगिता में विजयी टीम के प्रतियोगियों को मुख्य अतिथि के हाथ से पुरस्कार वितरित किया गया। समारोह में परिषद् द्वारा प्रकाशित हिन्दी पत्रिका "अंकुर" का विमोचन किया गया। जिसका संपादन श्री रमेश शिंदे ने किया। कार्यक्रम की शुरूआत राष्ट्रगान से हुई। शाखा के कार्याध्यक्ष श्री लिपारे ने अतिथियों का स्वागत किया तथा अंत में श्री खेतकर ने आभार व्यक्त किया। श्री पाली, श्री यादव, श्री ठाकुर, श्रीमती गाडगिल तथा अन्य सदस्यों ने उचित सहयोग दिया। आखिर राष्ट्रगीत से समारोह समाप्त हुआ।

—वामेन्द खाडे

13 बैंक ऑफ इण्डिया प्रशिक्षण महाविद्यलय, बम्बई

बैंक आफ इण्डया के "कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय" ने शनिवार 14 सितम्बर, 1985 को "राजभाषा दिवस" के अवसर पर अपने प्रशिक्षणार्थियों के बीच "आशुभाषण प्रतियोगिता" आयोजित की। महाविद्यालय के प्राचार्य श्री वाय०के० रेले ने राजभाषा दिवस की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए प्रशिक्षणार्थियों को हिन्दी भाषा को अपने दैनिक कामकाज में इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया। "प्रतियोगिता" हिन्दी भाषा के प्रयोग के प्रति कर्मचारियों की हिचक दूर करने में सार्थक रही।

—स० कृ० देशपाण्डे
उप प्राचाय

14 दि कॉटन कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, बम्बई

निगम के मुख्यालय बंबई कार्यालय में दिनांक 14 अक्टूबर 1985 को "हिन्दी दिवस" कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस वर्ष श्री मा०बि० लाल, कार्यकारी अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजति किया गया। इस अवसर पर श्री ल० न० शर्मा सहायक निदेशक, हिन्दी शिक्षण योजना, मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित थे। निश्चित कार्यक्रम क अनुसार इस वर्ष निबंध तथा आशु भाषण—दो प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस कायक्रम की उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि इस बार 42 कर्मचारियों, यानि 35 प्रतिशत कर्मचारियों ने इत प्रतियोगताओं में सोत्साह भाग लिया।

प्रारंभ में हिन्दी अधिकारी ने अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि, वरिष्ठ अधिकारी तथा उपस्थित कमचारियों का स्वागत करते हुए निगम में गत दो वर्षों से राजभाषा हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति पर प्रकाश डाला और उम्मीदवारों को आशुभाषण में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। प्रतियोगिता के बाद मुख्य अतिथि श्री ल० न० शर्मा ने भी कायक्रम में भाग लने वाल कर्मचारियों के उत्साह और रूचि की प्रशंसा कारते हुए

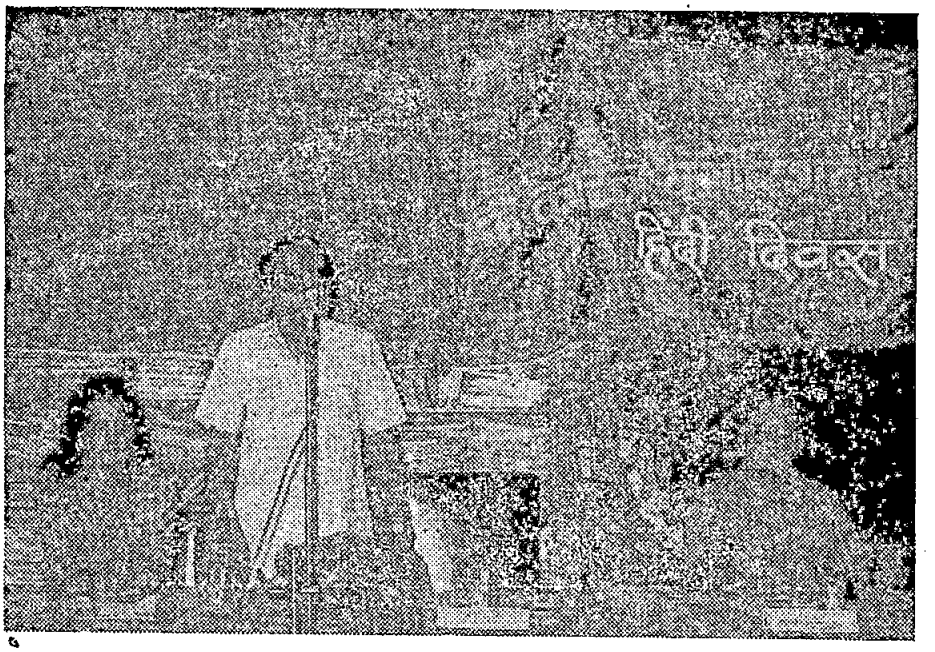

हिन्दी दिवस के आयोजन के अवसर पर अध्यक्ष पद से बोलते हुए श्री मा. बि. लाल, कार्यकारी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक चित्र में, उनके दायीं ओर डा. रीता कुमार हिन्दी, अधिकारी एवं बाई ओर मुख्य अतिथि ल. न. शर्मा सहायक अधिकारी

कहा कि राजभाषा हिन्दी के प्रति उनके इस उत्साह के कारण ही निगम इस वर्ष "तृतीय पुरस्कार" प्राप्त कर सका है। उन्होंने इसके लिए अध्यक्ष महोदय के अनवरत प्रयासों की सराहना की। उनके बाद श्री मा० बि०लाल० अध्यक्ष ने अपने अध्यक्षीय भाषण में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संबोधित करते हुए राजभाषा हिन्दी की प्रगति के लिए कुछ महत्वपूर्ण निदेश दिए:—

1. इस वर्ष के वार्षिक कार्यक्रम के सभी लक्ष्य हमें मार्च, 1986 तक पूरे करने हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री स्वयं इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं।
2. हमें अपने प्रतिदिन के काम में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाना चाहिए, परन्तु यह हिन्दी कोश की हिन्दी न होकर बोलचाल की सरल भाषा होनी चाहिए।

उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि हिन्दी में मूल पत्रों की संख्या बढ़ाने के लिए हमें हिन्दी अनुवादक पर हिन्दी अधिकारी की सहायता नहीं लेनी चाहिए, बल्कि स्वयं हिन्दी में लिखने की कोशिश करनी चाहिए। यदि हम इस आदत को अपनायें तो, हिन्दी काम करने की झिझक अपने आप दूर हो जाएगी।

अंत में अध्यक्ष महोदय ने प्रतियोगिताओं में विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया। निबंध प्रतियोगिता में श्रीमती रंजना वर्मा, सहायक (लेखा) ने प्रथम, श्री रामनिवास तिवारी, सहायक (गोडाऊन) ने द्वितीय, श्री म० भा० ढाके कनिष्ठ सहायक (लेखा) ने तृतीय तथा श्री श्याम पवार, वरिष्ठ सहायक (स्थापना) ने प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त किया।

आशुभाषण प्रतियोगिता में श्री ना० श० गायकवाड़, वरिष्ठ सहायक (शिवडी गोदाम) ने प्रथम, श्री कि० दे० आचार्य, उप प्रबंधक (विधि) ने द्वितीय तथा श्री कस्तूरे, सहायक (स्थापना) ने तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया।

—डा० रीता कुमार
हिन्दी अधिकारी

15 बैंक आफ बड़ौदा, बम्बई

दिनांक 13 सितम्बर, 1985 को बैंक आफ बड़ौदा की ओर से बम्बई में हिन्दी दिवस समारोह मनाया गया। समारोह का उद्घाटन भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यकारी निदेशक श्री यु० के० शर्मा ने किया। अपने बैंक की संस्था-पत्रिका "दि बैंक आफ बड़ौदा न्यूज" के हिन्दी दिवस विशेषांक का विमोचन भी इस अवसर पर किया। बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री प्रमजीत सिंह समारोह के अध्यक्ष थे।

समारोह के प्रारंभ में बैंक के महाप्रबंधक श्री जे० एन० दौलतजादा ने आमंत्रित अतिथियों का स्वागत करते हुए बैंक में हिन्दी के प्रयोग की प्रगति की जानकारी दी।

अपने उद्घाटन भाषण में श्री यु०के० शर्मा ने कहा कि हिन्दी को सरकार की राजभाषा के रूप में मान्यता मिली है और यह बैंकों की जिम्मेदारी है कि वे इसे पूरी तरह से निभायें और अपने रोजमर्रा के कामकाज में हिन्दी का अधिक से अधिक उपयोग करें।

इस अवसर पर "हिन्दी-राष्ट्रीय एकता की कड़ी" विषय पर विचार गोष्ठी आयोजित की गयी जिसकी शुरूआत करते हुए अध्यक्षीय वक्तव्य के तौर पर समारोह के अध्यक्ष श्री प्रेमजीत सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय एकता आज की हमारी एक बहुत बड़ी जरूरत है और राजभाषा तथा सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी देश की बहुभाषी संरचना में आत्मीयता

और सद्भाव बढ़ाते हुए देश की अखंडता और एकता को मजबूत आधार दे सकती है। आपने कहा कि साहित्य मनुष्य की भावनाओं से सम्बद्ध होता है, इसलिए भाषाओं से परे भी वह प्रेम और सद्भाव का वातावरण पदा करने में सक्षम होता है। हिन्दी के प्रचार-प्रसार से जुड़े लोगों को अपनी इस अहम जिम्मेदारी को उत्तरदायित्व पूर्ण ढंग से निभाना चाहिए। विचार गोष्ठी के अन्य वक्ता थे–नरसी मूनजी इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट स्टडीज, बम्बई क निदशक प्रोफेसर वाय० के० भूषण, आकाश वाणी बम्बई के निदेशक श्री मुरली मनोहर मंजुल और नवभारत टाइम्स बम्बई के सम्पादक श्री सुरेंद्र प्रताप सिंह। गोष्ठी के वक्ताओं ने इस बात पर बल दिया कि हिन्दी को आम आदमी की जबान से जोड़ने के लिए भाषिक शुद्धता का आग्रह छोड़ना चाहिए और देसी-विदेशी भाषाओं के वे शब्द जो जन-सामान्य में प्रचलित हैं, उन्हें खुलेपन से अपना लेना चाहिए। बैंकिंग, प्रशासन और विधि के क्षेत्रों के अनुवाद के रूप में एक नकली भाषा हिन्दी की प्रगति में बाधक बन सकती है। भाषा व्यवहार में सहजता और खुलापन जिस आत्मीय वातावरण का निर्माण करेगा वह राष्ट्रीय एकता के लिए एक मजबूत आधार होगा।

इस अवसर पर बैंक द्वारा आयोजित विभिन्न साहित्यिक-सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं के विजेताओं को मुख्य अतिथि श्री यू०के० शर्मा के हाथों पुरस्कार भी प्रदान किए गए।

–डा० सोहन शर्मा
प्रभारी अधिकारी

16 आकाशवाणी, पोर्टब्लेयर

गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी आकाशवाणी, पोटब्लेयर में हिन्दी दिवस और हिन्दी सप्ताह का आयोजन 13 सितम्बर से 19 सितम्बर, 1985 तक किया गया। इस दौरान हिन्दी का कायक्रम साधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों को प्रतिदिन किसी ने किसी फाइल पर एक दो छोटी-छीटी टिप्पणियां हिन्दी में लिखने तथा हस्ताक्षर हिन्दी म करने के निदेश तो दिए ही गए साथ ही दिनांक 18-9-85 को केन्द्र में हिन्दी टिप्पण और आलखन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया जिसमें हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले तथा हिन्दी में प्रवीनता प्राप्त अहिन्दी भाषी कर्मचारियों ने भाग लिया।

पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन दिनांक 21-9-85 को आकाशवाणी केन्द्र ने हुआ। केन्द्र अभियन्ता श्री प्रशान्त कुमार मुखोपाध्याय ने प्रतियोगियों को पुरस्कार और प्रमाण-पत्र प्रदान किए और उन्हें उनकी सफलता पर बधाई देते हुए यह आशा व्यक्त की कि कमचारीगण अपनी उपलब्धियों को पुरस्कार तक ही सीमित न रखकर प्रतिदिन एक दो लाइनें लिखकर थोड़ा बहुत काम हिन्दी में भी करने की शुरूआत करेंगे ताकि शनै-शनै कार्यालय में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा मिल सके। वैसे इस विषय में कुछ प्रगति हुई है। पिछले वर्ष केन्द्र अभियन्ता ने इस अवसर पर कर्मचारियों को सझाव दिया था कि आकस्मिक अवकाश और गाड़ी मांग क आवदन हिन्दी में प्रस्तुत करें। इसका पालन किया जा रहा है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि केन्द्र के पुस्तकालय में सरल हिन्दी लिखी कुछ ऐसी पुस्तकें भी मंगायी जाएं जिन्हें पढ़कर अहिन्दी भाषी कर्मचारी हिन्दी का आरम्भिक ज्ञान प्राप्त कर सक।

–आनन्द वल्लभ शर्मा "सरोज"
हिन्दी अधिकारी
आकाशवाणी, पोर्टब्लेयर

17 पंजाब नैशनल बैंक, अहमदाबाद

14 सितम्बर को पंजाब नेशनल बैंक अहमदाबाद द्वारा आयोजित हिन्दी दिवस समारोह का उद्घाटन करते हुए गुजरात राज्य साहित्य अकादमी के अध्यक्ष श्री भातृ बडोदरिया ने कहा कि हमारे संविधान की व्यवस्थाओं के अनुसार हमें राष्ट्रभाषा हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। आपने कहा कि यह समय की आवश्यकता है कि अब हमें हमारे दैनिक कार्यों में मातृभाषा के साथ-साथ राष्ट्रभाषा का प्रयोग बढ़ावें। श्री वडोदरिया ने बतायां कि अपनी भाषा का सम्मान यदि हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? बैंकों द्वारा हिन्दी के प्रयोग बढ़ाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए आपने कहा कि मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि पंजाब नेशनल बैंक राष्ट्रीय नीतियों को अक्षरश: पालन करके अन्य बैंकों के सामने उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है, जो सराहनीय है।

पंजाब नेशनल बैंक के क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री पी. एस. अस्थाना ने अतिथि विशेष का स्वागत करते हुए कहा कि पंजाब नेशनल बैंक सरकार की प्रत्येक नीति की अनुपालन सुनिश्चित करता है जिसका परिणाम है कि हमारा बैंक प्रथम स्थान वाला बैंक है। श्री अस्थाना ने इस अवसर पर बताया कि भारतीय रिर्जव बैंक द्वारा हिन्दी के काम को बढ़ाने हेतु एक प्रतियोगिता रखी है। "ख" क्षेत्र की इस प्रतियोगिता में बैंक को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। बैंक को यह स्थान दिलाने में गुजरात क्षेत्र की भूमिका सराहनीय रही थी। श्री अस्थाना ने बताया कि पंजाब नेशनल बैंक पूरे गुजरात में दिनांक 9-9-85 से 14-9-85 तक हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया गया था। इस सप्ताह के दौरान हिन्दी प्रश्न प्रतियोगिता का भी आयजन कियां गया था। श्री अस्थाना ने बैंक में हिन्दी प्रयोग की विभिन्न योजनाओं की चर्चा करते हुए कहा कि शाखाओं में हिन्दी में काम करने की स्पर्धा रहे इस दृष्टि से वार्षिक आधार पर श्रष्ठ शाखा प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है।

इस अवसर पर हिन्दी प्रश्न प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार तथा बैंक कर्मियों द्वारा हिन्दी की विभिन्न परीक्षाएं उत्तीर्ण करने पर प्रमाण-पत्र मी वितरित किए गए। इस समारोह में बैंक कर्मचारियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में गीत-संगीत तथा प्रहसन आदि का भी पदर्शन किया गया।

–डा. विनोद दीक्षित
सहायक प्रबन्धक

18 आयकर आयुक्त का कार्यालय, नागपुर

इस वर्ष आयकर विभाग में "हिन्दी सप्ताह" नागपुर, अमरावती और अकोला इन प्रमुख स्थानों पर विशेष उत्साह के साथ मनाया गया।

नागपुर में 16-9-85 को आयकर आयुक्त जी की अध्यक्षता में आयकर भवन में "वादविवाद प्रतियोगिता" का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयकर आयुक्त श्री केदार नाथ जी ने अध्यक्षीय भाषण में बताया कि हिन्दी का प्रयोग विभाग के सभी क्षेत्रों में निश्चय ही बढ़ रहा है और हमें अपने दनिक कार्यों को निपटाने में हिन्दी का प्रयोग बिना किसी भय के अधिक से अधिक करना चाहिए। दिनांक 19-9-85 को आयकर आयुक्त श्री केदार नाथ जी, प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में होने वाले राजभाषा सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली आमंत्रित किए गये।

अमरावती

आयकर कार्यालय अमरावती में प्रथम आयकर अधिकारी श्री मामराज सिंह, भा. रा. से. एवं सभी अधिकारी व कर्मचारियों के सहयोग से हिन्दी सप्ताह का कार्यक्रम मनाया गया जिसमें हिन्दी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, हिन्दी वाक प्रतियोगिता इत्यादि का आयोजन किया गया। हिन्दी सप्ताह समापन का कार्यक्रम ता. 20 सितम्बर, 1985 को इंदिरा बेन कापडिया सभागृह, मनीबाई गुजराती हाईस्कुल, अंबापेठ, अमरावती में श्री के. के. नायडू, आई. ए. एस. प्रशासक, महानगरपालिका अमरावती की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में श्री शिवाजी कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, अमरावती के प्राध्यापक श्री पद्मचंद जैन उपस्थित थे। आपने हिन्दी भाषा के प्रयोग के सम्बन्ध में सभी को समझाया तथा इस अवसर पर प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए।

अकोला

इसी के साथ, अकोला परिक्षेत्र में श्री प्र. च. छोटराय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अकोला रेंज, अकोला द्वारा "वादविवाद प्रतियोगिता" तथा "निबंध प्रतियोगिता" आयोजति की गई। वाद-विवाद का विषय था–"कार्यालयों में क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग उचित है" तथा निबंध प्रतियोगिता का विषय था, आयकर बचत पूर्ति के प्रभावकारी उपाय। इन प्रतियोगिताओं को सफल बनाने मे अकोला के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

19 भारतीय जीवन बीमा निगम, नागपुर मंडल

प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी नागपुर मंडल में हिन्दी सप्ताह दिनांक 14 सितंबर से 21 सितंबर, 1985 तक मनाया गया। इस सप्ताह में सातों दिन विभिन्न कार्यक्रम किये गए। दिनांक 9 सितंबर से चली रही 12 वीं हिन्दी कार्यशाला का समापन भी सप्ताह के समापन के दिन ही किया गया।

हिन्दी सप्ताह का समापन आकाशवाणी, नागपुर के केन्द्र निदेशक तथा प्रसिद्ध साहित्यकार डा. महावीर सिंह के द्वारा हुआ। समापन करते हुए डा. महावीर सिंह ने कहा कि सप्ताह के समापन का अर्थ समाप्त करना नहीं अपितु उस कार्य को नए सिरे से आरंभ करना होता है उन्होंने कहा कि हिन्दी ही एक ऐसी भाषा है जो संपूर्ण भारतवर्ष की संपर्क भाषा बन सकती है तथा विश्व की अन्य भाषाओं से अधिक सक्षम व सरल है। उन्होंने नागपुर मंडल में चल रहे हिन्दी कार्य की भूरि भूरि प्रशंसा की तथा नागपुर के अन्य कार्यालयों को जीवन बीमा निगम से चेतना लेने का आव्हान किया। उन्होंने मंडल की कार्यशाला प्रशिक्षनार्थियों व हिन्दी शिक्षण योजना की परीक्षाओं में उत्तीर्ण कर्मचारियों को प्रमाण-पत्र तथा हिन्दी सप्ताह के दौरान हुई प्रतियोगिताओं के विजेताओं को कद पुरस्कार तथा प्रमाण-पत्र बांटें।

समारोह की अध्यक्षता करते हुए नागपुर के मंडल प्रबंधक श्री के. विनातू ने विजेताओं व परीक्षार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि वे कार्यशाला तथा परीक्षाओं में प्राप्त ज्ञान का उपयोग कार्यालय के कामकाज में करें। उन्होने कहा कि कर्मचारियों के हिन्दी के प्रति उत्साह के कारण ही नागपुर मंडल को जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष की "ख" क्षत्रीय "हिन्दी शील्ड" लगातार तीसरी बार प्राप्त हुई। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि हिन्दी के काय को आगे बढ़ाने के लिये नागपुर मंडल कृत संकल्प है तथा वह इस दिशा में आगे भी प्रयत्न करता रहेगा। उन्होंने मंडल के सभी कर्मचारियों तथा अधिकारियों को हिन्दी में रूचि के लिये धन्यवाद दिया।

भाषा सहायक श्री ज्ञान प्रकाश तिवारी ने नागपुर मंडल में चल रहे हिन्दी कार्य के बारे में बतलाते हुए कहा कि मंडल में अब तक 90 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर चुके हैं। इनके लिये प्रत्येक वर्ष कम से कम 3 पूर्णकालीन कार्यशालाएं ली जाती हैं। नागपुर मंडल को नागपुर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा जीवन व आम बीमा निगमों का समन्वयक बनाया गया है तथा उनकी भी मिली जुली बैठक हाल ही में ली गई है।

हिन्दी सप्ताह के दौरान निम्नलिखित कार्यक्रम किये गए :—

14 सितंबर 1985 को "हिन्दी दिवस" के दिन कर्मचारियों के लिये एक विशेष परिपत्र जारी किया गया जिसमें हिन्दी के महत्व को बतलाकर कर्मचारियों से हिन्दी में अधिक से अधिक कार्य करने का आग्रह किया गया।

सोमवार दिनांक 16-9-1985 को हिन्दी निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें श्रीमती मंगला महाकालकर प्रथम, कु. माधुरी जोशी द्वितीय तथा श्री सुधाकर धाकतोड तृतीय स्थान पर रहे।

मंगलवार दि. 17-9-85 को हिन्दी टिप्पण व प्रारूप लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें श्री ना. खु. धारकर प्रथम, श्रीमती महाकालका द्वितीय तथा श्री फडनवीस तृतीय स्थान पर रहीं। इस सब प्रतियोगिताओं को नगद पुरस्कार तथा प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए। इनके अतिरिक्त चोथे तथा पांचवे स्थान पर आए प्रतियोगियों को प्रमाण-पत्र दिए गए।

शुक्रवार दि. 20-9-85 को मंडल के ही कमचारियों द्वारा एक विविध मनोरंजन का कार्यक्रम पेश किया गया।

शनिवार दि. 21-9-85 को हिन्दी सप्ताह व कार्यशाला समापन समारोह हुआ। इसी दिन कर्मचारियों के बच्चों द्वारा एक विविध मनोरंजन का कार्यक्रम पेश किया जिसमें पाडंवकर बंधुओं ने उत्कृष्ठ कार्यक्रम पेश किया।

–सु. राव
सहायक प्रशासन अधिकारी (राका)

20 युनियन बैंक ऑफ इण्डिया, बैंगलूर

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने सरकार की राजभाषा नीति के सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, अंचलीय कार्यालय, बेंगलूर को वर्ष 1984-85 के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया है, यह निर्णय नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है।

पुरस्कार वितरण के लिए दिनांक 27-9-85 को त्रिवेन्द्रम में राजभाषा सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें श्री वसंत डी होस्कोटे

सहायक महाप्रबंधक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बेंगलूर ने केरल विधान सभा के माननीय अध्यक्ष श्री सुधीरन के हाथों से ट्राफी ग्रहण की।

उल्लेखनीय है कि बेंगलूर में 100 से भी अधिक केन्द्रीय सरकार के कार्यलय, सरकारी उपक्रम तथा राष्ट्रीयकृत बैंक स्थित हैं तथा इन सब में से यूनियन बैंक आफ इंडिया के अंचलीय कार्यालय की प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने का श्रेय मिला है।

—के. एम. एस. बाबूगुप्ता
मुख्य प्रबंधक

21 कोयला खान श्रमिक कल्याण संस्था, धनबाद

कोयला खान श्रमिक कल्याण संस्था के मुख्य कार्यालय में दिनांक 16-9-85 को हिन्दी दिवस समारोह मनाया गया। सस्थान के उप-कल्याण आयुक्त एंव राजभाषा अधिकारी श्री तारा चन्द जोशी ने समारोह की अध्यक्षता की तथा सहायक कल्याण आयुक्त श्री आधा शरण सिंह ने इस पुनीत का संचालन किया। इस आयोजन का प्रारंभ "निराला जी" की वीणा वादिनी सरस्वती वंदना से किया गया। समारोह का उद्घाटन करते हुए श्री जोशी ने हिन्दी के महत्व पर विस्तृत प्रकाश डाला और कहा कि हिन्दी ही एक ऐसी समर्थ सम्पर्क भाषा है जो देश की अखण्डता एवं एकता बनाए रखने में सक्षम है। इस समारोह में संस्था के हिन्दी तथा अहिन्दी भाषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। इस वर्ष के समारोह में पी. के. राय मेमोरियल कालेज, धनबाद के डा. (प्रो.) के. बी. मिश्र, प्रो. के.पी. पाण्डेय, झरिया आर. एस. पी. कालेज के डा. (प्रो.) मृत्युंजय उपाध्यक्ष श्री पी.आर. सिंह उपस्थित थे। कार्यक्रम प्रारंभ करने के पहले सहायक कल्याण आयुक्त श्री आधा शरण सिंह ने हिन्दी दिवस की सार्थकता पर प्रकाश डालते हुए संस्था में हिन्दी की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि संस्था में दिनांक 1-1-85 से लागू की गई सरकारी कामकाज में मूल हिन्दी टिप्पण/आलेखन प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत सर्फ मुख्य कार्यालय में अब तक हिन्दी के 2,64,000 शब्द टिप्पण वं आलेखन के माध्यम से प्रयुक्त किए गए, जिनमें अहिन्दी भाषी कर्मचारी श्री मूनीखल हसन ने 1,06,856 शब्दों को लिख कर एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है।

उक्त समारोह के दौरान एक वाक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें संस्था के हिन्दी तथा हिन्दी भाषी कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने राष्ट्रभाषा हिन्दी या साहित्यिक, सामाजिक, शैक्षिक, वैज्ञानिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक तथा नैतिकता जैसे विषेयों पर 5 मिनट तक अपने विचार व्यक्त किए। इन प्रतियोगिता में अनेक हिन्दी भाषी एवं अहिन्दी भाषी कर्मचारियों ने भाग लिया। इस पुरस्कार प्रतियोगिता में हिन्दी भाषी श्री एल. दयाल एवं अहिन्दी भाषी सर्व श्री सलीम अहमद तथा एम.पी. राव विजयी रहे, जिन्हें सर्वश्रेष्ठ वक्ता पुरस्कार के अन्तर्गत फादर कामिल बुल्के के अंग्रेजी-हिन्दी शब्द कोश से पुरस्कृत किया गया। समारोह के अध्यक्ष तथा उपकल्याण आयुक्त श्री जोशी ने इन्हें पुरस्कार प्रदान किए।

इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए प्रो. पांडेय ने सरकारी, कार्यालयों में हिन्दी की प्रगति के लिए यह आवश्यक बताया कि कर्मचारी एवं अधिकारीगण कभी भी अंग्रेजी में चिंतन करके हिन्दी में लिखने का प्रयास न करें, वे जो कुछ भी लिखे मूल रूप से हिन्दी में सोच और उसी को लिखें।

—तारा चन्द जोशी
उप आयुक्त कल्याण एवं
राजभाषा अधिकारी

22 हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन, कलकत्ता

हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि., के मुख्यालय में 16 सितम्बर 1985 को अपराह्न 3.00 बजे "हिन्दी दिवस" समारोह का आयोजन बड़े ही उत्साह और उल्लास के साथ किया गया। विशिष्ट अतिथि सुश्री गीता बनर्जी, उप निदेशक (पूर्व) हिन्दी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, कलकत्ता ने हिन्दी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए हिन्दी को एक अत्यन्त लोकप्रिय भाषा बताया। आपने कहा कि संविधान सभा ने 14 सितम्बर को हिन्दी को भारतीय संघ की राजभाषा घोषित किया था और तब से इस दिन को "हिन्दी दिवस" के रूप में मनाया जाता है। संविधान में 15 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ये सभी भाषाएं अपने-अपने राज्यों में मुख्य स्थान रखतीं हैं और प्रांतीय स्तर पर राज्य सरकारों के प्रशासन का काम इन्हीं भाषाओं में होना है। केन्द्र और राज्यों के साथ पत्र-व्यवहार के लिए एवं संघ के प्रशासनिक काम-काज के लिए सभी लोगों ने हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। ऐसा इसलिए किया गया कि बहुसंख्यक लोग इस भाषा को समझ लेते हैं। हम सब केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी अपने-अपने कार्यालयों में अपना काम हिन्दी में करें यह हमारा कर्त्तव्य है।"

समारोह के मुख्य अतिथि मेजर जनरल सम्पूरण सिंह अयलूवालिया ने कहा कि "हमारे मन में अपनी राजभाषा हिन्दी के प्रति सम्मान और आदर का भाव होना चाहिए। राजभाषा समुचित स्थान तभी पा सकती है जब सभी लोग उसके महत्व को समझें और उसको खुशी से अपना लें। सभी लोगों की यह कोशिश होनी चाहिए कि थोड़ा बहुत कामकाज हिन्दी में करें, अगर हिन्दी नहीं जानते हों तो सीखें और अपने बच्चों को हिन्दी सिखावें। हिन्दी को अपनाने से राष्ट्रीय एकता और अधिक मजबूत होगी, देश और आगे बढ़ेगा। मेजर जनरल अहलु-वालिया, जो कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक भी हैं, ने सरल औत सुबोध हिन्दी के प्रयोग पर विशेष बल देते हुए कहा कि हमें बोल-चाल में और लिखने में सरल और सुबोध भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि लोगों का झुकाव हिन्दी में बढ़े और हिन्दी की लोकप्रियता सतर बढ़ती रहे।"

कार्यक्रम का प्रारम्भ प्रतिष्ठान के श्री उज्जवल सेन गुप्ता, प्रभागीय अभियंता द्वारा "बन्दे मातरम्" गीत के साथ हुआ। तत्पश्चात कार्यकारी महाप्रबंधक (का. और प्र.) श्री विद्याकर मिश्र ने उपस्थित विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि व अन्य कर्मचारियों का स्वागत करते हुए हिन्दी के अखिल भारतीय स्वरूप पर प्रकाश डाला। आपने बताया कि हिन्दी की लहर बढ़ रही है। हम देश के किसी भी हिस्से में जाएं यह देखने को मिलता है कि हिन्दी ही वह भाषा है जिसके जरिए सभी लोग आपस में विचारों का आदान-प्रदान आसानी से कर लेते हैं।"

इस अवसर पर कंपनी के अध्यक्ष मेजर जनरल एस. एस. अहलू-वालिया ने हिन्दी प्रबोध प्रवीण और प्राज्ञ परीक्षाओं में उत्तीर्ण मुख्यालय

के अनेक कर्मचारियों को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय से प्राप्त प्रमाणपत्रों का वितरण भी किया।

अहिन्दी भाषा कर्मचारियों द्वारा हिन्दी में देशभक्ति गीतों का गायन समारोह का मुख्य आकर्षण रहा। उत्कृष्ट गायन के लिए सर्वश्री सेनगुप्ता, मुकुन्द सरकार और के० पी० बनर्जी को क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। तदन्तर समारोह के अध्यक्ष व प्रतिष्ठान के निदेशक (वित्त) श्री प्राण गोपाल बासु ने हिन्दी को सशक्त और सार्वधिक लोकप्रिय भाषा" बताते हुए कंपनी के कार्यालयों में "हिन्दी के प्रयोग को अधिक से अधिक बढ़ाते रहने" की आवश्यकता पर बल दिया। अपने इस आयोजन पर प्रसन्नता प्रकट करते हुए सुन्दर कार्यक्रमों के लिए "हिन्दी सेल" को धन्यवाद दिया।

कंपनी की भिलाई, विशाखापट्टनम, बोकारो, दुर्गापुर, राउरकेला तांडूर, केडला आदि इकाइयों पर हिन्दी दिवस समारोह का आयोजन 14 सितम्बर, 1985 को बड़े ही उत्साह के साथ किया गया। इस अवसर पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने हाजिरी रजिस्टरों पर अपने-अपन हस्ताक्षर हिन्दी में किए। कुछ चुनी हुई फाइलों पर टिप्पणियां भी हिन्दी में लिखी गईं। फाइलों पर विषय हिन्दी में लिखे गए। अनेक इकाइयों पर विभिन्न विभागों में हिन्दी की मोहरों का इस्तेमाल किया गया। मुख्यालय में जो "ग" क्षेत्र में स्थित हैं, अनेक अहिन्दी भाषा-भाषी कर्मचारियों ने छुट्टी आदि के आवेदन पत्र हिन्दी में प्रस्तुत किए। कंपनी की विशाखापट्टनम इकाई पर इस अवसर पर बाहर भेजे जाने वाले लिफाफों पर "हिन्दी राष्ट्रीय एकता की कड़ी है" यह उक्ति छपवाई गई। कई इकाइयों पर हिन्दी दिवस का आयोजन समारोह मनाया गया।

—राकेश रंजन मिश्र
सहायक राजभाषा अधिकारी

23 सिंडीकेट बैंक, कलकत्ता

संविधान सभा द्वारा 14 सितम्बर, 1949 को भारत संघ के कामकाज में व्यवहार के लिए हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने के दिन को स्मरण रखने तथा अपने कर्मचारियों में हिन्दी के प्रति अभिरुचि पैदा करने के उद्देश्य से इस कार्यालय में विगत 14 सितम्बर, 1985 को "हिन्दी दिवस" समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता कार्यालय प्रधान श्री एम. जी. भट्ट, सहायक महाप्रबंधक ने की।

सिंडीकेट बैंक, कलकत्ता में आयोजित हिन्दी दिवस के अवसर पर भाषण देते हुए बैंक के सहायक महाप्रबन्धक श्री एम. जी. भट्ट

सिंडीकेट बैंक के महाप्रबंधक श्री मनमोहन शेणाई समारोह में मुख्य अतिथि थे। डा० राधेश्याम पाण्डेय, प्रवक्ता, हिन्दी विभाग, साउथ सिटी कॉलेज, कलकत्ता, समारोह में प्रधान वक्ता थे। श्री के० रंगास्वामी, उप-महाप्रबंधक, प्रधान कार्यालय, श्री के० के० मण्डल, अध्यक्ष सिंडिकेट बैंक कर्मचारी संघ एवं श्री यू० पी० सेठ, महासचिव, सिंडिकेट बैंक कर्मचारी संघ भी समारोह में मंच पर उपस्थित थे। सर्वप्रथम उपस्थित अतिथियों का उनके परिचय के साथ फूलमाला प्रदान कर हार्दिक स्वागत किया गया। कार्यालय के उप-प्रभागीय प्रबंधक श्री सुशांत पाल ने उपस्थित कर्मचारियों तथा अतिथियों का हार्दिक स्वागत करते हुए उनसे बैंक के कामकाज में हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग के लिए आग्रह किया। इसी अवसर पर हिन्दी निबंध लेखन प्रतियोगिता के प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार विजेता कर्मचारी क्रमशः श्री बिरेन्द्र हरिजन, श्री महेशचन्द्र पाठक तथा श्री मुक्तिनाथ कुंवर को मुख्य अतिथि महोदय ने पुरस्कार की वस्तुएं प्रदान कीं। समारोह के प्रधान वक्ता डा० राधेश्याम पाण्डेय ने राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता में हिन्दी के महत्व एवं योगदान पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि श्री मनमोहन शेणाई, महाप्रबंधक ने बैंक के कामकाज में हिन्दी के प्रयोग के महत्व पर बल देते हुए कहा कि जहां जनता आर्थिक विकास के कार्यक्रमों के लिए सहायता के वास्ते बैंकों की ओर देखती है, वहीं वह बैंकों के काम काज में जनभाषा के प्रयोग की अपेक्षा भी करती है। समारोह के

अध्यक्ष श्री एम० जी० भट्ट, सहायक महाप्रबंधक ने समारोह के आयोजन पर अपना हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि हमारे देश के संविधान में हिन्दी को इस देश की राजभाषा का दर्जा प्राप्त है । अतः हमारी यह राष्ट्रीय जिम्मेदारी है कि हम बैंक के कामकाज में हिन्दी का प्रयोग करें।

—विश्वम्भर नाथ दूबे
राजभाषा अधिकारी, आंचलिक कार्यालय
कलकत्ता

24 लोहा और इस्पात नियंत्रण, कलकत्ता

इस कार्यालय के अहिन्दी भाषी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग संबंधी आदेशों की जानकारी देने तथा उनमें हिंदी में कार्य करने की रुचि विकसित करने के व्यापक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए दिनांक 25 सितम्बर, 1985 को डा० सुभाष चन्द्र मजूमदार, संयुक्त लोहा और इस्पात नियंत्रक की अध्यक्षता में "हिन्दी दिवस समारोह" का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पश्चिम बंगाल के लोक-शिक्षा निदेशक तथा पदेन शिक्षा सचिव डा० मुनीश्वर झा, डी० लिट् (पेरिस) तथा विशेष अतिथि के रूप में हिन्दी शिक्षण योजना (पूर्वी क्षेत्र) कलकत्ता की उप-निदशिका, कु० गीता बर्नर्जी उपस्थित थीं । इस समारोह में कार्यालय के प्रायः सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने भाग लिया।

समारोह का शुभारम्भ श्री स्वपन बनर्जी, श्री गोपाल चक्रवर्ती, कु० शिप्रा चन्दा, श्रीमती केया घोष के गाये मंगलाचरण से हुआ । कार्यक्रम के आरंभ में श्री धीरेन्द्र कुमार झा, हिन्दी अधिकारी ने उपस्थित श्रोताओं का स्वागत करते हुए समग्र लोहा और इस्पात नियंत्रण के कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की दिशा में हुई प्रगति पर प्रकाश डाला । इस अवसर पर प्रवीण/प्राज्ञ उत्तीर्ण करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को मुख्य अतिथि के करकमलों द्वारा प्रमाण-पत्र, नकद पुरस्कार तथा एकमुश्त पुरस्कार भी प्रदान किए गए । प्रवीण परीक्षा विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण करने के उपलक्ष्य में नकद तथा एकमुश्त पुरस्कार प्राप्त करने वालों में समारोह क अध्यक्ष डा० सुभाष चन्द्र मजूमदार, संयुक्त नियंत्रक, श्री सनत कुमार सिन्हा, उप-नियंत्रक तथा बासुदेव देब, उप-नियंत्रक भी थे । कु० गीता बनर्जी, उप-निदेशक हिन्दी शिक्षण योजना (पूर्वी क्षेत्र) ने अपने भाषण में कर्मचारियों के साथ-साथ राजपत्रित अधिकारियों द्वारा हिन्दी परीक्षाएं उत्तीर्ण करके नकद पुरस्कार, एकमुश्त पुरस्कार तथा प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की घटना को अपने लिए प्रीतिकर अनुभव बताया तथा इस पर विशेष प्रसन्नता व्यक्त की । उन्होंने कर्मचारियों से आग्रह किया कि वे बिना किसी संकोच के बोलचाल की हिन्दी में अपना सरकारी कामकाज करने की आदत डालें तथा अंग्रेजी के मुखापेक्षी न बनें ।

इस समारोह में "राजभाषा के रूप में हिन्दी का भविष्य" विषय पर अपने विचार व्यक्त करने वालों में सर्वश्री जे० एल० बोस, क्षेत्रीय लोहा और इस्पात नियंत्रक, कलकत्ता श्री स्वपन बनर्जी, निरीक्षक के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं ।

श्री जे० एल० बोस ने राजभाषा के रूप में हिन्दी की आवश्यकता को अपरिहार्य बताया जबकि श्री स्वपन बनर्जी का कहना था कि थोड़ी-बहुत हिन्दी हम सबको आती है तथा हमारी मातृभाषा से इसका घनिष्ठ संबंध भी है । अतः अंग्रेजी से हिन्दी में अपना सरकारी कामकाज करना अपेक्षाकृत सहज, सरल तथा सुकर है । मुख्य अतिथि डा० मुनीश्वर झा ने हिन्दी को गंगा के समान पवित्र बताते हुए कहा कि यह हमारी सामाजिक संस्कृति की अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम है । उन्होंने इस कार्यालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों में हिन्दी सीखने तथा हिन्दी का व्यवहार करने के प्रति उनके स्वाभाविक उत्साह की भूरि-भूरि प्रशंसा की । डा० सुभाष चन्द्र मजूमदार ने अपने अध्यक्षीय भाषण में इस कार्यालय में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए निकट भविष्य में किए जाने वाले विशेष उपायों का जिक्र करते हुए कहा कि हिन्दी सम्प्रेषणीयता की दृष्टि से सबसे अधिक जानदार भाषा है । अतः इसको सीखने में हमें अरुचि नहीं दिखानी चाहिए । हिन्दी अधिकारी ने समारोह का संचालन किया तथा समागत अतिथियों तथा कार्यालय-परिवार के उपस्थित सभी सदस्यों के प्रति आभार-ज्ञापन किया ।

—दीपंकर कीर्ति
उप लोहा और इस्पात नियंत्रक, कलकत्ता

25 मुरगांव पत्तन न्यास

मुरगांव पत्तन न्यास और मुरगांव गोदी श्रम मण्डल द्वारा संयुक्त रूप में दिनांक 25 सितम्बर, 1985 को शाम 6.00 बजे "सायंतारा" आडिटोरियम में हिन्दी दिवस मनाया गया । इस समारोह के प्रमुख अतिथि थे श्री शक्ति सिन्हा, जिलाधीश, गोवा, दीव और दमन। समारोह का आरंभ प्रार्थना गीत से हुआ । इस समारोह में मुरगांव पत्तन न्यास तथा मुरगांव गोदी श्रम मण्डल के अध्यक्ष श्री सिसिल नरोन्हा, मुरगांव गोदी श्रम मण्डल के उपाध्यक्ष श्री ए० ओंकारप्पा मुरगांव पत्तन न्यास के सचिव श्री एम० एल० चन्द्रकीर्ति तथा मुरगांव पत्तन न्यास के उप-सचिव श्री अरविंद गाडगील भी उपस्थित थे।

श्री एस० ई० राव, हिन्दी अधिकारी, मुरगांव पत्तन न्यास ने अपने स्वागत भाषण में बताया कि मुरगांव पत्तन न्यास और मुरगांव गोदी श्रम मण्डल दोनों कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी को सफल रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है । आगे उन्होंने कहा कि विभिन्न कार्यालयों के बीच तथा बाहरी लोगों के साथ होने वाले पत्राचार में भी हिन्दी का प्रयोग आरंभ किया जाएगा ।

समारोह के प्रमुख अतिथि ने अपील की कि हिन्दी ज्ञान प्राप्त करने के लिए हिन्दी पुरस्कार योजना का ठीक-ठीक उपयोग करें ।

श्रीमती सुरभि सिन्हा, जिलाधीश की पत्नी के कर-कमलों से इस अवसर पर आयोजित हिन्दी कथा-कथन, निबन्ध-लेखन, पत्र-लेखन तथा मसौदा-लेखन प्रतियोगिताओं विजयी कर्मचारियों को पुरस्कार तथा प्रमाण-पत्र वितरित किए गए ।

श्री अरविंद गाडगील, उप-सचिव, मुरगांव पत्तन तथा सर्वकार्यभारी अधिकारी, हिन्दी शिक्षण योजना ने अपने धन्यवाद प्रस्ताव में कहा कि वास्को में स्थित सभी सरकारी तथा सरकारी उपक्रमों के कार्यालयों को चाहिए कि वे मुरगांव, हारबर में हिन्दी शिक्षण योजना के तहत चल रही हिन्दी प्रबोध प्रवीण, तथा प्राज्ञ की कक्षाओं का पूरा-पूरा लाभ उठाएं ।

अंत में दोनों कार्यालयों के कर्मचारियों ने हिन्दी गीत कार्यक्रम प्रस्तत किए ।

—एस० ई० राव
हिन्दी अधिकारी

26 संघ शासित प्रदेश, दादरा एवं नागर हवेली सिलवासा

"हिन्दी सरकार द्वारा जनता पर लादी गई भाषा नहीं अपितु जनसामान्य द्वारा स्वेच्छा से अपनाई गई भाषा है जिसे सरकार ने स्वीकारकिया है"—यह कहना है प्रख्यात पत्रकार एवं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इण्डिया हन्दी फीचर सेवा के संयोजक—सम्पादक श्री नारायण दत्त जी का। यहां संघ प्रदेश दादरा व नागर हवेली प्रशासन द्वारा आयोजित हिन्दी दिवस के आयोजन के अवसर पर मुख्य अतिथि के पद से बोलते हुए कहे ।

दादरा व नागर हवेली में पहली वार हिन्दी दिवस का उत्साहपूण अयोजन किया गया । इसमें बम्बई से भी नारायण दत्त (जो 20 वर्ष तक हिन्दी डाईजेस्ट 'नवनीत' के सम्पादक भी रहे हैं) नवभारत टाइम्स के उप-सम्पादक श्री गोविन्द सिंह तथा वलसाड़ में गुजरात विद्यापीठ की हिन्दी परीक्षाओं के प्रतिष्ठाता श्री ईश्वरभाई ठक्कर विशेष रूप से आए थे कार्यक्रम के अध्यक्ष एवं दादरा एवं नागर हवेली प्रशासन के सचिव श्री कृष्णदेव सिंह ने अपने अध्यक्षीय भाषण में प्रदेश में चल रही हिन्दी की प्रगति का उल्लेख किया और सरकारी कामकाज में सरल, जनसामान्य को समझ में आने वाली हिन्दी के बेहिचक प्रयोग का अनुरोध किया । उन्होनेश्री नारायण दत्त के इस कथन का स्वागत किया। कि शुद्ध हिन्दी लिखने के उत्साह में हिन्दी को जनसामान्य से दूर न ले जाया जाए, बल्कि अन्य भाषाओं के प्रचलित शब्दों को भी अपनाकर हिन्दी को समृद्ध किया जाए ।

हिन्दी दिवस पर आयोजित निबंध, टंकण, हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं के विजेताओं को श्री नारायण दत्त के हाथों पुरस्कार दिए गए ।

—के० डी० सिंह
प्रशासन के सचिव, दादरा एवं नागर हवेली

27 दी काटन कार्पोरेशन आफ इंडिया लि० भटिंडा

दी कॉटन कार्पो० ऑफ इण्डिया लि० के शाखा भटिण्डा की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वावधान में 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस का आयोजन किया गया । शाखा प्रबंधक एवं अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने हिन्दी दिवस समारोह का शुभारम्भ करते हुए अपने अध्यक्षीय भाषण में कार्यालय में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग करने पर बल देते हुए कहा कि हमें और भी अधिक कार्य हिन्दी में करना चाहिए उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि हमें अंग्रेजी के प्रति पूर्वाग्रहों को छोड़ देना चाहिए और साथ ही सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपना समस्त कार्य हिन्दी में ही करने का अनुरोध किया । उन्होंने इस बात की ओर भी संकेत किया कि कोई भी भाषा मात्र सरकारी अनुदान अथवा सरकार की ओर से संवैधानिक दर्जा द देने से ही राजभाषा नहीं बन जाती । सरकार भी हम और आप जैसे अधिकारियों और कर्मचारियों की तरह से ही कार्य करती है । इसलिए जब तक हम और आप व्यक्तिगत रूप से यह संकल्प नहीं करते कि आज से अपना अधिकांश कार्य हिन्दी में ही करेंगे तब तक तक हिन्दी की राजभाषा नहीं बना सकते ।

मुख्य वक्ता के रूप में लेखाधिकारी एवं उपाध्यक्ष राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने सरकारी उपक्रमों की राजभाषा हिन्दी में कार्य करने की राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में निगम को तृतीय पुरस्कार प्रदान किए जाने की चर्चा करते हुए कहा कि हमें भी शाखा कार्यालय में हिन्दी में अधिकाधिक कार्य करना चाहिए । इसके साथ ही उन्होंने इस अवसर पर आयोजित कविता/कहानी और भाषाण प्रतियोगिता का भी आरम्भ किया । जिसमें विभिन्न वक्ताओं ने निम्नलिखित विषयों पर संक्षिप्त भाषण दिया :—

राजभाषा हिन्दी के प्रयोग में समस्याएं और उनका समाधान

"सी० सी० आई०" की भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में भूमिका, और

हिन्दी के विकास में हिन्दी चलचित्रों का योगदान आदि ।

प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पाने वाले प्रतियोगियों को शाखा प्रबंधक एवं अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति पुरस्कार प्रदान किए और अपने समापन भाषण में, "हिन्दी" शब्द की व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया कि "हिन्दी" केवल हिन्दुओं की ही भाषा नहीं है अपितु यह समस्त हिन्दुस्तानियों की भाषा है । हिन्दी का यह व्यापक अर्थ ही इस सभी को ग्राह्य होना चाहिए । साथ ही यह विश्वास भी व्यक्त किया कि आगे से हम और भी अपना कार्य अधिकाधिक हिन्दी में ही करेंगे ।

—प्रेमचन्द मिश्र
शाखा प्रबन्धक

28 आयकर आयुक्त, लुधियाना

आयकर विभाग, लुधियाना द्वारा हिन्दी दिवस मनाने हेतु "हिन्दी निवंध लेखन और हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन" प्रतियोगिताओं को आयोजित किया । प्रतियोगियों को पुरस्कृत करने के लिए 16-9-85 को एक समारोह का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता की आयकर आयुक्त (केन्द्रीय), लुधियाना श्री ए० सी० नन्दा ने इस समारोह में आय विभाग, लुधियाना के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हुए । अपने अध्यक्षीय भाषण में श्री नन्दा ने सरकारी कार्य में अधिक से अधिक और सरल हिन्दी के प्रयोग पर बल दिया । श्री बी० एस० दहिया, राजभाषा अधिकारी ने अपने धन्यवाद ज्ञापन में सरकार की हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई भिन्न-भिन्न प्रोत्साहन योजनाओं पर प्रकाश डाला ।

—बी० एस० दहिया
सहायक अधिकारी आयकर कार्यालय,
लुधियाना ।

29 दूरदर्शन केन्द्र, जालंधर

हिन्दी दिवस के उपलक्ष में 13-9-85 को दूरदर्शन केन्द्र, जालंधर में एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता केन्द्र के निदेशक श्री बशीर अहमद भट्ट ने की। समारोह में आमंत्रित अतिथि थे, डा० पदम गुरचरण सिंह, अध्यक्ष हिन्दी विभाग, युनिवर्सिटी कॉलेज, जालंधर और श्री जगदीश चन्द्र, विख्यात हिन्दी लेखक।

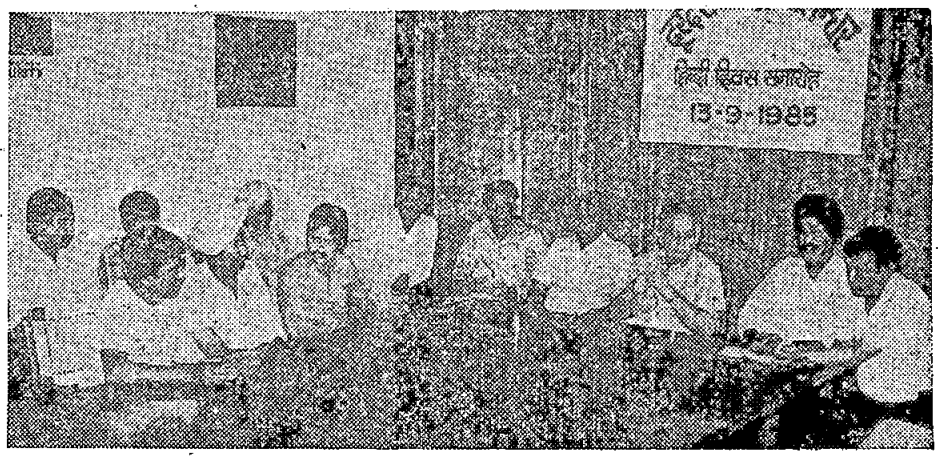

दूरदर्शन केन्द्र, जालन्धर में हिन्दी दिवस के अवसर का एक दृश्य। मध्य में बैठे हैं, केन्द्र निदेशक श्री बशीर अहमद भट्ट

2. प्रतियोगिताओं में पुरस्कार प्राप्त करने वालों की सूची :

इस अवसर पर निदेशक, श्री भट्ट ने हिन्दी दिवस के संबंध में अपील जारी करते हुए अपने कर्मचारियों से सरकारी काम में हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिए आग्रह किया। इस आयोजन में चर्चा के दौरान विशेष बल इस बात पर दिया गया कि हिन्दी के इस्तेमाल में जो झिझक है वह काल्पनिक अधिक है, वास्तविक कम जिस प्रकार एक राष्ट्रीय ध्वज है उसी प्रकार देश के लिए अखिल भारतीय संपर्क की एक भाषा हो, इसमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए।

कई वक्ताओं ने इस बात पर विशेष बल दिया कि हिन्दी को अपने विस्तार के लिए सरल और बोलचाल की भाषा के निकट आने का भी लगातार प्रयास करना चाहिए।

हिन्दी दिवस के उपलक्ष में की गई अन्य कार्रवाई का ब्यौरा इस प्रकार है :–

(1) निदेशक महोदय की ओर से हिन्दी में अधिक से अधिक सरकारी कामकाज करने हेतु केन्द्र के कर्मचारियों को एक अपील जारी की गई।

(2) राजभाषा के प्रयोग संबंधी कार्यालय में विभिन्न स्थानों पर पोस्टर लगाए गए।

(3) 13-9-85 को इस केन्द्र के प्रसारण में हिन्दी संबंधी कुछ कैप्शन सम्मिलित किए गए।

(4) उक्त समारोह की कवरेज के कुछ अंश 13-9-85 को दूरदर्शन केन्द्र, जालंधर से प्रसारित समाचार बुलेटिन में शामिल किए गए।

(5) हिन्दी, हिन्दी टंकण, हिन्दी आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त करने तथा हिन्दी में सरकारी कामकाज करने के लिए उपलब्ध विभिन्न पुरस्कारों तथा प्रोत्साहनों के ब्यौरे संबंधी तथा राजभाषा विभाग द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेशों/अनुदेशों की प्रतियां कर्मचारियों की जानकारी के लिए नोटिस बोर्ड पर पुनः लगाई गई।

(ख) हिन्दी वाक प्रतियोगिता

–विश्वमित्र धीर
हिन्दी अधिकारी

30 क्षेत्रीय भविष्य निधि अयुक्त का कार्यालय फरीदाबाद

इस कार्यालय में हिन्दी सप्ताह के आयोजन के दौरान निम्नलिखित कार्य किए गए :—

1. कार्यालय के मुख्य द्वारों पर कपड़े का निम्नलिखित बैनर बनवा कर लगवाया गया :—

"हिन्दी सप्ताह"
(14 सितम्बर से 20 सितम्बर तक)
भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय, हरियाणा
"आइए हिन्दी में पत्र व्यवहार करें।
राष्ट्रभाषा का गौरव बढ़ाएं।"

2. सप्ताह के दौरान कार्यालय से प्रेषित प्रत्येक पत्र तथा लिफाफे पर निम्नलिखित मोहर लगाई गई :—

1. हिन्दी में पत्र व्यवहार का हम स्वागत करते हैं। कृपया हिन्दी में पत्राचार करें।

2. हिन्दी में प्राप्त पत्रों पर तुरन्त कार्यवाही की जाती है।
क्षेत्रीय आयुक्त

3. सप्ताह के दौरान सभी लिफाफों पर पते हिन्दी में लिखे गए।
4. सप्ताह के दौरान लगभग सभी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा पत्रों तथा फाइलों पर हस्ताक्षर हिन्दी में किए गए और नोटिंग कार्य भी अधिकांश हिन्दी में ही किया गया।
5. सप्ताह के दौरान केन्द्रीय कार्यालय से किया जाने वाला पत्राचार अधिकांश हिन्दी में ही किया गया।
6. सप्ताह के दौरान कार्यालय में महान व्यक्तियों की उक्तियों के चार्ट बनवाकर लगवाये गए।
7. 16 सितम्बर, 1985 को कार्यालय में टिप्पण एवं आलेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में 17 कर्मचारियों ने भाग लिया तथा निम्नलिखित को क्रमशः प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय घोषित किया गया :—
   1. श्री प्रताप सिंह लोहमरोड, मुख्य लिपिक—प्रथम
   2. श्री परमेश्वरी लाल, उच्च श्रेणी लिपिक—द्वितीय
   3. श्री कृष्ण लाल परिहार, उच्च श्रेणी लिपिक—तृतीय
8. 17 सितम्बर, 1985 को कार्यालय में निबन्ध प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में 25 कर्मचारियों ने भाग लिया तथा निम्नलिखित को क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय घोषित किया गया :—
   1. श्री कृष्ण लाल परिहार, उच्च श्रेणी लिपिक–प्रथम
   2. श्री परमेश्वरी लाल, उच्च श्रेणी लिपिक–द्वितीय
   3. श्री नरेश चन्द्र, उच्च श्रेणी लिपिक—तृतीय
   4. श्री रणजीत सिंह, उच्च श्रेणी लिपिक—तृतीय
   5. श्री विपिन कुमार गुप्ता, उच्च श्रेणी लिपिक–तृतीय
9. सप्ताह के दौरान इस कार्यालय द्वारा शत-प्रतिशत चैक हिन्दी में जारी किए गए।
10. सप्ताह के दौरान हिन्दी भाषी क्षेत्रों में जाने वाले लगभग सभी तार हिन्दी में भेजे गए।
11. सप्ताह के दौरान कार्यालय का टिप्पण एवं आलेखन से संबंधित अधिकांश कार्य हिन्दी में ही किया।
12. हिन्दी सप्ताह समापन समारोह :

"कार्यालय में 20 सितम्बर को हिन्दी सप्ताह का समापन समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतियोगियों को प्रशस्तिपत्र, एक-एक कार्यालय सहायिका पुस्तक एवं क्रमशः 150/– रु. 100/– रु. एवं 75/–रु. के पुरस्कार दिए गए। कार्यालय में वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतियोगियों को प्रशस्तिपत्र तथा एक-एक पुस्तक प्रदान की गई। रंगा-रंग कार्यक्रम समापन समारोह का मुख्य आकर्षण रहा जिसकी सबने मुक्त कण्ड से प्रशंसा की।"

—के० एल,० लाम्बा
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त,
(हरियाणा)

31 केंद्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद डाक तार शाखा, अलीगढ़

केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् डाक-तार शाखा, अलीगढ़ के तत्वावधान में हिन्दी सप्ताह के अन्तर्गत हिन्दी दिवस का आयोजन मुख्य डाकघर के सभागार में उत्साहपूर्ण वातावरण एवं अनुशासित वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के प्रथम चरण में सरकारी कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग और राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी के मूल्य और महत्व पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता की श्री कृष्ण दत्त शास्त्री ने। परिषद् के संरक्षक और हिन्दी के प्रसिद्ध कवि डा० रवीन्द्र भ्रमर ने इस अवसर पर बोलते हुए कहा कि हिन्दी राष्ट्र की मनीषा तथा अखण्डता का प्रतीक है। हिन्दी केवल राजभाषा नहीं है, वह राष्ट्र की वाणी अथवा जनवाणी भी है। हिन्दी के निरन्तर उपयोग से देश की भाषा में देश का अभिनन्दन तो होगा ही देश का नैतिक मनोबल भी ऊंचा होगा। इस विचार गोष्ठी में अनेक वक्ताओं ने हिन्दी में काम-काज करने की भावना पर बल दिया जिनमें परिषद् के मंत्री श्री भीकम सिंह शाक्य और उपमंत्री श्री जयनारायण सिंह के विचारों की विशेष सराहना की गयी। अध्यक्ष पद से बोलते हुए श्री शास्त्री ने हिन्दी की शक्ति और उपयोगिता का विस्तृत आकलन प्रस्तुत किया।

कार्यक्रम के दूसरे चरण में एक सफल कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रख्यात हिन्दी कवि और अलीगढ़ विश्वविद्यालय के आचार्य डा० रवीन्द्र भ्रमर ने की। इसमें भाग लेने वाले कवियों में श्री सुरेश कुमार, प्रमोद कुमार, रमेश राज, सुरेन्द्र कुमार "श्लेष", डा० महेन्द्र कुमार मिश्र, सुरेश "त्रस्त", विजयपाल सिंह, गजेन्द्र "बेबस", गिरीश "गौरव", अनिल कुमार "अनल" एवं श्री जयप्रकाश झा जलज के नाम से विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। हिन्दी दिवस के इस कवि सम्मेलन में उर्दू के सुप्रसिद्ध कवि श्री गौस मुहम्मद गौसी का काव्य पाठ विशेष रूप से सराहा गया। श्रोताओं के विशेष अनुरोध पर डा० रवीन्द्र भ्रमर ने अपनी नवीन कृति "गीत-रामायण" के कई अंश प्रस्तुत किए।

भीकम सिंह शाक्य
शाखा मंत्री
केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद्
डाक-तार शाखा, अलीगढ़

32 कार्यालय अधीक्षक अभियंता, उच्च शक्ति प्रेषित्र, आकाशवाणी अलीगढ़

इस कार्यालय में दिनांक 13-9-85 से 20-9-85 तक हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया गया तथा दिनांक 13-9-85 को हिन्दी दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यालय के सभी सदस्यों ने एक बठक में अधिक से अधिक कार्य हिन्दी में करने का संकल्प किया। इस बठक की अध्यक्षता अधीक्षक अभियंता महोदय ने की।

दिनांक 18-9-85 को श्री का० वे० अप्पाराव, अधीक्षक अभियंता आकाशवाणी, अलीगढ़ तथा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अध्यक्षता में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्यों की एक बैठक बुलाई गई। बैठक में प्रो० नजीर अहमद, विभागाध्यक्ष, हिन्दी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुख्य अतिथि थे। उन्होंने हिन्दी के प्रचलन के संबंध में बताया कि हिन्दू मुस्लिम राजाओं के शासन में भी फूल-फल रही थी। औरंगजेब जैसा कट्टर मुसलमान

भी हिन्दी जानता था तो हम लोगों को हिन्दी लिखने-पढ़ने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। बैठक में दिनांक 16-9-85 को हुई टंकण प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार भी वितरित किए गए। यह पुरस्कार निम्नलिखित व्यक्तियों को प्रदान किए गए :—

1. श्री विनोद चन्द्र शर्मा, प्रथम पुरस्कार रु. 75/- तथा प्रशस्ति पत्र का० मंडल अभि० तार अलीगढ़।
2. श्री सुरेश चन्द्र वर्मा, द्वितीय पुरस्कार रु. 50 तथा प्रशस्ति पत्र उ० श० प्रे० आकाशवाणी, अलीगढ़।

बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने हिन्दी की प्रगति में और अधिक योगदान के लिए संकल्प किया।

—मुबराज बजाज,
केन्द्र अभियंता,
सचिव, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति,
अलीगढ़

33 आकाशवाणी, इलाहाबाद

हिन्दी दिवस के अवसर पर आकाशवाणी, इलाहाबाद में दिनांक 13-9-85 को प्रशासनिक कार्यों में हिन्दी: समस्याएं और सुझाव विषय पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि श्री बसंत नाईक, समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, इलाहाबाद देश के अन्य भाषा-भाषी प्रान्तों में सरकारी कामकाज में हिन्दी की स्थिति की चर्चा करते हुए कहा कि हिन्दी का अधिक-से-अधिक प्रयोग करके ही हम इस विघटनकारी शक्तियों का सामना कर सकते हैं।

गोष्ठी की अध्यक्षता आकाशवाणी के केन्द्र निदेशक डा० मधुकर गंगाधर ने की। नवधानाढ्य वर्ग द्वारा अपनाई जाने वाली अंग्रेजी भाषा तथा संस्कृति पर चिन्ता व्यक्त करते हुए डा० गंगाधर ने कहा कि हिन्दी एक ऐसी बहती हुई नदी है जिसे किनारों में बांधा जाना संभव नहीं है।

श्री राम आधार सिंह एवं विद्याधर पाण्डेय ने भी इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए।

—कौशल पाण्डेय,
हिन्दी अधिकारी, आकाशवाणी,
इलाहाबाद

34 हिंदुस्तान वेजिटेबल आयल्स कार्पोरेशन लि०, कानपुर

हिन्दुस्तान वेजिटेबल ऑयल्स कारपोरेशन लि०, कानपुर में हिन्दी सप्ताह का आयोजन दिनांक 7-10-85 से 12-10-85 तक किया गया। दिनांक 7-10-85 को होने वाले उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता श्री एस०सी० गुप्ता, महाप्रबन्धक ने की, हिन्दी सप्ताह का उद्घाटन केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् के सदस्य तथा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के मंत्री श्री पुत्तू लाल गुप्त ने किया।

उद्घाटन समारोह का आयोजन महाप्रबन्धक कक्ष में अपराह्न 3 बजे किया गया जिसमें अधोलिखित सदस्यों ने भाग लिया।

अध्यक्ष श्री एस० सी० गुप्ता, सदस्य श्री राम प्रगट शुकल, श्री अमर सिंह, श्री आनन्द कुमार सन्त, श्री मुहेश चन्द्र पाण्डेय, श्री राजेश कुमार अग्रवाल, श्री उदय कुमार सक्सेना, श्री राम फेर सिंह एवं श्री पुत्तू लाल गुप्त।

अध्यक्ष महोदय के आदेश से कार्यवाही प्रारम्भ की गई। सर्वप्रथम प्रशासनिक अधिकारी श्री अमर सिंह जी ने सभी सदस्यों से अध्यक्ष महोदय का परिचय कराया। महाप्रबन्धक श्री एस० सी० गुप्ता जी ने सभी सदस्यों का स्वागत किया।

दिनांक 7-10-85 सोमवार को ही राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पहली बैठक हुई। सहायक हिन्दी अधिकारी श्री राम प्रगट शुक्ल जी ने निगम में हिन्दी की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि अधिनियम की धारा 3(3) के अन्तर्गत आने वाले सभी कागजात द्विभाषिक रूप में जारी किए जाने चाहिएं। सभी नाम पट्ट, सूचना पट्ट, मोहरे हिन्दी में होनी चाहिएं। सुरक्षा अधिकारी श्री आनन्द कुमार सन्त ने बताया कि सुरक्षा सिपाहियों के नामों की प्लेटें हिन्दी में बनावा ली गयी हैं सुरक्षा विभाग के अधिकांश कार्य हिन्दी में ही हो रहे हैं।

प्रशासनिक अधिकारी श्री अमर सिंह जी ने बताया कि प्रशासन में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग किया जा रहा है। कार्यालय के अधिकारियों के नामों की प्लेटें हिन्दी में बनावा ली गई हैं अधिकांश मोहरें हिन्दी में ही बनवायी जा रही हैं उपस्थिति पंजिका पर कर्मचारियों के नाम हिन्दी में लिखे गए हैं।

लेखाधिकारी श्री राजेश कुमार अग्रवाल ने बताया कि लेखा विभाग में वाउचर आदि हिन्दी में बनाए जा रहे हैं। धीरे-धीरे लेखा अनुभाग में हिन्दी का प्रयोग बढ़ रहा है।

श्री पत्तू लाल ने हिन्दी के महत्व पर विशेष प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि 14 सितम्बर, 1949 को हिन्दी राजभाषा के रूप में नामित की गयी थी। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।

महाप्रबन्धक ने सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि निगम में हिन्दी के प्रयोग में आप सबका सहयोग अपेक्षित है। निगम के सभी कार्य हिन्दी में किए जाने चाहिएं।

8-10-85 को महाप्रबन्धक श्री एस० सी० गुप्ता ने निम्न संदेश प्रसारित किया :—

संदेश

"हिन्दी सप्ताह के इस पुनीत अवसर पर हम राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के इस कथन को स्मरण कराना चाहते हैं कि "कोई राष्ट्र सच्चे अर्थों में तब तक स्वतन्त्र नहीं कहा जा सकता जब तक उसकी अपनी कोई भाषा न हो। यह तभी सम्भव हो सकेगा जब सभी भारतीय भाषायें अपने क्षेत्र में प्रतिष्ठित होंगी।"

हिन्दी के प्रयोग में सबसे अधिक बाधा प्रारम्भ करने की है। यदि आप झिझक छोड़कर जो भी शब्द समानार्थी रूप में आपके समक्ष आयें उनका प्रयोग करना आरम्भ कर दें तो हमें आपको हिन्दी लिखने में, हिन्दी में काम करने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी केन्द्र सरकार की राजभाषा है और हिन्दी को राजभाषा के रूप में प्रयुक्त करने में केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक कर्मचारी सक्षम हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप अपनी सोयी हुई शक्ति को जगाये और अपने कार्यालय में सरकार की नीति के अनुसार हिन्दी में काम करें।

हिन्दुस्तान वेजिटेबिल ऑयल्स कारपोरेशन में राजभाषा अधिनियम की सभी व्यवस्थाओं के अनुपालन में आपका पूर्ण सहयोग अपेक्षित है।

आप सबके सम्मिलित प्रयास से ही राजभाषा हिन्दी वास्तविक रूप से अपने उचित स्थान पर आ पायेगी।

"मैं आप सबसे हिन्दी का प्रयोग शुरू करने की अपील करता हूं।"

अध्यक्षीय भाषण करते हुए श्री एस०सी० गुप्ता, महाप्रबन्धक ने कहा कि हिन्दी सप्ताह बड़े ही सुचारू रूप से संचालित हुआ है। प्रतिवर्ष इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किये जाने चाहिएं। हिन्दी से संबंधित एक बुक बैंक की स्थापना की जाएगी तथा सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य (वर्ष 1985-86) को पूरा कर लिया जाएगा।

हिन्दी विभाग की ओर से 4 बैनर बनावाए गए थे जिनको फैक्टरी के विभिन्न स्थलों पर लगाया गया था। बैनरो में अधोलिखित नारे लिखे गये थे :—

1. हिन्दी सप्ताह दिनांक 7-10-85 से 12-10-85 तक
   "हिन्दी में काम कीजिए राष्ट्रभाषा का सम्मान कीजिए।"
   इसे मुख्य द्वार पर लगाया गया था।
2. "हिंदी हमारी राष्ट्र भाषा है, राष्ट्र भाषा को अपनाना हम सबका कर्तव्य है"
   इसे कार्यालय के द्वार पर लगाया गया था।
3. "हिंदी में जब आप बोल सकते हैं, तो लिख भी सकते हैं कोशिश तो कीजिए"
   इसे कार्यालय में लगाया गया था।
4. "हिंदी भाषा परिधान मात्र नहीं राष्ट्र का व्यक्तित्व है।"

—महादेवी वर्मा

2.15 बजे समस्त कार्यवाही सम्पन्न हुई। महाप्रबन्धक ने सबके प्रति आभार व्यक्त किया। सभा समाप्त हुई।

—एस० सी० गुप्ता
महाप्रबन्धक

35. महालेखाकार कार्यालय, जयपुर

राजस्थान के महालेखाकार (ले० प०) तथा महालेखाकार (लेखा वाहक) के कार्यालयों ने 13 सितम्बर, 85 को 11 बजे संयुक्त रूप से हिन्दी दिवस मनाया जिसमें श्री युगल किशोर चतुवदी, सम्पादक लोक-शिक्षक, अध्यक्ष तथा देवीशंकर तिवाड़ी (भूतपूर्व मंत्री) और प्रसिद्ध साहित्यकार श्री विष्णु प्रभाकर मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर अन्य गणमान्य व्यक्ति व हिंदी प्रेमी भी उपस्थित हुये। जिनमें श्री कलानाथ शास्त्री, निदेशक, भाषा विभाग राजस्थान एवं श्री राजेन्द्र शंकर भट्ट, भूतपूर्व निदेशक, जनसंपर्क राजस्थान के नाम उल्लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त दोनों महालेखाकार, समस्त अधिकारी और समस्त कर्मचारिवृन्द भी उपस्थित थे। सरस्वती वन्दना से कार्यक्रम आरम्भ हुआ।

विशाल जनसमूह के सामने भावविभोर होते हुए डा० विष्णु प्रभाकर ने कहा कि हमारे देश में कहीं भी हिंदी का विरोध नहीं है। यहां हर प्रान्त के लोग जानते हैं कि केवल हिंदी ही हमारे देश की राष्ट्रभाषा का स्थान ले सकती है। यह बात बहुत लम्बे अरसे से विद्वान और विचारक मान रहे हैं। उनका कहना था कि हिंदी हमारे देश में एक बड़े क्षेत्र की मातृभाषा है। दूसरे क्षेत्रों में जहां वह मातृभाषा नहीं है उसे अंग्रेजी की अपेक्षा प्राथमिकता देनी होगी। उन्होंने आगे कहा कि अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषा के प्रति हमारी मानसिकता शताब्दियों लम्बी परतंत्रता का परिणाम है।

श्री कलानाथ शास्त्री ने कहा कि हिंदी सारे देश की संपर्क भाषा तय किये जाने से बहुत पहले से ही एक संपर्क भाषा का काम कर रही है। किंतु इसे वास्तविक स्थान तब पूरी तरह मिलेगा, जब हम व्यापक दृष्टिकोण अपनायेंगे और अंग्रेजी, उर्दू तथा अन्य भाषाओं के शब्दों के बहिष्कार की हठधर्मी छोड़ देंगे। यह जन-जन की भाषा तभी हो सकेगी, जब इसमें दूसरी भाषाओं के शब्द मिल जायेंगे।

महालेखाकार (लेखावाहक) श्री एम० पी० गुप्त ने कहा कि सरकारी कामकाज में पत्रों में विशेषकर पदनाम हिंदी में ही दिये जा सकते हैं, इससे हिंदी का प्रयोग बढ़ेगा। महालेखाकार (लेखापरीक्षा) श्री सुशील चन्द्र आनन्द ने कहा कि हमें हिंदी के प्रति स्वाभिमान पैदा करना होगा, इससे इसे बल मिलेगा।

श्री देवीशंकर तिवाड़ी ने कहा कि हिंदी का प्रयोग न्यायालयों में भी किये जाने के प्रयास किये जाने चाहियें। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी हमारे देश की भाषा नहीं हो सकती।

श्री युगल किशोर चतुर्वेदी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि हिंदी के प्रति हमें तब तक आत्मगौरव नहीं होगा, जब तक इसकी अपेक्षा अंग्रेजी को वरीयता मिलती रहेगी।

श्रीमती आनन्द ने घूमर पत्रिका के सर्वश्रेष्ठ रचनाकारों को पुरस्कार वितरित किये। समारोह में एक लघु प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें कार्यालय में उपलब्ध हिंदी साहित्य, शब्दकोष, घूमर, राजभाषा भारती, हिंदी परिचय, हिंदी कार्यशाला की अभ्यास पुस्तिका, क ख ग क्षेत्रों का नक्शा, फाइलों में लिखे गये प्रारूप व टिप्पण, विभिन्न अनुभागों के अभिलेख, निरीक्षण दलों के निरीक्षण प्रतिवेदन, लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वित्त लेखे, विनियोजन लेखे एवं हिंदी भाषी फार्म इत्यादि अवलोकनार्थ रखे गए। जयपुर नगर में राजभाषा की इस प्रकार की यह पहली प्रदर्शनी थी। इस प्रदर्शनी को सभी आगन्तुक महानुभावों ने, विशिष्ट अतिथियों ने तथा कार्यालय के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों ने इसे देखा तथा इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की।

13 सितम्बर 1985 को ही सायं 4 बजे एक कविगोष्ठी का संचालन किया गया, जिसमें सर्वश्री मुकुट सक्सैना, प्रकाश नारायण सक्सैना "जौहरी", गंगा नारायण, गुलाब चंद वर्मा, सुरेन्द्र कुमार शर्मा "मयंक", हरीश कुमार सहगल, बिशन लाल बनवारी लाल सोनी, हरफूल "रसिक",

हेमराज सोनी, के० सी० चौरसिया, रवीन्द्र कुमार दुग्गल और डा० कृष्ण माथुर ने काव्यपाठ किया ।

—चचलचंद मंसाली,
व० उपमहालेखाकार (प्रशासन)

36. खेतड़ी कापर काम्पलैक्स, खेतड़ी

विगत 6 वर्षों से हिन्दुस्तान कॉपर लि० की परियोजना खेतड़ी कापर काम्पलैक्स में वार्षिक हिन्दी सप्ताह मनाया जा रहा है । हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने तथा हिन्दी साहित्य की अभिवृद्धि के उद्देश्य से इस वर्ष भी 16—21 सितम्बर तक हिन्दी सप्ताह मनाया गया । इस अवसर पर हिन्दी व अहिन्दी भाषी कर्मचारियों, महिलाओं, स्थानीय विद्यालयों के छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग 15 हिन्दी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया । इसके अलावा सप्ताह के दौरान अन्तर्विभागीय राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता, 19 सितम्बर को पद्म भूषण जैनेन्द्र कुमार की हिन्दी वार्ता तथा 21 सितम्बर को अखिल भारतीय स्तर का कवि-सम्मेलन उल्लेखनीय हैं जिसमें पद्मश्री काका हाथरसी, श्री के० पी० सक्सेना, श्री कन्हैया लाल नंदन, श्री मेघराज मुकुल, श्री मुकुट बिहारी "सरोज", डा० कुंवर बैचेन, डा० वीरेन्द्र तरुण, श्रीमती सुलक्षणा अंजुम और श्री सोम ठाकुर ने भाग लिया । सप्ताह भर आयोजित सभी कार्यकलाप डा० इन्द्रजीत चोपड़ा, सहायक प्रबन्धक (राजभाषा) के संयोजन व देखरेख में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुए ।

—डा० इन्द्रजीत चोपड़ा,
सहायक प्रबन्धक, (राजभाषा)

खेतड़ी कॉपर काम्पलैक्स में आयोजित हिन्दी सप्ताह के अवसर पर भाषण देते हुए
हिन्दी के वयोवृद्ध साहित्यकार श्री जैनेन्द्र कुमार जैन

37. बिहार डाक सर्किल, पटना

बिहार डाक सर्किल के कार्यालयों में इस वर्ष हिन्दी सप्ताह का आयोजन पहले से अधिक उत्साह के साथ किया गया । पोस्टमास्टर जनरल एवं महाप्रबन्धक के मुख्यालयों एवं पटना स्थित अन्य सभी विभागीय कार्यालयों की ओर से दिनांक 20 सितम्बर, 1985 को संयुक्त डाक-तार मनोरंजन क्लब, पटना के सभा भवन में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया । इस समारोह की अध्यक्षता बिहार के पोस्तमास्टर जनरल श्री एम० एस० राघवन ने की । समारोह में वर्ष 1984 में सरकारी कामकाज हिन्दी में करने वाले लगभग 32 प्रतियोगियों को रुपये 400, 200, एवं 150 क्रमश: प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार का वितरण बिहार के महाप्रबंधक, दूरसंचार श्री टी० वी० शिवकुमारन् के करकमलों द्वारा किया गया । महाप्रबंधक दूरसंचार ने इस बात पर जोर दिया कि हिन्दी के कार्य के लिए बनाये गये पदों पर कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को और अधिक उत्साह दिखाना चाहिए । उन्होंने पुरस्कार प्राप्तकर्त्ताओं को भी बधाई दी । श्री एम० एस० राघवन, पोस्टमास्टर जनरल ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि हिन्दी सप्ताह के दौरान सभी कार्यालयों पर लगे बैनर इस बात का आश्वासन देते हैं कि हम सभी जनता के साथ हिन्दी में काम करेंगे । उन्होंने यह कहा कि हिन्दी में काम करने में मुझे कठिनाई हो सकती है लेकिन यहां के लोगों को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए ।

समारोह के अंत में एक बहुत ही भव्य रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया । संयुक्त डाक-तार मनोरंजन केन्द्र के संगीत शिक्षा केन्द्र के शिक्षक श्री श्याम दास मिश्र के नेतृत्व में समूहगान एवं शास्त्रीय गायन प्रस्तुत किए गए । आकाशवाणी के कलाकारों ने भोजपुरी लोक गीत एवं लोकधुन पर आधारित भव्य नृत्य के कार्यक्रम प्रस्तुत किए ।

दिनांक 18 सितम्बर, 1985 से 3 दिनों के लिए संगोष्ठी, वाद-विवाद प्रतियोगिता एवं आशुभाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और प्रतियोगियों को पुरस्कार दिए गए।

निदेशक, डाक सेवा (दक्षिण) रांची के कार्यालय में भी हिन्दी दिवस मनाया गया। प्रतियोगिताएं आयोजित की गई और पुरस्कार वितरित किए गए। इसी प्रकार रेल डाक-सेवा "यू" मंडल, मुजफ्फरपुर तथा एन० बी० मंडल, रेल डाक सेवा, समस्तीपुर के कार्यालयों में भी भव्य आयोजन किए गए। डाक मनोरंजन क्लब, डालटेनगंज के तत्वावधान में भी भव्य आयोजन किए गए।

—नगेंद्रनाथ पान्डेय,
हिन्दी अधिकारी

38. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रमंडल, लहेरियासराय

प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हिन्दी सप्ताह का आयोजन दिनांक 19-9-85 एवं 20-9-85 को श्री बी० के० विश्वास, सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रमंडल लेहरियासराय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ जिसमें निम्नांकित प्रतियोगिताएं आयोजित की गई :—

वाद-विवाद प्रतियोगिता में निम्नलिखित कर्मचारियों ने भाग लिया और उनके नाम के सामने अंकित स्थान प्राप्त किए :—

1. सर्वश्री अमरेन्द्र कुमार दास उ०व०लि०—प्रथम
2. " सतीश चन्द्र श्रीवास्तव, नि०व०लि०—तृतीय
3. " नवीन चन्द्र झा, उ०व०लि० —द्वितीय
4. " सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, निरीक्षक
5. " एस०पी० साह, उप-का०अ० (तक)

वाद-विवाद का विषय था "माइक्रो कम्प्यूटर का उपयोग सरकारी विभाग में होना चाहिए या नहीं"।

स्वरचित कविता पाठ प्रतियोगिता में निम्नलिखित कर्मचारियों ने भाग लिया तथा उनके सामने अंकित स्थान प्राप्त किए :—

1. सर्वश्री अजीत कुमार दास, हिन्दी टंकक
2. " नवीन चन्द्र झा, उ०व०लि०—प्रथम स्थान
3. " राम वृक्ष प्रसाद, नि०व०लि०—तृतीय स्थान
4. " सुरेंद्र प्रसाद सिंह, निरीक्षक—द्वितीय स्थान
5. " ए०पी० ठाकुर, प्रसासन अधिकारी

निबन्ध प्रतियोगिता में निम्नलिखित कर्मचारियों ने भाग लिया और उनके समक्ष अंकित स्थान प्राप्त किया :—

1. सर्वश्री एस०पी० साह, उप-का०अ० (तक०)
2. " अमर नाथ, नि०व०लि०—तृतीय स्थान
3. " राम वृक्ष प्रसाद, नि०व०लि०—प्रथम स्थान
4. " सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, निरीक्षक—द्वितीय

सांस्कृतिक कार्यक्रम के अन्तर्गत विभागीय कलाकारों द्वारा गजल, चुटकले, कहानियां तथा प्रहसन आदि का आयोजन किया गया।

प्रतियोगिता के समाप्ति के बाद राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष 1985 की तृतीय बैठक शुरू हुई, जिसमें सहायक समाहर्ता महोदय ने सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को सुझाव दिया कि अपना ज्यादा से ज्यादा काम हिन्दी में ही करें ताकि हिन्दी की प्रगति निर्धारित लक्ष्य तक पहुंच सकें। उन्होंने कहा कि हमें हिन्दी में काम करने में गर्व होना चाहिए क्योंकि हिन्दी हमारी मातृभाषा है।

—बी० के० विश्वास,
सहायक समाहर्ता,
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रमंडल, लहेरिया सराय

39. राजभाषा विभाग, राज्य सरकार पटना

"हिन्दी दिवस" के अवसर पर बिहार सरकार के राजभाषा विभाग के तत्वावधान में पटना में दिनांक 14 से 16 सितम्बर, 85 तक त्रि-दिवसीय समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के प्रथम दिन 14-9-85 बिहार की राजभाषा मंत्री श्रीमती उमा पाण्डेय की अध्यक्षता में हिन्दी दिवस समारोह का शुभारम्भ हुआ। महाकवि "निराला" जी की सरस्वती वन्दना के सामूहिक गायन के बाद हिन्दी प्रगति समिति, बिहार के अध्यक्ष श्री विद्याकर कवि ने अपने स्वागत भाषण में हिन्दी भारत की आत्मा की ऐसी आवाज बताया, जिसमें राष्ट्रीयता के सूत्रबद्ध करने की अद्भुत क्षमता है।

समारोह का उद्घाटन करते हुए बिहार के राज्यपाल श्री पी० बेंकट सुब्बैया ने राष्ट्रीय आन्दोलन में हिन्दी की भूमिका की चर्चा करते हुए उसे राष्ट्रीय एकता की कड़ी बताया।

मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए बिहार के मुख्य मंत्री श्री बिन्देशवरी दूबे ने पारिभाषिक शब्दावली को सुगम बनाने पर जोर दिया और घोषणा की कि पटना में "हिन्दी भवन" अपने पूर्व निर्धारित स्थान पर बनेगा। जहां इसका शिलान्यास गत वर्ष 15 अगस्त, 84 को किया गया था। "राजभाषा पत्रिका" का भी प्रकाशन पुनः शुरू होगा। उन्होंने स अवसर पर यह भी घोषणा की कि राज्य सरकार ने वाहनों की नम्बर पट्टिका पर अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी में भी नम्बर लिखे जाने को अनिवार्य बना दिया है।

विशिष्ट अतिथि के रूप में पटना विश्वविद्यालय के भूतपूर्व कुलपति और सम्प्रति भोजपुरी अकादमी के अध्यक्ष आचार्य देवेन्द्रनाथ शर्मा उपस्थित थे। उन्होंने खेद एवं असंतोष प्रकट करते हुए दो-टूक बात कही कि जनता को हिन्दी भाषा में न्याय नहीं मिले, इससे बढ़कर अन्याय क्या हो सकता है। हिन्दी के प्रगति रथ को रोक रखने के पीछे भारत में स्वाधीन चिन्तन को अवरुद्ध करने का अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हथकण्डा चल रहा है। हमें आज का दिन इस हथकण्डा को विफल करने का संकल्प लेना चाहिए।

अपने अध्यक्षीय भाषण में श्री मति पाण्डेय ने हिन्दी को भारत की अस्मिता की पहचान और भारतीय मूल्यों की एक सशक्ति अभिव्यक्ति बताते हुए कहा कि हम हिन्दी को मात्र मानविकी तक सीमित न रखें, बल्कि उसे चिकित्सा, अभियंत्रण विज्ञान के धरातल पर लाकर सुस्पष्ट बनाएं। हम जन-जन में हिन्दी के प्रति ये दृष्टिकोण पैदा करें। हम उसके अनुकूल एक माहौल तैयार करें।

समारोह के दूसरे दिन 15-9-85 को "राजभाषा हिन्दी के विकास में हिन्दी भाषी राज्यों की भूमिका" विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई। अध्यक्षता श्री विद्याकर कवि ने की। वन्दना और विभाग के प्रभारी निदेशक श्री ब्रजमोहन प्रसाद के स्वागत भाषण के बाद संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए पटना उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति श्री कृष्णवल्लभ नारायण सिंह ने नयपालिका में हिन्दी की अपेक्षित प्रगति न होने पर असंतोष व्यक्त किया। मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती उमा पाण्डेय, राजभाषा मंत्री के भाषण के बाद विषय-प्रवर्तन करते हुए आचार्य देवेन्द्र नाथ शर्मा ने हिन्दी के विकास में सबसे बड़े अवरोधक तत्व "मानसिकता" की चर्चा की तथा विश्वविद्यालयों में हिन्दीकरण की गति को अवरुद्ध रखने में मुख्यतः प्राध्यापकों को दोषी ठहराया।

पटना विश्वविद्यालय के कुलपति डा० गणेश प्रसाद सिन्हा ने विश्व-विद्यालयों में हिन्दी को बढ़ावा देने हेतु सरकार की ओर से हिन्दी टिप्पण-प्रारूपण के प्रशिक्षण की व्यवस्था करने पर जोर दिया। अन्य वक्ताओं में सर्वश्री आचार्य केसरी कुमार, (अध्यक्ष मगही अकादमी, पटना) न्यायिक हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, पटना के निदेशक न्यायमूर्ति बिश्वनाथ मिश्र, रमण शंकरदयाल सिंह, पवन कुमार आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

अंतिम और तीसरे दिन 16-9-85 को आयोजित कवि सम्मेलन की अध्यक्षता बिहार के ऊर्जा एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद ने की।

—ब्रज मोहन प्रशाद
प्रभारी निदेशक

40 महानिदेशक नागर विमानन, नई दिल्ली

महानिदेशक नागर विमानन नई दिल्ली के कार्यालय में 16 सितम्बर से 20 सितम्बर, 1985 तक "हिन्दी सप्ताह" का आयोजन किया गया इस सप्ताह के दौरान सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध किया गया कि वे सप्ताह के दौरान अपने रोजमर्रा के काम में अधिक से अधिक हिन्दी का प्रयोग करें, टेलीफोन पर हिन्दी में बातचीत करें तथा बैठकों में हिन्दी में विचार-विमर्श करें। इसके साथ ही सप्ताह के दौरान निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गए। :—

1. हिन्दी टंकण प्रतियोगिता
2. हिन्दी आशुलिपि प्रतियोगिता
3. प्रदर्शनी का आयोजन
4. टिप्पण और प्रारूप लेखन प्रतियोगिता
5. भाषण प्रतियोगिता
6. वाद-विवाद प्रतियोगिता

20 सितम्बर, 1985 को "हिन्दी सप्ताह" का समापन में समारोह हुआ जिसमें महानिदेशक, उप महानिदेशक, वरिष्ठ अधिकारी एवं अन्य अधिकारियों सहित लगभग सभी कर्मचारी शामिल हुए। इस अवसर पर निम्नलिखित कार्रवाई हुई :—

(क) सहायक निदेशक (हिन्दी) ने राजभाषा हिन्दी की संवैधानिक स्थिति, वह कहां तक सरकारी कार्यालयों पर लागू है, उसके लिए संघ सरकार ने क्या-2 व्यवस्था कर रखी है और सरकारी कर्मचारी होने के नाते सरकारी कर्मचारियों को अपना दायित्व किस प्रकार निभाना है विषय पर अपनी प्रस्तावना में विस्तार से बताया।

(ख) निदेशक प्रशासन (श्री जे० एस० तूली) ने जो कार्यालय राजभाषा अधिकारी भी हैं, अपने भाषण में हिन्दी के प्रयोग की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि हिन्दी में काम करना आसान है, केवल शुरू करने की बात है। आरम्भ में हम हिन्दी का प्रयोग छोटे-छोटे काम के लिए कर सकते हैं ताकि धीरे-धीरे अभ्यास होने पर हम एक दिन अपना समस्त कार्य हिन्दी में करने योग्य बन सकें। उन्होंने इस विषय में हिन्दी अनुभाग द्वारा बनाए गए सामान्य प्रयोग के शब्दों की चर्चा की और कहा कि फिलहाल प्रशासनिक अनुभाग में तो काफी काम हिन्दी में हो सकता है। उन्होंने इस अवसर पर यह संकल्प लेने के लिए भी कहा कि सरकारी कर्मचारी सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग के लिए भरसक प्रयत्न करेंगे और जब तक हम "हिन्दी सप्ताह" मनाएंगे तो उसमें हम अपने कार्यालय की एक बेहतर तस्वीर पेश करेंगे।

(ग) उप महानिदेशक नागर विमानन जो कि इस कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष हैं, की ओर से पढ़े गए संदेश में निदेशक (श्री के०एन०एस० कृष्णन) ने हिन्दी नीति के कार्यान्वियन के लिए कार्यालय में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति का उल्लेख करते हुए कहा कि हम सब का यह कर्त्तव्य है कि हम कुछ न कुछ हिन्दी में अवश्य लिखें और राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा दिए गए निर्णयों का पालन करें। ऐसा कर के अपनी जिम्मेदारी को ही निभाएंगे।

इसके बाद पांच प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वाले 15 प्रतियोगियों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय नकद पुरस्कार दिया गया। महानिदेशक नागर विमानन के कर कमलों से यह पुरस्कार दिए गए।

समापन समारोह के समापन में महानिदेशक नागर विमानन ने उन सभी कर्मचारियों गो बधाई दी जिन्होंने इन प्रतियोगिताओं में भाग लिया तथा जिन कर्मचारियों को पुरस्कार नहीं मिला उन्हें और अधिक लगन से काम करने के लिए कहा ताकि अगले वर्ष वे भी पुरस्कार प्राप्त कर सकें।उसके साथ ही उन्होंने पुरस्कार पाने वाले कर्मचारियों को कहा कि वे अपना अभ्यास बनाए रखें। इस सिलसिले में महानिदेशक महोदय ने उन अधिकारियों, को जिनके साथ यह कर्मचारी लगे हुए हैं कहा कि वे उन कर्मचारियों से हिन्दी में अवश्य लिया करें। अंत में महानिदेशक महोदय ने आयोजन के सफल होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कामना कि कि अगले वर्ष भी इसी प्रकार का आयोजन किया जाएगा।

—एम० आर० धस्माना,
सहायक निदेशक, (हिन्दी)

41. सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, नई दिल्ली

दिल्ली आंचलिक कार्यालय द्वारा दिनांक 16-9-85 को दिल्ली के प्यारे लाल भवन में हिन्दी दिवस समारोह मनाया गया। इस समारोह का उद्घाटन कु० कुसुमलता मित्तल, सचिव, राजभाषा विभाग, भारत सरकार ने किया।

उक्त अवसर पर श्री एस के गाबा, उप-महाप्रबंधक ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया और दिल्ली अंचल में हो रहे राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की जानकारी दी। उन्होंने दिल्ली अंचल के कर्मचारियों को हिन्दी में अधिक से अधिक काम करने के लिए आह्वान किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली अंचल में बैंक की 140 शाखाओं में से 51 शाखाओं में हिन्दी में काम हो रहा है। बैंक के दिल्ली अंचल की लगभग सभी शाखाओं में कार्यालय आदेश, स्क्रोल, डे बुक, आदि हिन्दी में लिखी जा रही हैं। इस वर्ष वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए पत्राचार के 67 प्रतिशत के लक्ष्य को पूरा कर लिया है। दिल्ली में बैंक ने अब तक 21 हिन्दी कार्यशालाएं की हैं तथा कुल 328 कर्मचारियों को हिन्दी में पत्राचार करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। वर्ष 1985 में बैंक अपने कर्मचारियों में हिन्दी के प्रति रुचि जागृत करने के लिए 5 प्रतियोगिताएं की हैं तथा इसमें बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने भाग लिया।

पिछले साल राजस्थान की सभी तथा दिल्ली की 10 शाखाओं में हिन्दी सप्ताह मनाया गया था और इस साल भी 9 सितम्बर तक हिन्दी सप्ताह मनाया है। इस दौरान सभी कार्य हिन्दी में किए गए। बैंक के सभी प्रशासनिक कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियां बन चुकी हैं और उनकी बैठकें नियमित रूप से होती हैं। पिछले वर्ष हमने दिल्ली के सभी शाखा प्रबंधकों के लिए एक हिन्दी सेमीनार की थी जिसमें भारत सरकार, राजभाषा विभाग तथा बैंकिंग प्रभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया था। इस वर्ष भी 5 सितम्बर को हमने उदयपुर में अपने कोटा क्षेत्र के सभी शाखा प्रबंधकों के लिए एक हिन्दी सेमीनार की थी।

इस अवसर पर राजभाषा विभाग, केन्द्रीय कार्यालय से मुख्य वक्ता के रूप में पधारे। श्री रा० वि० तिवारी, मुख्य अधिकारी ने हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में सेंट्रल बैंक की उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने केन्द्रीय कार्यालय से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा महाप्रबंधक (कार्मिक) की शुभकामनाएं भी दीं।

कु० कुसुमलता मित्तल ने अपने उद्घाटन भाषण में सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की दिशा में बैंक द्वारा की गई प्रगति की सराहना की तथा कर्मचारियों से आग्रह किया कि वे सरकारी कामकाज में सरल हिन्दी का प्रयोग करें तथा नये-नये शब्द न बनाकर दूसरी भाषाओं के शब्दों को अपनाएं। उन्होंने राष्ट्रीय एकता के लिए हिन्दी के प्रयोग पर बल दिया।

कु० कुसुमलता मित्तल ने दिल्ली आंचलिक कर्मचारियों द्वारा आयोजित प्रश्नोत्तरी तथा वाद-विवाद प्रतियोगिताओं में पुरस्कार प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को शील्ड प्रदान की।

इस अवसर पर 3 घंटे का एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम दिल्ली अंचल के कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई।

—कु० मो० मिश्र,
उप मुख्य अधिकारी।

42. सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रशिक्षण निदेशालय, नई दिल्ली

संघ के शासकीय प्रयोजनों में हिन्दी के प्रयोग के लिए वर्ष 1985-86 के लिए तैयार किए गए वार्षिक कार्यक्रम की मद सं. 9 में निहित प्रावधान को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिनांक 16-9-85 से 20-9-85 की अवधि के दौरान हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया गया।

कथित सप्ताह की शुरुआत सभी पदाधिकारियों के बीच "अपील के परिचालन से की गई जिसमें इस सप्ताह के दौरान सरकारी कामकाज में अधिक से अधिक हिन्दी का प्रयोग करने के साथ-साथ इस अवधि के दौरान हुई तत्वियक प्रगति को भविष्य में भी चालू रखने का आग्रह किया गया है।

सरकारी कामकाज के विधि मदों में हिन्दी का अधिकतम प्रयोग सुनिश्चित करने के साथ-साथ इस "आयोजन" को बहु-आयामी बनाने की दृष्टि से निम्नलिखित विशेष कार्य और किए गए :—

हिन्दी के पठन-पाठन को बढ़ावा देने के लिए अन्तर-निदेशालय स्तर पर हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता का आयोजन किय गया जिसमें सांख्यिकी—आसूचना नि०/निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा निदेशालय में कार्यकर पदाधिकारियों ने भाग लिया। कुल मिलाकर 17 प्रत्याशी थे, निबन्ध पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने के बाद सुपात्रित पदाधिकारियों को प्रथम/द्वितीय/तृतीय पुरस्कार देने का भी प्रावधान है, इस आशय के लिए प्रवर्तित योजना की प्रति सूचनार्थ संलग्न है।

तथाकथित हिन्दी सप्ताह के दौरान अल्पावधि हिन्दी कार्यशाला का भी आयोजन किया गया, इस कार्यशाला की रूप रेखा इसके सह-भागियों की जरूरतों को मद्देनजर रखकर अभिकल्पित की गई थी, कार्यशाला के उद्घाटन अवसर पर सहभागियों को बुकलेट के रूप में पाठ्य सामग्री भी उपलब्ध करवाई गई। कार्यशाला के समावर्तन पर लिखित टेस्ट भी आयोजित किया गया था। टेस्ट के बाद सहभागियों को प्रमाणपत्र भी वितरित किए गए।

—बी० सी० रस्तोगी,
निदेशक

43. वनस्पति, वनस्पति तेल तथा वसा निदेशालय नई दिल्ली

वनस्पति, वनस्पति तेल तथा वसा निदेशालय (नागरिक पूर्ति विभाग) में सरकारी काम में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने और राजभाषा (गृह मंत्रालय) द्वारा वर्ष 1985-86 के लिए निर्धारित लक्ष्यों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी

27 सितम्बर, 1985 को "हिन्दी दिवस" मनाया गया। इस अवसर पर विभागाध्यक्ष, अर्थात् मुख्य निदेशक द्वारा हिन्दी जानने वाले सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का आह्वान किया गया कि वे हिन्दी में अधिकाधिक काम करने का निश्चय करें। साथ ही उनका ध्यान खाद्य व नागरिक पूर्ति मंत्री जी के संदेश की ओर भी आकृष्ट किया गया, जिसमें उन्होंने राजभाषा अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुसार हिन्दी का प्रयोग सुनिश्चित् करने तथा सरकार की भाषा-नीति को कार्यान्वित करने का हर संभव प्रयास करने को कहा था।

सरकारी काम में हिन्दी के प्रयोग के बारे में मंत्री जी के संदेश और निदेशालय के विभागाध्यक्ष के आह्वान से प्रेरित होकर उस दिन हिन्दी जानने वाले सभी अधिकारियों व कर्मचारियों ने अपना अधिकाधिक काम हिन्दी में किया। अधिकांश टिप्पणियां व मसौदे उस दिन हिन्दी में ही प्रस्तुत किए गए। जो अधिकारी हिन्दी में अधिक दक्ष नहीं थे मिसिलों पर उन्होंने भी छोटे-मोटे वाक्य हिन्दी में लिखें और हस्ताक्षर हिन्दी में किए। अनुभागों में भी हिन्दी में ही काम हुआ।

—पान सिंह रावत,
सहायक निदेशक (रा०भा०)

44. आकाशवाणी, नई दिल्ली

इस कार्यालय में 13 सितम्बर 1985 को हिन्दी दिवस तथा 16 से 21 सितम्बर, 1985 तक हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया गया।

"हिन्दी दिवस" और "हिन्दी सप्ताह" के संदर्भ में, केन्द्र निदेशक महोदय ने एक ज्ञापन जारी करके कार्यालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का आह्वान किया कि वे "हिन्दी दिवस" अर्थात् 13 सितम्बर, 1985 को जो भी सरकारी कामकाज करें वह सारा हिन्दी में ही करें, अंग्रेजी में प्रस्तुत फाइलों आदि पर भी अपनी नोटिंग हिन्दी में ही लिखें, प्रत्येक फाइल आदि पर अपने हस्ताक्षर भी हिन्दी में ही करें और मार्किंग भी हिन्दी में ही करें। इसी ज्ञापन में उन्होंने यह भी आह्वान किया था कि "हिन्दी सप्ताह" के दौरान अर्थात् 16 से 21 सितम्बर, 1985 तक सभी अधिकारी/कर्मचारी अपना 75 प्रतिशत से 99 प्रतिशत तक सारा कामकाज हिन्दी में ही करें।

"हिन्दी सप्ताह" का समापन शनिवार, 21 सितम्बर, 1985 को एक कविगोष्ठी के साथ हुआ जिसमें इस कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों ने अपनी-अपनी कविताएं सुनाई। यह कवि-गोष्ठी केन्द्र निदेशक श्री शिवकुमार शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। कवि-गोष्ठी का उद्घाटन करते हुए केन्द्र निदेशक महोदय ने राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि, उपस्थित अन्य अतिथियों तथा इस कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों का अभिनन्दन किया और राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि, श्री एम० एल० मैत्रेय के प्रति अपना आभार व्यक्त किया जिन्होंने छुट्टी का दिन होते हुए भी अपने व्यस्त काल में से समय निकाल कर आकाशवाणी, दिल्ली के इस आयोजन को अपनी उपस्थिति से गौरवान्वित किया है।

अपने अध्यक्षीय भाषण में, केन्द्र निदेशक महोदय ने कहा कि उन्हें इस बात की प्रसन्नता है कि "हिन्दी दिवस" और "हिन्दी सप्ताह" के दिनों में इस कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों ने हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करने में अपनी पूरी रुचि दिखायी है। उनके पास काफी ऐसी फाइलें आदि आयी हैं जिनमें नोटिंग हिन्दी में की गयी थी। मैंने स्वयं भी "हिन्दी दिवस" के दिन अपने हस्ताक्षर हिन्दी में ही किए और अंग्रेजी में प्रस्तुत फाइलों पर भी अपनी टिप्पणियां आदेश आदि हिन्दी में ही लिखे। हमारे राजभाषा अधिकारी—सहायक केन्द्र निदेशक, श्री प्रेम प्रकाश सेतिया ने तो "हिन्दी दिवस" के प्रति अपना कर्मगत सम्मान प्रदर्शित करते हुए अपना पहला पत्र अपने हाथ से हिन्दी में लिखकर रक्षा मंत्रालय को भेजा। यह पत्र तत्काल जाना था और दो पृष्ठों का यह पत्र सहायक केन्द्र निदेशक, श्री सेतिया द्वारा 13 सितम्बर, 1985 को अर्थात् "हिन्दी दिवस" पर हाथ से हिन्दी में उस समय लिखा गया था जब अभी कार्यालय खुला नहीं था और कोई हिन्दी टाइपिस्ट आदि अभी आया नहीं था। इसी प्रकार "हिन्दी दिवस" और "हिन्दी सप्ताह" के दौरान अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों ने भी यथाशक्ति अपना अधिक से अधिक काम हिन्दी में करने की पूरी कोशिश की।

सहायक केन्द्र निदेशक (श्री डोगरा) जैसे जो अधिकारी दूसरे कार्यालयों से हालही में स्थानांतरित होकर इस कार्यालय में आए हैं तथा जिन्हें अभ्यास आदि की कमी के कारण हिन्दी में काम करने में अभी कुछ व्यावहारिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है उन्होंने भी "हिन्दी दिवस" तथा "हिन्दी सप्ताह" के दिनों अपने हस्ताक्षर आदि हिन्दी में कर के अपना योगदान किया। हमारे इंजीनियरी स्टोर अनुभाग ने तो जुलाई, 85 से ही अपना शत-प्रतिशत काम हिन्दी में करने का संकल्प ले रखा है और वे काम हिन्दी में कर भी रहे हैं। अन्य भी कई अनुभाग ऐसे हैं जिनमें हिन्दी का काम या तो शत प्रतिशत या 75 प्रतिशत से अधिक हुआ है।

केन्द्र निदेशक महोदय ने कहा कि इस प्रकार हिन्दी के प्रयोग की स्थिति हमारे कार्यालय में अन्य कार्यालयों की दृष्टि से हालांकि पर्याप्त संतोषजनक है और हम निरन्तर इस दिशा में प्रगति करते जा रहें हैं फिर भी हमें यह ध्यान रखना है कि हिन्दी का प्रयोग हमें मात्र "हिन्दी दिवस" तथा "हिन्दी सप्ताह" का आयोजन करने तक ही सीमित नहीं रखना है अपितु इसके बाद भी इसके प्रयोग को निरन्तर आगे बढ़ाते जाना है। अभी हमारी मंजिल दूर है और हम सभी को प्रत्येक मामले में हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग करके अपनी मंजिल की ओर तेजी से आगे बढ़ना है और यह सुनिश्चित करना है कि हमारे कार्यालय में 75 प्रतिशत से 99 प्रतिशत तक कामकाज सदा हिन्दी में ही होता दिखायी दे। उन्होंने कहा कि ऐसा तभी संभव है जब सभी अधिकारी/कर्मचारी अधिक से अधिक हिन्दी का प्रयोग करने का व्रत लें।

अपने अध्यक्षीय भाषण का समापन करते हुए, केन्द्र निदेशक महोदय ने कहा अब राजभाषा अधिकारी तथा सहायक केन्द्र निदेशक, श्री सेतिया इस कवि-गोष्ठी की कार्रवाई को आगे चलाएंगे और आपकी कविताओं को सुनकर तीनों जज अपने-अपने अंक देंगे जिनके आधार पर पांच उन व्यक्तियों का चयन किया जाएगा जिनकी रचनाएं सर्वश्रेष्ठ पायी जायेंगी। ऐसे पांच कवियों को विशेष पुरस्कार दिए जायेंगे और शेष कवियों को भी पुरस्कृत करके सम्मानित किया जाएगा।

केन्द्र निदेशक महोदय ने राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि, श्री एम० एल० मैत्रेय से अनुरोध किया कि वह निर्णायक-मंडल के सदस्य-सह-

अध्यक्ष का पद संभाल कर हमारे कार्यालय पर अनुग्रह करें। श्री मैत्रेयी ने अपनी स्वीकृति प्रदान की। निर्णायक मंडल के दो अन्य सदस्यों के रूप में उन्होंने अधीक्षक अभियन्ता–श्री सुरेश चन्द्र दुबलिश तथा कार्यक्रम निष्पादक (आज सुबह और दिल्ली दर्शन अनुभाग) श्री बीर सक्सेना को नामित किया।

कवि-गोष्ठी की कार्रवाई को संचालित करते हुए, सहायक केन्द्र निदेशक-सह-राजभाषा अधिकारी, श्री प्रेम प्रकाश सेतिया ने कार्यालय के हिन्दी अधिकारी, श्री देसराज नाग से अनुरोध किया कि वह इस कवि-गोष्ठी के आयोजन के प्रयोजन पर प्रकाश डालें। हिन्दी अधिकारी, श्री नाग ने कहा कि इस कवि-गोष्ठी को जो एक मामूली काव्य-प्रतियोगिता के रूप में है केवलमात्र इस कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों तक ही सीमित हैं। इसका आयोजन "हिन्दी सप्ताह" के समापन के प्रतीकस्वरूप किया जा रहा है। इस आयोजन के मूल में निहित भावना या प्रयोजन एक नहीं अनेक हैं। पहला तो यह कि आकाशवाणी, दिल्ली की कार्यप्रणाली कला-प्रधान है। इस कार्यालय में काम करने वाले अधिकारी/कर्मचारी किसी न किसी रूप में कला से जुड़े होते हैं और वे जो कुछ भी लिखा-पढ़ी करते हैं उसका सीधा संबंध या साध्य कलात्मक कार्यकलाप ही होता है। "काव्य" भी एक कला है। कहा भी गया है कि "शब्दार्थौ सहितम् काव्यम" अथवा "वाक्यं रसात्मक काव्यम्"। अस्तु, ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों को राजभाषा के प्रयोग के प्रति आकर्षित करने हेतु ही उनकी मानसिकता अथवा कार्य-प्रणाली के अनुरूप कवि-गोष्ठी का आयोजन "हिन्दी सप्ताह" के समापन के रूप में किया गया है। दूसरा प्रयोजन यह है कि कविहृदय होता है और कवि-हृदय व्यक्ति यदि राजभाषा के प्रयोग के प्रति आकर्षित हो जाता है तो उससे न केवल राजभाषा के प्रयोग को बढ़ाने में ही अप्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष सहायता मिलेगी अपितु ऐसा व्यक्ति राजभाषा के प्रचार एवं प्रसार में भी भावनात्मक महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है क्योंकि कवि को समाज-चष्टा भी माना गया है। हमें आशा है कि कवि-हृदय हमारे अधिकारी/कर्मचारी राजभाषा का अधिकाधिक प्रयोग करने के लिए एक सरल वातावरण का निर्माण करने में सफल हो सकेंगे।

उन्होंने तीसरे प्रयोजन को स्पष्ट करते हुए कहा कि किसी भी नए कार्य को करने में या किसी भी अभ्यास को करने में कुछ-न-कुछ कष्ट तो होता ही है। हम जब एक घर से दूसरे घर में या एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में जाते हैं तब भी कुछ-न-कुछ कष्ट अनुभव करते हैं। इसी प्रकार, स्वाभाविक है कि वर्षों से अंग्रेजी में काम करने में अभ्यस्त हुए हम जब अचानक हिन्दी में काम करने लगते हैं तो भी हमें कष्ट होता है। "हिन्दी दिवस" या "हिन्दी सप्ताह" के दौरान इस कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों ने अपना शत-प्रतिशत या 75 प्रतिशत से 99 प्रतिशत तक अपना कामकाज हिन्दी में करने का जो अभ्यास किया और ऐसा करने के कारण उन्हें जिस मानसिक श्रम या कष्ट की अनुभूति हुई उसी का परिहार करने के लिए "हिन्दी सप्ताह" के समापन के रूप में इस कवि-गोष्ठी का आयोजन किया गया है ताकि काव्य-रसामृत का पान करके अधिकारियों/कर्मचारियों की सप्ताह भर की मानसिक थकान दूर हो सके और भविष्य में और अधिक रुचि के साथ वे हिन्दी का प्रयोग कर सकें।

उन्होंने बताया कि जैसा कि केन्द्र निदेशक महोदय ने कहा है कि इस काव्य प्रतियोगिताओं के अवसर पर कवियों को प्रोत्साहित करने के लिए हमने कुछ पुरस्कार भी रखे हैं। ये पुरस्कार न्यूनाधिक प्रत्येक ऐसे कवि को दिए जायेंगे जिसने इस काव्य-प्रतियोगिता में भाग लेने की इच्छा व्यक्त की है। हमारे पास ऐसे कुल 17 अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम आए थे जिनमें से ऐसे 5 कवियों को जिनकी रचनाएं निर्णायक-मंडल द्वारा सर्वश्रेष्ठ घोषित की जायेंगी उन्हें फादर कामिल बुल्के के "अंग्रेजी-हिन्दी कोश" की एक एक प्रति भेंट की जाएगी ताकि उसकी सहायता से वे अपना और अधिक कामकाज हिन्दी में कर सकें। शेष कवियों को समान रूप से सांतवना पुरस्कार दिए जाएंगे। कवि-गोष्ठी सम्बन्धी प्रयोजन एवं परिचय को यहीं समाप्त करते हुए उन्होंने अधिकारियों को याद दिलाया कि वह यह न भूलें कि सरकारी नीति आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करने की है। आप सभी आसान हिन्दी का प्रयोग करते हुए अपनी फाइलों पर शत-प्रतिशत नोटिंग हिन्दी में कर सकते हैं —इस ओर प्रेरित तथा प्रोत्साहित करने के लिए यह कवि-गोष्ठी आयोजित की गयी है।

तदुपरांत, राजभाषा अधिकारी, श्री सेतिया ने कवि-गोष्ठी का संचालन किया और क्रम से कवियों को बुलाया। जिन 17 अधिकारियों/कर्मचारियों ने अपने नाम काव्य-प्रतियोगिता के लिए लिखवाए थे उनमें से 14 ने भाग लिया। शेष तीन उपस्थित न हो सके थे।

अहिन्दी भाषी कवियों और अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए बोनस अंक रखे गए हैं ताकि इन दोनों श्रेणियों के कर्मचारी राजभाषा के प्रयोग के प्रति विशेष रूप से प्रोत्साहित किए जा सकें।

सभी प्रतियोगियों द्वारा कविताएं पढ़ लेने के बाद निर्णायक-मंडल के सदस्य अपने निर्णय को अन्तिम रूप देने लगे और इसी बीच कवि-गोष्ठी के संचालक, श्री प्रेम प्रकाश सेतिया ने हिन्दी अधिकारी से अपनी कविता सुनाने का अनुरोध किया तथा उपस्थित श्रोता एवं अतिथियों से भी अनुरोध किया कि वे अपनी-अपनी कविताएं सुनाएं। हिन्दी अधिकारी, श्री देसराज नाग ने तथा विदेश प्रसारण सेवा के कार्यक्रम निष्पादक, डा० उपेन्द्रनाथ रैणा ने अपनी-अपनी कविताएं सुनाईं।

निर्णायक-मंडल द्वारा निर्णय को अन्तिम रूप देने के पश्चात्, श्री सेतिया ने राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि, श्री मैत्रेय से अनुरोध किया कि वह अपने विचार रखें और तदुपरांत निर्णायक-मंडल का निर्णय घोषित करें। श्री मैत्रेय ने अपने विचार रखते हुए कहा कि उन्हें यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि आकाशवाणी, दिल्ली में राजभाषा नीति का अनुपालन करवाने में गहन रूचि ली जा रही है और इस कार्यालय के कार्यालयाध्यक्ष का वरद् हस्त राजभाषा पर है। यह आशा करेंगे कि जिस तेजी के साथ आकाशवाणी, दिल्ली राजभाषा के प्रयोग में प्रगति करता जा रहा है उससे बहुत शीघ्र यह कार्यालय राजभाषा विभाग द्वारा दिए जाने वाले राजभाषा के कार्यान्वयन सम्बन्धी पुरस्कार के लिए चुना जाएगा। उन्होंने कवि-गोष्ठी के आयोजन पर भी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी में और अधिक काम करने में प्रेरणा मिलेगी और इस दृष्टि से आकाशवाणी का प्रयास स्तुत्य है। परन्तु साथ ही उन्होंने यह भी

कहा कि "हिन्दी निबन्ध" तथा "हिन्दी टिप्पण और आलेखन" प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाना चाहिए जिससे लेखन के मामले में भी अधिकारियों/कर्मचारियों में प्रतिस्पर्द्धा का वातावरण बन सके और ऐसे व्यक्तियों को भी प्रोत्साहित किया जा सके ।

समारोह में उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों को श्री मैत्रेय ने यह भी बताया कि राजभाषा द्वारा जब कभी किसी कार्यालय का निरीक्षण किया जाता है तो निरीक्षण-दल केवल तिमाही प्रगति रिपोर्टों में दिए गए आंकड़ों आदि पर ही विश्वास नहीं करता अपितु अनुभागों में जाकर अलमारियों से भी फाइलें आदि निकलवा कर प्रत्यक्ष तौर पर यह देखता है कि वास्तव में कितना काम हिन्दी में हो रहा है और राजभाषा नियमों आदि का कितना पालन व्यावहारिक तौर पर हो रहा है । अतः उन्होंने उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों को सलाह दी कि वे केवल आंकड़ों पर विश्वास न करें अपितु व्यावहारिक तौर पर यह देखें कि उनकी फाइलें आदि स्वयं इस बात का प्रमाण बन जाएं कि आकाशवाणी, दिल्ली में वास्तव में 75 प्रतिशत से अधिक काम हिन्दी में हो रहा है । उन्होंने प्रेरणा देते हुए कहा कि वह चाहेंगे कि आकाशवाणी, दिल्ली राजभाषा के प्रयोग के मामले में अन्य कार्यालयों के लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण बन जाए ।

अपने विचार व्यक्त करने के बाद उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता में पढ़ी गयी सभी कविताएं सरस, ज्ञानवर्धक तथा प्रेरक थीं और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात तो यह है कि लिपिकवर्गीय एवं समूह "घ" कर्मचारियों ने भी इस काव्य-प्रतियोगिता में भाग लिया तथा अहिन्दी भाषी व्यक्तियों ने भी हिन्दी में बड़ी सुन्दर कविताएं प्रस्तुत कीं । तदुपरांत, श्री मैत्रेय ने उन पांच कवियों के नामों की घोषणा की जिनकी रचनाओं को निर्णायक-मंडल ने सर्वश्रेष्ठ पाया था । केन्द्र निदेशक महोदय ने उन पांचों व्यक्तियों को फादर कामिल बुल्के द्वारा विरचित "अंग्रेजी-हिन्दी कोश" की एक-एक प्रति पुरस्कारस्वरूप भेंट की । सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्राप्त करने वालों में एक तमिलभाषी अधिकारी, श्री के० वागीश, कार्यक्रम निष्पादक भी थे । प्रतियोगिता में भाग लेने वाले जिन शेष कवियों ने अपनी-अपनी कविताएं सुनाई थीं उन्हें भी विल्लन का एक-एक जाटर बाल-पेन सांत्वना-पुरस्कार एवं प्रोत्साहन के रूप में केन्द्र निदेशक महोदय द्वारा भेंट किया गया ।

पुरस्कार वितरण के बाद, केन्द्र निदेशक महोदय ने कहा कि भले ही कुछ व्यक्तियों को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार न मिल पाया हो परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि उनकी कविताएं सुन्दर नहीं थी । उन्हें किसी तरह से निराश नहीं होना चाहिए । यह प्रतियोगिता तो मात्र हिन्दी के प्रयोग के लिए वातावरण बनाने के उद्देश्य से रखी गयी है ।

प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी कविगण अपने-अपने क्षेत्र में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाते चले जाएं । उन्हें प्रसन्नता है कि लिपिक वर्ग तथा समूह "घ" कर्मचारी भी कविताएं लिखते हैं । जब सभी अधिकारी/कर्मचारी किसी न किसी ढंग से हिन्दी का प्रयोग करने लगेंगे तो ऐसे प्रयोगों से ही राजभाषा आगे बढ़ेगी और लिपिकवर्गीय कर्मचारियों में इस प्रकार की रूचि पैदा होना और भी प्रशंसनीय तथा उत्साहवर्द्धक है । उन्होंने विज्ञान कक्ष के कार्यक्रम निष्पादक, डा० श्रीमती नीलिमा हरजाल की कविता को भी श्रेष्ठ प्रयास बताया ।

पुरस्कार वितरण के पश्चात् उपस्थित श्रोता समुदाय ने निर्णायक-मंडल के सदस्य, श्री वीर सक्सेना कार्यक्रम निष्पादक (आज सुबह, दिल्ली दर्शन और ब्रज माधुरी अनुभाग) से कविता सुनाने का आग्रह किया । अध्यक्ष महोदय के अनुरोध पर उन्होंने भी अपनी कविता सुनाई जिसकी सभी ने मुक्त-कंठ से सराहना की ।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देते हुए यह कवि-गोष्ठी विसर्जित हुई और सभी ने इस आयोजन को सफल तथा राजभाषा की दृष्टि से प्रेरक एवं उपयोगी बताया ।

45. दि फर्टिलाईजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि० नई दिल्ली

दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि० में हिन्दी के कार्य को बढ़ावा देने, कर्मचारियों में हिन्दी के प्रति रुचि जागृत करने के लिए

दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि०, नई दिल्ली में हिन्दी सप्ताह के अवसर पर आयोजित हिन्दी कार्यशाला का एक दृश्य

राजभाषा विभाग के निर्देशानुसार 14 सितम्बर, से 20 सितम्बर तक हिन्दी सप्ताह मनाया गया जिसका निगम के कर्मचारियों ने भरपुर स्वागत किया । सभी कर्मचारियों ने बड़े उत्साह से इस सप्ताह को सफल बनाने के लिए अपना योगदान दिया ।

हिन्दी सप्ताह के दौरान निगम के मुख्यद्वार पर टेपरिकार्डर द्वारा बार-बार सभी कर्मचारियों/अधिकारियों को यह स्मरण कराया जाता रहा कि वे अपना अधिक से अधिक काम हिन्दी में करें, आपसी बातचीत हिन्दी में करें, उपस्थित रजिस्टर में हस्ताक्षर हिन्दी में करें, हिन्दी हमारी भाषा है, इसका गौरव हमारा गौरव है ।

इस सप्ताह के दौरान निगम के सभी विभागों में हिन्दी के प्रोत्साहन से संबंधित नारों के पोस्टर लगाए गए थे तथा मुख्य द्वारा हिन्दी सप्ताह के बैनर्स से सुशोभित थे । 17 सितम्बर, 1985 को कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए एक हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें 12 कर्मचारियों ने भाग लिया । जिसमें प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय एवं तीन सांत्वना पुरस्कार रखे गए थे । हिन्दी सप्ताह के अन्तर्गत चार सत्रों पर आधारित एक दिन की हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया । कार्यशाला के प्रथम सत्र में राजभाषा विभाग के अनुसंधान अधिकारी श्री एम० एल० मैत्रेय ने राजभाषा नीति के बारे में जानकारी देते हुए प्रशासनिक मामलों के संबंध में नोटिंग ड्राफ्टिंग का अभ्यास करवाया । श्री मैत्रेय के विचार काफी विचारोत्तेजक रहे । कार्यशाला के द्वितीय सत्र में हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर के भूतपूर्व हिन्दी अधिकारी श्री बलवीर सक्सेना ने हिन्दी में टिप्पण आलेखन तथा पारिभाषिक शब्दों के विषय में बताया ।

भोजनोपरान्त के सत्र में राजभाषा विभाग के अवकाश प्राप्त उप सचिव श्री हरिबाबू कंसल ने "कार्यालय की भाषा कैसी हो" विषय पर बोलते हुए बताया कि हम जैसी हिन्दुस्तानी बोलते हैं उसी तरह की सरल हिन्दी का प्रयोग हम लिखने में भी कर सकते हैं । कार्यशाला के अन्तिम तथा चौथे सत्र में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के हिन्दी अधिकारी श्री बी० एस० मेहरा ने भर्ती संबंधी मामलों पर अभ्यास कराया ।

कार्यशाला के इस कार्यक्रम के पश्चात् निगम के मुख्य प्रबंधक श्री जे० एस० भल्ला ने निबन्ध प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कार बांटे । तीन कर्मचारियों को सांत्वना पुरस्कार भी दिए गए । कर्मचारियों को संबोधित करते हुए भी भल्ला ने पुरस्कृत कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि हिन्दी गूढ़ न होकर सरल होनी चाहिए । उन्होंने आगे बताया कि सम्पर्क भाषा हिन्दी एक हार की तरह है जो हमारे सारे देश को एकता के सूत्र में गूंथे रखता है । मुख्य जनसम्पर्क प्रबंधक श्री यू० के० शरण ने बताया कि हिन्दी जानते हुए भी हमारी प्रवृति अंग्रेजी की ओर नहीं होनी चाहिए । हमें भरसक प्रयास करना चाहिए कि हम अपनी राजभाषा को आगे बढ़ाएं ताकि विश्व के समक्ष सिर ऊंचा कर सकें । हमारे कम्पनी सचिव तथा आर्थिक सलाहकार श्री ए० के० बिश्वास ने बताया कि प्रत्येक को अपनी भाषा प्यारी होती है लेकिन देश की एकता के लिए हमें अपनी भाषा के साथ-साथ देश की राजभाषा को भी सीखना चाहिए ।

मंत्रालय के हिन्दी अधिकारी मेहरा ने बताया कि हमें हिन्दी में ही सोचना चाहिए तथा हम अच्छी हिन्दी भी लिख सकते हैं ।

—मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी

46. नैशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन लि०, नई दिल्ली

हिन्दी के प्रति कर्मचारियों में रूचि जागृत करने के उद्देश्य से निगम में 12 सितम्बर, 1985 को हिन्दी दिवस समारोह का आयोजन किया गया । इस अवसर पर निबन्ध प्रतियोगिता, वाद-विवाद प्रतियोगिता तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया । साथ ही, इनमें भाग लेने वाले सभी कर्मचारियों को पुरस्कृत भी किया गया ।

इस अवसर पर याद बनाए रखने के लिए एक स्मारिका का भी प्रकाशन किया गया जिसमें हिन्दी के प्रयोग के संबंध में ज्ञानवर्धक सामग्री दी गई है तथा कर्मचारियों द्वारा लिखी गई रोचक रचनाएं भी प्रकाशित की गई हैं ।

—चरणजीतसिंह
प्रबन्धक (कार्मिक एवं औद्योगिक संबंध)
तथा हिन्दी अधिकारी

47. सिंडिकेट बैंक आँचलिक कार्यालय, नई दिल्ली

"हिन्दी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो भारत को जोड़े रखने में समर्थ है ।" ये भावपूर्ण शब्द आज यहां हिन्दी के प्रख्यात विद्वान एवं काशी नागरी प्रचारिणी के प्रधान मंत्री पंडित सुधाकर पाण्डेय, संसद सदस्य ने व्यक्त किए । श्री पाण्डेय सिंडिकेट बैंक के दिल्ली आंचलिक कार्यालय द्वारा आयोजित हिन्दी दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विचार व्यक्त कर रहे थे ।

श्री पाण्डेय ने आगे कहा कि यह दुर्भाग्य की बात है कि आज 35 वर्षों के बाद भी हमें हिन्दी को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के बारे में सोचना पड़ता है । उन्होंने कहा कि हिन्दी के प्रचार-प्रसार में यों तो अनेक सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा काम किया जा रहा है, किन्तु बैंकों द्वारा इस दिशा में विशेष भुमिका निभायी जा सकती है । क्योंकि बैंकों का कार्य-व्यवहार मुख्यत: जनसम्पर्क पर ही आधारित है । आपने विश्वास व्यक्त किया है कि सिंडिकेट बैंक अपनी परम्परा के अनुरूप हिन्दी के कामकाज को आगे बढ़ाने में किसी से भी पीछे नहीं रहेगा ।

श्री पाण्डेय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हिन्दी के मामले में अन्याय और विश्वासघात को अब अधिक दिनों तक बर्दाशत नहीं किया जा सकता है । हमें अपनी सभी भारतीय भाषाओं का पूरा सम्मान करते हुए हिन्दी को आगे बढ़ाना है । अगर हिन्दी का विरोध किसी से है तो वह अंग्रेजी और उससे पनपी अंग्रेजियत है जिसका चलन किसी भी स्वाभिमानी देश के लिए सर्वथा निन्दनीय है ।

राजभाषा अधिकारी डा० देशबंधु राजेश ने कहा कि हिन्दी के प्रति समर्पित पंडित सुधाकर पाण्डेय जैसे महान व्यक्तित्व से हम सभी हिन्दी के प्रचार-प्रसार हेतु प्रेरणा ले सकते हैं । उन्होंने बताया कि बैंक के दिल्ली

अंचल में "हिन्दी दिवस" को "संकल्प दिवस" के रूप में मनाया गया। इसके अतिरिक्त हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की दिशा में बैंक ने उल्लेखनीय प्रगति की है।

इस अवसर पर बैंक के सहायक महाप्रबंधक श्री बी० पी० बालिगा ने विश्वास दिलाया कि बैंक का प्रत्येक कर्मचारी पूरी निष्ठा से हिन्दी में काम करेगा और अपेक्षित लक्ष्यों की प्राप्ति में अपना सक्रिय सहयोग देगा। मंडल प्रबंधक श्री एस० पी० जैन ने भी इसी प्रकार की भावनाएं व्यक्त की।

समारोह की अध्यक्षता करते हुए बैंक के दिल्ली अंचल के उप महाप्रबंधक श्री गारनेट ए० रेगी ने कहा कि निस्संदेह हिन्दी ही देश की एकता के सूत्र में जोड़े रख सकती है। परन्तु इस भावना को हमें पूरे देश की जनता के मन में पहुंचाना जरूरी है। आपने आशा व्यक्त की कि सरकारी स्तर पर राजभाषा के कार्यान्वयन के साथ-साथ इस भावना को भी विकसित किया जाएगा।

सी० डी० अरोड़ा
उप प्रभागीय प्रबंधक

48. भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली

भारत निर्वाचन आयोग के सचिवालय में हिन्दी दिवस समारोह दिनांक 11-10-85 को मनाया गया। समारोह में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राम कृष्ण त्रिवेदी मुख्य अतिथि थे। समारोह का संचालन विधिक अधीक्षक श्री एस० के० मेंहदीरत्ता ने किया। सभी उपस्थितों को राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा के विकास के सम्बन्ध में जारी किए गए प्रधानमंत्री जी के संदेश की प्रतियां वितरित की गईं।

सभी के प्रारंभ श्री गौतम दास गुप्ता, श्रीमती विजय गुलाटी, कु० पी० वी० कला, कु० पुनम भसीन तथा कुमारी रेणु बाला ने बन्दे मातरम का गायन किया।

सचिव श्री धर्मवीर ने भारत सरकार की राजभाषा नीति पर प्रकाश डाला। मुख्य निर्वाचन आयुक्त महोदय ने इस अवसर पर अपने विचार रखे तथा सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को अधिकाधिक कार्य हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहित किया।

एस० डी० प्रसाद
अवर सचिव

49. इलाहबाद बैंक, नई दिल्ली

इलाहाबाद बैंक, उत्तरी मंडल में दिनांक 9-9-85 से 14-9-85 तक की अवधि को हिंदी सप्ताह के रूप में मनाया गया। इस अवधि के दौरान शाखाओं व कार्यालयों द्वारा अपने आन्तरिक कार्यों तथा पत्र-व्यवहार आदि में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग किया गया। इस अवसर पर बैंक के प्रधान कार्यालय द्वारा निर्धारित कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए दिनांक 6-9-85 को स्थानीय संसद मार्ग शाखा में बैंक की दिल्ली स्थित शाखा प्रबंधकों की एक विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता सहायक महाप्रबंधक श्री शिवमोहन मिश्र ने की, बैठक में हिंदी काम-काज को तीव्र गति देने हेतु अनेक महत्वपूर्ण निर्णय किए गए। अधिसंख्य शाखाओं में भी दिनांक 9-9-85 को स्टाफ की बैठकें आयोजित की गईं जिनमें दैनिक काम-काज में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए अनेक सुझाव प्राप्त हुए।

दिनांक 14-9-85 को हिंदी दिवस के अवसर पर नई दिल्ली व चण्डीगढ़ में मंडलीय/क्षेत्रीय कार्यालयों के तत्वाधान में बैंक की स्थानीय शाखाओं व कार्यालयों के कर्मचारियों व अधिकारियों के लिए "हिंदी वक्तृत्व" प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, इन प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतियोगियों को हिंदी की उत्कृष्ट साहित्यिक पुस्तकें पुरस्कार स्वरूप प्रदान की गईं।

(गुमान सिंह)
राजभाषा अधिकारी
इलाहाबाद बैंक

उत्तरी मण्डल कार्यालय, तृतीय तल 17, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

"राष्ट्रभाषा हिन्दी द्वारा ही भारतीय संस्कृति की रक्षा हो सकती है"

—राजर्षि टंडन

विविधा

1. नागरिक पूर्ति विभाग से सम्बंधित विषयों पर हिन्दी मौलिक पुस्तकें लिखने पर पुरस्कार देने की योजना

नागरिक पूर्ति विभाग द्वारा विभाग के कार्यक्षेत्र में आने वाले विषयों पर श्रेष्ठ पुस्तकें मौलिक रूप से हिंदी में लिखने वाले लेखकों को पुरस्कृत देने की एक योजना वर्ष 1982-83 से शुरू की गई है । योजना का ब्यौरा अनुबंध-1 में दिया गया है । इस योजना के अंतर्गत दो वर्षों में एक बार 5000 रु० और 2500 रु० के दो नकद पुरस्कार देने की व्यवस्था है । विभाग से संबंधित विषय इस प्रकार हैं :—

1. उपभोक्ता संरक्षण
   - क. उपभोक्ता संरक्षण अभिकरणों का गठन तथा विकास ;
   - ख. गुणवत्ता नियंत्रण ;
   - ग. मानकीकरण ;
   - घ. माप-तोल सम्बन्धी समस्याएं; आदि
2. उपभोक्ता सहकारी समितियां
3. सार्वजनिक वितरण
4. विधिक माप विज्ञान (लीगल मैट्रोलोजी)
   - क. भारत में विधिक माप विज्ञान का विकास;
   - ख. विधिक माप विज्ञान सम्बन्धी कानून ; आदि
5. बाट तथा माप
   - क. भारत में बाट तथा माप का इतिहास ;
   - ख. अन्तर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली (एस० आई० सिस्टम आफ यूनिट्स) ;
   - ग. बाट तथा माप उपकरण और उनकी सत्यापन-विधि ; आदि
6. खाद्य तेल
   - क. खाद्य तेलों संबंधी अर्थव्यवस्था—इसका संचालन एवं प्रबन्ध;
   - ख. वनस्पति तेलों और वनस्पति उद्योग का संवर्धन और विकास;
   - ग. अप्रधान/गैर पारम्परिक खाद्य तेलों के संवधन एवं विकास से संबंधित समस्याएं तथा संभावनाएं ; आदि

ये पुरस्कार भारतीय लेखकों के लिए हैं, जिनमें एक से अधिक लेखकों द्वारा लिखी गयी पुस्तकों के वे संपादक भी शामिल है, जिन्होंने स्वयं भी उन पुस्तकों में पर्याप्त रूप से अंशदान किया हो और साथ ही सम्पादकीय प्राक्कथन भी दिया हो । इन पुरस्कारों के लिए प्रकाशित पुस्तकें तथा वे पाण्डुलिपियां भेजी जा सकती हैं, जिन्हें लेखक प्रकाशित करवाने का इरादा रखता हो, बशर्ते कि ये पुस्तकें/पाण्डुलिपियां मौलिक रूप में हिंदी में लिखी गयी हों और उनसे किसी भी व्यक्ति के स्वत्वाधिकार (कापीराइट) का उल्लंघन न होता हो ।

लेखकों का मूल्यांकन उनके द्वारा भेजी गयी पुस्तकों/पाण्डुलिपियों से प्रकट होने वाले मौलिक योगदान के आधार पर किया जायेगा ।

यदि किसी प्रविष्टि को पहले किसी योजना के अन्तर्गत पुरस्कार मिल चुका है, तो आवेदन-पत्र में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिये ।

यदि पुरस्कृत पुस्तक या पाण्डुलिपि के एक से अधिक लेखक हैं तो पुरस्कार की राशि सह-लेखकों में बराबर बांट दी जायेगी ।

यदि संदर्भाधीन दो वर्षों की अवधि में किसी भी पुस्तक या पाण्डुलिपि को पुरस्कार के योग्य नहीं समझा गया, तो उस अवधि के लिए विभाग द्वारा पुरस्कार की घोषणा नहीं की जायगी ।

यदि कोई अप्रकाशित पुस्तक पुरस्कार के लिए चुनी जाती है, तो पुरस्कार की राशि का भुगतान लेखक द्वारा केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार अथवा इन किन्हीं भी सरकारों से सहायता प्राप्त कर रहे किसी भी संस्थान या संगठन से सहायता लिए बिना इस पुस्तक को प्रकाशित कराये जाने के बाद ही किया जायेगा । यदि लेखक पुरस्कार की घोषणा के छः महीने के भीतर लिखित रूप में सूचित करता है कि वह स्वयं पुस्तक प्रकाशन नहीं करा सकता है तो उसे पुरस्कार की राशि का भुगतान इस शर्त पर किया जा सकता है कि पुस्तक का स्वत्वाधिकार भारत सरकार को सौंप दे, जिसके बदले में उसे पुरस्कार की राशि के अतिरिक्त 1000 रु० स्वत्वाधिकार राशि के रूप में दिए जायेंगे ।

इस योजना के तहत प्राप्त होने वाली प्रत्येक प्रविष्टि का मूल्यांकन दो विशेषज्ञों से कराया जाएगा और विवाद होने की दशा में संबंधित प्रविष्टि का मुल्यांकन तीसरे मूल्यांकनकर्ता से कराया जाएगा । इस कार्य के लिए कुछ मूल्यांकन संकेत तैयार किए गये हैं, जो निम्न प्रकार हैं:—

	अंक
1. पुस्तक में नागरिक पूर्ति से संबंधित विषय का निर्वाह	10
2. विचारों की मौलिकता	10
3. पुस्तक में दी गई जानकारी कहां तक सही और नवीनतम वैज्ञानिक तथा तकनीकी की मूल्यों के अनुरूप हैं ।	10
4. भाषा की सुबोधगम्यता तथा सरलता	10
5. पुस्तक के स्तर के बारे में सामान्य विचार (10 पंक्तियों तक	10

विशेषज्ञों द्वारा दिए गये मूल्यांकन परिणामों के आधार पर पुरस्कार के लिए पुस्तकों का चयन करन के लिए गठित मूल्यांकन समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं :—

1. श्री बी० के० सिन्हा	संयुक्त सचिव (हिंदी के प्रभारी) —अध्यक्ष
2. श्री डी० के० सिंह	संयुक्त सचिव—सदस्य
3. श्री डी० सी० मिश्र	संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग—सदस्य
4. श्री पी० एस० चीमा	मुख्य निदेशक, वनस्पति निदेशालय—सदस्य
5. श्री बी० एन० सिंह	अपर महानिदेशक, भारतीय मानक संस्था—सदस्य
6. श्री आर० पी० श्रीवास्तव	प्रबन्ध निदेशक, एन० सी० सी० एफ० —सदस्य
7. श्री ब्रह्म दत्त	महाप्रबन्धक, सुपर बाजार, नई दिल्ली—सदस्य
8. श्री के० एस० वाजवा	उप सचिव (हिंदी के प्रभारी)—सदस्य-सचिव

2. बैंक आफ महाराष्ट्र की स्वर्ण जयन्ती

बैंक आफ महाराष्ट्र की स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर बैंक द्वारा पिछले पांच वर्षों से निरन्तर प्रकाशित त्रैमासिक हिन्दी पत्रिका "उत्तरांचल दर्पण" एक विशेषांक सितम्बर माह में प्रकाशित किया गया। दिनांक 27 सितम्बर 1985 को बैंक के प्रशिक्षण केन्द्र में आयोजित एक समारोह में इस विशेषांक का "विमोचन" सुप्रसिद्ध कलमकार तथा "वामा" की सम्पादिका मणाल पांडे द्वारा किया गया।

बैंक आफ महाराष्ट्र, पुणे की स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर बैंक की त्रैमासिक हिन्दी पत्रिका "उत्तरांचल दर्पण" के विशेषांक के विमोचन से पूर्व श्रीमती मृणाल पांडे, सम्पादिका, 'वामा' का स्वागत करते हुए बैंक के प्रशिक्षण केन्द्र प्रशिक्षक

मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए मृणाल जी ने कहा कि बैंक जन सेवा की आर्थिक मुख्य गतिविधियों के एक माध्यम के रूप में ऐसा अभिकरण है जहां फिलहाल भाषा का नहीं सेवा और कार्य का महत्व अधिक है। सेवा हिन्दी के माध्यम से की जाए या अन्य किसी भाषा के माध्यम से यह सवाल दूसरा है, पहला है कि "सेवा" दी जाय। श्रीमती पांडे द्वारा आधुनिक बैंकिंग में गिरती हुई ग्राहक सेवा पर कटाक्षयुक्त प्रहार ने बैंक कर्मियों को सोच के धरातल पर उतार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम का संचालन बैंक के राजभाषा अधिकारी व उत्तरांचल दर्पण के प्रधान संपादक श्री प्रबोध कुमार गोविल द्वारा किया गया।

इस अवसर पर बैंक की दिल्ली स्थित सभी शाखाओं के कर्मचारियों के लिए एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। प्रतियोगिता के लिए निर्धारित विषय था—"राजभाषा (हिन्दी) का प्रयोग करके हम बैंकिंग जगत में उत्पादकता, कार्य क्षमता व कार्य के स्तर को गिरा रहे हैं" इस विषय पर बोलते हुए प्रतिस्पर्द्धियों ने जहां राजभाषा की सहजता, सरलता और राष्ट्रीयता के लिए इसकी आवश्यकता पर बल दिया वहीं कुछ प्रतियोगियों ने व्यावहारिकता का तर्क देकर इसकी सीमाओं व कमियों को भी उजागर किया।

बैंक के उप महा प्रबंधक श्री दे० प्र० कानविन्दे ने इस अवसर पर भाषण करते हुए राष्ट्रीयता और भारतीय संस्कृति के वहन को आज की जरूरत बताते हुए कहा कि बैंक आफ महाराष्ट्र ने अपनी सेवा व संस्कृति में इसे अहमियत दी है।

बैंक के सहायक महा प्रबंधक श्री र० भा० ब्रह्मे, मंडल प्रबंधक, श्री वी० एम० इनामदार, श्री एम० एम० शालिग्राम, श्री के० यू० कुलकर्णी भी इस अवसर पर उपस्थित थे ।

विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजयी रहने वाले कर्मचारियों एवं उत्तरांचल दर्पण में श्रेष्ठ रचनात्मक योगदान देने वाले लेखक कमचारियों को इस अवसर पर पुरस्कृत किया गया ।

प्रस्तोता–प्रबोध कुमार गोविल

3. कांस्टीट्यूशनल क्लब, नई दिल्ली में देवनागरी लिपि के कम्प्यूटरों के सम्बन्ध में गोष्ठी

"विश्व हिन्दी दर्शन" ने कांस्टीट्यूशन क्लब, नई दिल्ली में राष्ट्रभाषा हिन्दी की प्रगति कम्प्यूटर की चुनौती" विषय पर एक गोष्ठी का आयोजन किया जिसकी अध्यक्षता कुमारी निर्मला देशपांडे ने की तथा उद्घाटन केन्द्रीय शिक्षा मंत्री श्री कृष्णचंद्र पंत ने किया ।

श्री पंत ने उन व्यक्तियों तथा संगठनों को बधाई दी जिनके प्रयत्नों से देवनागरी लिपि के कम्प्यूटर बन सके हैं । उन्होंने कहा कि देवनागरी लिपि के कम्प्यूटर बनाने से राजभाषा के रूप में हिन्दी और अधिक प्रगति कर सकेगी । उन्होंने यह भी बताया कि पिछल साल भारत के स्कूलों में 250 कम्प्यूटर दिये गये हैं और इस वष लगभग 500 और कम्प्यूटर दिये जायेंगे । इससे आने वाले वर्षों में कम्प्यटर का प्रयोग और अधिक बढ़ेगा । ये कम्प्यूटर रोमन लिपि के हैं । जब अन्य दशों में उनकी अपनी भाषा के लिपि के कम्प्यूटर का प्रयोग हो रहा है तब भारत में भी इस दिशा में काम होना चाहिए ।

गोष्ठी के उद्देष्य पर प्रकाश डालते हुए "विश्व हिन्दी दर्शन" के सम्पादक श्री लल्लन प्रसाद व्यास ने कहा कि कुछ वष पूव अनेक जगह टेलीफोन के बिल, बिजली के बिल आदि हिन्दी में बनने लगे थे लेकिन जब वह काम कम्प्यूटर से किये जाने लगे तब वहां हिन्दी हटकर फिर अंग्रेजी आ गई थी । अब विभिन्न सरकारी विभागों में कम्प्यूटर और अधिक संख्या में मंगवाए जा रहे हैं । अतः इस बात की आवश्यकता है कि देवनागरी लिपि के कम्प्यूटर के विकास, उत्पादन और उनके प्रयोग के विषय में गम्भीरता से चिन्तन किया जाय ।

राजभाषा विभाग के सेवा निवृत उपसचिव श्री हरि बाबू कंसल ने बताया कि कई विभाग जो अपना काफी काम हिन्दी में करने लगे थे कम्प्यूटर के आगमन पर पीछे की ओर जाने लगे हैं । उसको ध्यान में रखते हुए अब से 10 वर्ष पूर्व कम्प्यूटरों में देवनागरी लिपि के प्रयोग की चर्चा आरम्भ हुई और उस दिशा में अनेक प्रयत्न किये गए जिनके फलस्वरूप अब ऐसे कम्प्यूटर देश में बन रहे हैं जिनमें न कवल देवनागरी लिपि का अपितु रोमन तथा भारत की कई भाषाओं की लिपियों का प्रयोग किया जा सकता है ।

देवनागरी लिपि के कम्प्यूटर का अथवा द्विभाषिक अथवा त्रिभाषिक कम्प्यूटरों का किन-किन कामों में किस प्रकार प्रयोग किया जा सकता है इस विषय में सुश्री कुसुम लता तथा श्री रमेश अग्रवाल ने प्रकाश डाला । इस अवसर पर डी० सी० एम० डाटा प्रोडेक्ट द्वारा निर्मित "सिद्धार्थ" नामक द्विभाषिक कम्प्यूटर का प्रदर्शन भी हुआ जिसे विभिन्न विभागों के अधिकारियों तथा प्रतिष्ठित नागरिकों ने देखा तथा उसके सम्बन्ध में अनेक प्रकार के प्रश्न किये ।

दक्षिण मध्य रेलवे के वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी श्री विजय मल्होत्रा ने बताया कि इन मशीनों के द्वारा स्वतः अनुवाद तथा लिप्यंतरण के सम्बन्ध में किस प्रकार का अनुसंधान कार्य हुआ है तथा उनकी सहायता से किस प्रकार रेलवे आरक्षण चार्ट तथा टेलीफोन डायरेक्टरी आदि हिन्दी में तैयार हो सकेंगी तथा फार्म आदि हिन्दी तथा अंग्रेजी में साथ-साथ छाप सकेंगे । इससे शब्दकोश निर्माण तथा अनुक्रमणिका आदि तैयार करनें में भी सुविधा होगी ।

डा० महेश चन्द्र गुप्त ने बताया कि उत्तर भारत के केन्द्रीय कार्यालयों में कई तकनीकी काम हिन्दी में हो रहे हैं तथा वैज्ञानिक तथा तकनीकी प्रकार की पुस्तकें मौलिक रूप में हिन्दी में लिखी जा रही हैं ।

संचार मंत्रालय के वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी श्री विश्वनाथ मिश्र ने बताया कि मशीनी टेलीप्रिण्टरों में देवनागरी के अक्षर ठीक नहीं छपते थे । अब इलेक्ट्रानिक टेलीप्रिण्टर तैयार हुए हैं जिसमें देवनागरी अक्षर स्पष्ट आएंगे तथा उनमें अन्य भारतीय भाषाओं की लिपियों का भी प्रयोग हो सकेगा ।

बैंकिंग विभाग के उपनिदेशक श्री जगदीश सेठ ने बताया कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में अनेक कम्प्यूटर लगवाए जा रहे हैं जो रोमन लिपि के हैं । इस बात पर चिन्ता प्रकट की गई कि यदि बैंकों का विभिन्न काम अंग्रेजी कम्प्यूटरों के द्वारा किया जाने लगा तो उससे बैंकों में हिन्दी में हो रही हिन्दी की प्रगति को धक्का लगेगा । चर्चा में श्री अशोक चोपड़ा, श्री राजकिशोर ने भी भाग लिया, जिसमें कम्प्यूटर से सम्बन्धित विविध प्रकार की समस्याओं पर प्रकाश डाला गया तथा उनके निराकरण के सम्बन्ध में सुझाव प्रस्तुत किये गये ।

अध्यक्ष पद से कुमारी निर्मला देशपांडे ने कहा कि कोई भी नया यंत्र आता है तो वह कुछ समस्याएं हल करता है उससे कुछ नई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं । प्रयत्न यह होना चाहिए कि यंत्र मानव का मालिक न बने अपितु उसका उपयोग मानव की सेवा के लिए हो । उन्होंने उन कम्पनियों को बधाई दी जिन्होंने देवनागरी लिपि के कम्प्यूटर तैयार किये हैं और यह आशा की कि इन यंत्रों से हिन्दी की अभिवृद्धि में सहायता मिलेगी ।

प्रस्तोता : हरिबाबू कंसल,
ई० 9/23, वसन्त विहार
नई दिल्ली-110057

4. भारतीय सर्वेक्षण विभाग उत्तरी सर्किल देहरादून में वार्षिक हिन्दी समारोह :—

भारतीय सर्वेक्षण विभाग, उत्तरी सर्कल, 17 ई० सी० रोड, देहरादून का दसवां वार्षिक हिन्दी समारोह दिनांक 18 अक्टूबर, 1985 को सम्पन्न हुआ। इस समारोह में मेजर जनरल गिरीश चन्द्र अग्रवाल भारत के महासर्वेक्षक मुख्य अतिथि थे। समारोह की अध्यक्षता श्री गुरुबक्श सिंह उबेराय, निदेशक ने की।

भारतीय सर्वेक्षण विभाग, उत्तरी सर्वल देहरादून के दसवें हिन्दी समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि मेजर-जनरल गिरीश चन्द्र अग्रवाल भारत के महासर्वेक्षक, दीप जलाकर समारोह का उद्घाटन करते हुए। सामने खड़े है श्री गुरुबक्श सिंह उबेराय, निदेशक उत्तरी सर्कल व बीच में श्री रमेश कुमार चमोली, हिन्दी अधिकारी उत्तरी सर्कल।

समारोह का उद्घाटन मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके पश्चात् सरस्वती वंदना की गई। श्री कैलाश नारायण सक्सेना उपनिदेशक ने मुख्य अतिथि तथा अध्यक्ष एवं उपस्थित समुदाय का स्वागत किया। तत्पश्चात् सर्कल के हिन्दी अधिकारी ने वर्ष 1984 की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें उन्होंने रिपोर्टाधीन वर्ष के अन्तर्गत हासिल की गई उपलब्धियों के बारे में अवगत कराया। उन्होंने बताया कि कई तकनीकी कार्यों में भी हिन्दी का शुभारम्भ किया जा चुका है और यह कार्य बड़ी निपुणता से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि तकनीकी कार्यों में टोपी शीटों की हिस्ट्री शीटें हिन्दी में लिखी जा रही है, संख्या 26 फोटो पार्टी इस कार्य में सबसे आगे रही उन्होंने यह भी बताया कि संख्या 2 आरेखण कार्यालय में एक टोपी शीट पूर्ण रूप से हिन्दी में तैयार की जा चुकी है तथा प्रकाशन के लिए मुद्रण प्रभाग, मानचित्र प्रकाशन निदेशालय को भेजी जा चुकी है। इसके साथ ही कई अधीनस्थ कार्यालयों में कैशबुक हिन्दी में बनाई जा रही है और धीरे-धीरे वेतन बिल भी हिन्दी में ही बनाए जाएंगे। चूंकि अभी ये बिल कम्प्यूटर से बनाए जा रहे है अतः देवनागरी कम्प्यूटर की आवश्यकता बहुत आवश्यक प्रतीत होती है।

हिन्दी अधिकारी ने बताया कि गत वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष हिन्दी व्यवहार प्रतियोगिता में काफी कर्मचारी भाग ले रहे हैं तथा पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं इस प्रोत्साहन योजना के फलस्वरूप हिन्दी पत्राचार तथा तकनीकी काम में भी हिन्दी प्रयोग बहुत बढ़ा है। इस प्रतियोगिता में तकनीकी तथा गैर-तकनीकी सभी वर्ग के प्रतियोगियों ने भाग लिया है। श्री श्रीधर प्रसाद सती, श्री रामलाल छावड़ा, श्री रामचन्द्र खरबन्दा, श्री शीश राम कान्ति तथा श्री हंस राज ने हिन्दी व्यवहार प्रतियोगिता में पुरस्कार प्राप्त किए हैं।

हिन्दी अधिकारी ने बताया कि वर्ष 1984 में हिन्दी में काम करने का अभ्यास बढ़ाने के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें 18 अधिकारियों/कर्मचारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। कार्यशाला में प्रशिक्षित कर्मचारियों में हिन्दी में कार्य करने का अभ्यास बढ़ा है तथा झिझक दूर हुई है।

वर्ष 1984 में "राजभाषा कार्यान्वयन समिति" की चार बैठकें की गई जिनमें सभी संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा की गई है। समीक्षा में पाई गई कमियों को दूर करने के लिए संबंधित अधीनस्थ कार्यालयों को आदेश जारी किए गए। साथ ही समिति में केन्द्र सरकार 'गृह मंत्रालय' से प्राप्त आदेशों पर भी चर्चा की गई तथा उनके कार्यान्वयन के लिए कदम उठाए गए।

समारोह के उपलक्ष में कुछ हिन्दी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई :—

जैसे (1) हिन्दी निबन्ध (2) हिन्दी स्वरचित कविता (3) हिन्दी टाइपिंग (4) हिन्दी नोटिंग ड्राफ्टिंग (5) हिन्दी तकनीकी शब्दावली (6) हिन्दी सुलेख (जो केवल ग्रुप 'डी' के लिए थी) (7) हिन्दी नारे अथवा सुझाव (8) हिन्दी प्रश्नावली

हिन्दी अधिकारी ने बताया कि हिन्दी प्रश्नावली (हिन्दी क्विज) सबसे सराहनीय कार्यक्रम रहा। जिसकी मुख्य अतिथि एवं सभी दर्शकों ने प्रशंसा की। कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए कुछ गीत, कविताएं व एक लघु हास्य एकांकी भी प्रस्तुत किया गया। इन प्रतियोगिताओं तथा हिन्दी व्यवहार प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतियोगियों को पुरस्कार वितरण किया गया। पुरस्कार वितरण मुख्य अतिथि मेजर जनरल गिरीशचन्द्र अग्रवाल, भारत के महासर्वेक्षक के कर कमलों से सम्पन्न हुआ।

इस अवसर पर श्री गुरुबक्श सिंह उबेराय, निदेशक ने समारोह की अध्यक्षता करते हुए अध्यक्षीय भाषण में कहा कि देवनागरी में समस्त भारतीय भाषाओं को लिखने व लिप्यन्तरित करने की क्षमता है तथा राष्ट्रीय एकता के लिए यह आवश्यक है कि समूचे राष्ट्र में एक भाषा तथा एक लिपि ऐसी होनी चाहिए जिससे समूचे राष्ट्र में काम हो सके, बातचीत हो सके तथा एकता में बांधा जा सके। उन्होंने अपने अनुभवों की चर्चा करते हुए बताया कि जब वे दक्षिणी सर्कल बंगलूर में उपनिदेशक थे तो उन्होंने देखा कि उनके कार्यालय में तमिल, आंध्र प्रदेश तथा केरल के कर्मचारी आपस में बातचीत करने के लिए हिन्दी मिश्रित उर्दू हिन्दी का ही इस्तेमाल करते थे। क्योंकि वे अलग-अलग मातृ भाषा के थे और एक ऐसी भाषा उन्हें चाहिए थी जो आसानी से सभी समझते, जानते हों। इस प्रकार उन्होंने कहा कि यदि जिस प्रकार की भी हिन्दी हम बोलते हैं लिखने में भी वही इस्तेमाल करें तो इसमें न कोई त्रुटि होगी न समझने में कठिनाई। उन्होंने अपने समस्त अधिकारियों-कर्मचारियों से अपील की कि हमें राजभाषा हिन्दी को बढ़ाने का काम राष्ट्र सेवा के भाव से करना चाहिए। यह हम सबका अपना काम है तथा देश की आजादी, प्रगति व एकता के लिए राष्ट्रीय भावना से कार्य करना जरूरी है क्योंकि आज हम जो भी काम करते हैं वह सब अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं।

इस अवसर पर श्री उबेराय ने कहा कि अभी तक उत्तरी सर्कल के केवल दो अधीनस्थ कार्यालय हिन्दी यूनिट के रूप में घोषित किए गए थे उन्होंने घोषणा की कि अब दो और कार्यालय, संख्या 26 पार्टी तथा/पार्टी के कार्यालय भी "हिन्दी यूनिट" घोषित किए जाएगें जिनमें समस्त कार्य पूर्ण रूप से हिन्दी में ही किया जाएगा।

मुख्य अतिथि मेजर जनरल गिरीश चन्द्र अग्रवाल, भारत के महासर्वेक्षक ने कहा कि यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि उत्तरी सर्कल, प्रत्येक वर्ष सालाना हिन्दी समारोह मनाता है तथा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए हमेशा प्रयत्नशील है। उन्होंने कहा कि समारोह में आयोजित कार्यक्रम बहुत रोचक थे और सबसे सराहनीय कार्यक्रम हिन्दी क्विज का रहा जो कि एक नया प्रयत्न था उन्होंने कहा कि इस सर्कल में हिन्दी जानने वाले कर्मचारियों की संख्या कम नहीं है अतः यहां पर हिन्दी की प्रगति और अच्छी होनी चाहिए तथा हिन्दी जानने वालों को औरों को भी हिन्दी में काम करने में सहायता करनी चाहिए उन्होंने कहा कि इसके लिए हमें उदार प्रवृत्ति अपनानी होगी। उन्होंने बताया कि इस प्रकार के समारोह भी आवश्यक है इससे सभी कर्मचारियों को जानकारी प्राप्त होती है, उत्साह बढ़ता है तथा प्रेरणा मिलती है। उन्होंने पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी तथा कहा कि आगामी वर्ष उन्हें और अधिक नए-नए प्रतियोगी तथा पुरस्कार विजेता देखने को मिलेंगें ऐसी उन्हें आशा है।

रमेश कुमार चमोली
हिन्दी अधिकारी
कृते निदेशक, उत्तरी सर्कल
देहरादून

5. आयकर आयुक्त कार्यालय, कानपुर में पुरस्कार वितरण

सरकारी कामकाज में टिप्पण और आलेखन में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए नकद पुरस्कार योजना (वर्ष 84) में भाग लेने वाले पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार तथा प्रशस्ति पत्र देने के अवसर पर दिनांक 26-7-85 को आयकर आयुक्त, कानपुर की अध्यक्षता में हिन्दी के सम्बन्ध में एक प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में भाषण प्रतियोगिता, स्वरचित कविता पाठ प्रतियोगिता तथा हिन्दी के प्रचार एवं प्रसार के संबंध में गीत के कार्यक्रम आयोजित किए गए।

उक्त प्रतियोगिताओं के "निर्णायक मण्डल" में निम्नलिखित अधिकारियों को आयकर आयुक्त द्वारा मनोनीत किया गया :

1. श्री बी० सी० चतुर्वेदी, निरीक्षीक सहायक आयकर आयुक्त (प्रशासन), कानपुर।
2. श्री आर० के० मिश्रा, निरीक्षक सहायक आयकर आयुक्त रेन्ज "बी" कानपुर।

हिन्दी के संबंध में स्वरचित कविता पाठ के लिए प्रथम पुरस्कार श्री सुनील सक्सेना, आयकर अधिकारी (रिकवरी) ने जीता। इसी प्रतियोगिता का द्वितीय पुरस्कार श्री वी० प्रकाश, आयकर अधिकारी एस० ए० पी० ने प्राप्त किया।

भाषण प्रतियोगिता के लिए विषय था "हिन्दी भाषी क्षेत्र में आयकर विभाग का सभी सरकारी कार्य हिन्दी में किया जा सकता है।" इस विषय पर भाषण देने के लिए प्रथम पुरस्कार श्री एस० आर० त्रिपाठी, आयकर अधिकारी (6) तथा द्वितीय पुरस्कार श्री ए० के० दीक्षित, आयकर अधिकारी 1 (ii) ने प्राप्त किया तथा श्री आर० के० शुक्ला, कर सहायक ने सान्त्वना पुरस्कार प्राप्त किया।

इस प्रतियोगिता के अंत में वर्ष 84 में सरकारी कामकाज में टिप्पण और आलेखन में हिन्दी का प्रयोग करने के लिए विजेता प्रतियोगिओं को पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र दिए गए। उक्त सभी पुरस्कारों एवं प्रशस्ति पत्रों का वितरण आयकर आयुक्त, कानपुर श्री ज्ञानेन्द्र नाथ गुप्त द्वारा किया गया।

आयोजन के समापन भाषण में आयकर आयुक्त श्री ज्ञानेन्द्र गुप्त ने सभी उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को हिन्दी में सरकारी काम करने के लिए प्रेरित किया। उनकी प्रेरणा का काफी प्रभाव पड़ा जिससे हिन्दी में काम करने का एक स्वस्थ वातावरण बना। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि कानपुर हिन्दी भाषी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है और यहां पर सभी को यथासंभव अपना सरकारी कामकाज हिन्दी में ही करना चाहिए।

विनय स्वरूप शुक्ल
हिन्दी अधिकारी
कृते आयकर आयुक्त, कानपुर

85-एम/पी (डी) 487एम०आर०एच०ए०—7000—4-6-86—जीआईपीएस

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के लिए श्री जयपालसिंह द्वारा लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली से प्रकाशित तथा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, शिमला द्वारा मुद्रित ।